खण्ड-443, अंक-5
बुधवार, 6 भाद्रपद, शक संवत् 1924
(28 अगस्त, 2002 ई0)

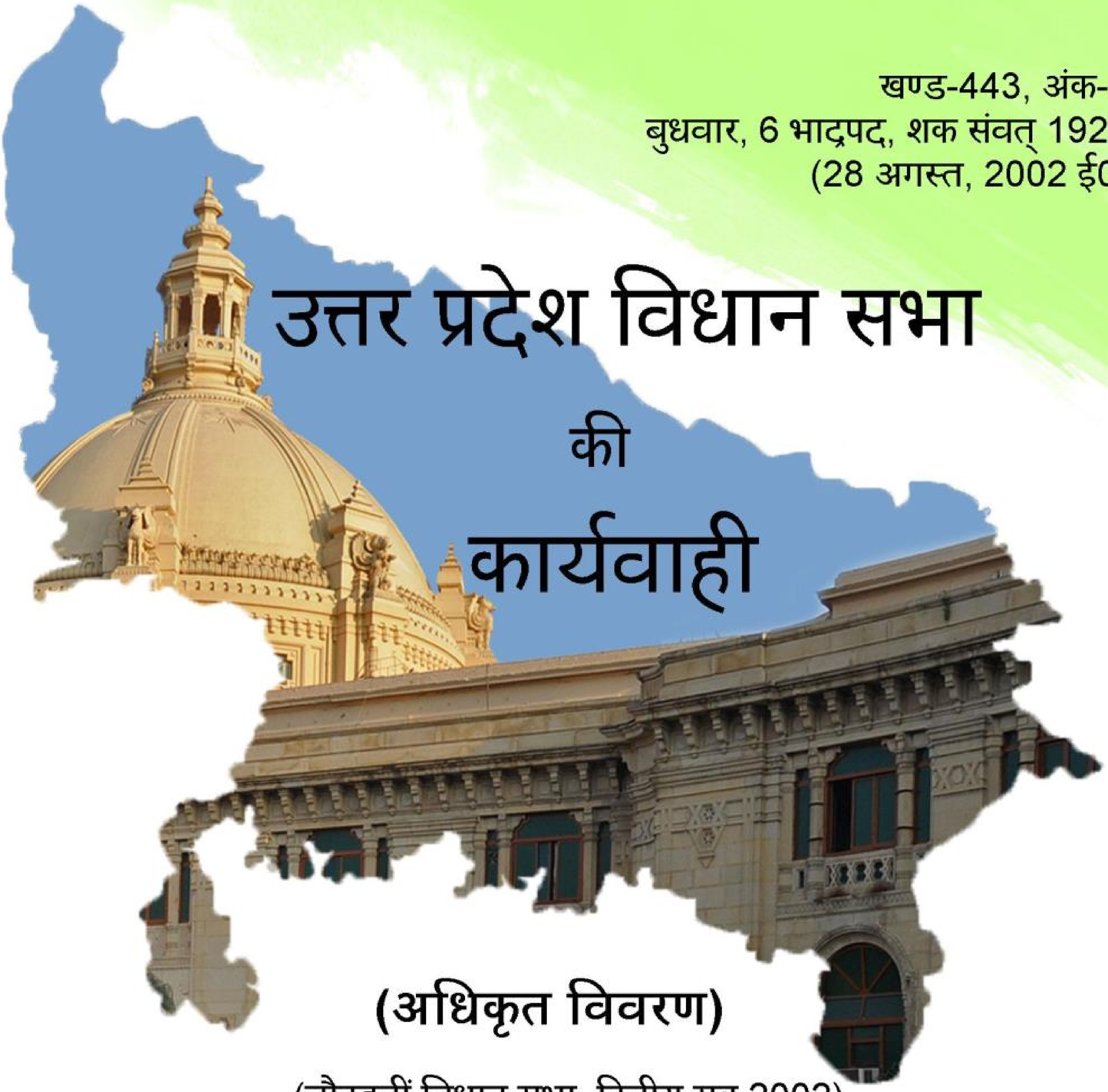

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2002)

खण्ड 443 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2002

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-
कार्य स्थगन प्रस्ताव के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं को लिये जाने की मांग	1
प्रश्नोत्तर	1–34
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं	34
जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज क्षेत्रान्तर्गत सरयू नहर परियोजना की कई शाखाओं पर साइफन बनवाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	34–35
जनपद फैजाबाद के मिल्कीपुर क्षेत्रान्तर्गत कई गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने वाला सम्पर्क मार्ग कुचेरा मजराई–खानपुर-कीन्हूपुर मार्ग के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	35
जनपद मुजफ्फरनगर के जानसठ क्षेत्रान्तर्गत अयूबशहर ब्रांच नहर के क्षतिग्रस्त अपर चूडियावा पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	35
जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा एवं तिन्दवारी में जिला परिषद् तथा क्षेत्र पंचायत को वर्ष 2001-2002 में अवमुक्त की गयी रोजगार योजना की धनराशि के कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	35–36
जनपद आगरा के एत्मादपुर क्षेत्रान्तर्गत नाला चूहरपुर के निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गयी किसानों की भूमि के प्रतिकर का भुगतान कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	36
जनपद कुशीनगर में कप्तानगंज के समीप भवन नाले के तटबन्धों को ऊंचा कराने एवं नाले की सफाई कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	36
जनपद खीरी में विषाक्त तेल से निर्मित भोजन सामग्री के सेवन से फैली बीमारियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	37
प्रश्नों के उत्तरों में तथ्यपरक सूचनायें न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न...	37–38
सदन में ध्वनि प्रणाली में खराबी होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न... ...	38–39
आय-व्ययक में 10 हजार अम्बेदकर गांवों को संतृप्त किये जाने सम्बन्धी मुख्य मंत्री की घोषणा तथा विश्व बैंक द्वारा उसमें मदद देने से मना करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (जारी)	39–40
विधायक निवास दारुलशफा के ए०, बी०, सी०, ब्लाकों में किचेन आदि की समुचित व्यवस्था उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	40–41

विषय	पृष्ठ-संख्या

आय-व्ययक में 10 हजार अम्बेदकर गांवों को संतृप्त किये जाने सम्बन्धी मुख्य मंत्री की घोषणा तथा विश्व बैंक द्वारा इसमें मदद देने से मना करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (जारी) 41–43

जनपद हरदोई के अन्तर्गत दहलिया से अरवल के मध्य कुण्डा नदी पर पेन्टून पुल बनाये जाने विषयक श्री महेन्द्र प्रताप सिंह निवासीगण जनपद–हरदोई आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ... (उपस्थित की गयी) 43–44

जनपद हरदोई के अर्न्तगत बिलग्राम विधान सभा के ग्राम म्योढ़ा मदार रोड पर स्थित नीलम नदी पर पुल निर्माण कराये जाने विषयक डा० जमील अहमद निवासीगण जनपद हरदोई आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका... (उपस्थित की गयी) ... 44

आय-व्ययक में 10 हजार अम्बेदकर गांवों को संतृप्त किये जाने सम्बन्धी मुख्य मंत्री की घोषणा तथा विश्व बैंक द्वारा उसमें मदद देने से मना करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न 44–45

जनपद हरदोई के अन्तर्गत हरदोई–हरपालपुर रोड पर म्योढ़ा से मदार तक की रोड का अवशेष भाग का निर्माण कार्य कराये जाने विषयक श्री आशिक अली निवासीगण जनपद हरदोई आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ....(उपस्थित की गयी) ... 45

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत कटरा से वनगांव तक सम्पर्क मार्ग का लेपन कार्य कराये जाने एवं टेढ़ी नदी पर पुल निर्माण कराये जाने विषयक श्री निसार अहमद निवासीगण जनपद–गोण्डा आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका .... (उपस्थित की गयी) 45

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत क्षेत्र कटरा बाजार के कौडिया अशोकपुर मार्ग का अवशेष भाग का पिच निर्माण एवं भेड़िया घाट पर पुल निर्माण किये जाने विषयक श्री त्रियुगी नारायण दूबे निवासीगण जनपद–गोण्डा आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका... (उपस्थित की गयी) 45

जनपद लखनऊ के अन्तर्गत ग्राम मौरा खेड़ा में राजकीय कन्या इण्टर कालेज की स्थापना विषयक श्री जगदीश प्रसाद मिश्र निवासीगण जनपद लखनऊ आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका .... (उपस्थित की गयी) 46

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं ... (जारी) 46–61

प्रदेश में विश्व बैंक द्वारा सहायतित योजनाओं को धन रोक देने की चेतावनी से उत्पन्न गम्भीर स्थिति विषयक कार्य स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री द्वारा उत्तर दिये जाने की मांग 61–62

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं 62–84

विषय	पृष्ठ-संख्या

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा और मतदान–अनुदान संख्या–50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन), अनुदान संख्या–51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत), अनुदान संख्या–52, राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) ... 84–120

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान–अनुदान संख्या–70–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (स्वीकृत) ... 120–123

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2002 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2002 (संकल्प अस्वीकृत, विधेयक पारित) 123-132

प्रदेश के भयंकर सूखे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा नियम 52 के अर्न्तगत दी गयी सूचना पर दो घण्टे की चर्चा का स्थगन ... 132

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें 132–134

जनपद आगरा के थाना कागारोल के ग्राम वैमन में प्रधान धीरेन्द्र द्वारा ग्राम पोखर पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में चौधरी बाबू लाल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य 134–135

प्रदेश के प्राधिकरणों द्वारा किसानों की भूमि के मुआवजे के बकाये का भुगतान न कर पाने की स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य ... 135–137

जनपद ज्योतिबाफूले नगर के विद्युत विभाग के कार्यालय में अधिकारियों/कर्मचारियों के समय से न आने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री महबूब अली द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य 137

जनपद आगरा में खराब पड़े सैकड़ों हैण्ड पम्पों को ठीक कराने एवं पानी की जांच कराने के संबंध में डा० राम बाबू हरित द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य 138

बजाज वेतन समिति की सिफारिशों के अनुरूप सांख्यकीय कर्मचारियों के वेतनमान को उच्चीकृत न किये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश सचान द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य 138–139

जनपद फैजाबाद के थाना तारुन के अन्तर्गत एक पत्रकार के भाई के नवजात शिशु की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने तथा थानाध्यक्ष को निलम्बित किये जाने की मांग के संबंध में श्री संतोराम निषाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य 139

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम कुढ़ाना तहसील शामली की चकबन्दी अविलम्ब पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री किरणपाल कश्यप द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य	140
जनपद गोण्डा के विकास खण्ड नबाबगंज एवं वजीरगंज के ग्राम पंचायत एवं न्याय पंचायतों को तहसील तरबगंज से तहसील मनकापुर में समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य	141
जनपद पीलीभीत के ग्राम हरिपुर, किशनपुर में फैले संक्रामक रोगों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० विनोद तिवारी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य	141–143
जनपद हरदोई के ब्लाक हरपालपुर में रोडवेज बस अड्डे से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तक जाने वाली सड़क के ऊपर बनी पुलिया के ऊपर से विद्युत लाइन हटाने के सम्बन्ध में श्री विश्राम सिंह यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य	143
जनपद लखीमपुर स्थिति अभयपुर, शाहगढ़ किसान सेवा सहकारी समिति लि० की प्रबन्ध कमेटी के द्वारा किये जा रहे कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में डा० कौशल किशोर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य	143–144
प्रदेश में पार्ट बैनामा की दाखिल खारिज न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा नियम–51 के अर्न्तगत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य	144–145
उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षों से सरकारी सस्ते गल्ले की नयी दुकानों के आवंटन पर लगे प्रतिबन्ध से बढ़ रही कालाबाजारी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री उदयराज द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य	145–146

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(चौदहवीं विधान सभा)

बुधवार, दिनांक 28 अगस्त, 2002

निम्नलिखित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

1–अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच
2–अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
3–अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर
4–अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
5–अनुराधा चौधरी, सुश्री	मुजफ्फरनगर
6–ओइमवेश, स्वामी	बिजनौर
7–ओम प्रकाश, श्री	सीतापुर
8–चन्द्र भद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
9–जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
10–प्रेम सिंह, श्री	मथुरा
11–बाबू राम, एम० काम०, श्री	जालौन
12–मदन भैया, श्री	बागपत
13–माया प्रसाद, श्रीमती	खीरी
14–मुस्ताक सोलंकी, हाजी	कानपुर नगर
15–रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	कुशीनगर/पडरौना
16–राकेश पाण्डेय, श्री	अम्बेडकर नगर
17–राज नाथ सिंह, श्री	बाराबंकी
18–राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
19–राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
20–राम भुआल, श्री	गोरखपुर
21–लुईस खुर्शीद, श्रीमती	फर्रुखाबाद
22–वीरेन्द्र सिंह बुन्देला 'भगत राजा', श्री	ललितपुर
23–स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
24–हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री	वाराणसी

उत्तर प्रदेश विधानसभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 28 अगस्त, 2002

(विधान सभा की बैठक सभा–मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री केशरीनाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुई ।)

कार्य स्थगन प्रस्ताव के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं को लिए जाने की मांग

(श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही विपक्ष के कई सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने लगे । जो लोग मारे गये हैं उन्होंने मंत्री जी का नाम लिया है ।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान लीजिये ।

(विपक्ष के कई सदस्य सदन की कार्यवाही रोकने की बात करने लगे ।)

श्री अध्यक्ष–

'सदन की कार्यवाही रोकने का प्रस्ताव इस समय नहीं लाया जाता है । जब नियम–56 का क्रम आता है, तब लिया जाता है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, एक गम्भीर मामला है । मुठभेड़ में जो लोग मारे गये हैं । जो रिपोर्ट दी है.....

श्री अध्यक्ष–

आपने अभी देखी नहीं होगी । आपके कब्जे में कहां से आ गयी । पहले देख लीजिये । नियम–56 में सूचना दी थी तो देख लीजिये कि शलाका में आयी कि नहीं वह सूचना और अगर नहीं आयी तो उसका बैठकर रास्ता निकाला जायेगा । क्रम संख्या–10 कार्य-सूची की आयेगी तब उस समय देखा जायेगा ।

प्रश्नोत्तर

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम हेतु सरकार की नई कार्य योजना

*1–श्री राजेन्द्र सिंह राणा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए इसकी रोकथाम हेतु सरकार कोई नई कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो वह कार्य योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह)–

खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम हेतु खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली, 1955 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है । खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण को रोकने हेतु मण्डलों/जनपदों में तैनात खाद्य निरीक्षकों द्वारा नियमित रूप से नमूने एकत्र किये जाते हैं । उक्त अधिनियम के प्राविधानों के प्रवर्तन हेतु विशेष अभियान चलाकर छापामार

कार्यवाही की जाती है । एकत्रित नमूनों की जांच राजकीय एवं सम्भागीय जन विश्लेषक प्रयोगशालाओं से करायी जाती है । जांच रिपोर्ट में अपमिश्रण/मिलावट पाये जाने पर सम्बन्धित उत्पादकों/विक्रेताओं के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अभियोजन दायर किया जाता है ।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में खाद्य सामग्री में मिठाई में, दूध में हर चीज में मिश्रण किया जा रहा है । इस तरह की घटनायें आये दिन बढ़ती चली जा रही हैं, इसकी रोकथाम के लिए कोई विशेष कार्य योजना होनी चाहिए । आज जितने मामले खाद्य मिश्रण में अपमिश्रण के हैं उतने किसी और के नहीं हैं । पूरे प्रदेश में अनेकानेक घटनायें इस तरह की रोज सामने आती हैं । दूध जैसे महत्वपूर्ण चीज में मिश्रण हो रहा है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने ऐसे मामलों के सम्बन्ध में आपने जानकारी करके दोषी पाया और उन दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? इसके बारे में जानना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

यह विस्तृत प्रश्न है ।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा–

ईद, होली, रक्षा बन्धन में मिलावटी मिठाई बनती है जिसमें खोवा और दूध मिलावटी होता है इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि क्या कोई कार्ययोजना है कि इस पर अंकुश लगा सकें । कितने मामलों में दोष निर्धारण किया गया कितने मामलों में सजा हुई ?

श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

इसके सम्बन्ध में अधिनियम 1954 नियमावली, 1955 के तहत कार्यवाही की जाती है । इस सम्बन्ध में नियम पर्याप्त है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य ने पूछा कितने प्रतिशत मामले हैं जिसमें कार्यवाही की गयी है अगर सूचना हो तो बता दें ।

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

मान्यवर, 2001 में 21 हजार 50 नमूने लिए गये जिसमें 2 हजार 24 में मिश्रण पाया गया ।

श्री जगदम्बिका पाल–

यह नियमावली और अधिनियम काफी पहले के हैं । आज पूरे प्रदेश में जिस तरह से खाद्य पदार्थों में मिलावट हो रही है आज जो अधिनियम, 1954 और नियमावली, 1955 की बात कही गयी आप भी सहमत होंगे आज बड़े पैमाने पर मिलावट हो रही है । माननीय सदस्य ने पूछना चाहा है कि क्या कोई नई कार्य योजना पर सरकार विचार कर रही है । प्रदेश के सेक्रेटरी स्तर के लोग बैठते हैं यह कुछ नहीं करते हैं मिलावट हो रही है । सरकार नई कार्य योजना बनाने पर विचार कर रही है क्या सरकार कोई टास्क फोर्स बनायेगी जिसमें स्वास्थ्य विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारी हों और उनकी संयुक्त जिम्मेदारी हो, क्या कोई कार्य योजना बनाने पर सरकार विचार कर रही है ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

अधिनियम जो हैं वह पर्याप्त हैं, नियमावली पर्याप्त हैं इससे पूरी कार्यवाही की जा सकती है । समय-समय पर मानीटरिंग की जाती है, समय-समय पर निर्देश दिये जाते हैं । कितने नमूने लिए गये, कितनी जगहों पर अपमिश्रण पाया गया यह बताया जाता है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य का कहना है क्या कोई संयुक्त टास्क फोर्स बनायी जायेगी जिसमें स्वास्थ्य विभाग और राजस्व विभाग रहे क्या ऐसी कोई कार्य योजना है ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

ऐसी कोई कार्य योजना नहीं है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

'क्या विचार करेंगे । मैं यह जानना चाहता हूं जो सेनेटरी इंस्पेक्टर हैं यह सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं वह सुबह से दूध और मिठाई वालों के यहां वसूली करने के लिए निकल जाते हैं । सफाई का काम बाधित हो रहा है दूसरी तरफ वह प्रदेश के जन-जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं । इसमें सरकार के ऊपर कोई आक्षेप नहीं है प्रदेश के जन-जीवन के साथ सेनेटरी इंस्पेक्टर खिलवाड़ कर रहे हैं तो क्या भविष्य के लिए मंत्री जी कोई आश्वासन देंगे ?

श्री अध्यक्ष–

आश्वासन के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता है ।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

महाराष्ट्र सरकार ने प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य सेंटर बनाये हैं प्रदेश सरकार भी इस पर विचार कर रही है प्रमुख सचिव रहेंगे और सचिव स्तर के आई०ए०एस० रहेंगे । जैसी कि शंकायें व्यक्त की जा रही हैं तो मैं यह बताना चाहूंगा कि जिस तरह का महाराष्ट्र सरकार ने किया है वैसे ही यहां पर भी यह प्रस्ताव विचाराधीन है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं यह देख रहा हूं कि यहां पर विरोधाभाषी बयान आ रहे हैं । स्वास्थ्य मंत्री जी ने बयान दिया कि कोई योजना नहीं है और वहीं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि भारत सरकार में विचाराधीन है । कल भी एक मामला आया था तो विरोधाभाषी बयान आया था । जुगाड़ के सवाल पर आया था कि यह अवैध है और माननीय टण्डन जी ने कहा कि जुगाड़ चलता है ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैं पाल जी को बताना चाहता हूं कि अधिनियम के तहत कोई प्राविधान नहीं है । एक अलग से प्राविधान है और मेरे संज्ञान में था तो मैंने बता दिया ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, सबसे पहले मैं राजेन्द्र सिंह राणा जी को बधाई देता हूं । उन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा है । यह प्रदेश के जनजीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है । मान्यवर, जो जवाब आया है वह अपर्याप्त है । 1954 का एक्ट है उसी के तहत कार्यवाही की जा रही है । मैं आपसे दो आग्रह करना चाहता हूं । एक तो यह कि इन लोगों के खिलाफ एक साल में क्या-क्या कार्यवाही हुई है । यह बताने की कृपा करेंगे ?

दूसरा मेरा सवाल यह है कि इस अधिनियम को बदलने के लिए क्या उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार को अपनी संस्तुति भेजेगी कि इस अधिनियम को बदला जाय ? जिससे खाद्य में मिलावट करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाय और दस साल की सजा देने का प्राविधान किया जाय । इस पर विचार करेंगे और क्या-क्या कार्यवाही हुई है यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

यह बाद वाला प्रश्न बहुत विस्तृत है । माननीय मंत्री जी ने संक्षेप में इसका उत्तर दिया था । यह जो भारत सरकार को संस्तुति करने के लिए बात कही गयी है इसके बारे में उत्तर दें ।

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

मान्यवर, पांच सौ रुपये की सजा हो सकती है ।

श्री अध्यक्ष–

इन्होंने यह प्रश्न पूछा है कि क्या भारत सरकार को यह संस्तुति करेंगे कि और कड़े दण्ड का प्राविधान किया जाय ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

मान्यवर, इसमें प्राविधान कड़ा है । आजीवन कारावास की व्यवस्था है और कड़ाई की आवश्यकता नहीं है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि खाद्य में दूध भी आता है । पिछले एक वर्ष में दूध के अपमिश्रण के कितने मामले पकड़े गये, कितने अशुद्ध पाये गये...

श्री अध्यक्ष–

यह ब्यौरा कहां से मिलेगा ?

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, 1954 के एक्ट में यूरिया का प्रतिशत मानक के अनुसार दिया गया है कि नहीं । यूरिया से उर्वरक में घाटा हो रहा है । भूसा और चारा में यूरिया का प्रतिशत ज्यादा जा रहा है । क्या वर्तमान परिस्थितियों में दूध के मानक का दोबारा परीक्षण कराने पर विचार करेंगे ? इससे दूध के व्यवसाइयों पर असर पड़ा है ।

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

मान्यवर, यह मूल प्रश्न से हटकर है । यूरिया के सम्बन्ध में जो अपमिश्रण पाये जाते हैं उसमें कार्यवाही की जाती है । पिछले साल कार्यवाही की गयी है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया । दोबारा स्टेंडराइजेशन तय करायेंगे और मानकीकरण में जो अपमिश्रण आया, 1954 के एक्ट में संशोधन करायें कि मानक के बिना न लें जिससे अनावश्यक रूप से जो दूध व्यवसाइयों का उत्पीड़न होता है वह न हो ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष–

मानकों में संशोधन की बात है ।

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

मान्यवर, मानक बने हुए हैं अगर उन मानकों से हटकर मिलावट पायी जाती है तो उस पर कार्यवाही की जायेगी ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, पहले गोबर की खाद से खेती होती थी लेकिन आज आधुनिक यूरिया से खेती हो रही है । जमीन में यूरिया का प्रतिशत अधिक होने से नुकसान हो रहा है । जानवर उसे खा रहे हैं । यह कहने का कोई औचित्य नहीं है कि उसमें मानक सही नहीं है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि फूड एडल्ट्रेशन ऐक्ट और इसेन्सियल कबोडिटीज ऐक्ट दोनों भारत सरकार के हैं । राज्य सरकार को अधिकार है कि वह इसके अन्तर्गत कार्यवाही करे या नहीं । इसमें धारा 3/7ए और 7/16 दोनों को संस्पेंड कर दिया गया । मैं जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार इसके लिए कोई नया प्राविधान करेगी ? या इस पर विचार करेगी ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

मान्यवर, जिन खाद्य पदार्थों में मिलावट पायी जाती है जो अधिनियम है उसके तहत पूरी कार्यवाही की जाती है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, एडल्ट्रेशन ऐक्ट रोकने के लिए 7/16 को प्रतिबन्धित कर दिया गया है जब ऐक्ट की वह धारा ही प्रतिबन्धित कर दी गयी है तो कार्यवाही कैसे होगी ? मान्यवर, मंत्री जी बतायें कि अब तक इसमें कितने लोगों पर कार्यवाही की गयी है ?

श्री घूरा राम–

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि इस नियम के तहत आजीवन कारावास की व्यवस्था है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज तक कितने लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई है ? मान्यवर, जांच की रिपोर्ट तक नहीं आती है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी जो जांच के नियम हैं उसमें कोई समय सीमा निर्धारित करें कि इतने दिनों के अन्दर जांच रिपोर्ट आ जाये ।

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

मान्यवर, यह कहा गया है कि जल्द से जल्द परीक्षण करा लिया जाए और कार्यवाही की जाये ।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दूध में जो प्राकृतिक तत्व होते हैं उनकी जानकारी क्या माननीय मंत्री जी को है ? दूध में साल्ट भी होता है माल्टोज भी होता है और उसमें कुछ परसेन्ट प्राकृतिक यूरिया भी होता है इसमें .007 प्रतिशत प्राकृतिक यूरिया होता है न जाने कितने ही

लोगों को यूरिया मिलावट के तहत जेल में डाल दिया गया । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पहले इसको सुधार कर लें उसके बाद ही यह ऐक्ट लगाया जाये ।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, व्यापारी का मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है । मान्यवर, आज की तारीख में कोई वस्तु बाजार में ऐसी नहीं है अभी दूध का जिक्र किया गया, चाहे खाद हो, दवाई हो, खाने की वस्तु हो सभी में मिलावट है और मनुष्य के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है । मान्यवर, इस मिलावट के धन्धे में उत्पीड़न का बहाना लेकर सरकार ने कानूनों को निलम्बित कर रखा है । तो मिलावट हर चीज में हो रही है इस बात को ध्यान में रखते हुए जो मौजूदा कानून है उसको सख्ती से लागू करवायेंगे ? और जो उत्पीड़न की बात है उसको रोकने के लिए सरकार को सक्षम होना चाहिए ।

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

मान्यवर, यह कानून के तहत और सख्त कार्यवाही कर दी जायेगी अगर मिश्रित पाया जायेगा तो उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, एक समय आया था कि जब कड़वे तेल में मिलावट से बड़ी सनसनीखेज घटनायें हुई थीं और कड़वे तेल की बिक्री प्रदेश में दो-तीन महीने बन्द कर दी गयी थी । इन मिलावट से चाहे वह खाद में हो या अन्य में तमाम मौतें और बीमारियां उत्पन्न होती हैं तो जो मिलावट में पकड़े जाते हैं उनको सजा देने का प्राविधान है मैं जानना चाहता हूं कि विगत पांच साल से जब से कड़वे तेल में मिलावट की बात आयी कितने अभियोजन शासन की तरफ से पंजीकृत कराये गये और उसमें अब तक कितने लोगों को न्यायालय में सजा हुई है या जुर्माना हुआ है ।

(इस समय 11 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी पीठासीन हुए ।)

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

मान्यवर, यह पांच साल के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं कि कड़वे तेल में कितनी मिलावट हुई थी और कितनी कार्यवाही हुई यह मूल प्रश्न से अलग हट कर है । माननीय सदस्य लिखकर दे देंगे तो अलग से जानकारी दे देंगे ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, अपमिश्रण के चलते पूरे प्रदेश का स्वास्थ्य इतने गम्भीर संकट में पड़ा हुआ है । यह संस्कृति पूरी तरह से पूरे देश को भी और इस प्रदेश को रसातल में ले जायेगी । मान्यवर, आज अपमिश्रण के माध्यम से ही यह सरकार बनी हुई है । तो परस्पर विरोधी स्वाभाव के तत्वों से मिलकर जो यह सरकार बनी है उसमें कितनी पचने की ताकत है ?

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने कहा कि 1954 का जो अधिनियम है उसमें पर्याप्त प्राविधान है और उसके अनुसार कार्यवाही की जा रही है और लोगों को सजा भी दिलाई जा रही है । मान्यवर, मैं चाहता हूं और जैसा कि नरेश अग्रवाल जी, ने कहा

3/7 इसेन्शियल कमोडिटी ऐक्ट को आपने निष्प्रभावी कर रखा है तो क्या सरकार 3/7 को सख्ती से लागू करने के लिये कार्यवाही करने पर विचार करेगी ।

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

मान्यवर, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है इसमें कार्यवाही की जाती है और की जायेगी ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, अधिनियम में इस बात का प्राविधान है और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि उसको लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

श्री अधिष्ठाता–

आप वरिष्ठ सदस्य हैं । ये शासन का काम है कि किस अपराध के तहत किस नियम में कार्यवाही करनी है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, अभी आप भी पूछ रहे थे और अब वहां बैठकर दूसरी बात कहने लगे, यहां दूसरी बात कह रहे थे । मान्यवर, आपको हम लोगों को संरक्षण देना चाहिए । यह इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर ऐसा व्यवहार न करें । आपसे आग्रह है कि मंत्री जी बता दें कि क्या वजह है जिसकी वजह से 3/7 लागू करने में सरकार को कठिनाई है ?

राजा महेन्द्र अरिमदन सिंह–

मान्यवर, इसमें कोई वजह नहीं है । अगर सही अपमिश्रण पाया जाता है तो उसमें सख्ती से कार्यवाही होती है ।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा–

मान्यवर, मैंने जो सवाल किया था और उसका जो जवाब मिला है वह बिल्कुल घिसापिटा जवाब है जो पहले भी मिलता रहा, वही मिला है । मेरी जो चिन्ता है वह वर्तमान समय में जो आम बाजार में ये चीजें मिल रही हैं उसके बारे में है, मेरी चिन्ता उन चीजों के बारे में है जो ग्रामीण क्षेत्रों में बिक रहीं हैं जिनकी कोई जांच नहीं करता है । आजकल आधुनिकतम युग है और ऐसी-ऐसी मशीनें चल गयी हैं जिससे तुरन्त जांच करके पता चलाया जा सकता है । यह मशीने विदेशों से मंगवाई जा सकती है । दूध, घी, शक्कर और मिठाई, मावा आदि कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें अपमिश्रण न हो ये लोकमहत्व का सवाल है । मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इसमें काई ठोस कार्य योजना बनाने का कष्ट करें, ऐसी योजना बनायें जिससे मौके पर जुर्माना हो सके और मुकदमा चलाया जा सके ।

श्री शारदानन्द अंचल–

मान्यवर, इस पर चर्चा करा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

आप लिखकर दे दें ।

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

मान्यवर, जो कानून है उसके तहत पर्याप्त प्राविधान है । मानक पर्याप्त हैं और उसके तहत कार्यवाही की जाती है, छापामार कार्यवाही भी की जाती है और समय-सयम पर उसका परीक्षण भी किया जाता है और जो लोग दोषी पाये जाते हैं तो उन पर कार्यवाही की जाती है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, इसमें हल्केपन से मंत्री जी ने जवाब दिया है इससे प्रतीत होता है कि सरकार व्यापारियों से मिली हुई है और लोगों के जनजीवन से खिलावाड़ कर रही है । माननीय मंत्री जी, इसकी कोई वजह नहीं है कि सरकार ने 3/7 और 7\16 सस्पेन्ड कर रखा है कोई नया कानून बनाना नहीं चाहते हैं इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करता है ।

(श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया ।)

श्री सुखदेव राजभर–

कुछ लोग जा रहे हैं कुछ लोग आ रहे हैं शायद बहिष्कार में भी मिलावट है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद हरदोई के बिलग्राम तहसील मुख्यालय पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने की मांग

*1–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद के बिलग्राम तहसील मुख्यालय पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए उपयुक्त भूमि तथा जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति की संस्तुति/परिव्यय उपलब्ध न होने के कारण बनाया जाना सम्भव नहीं है ।

श्री विश्राम सिंह यादव–

माननीय अधिष्ठाता जी, इसी सदन में इसी सत्र में पूरक प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि जो सूचनाएं एकत्र कर पाये हैं उसमें से एक तो यह कर पाये हैं कि भूमि उपलब्ध नहीं है । दूसरा सवाल कि भूमि की उपलब्धता के बारे में क्या प्रयास किये गये हैं ? आपने जमीन के लिए कोई प्रयास किया, उसे दे रहे हैं या नहीं दे रहे ? क्या प्रयास किये गये ? यह माननीय मंत्री जी बता दें ।

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

यह जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अन्तर्गत आता है । जब इसमें आवश्यकता पाई जाती है तभी आगे कोई कार्यवाही होती है ।

श्री विश्राम सिंह यादव–

मैंने यह सुझाव रखा था तो समिति में कहा गया कि पहले जमीन दिला दो, तब प्रस्ताव आयेगा । समिति ने एक प्रस्ताव बनाकर भेजा है कि जो जिला अस्पताल की जमीन है नगर पालिका जमीन दे रही है वह नगर पालिका द्वारा प्रस्तावित जमीन है । क्या उस पर निर्माण कार्य कराने की कृपा करेंगे ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के सदस्य पहले उसका निर्धारण करेंगे, जमीन का मामला उसके बाद आता है ।

नत्थी (ग)

*1–श्री संजय गर्ग–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में नकली अधोमानक औषधियों का निर्माण एवं उनकी बिक्री की रोकथाम

*2–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में नकली, अधोमानक औषधियों का निर्माण एवं उनकी बिक्री हो रही है ? क्या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं०–11736/1998 में पारित आदेश दिनांक 12-5-98 का अनुपालन और क्रियान्वयन विभाग द्वारा किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

वर्ष 2001-2002 में 79 अधोमानक तथा 03 नकली एवं वर्ष 2002-2003 (जून माह तक) 38 अधोमानक तथा 04 नकली औषधियों के मामले प्रकाश में आये हैं ।

जी हां । मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12-5-1998 के अनुपालन में 15 औषधि निरीक्षकों की रिक्त पदों पर नियुक्ति दिनांक 9-2-1999 को की गयी है । मण्डल तथा जनपदों में तैनात वरिष्ठ औषधि निरीक्षक तथा औषधि निरीक्षक द्वारा नियमित रूप से औषधि निर्माण एवं विक्रय इकाईयों का निरीक्षण तथा नमूनें एकत्र करने की कार्यवाही की जाती है । मुख्यालय पर गठित अभिसूचना दल द्वारा शिकायतें प्राप्त होने पर छापामार कार्यवाही करायी जाती है । समय-समय पर शासन स्तर से भी विशेष अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये जाते रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय, यह मामला प्रदेश की 17 करोड़ जनता के जीवन से जुड़ा हुआ है । मेरी चिन्ता यह है कि अधिष्ठाता महोदय, आज जैसे कि अभी अपमिश्रण का मामला आया, उसी तरह अपमिश्रण से उत्पन्न होने वाले विकारों और रोगों से मुक्ति के लिए दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है । मान्यवर, वहां भी नकली दवाइयां और अधोमानक दवाइयां लोगों के उपचार के काम में आ रही हैं और जो इसके लिए नियुक्त हैं ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर और तमाम लोग जो हैं उनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध होने के कारण जो सरकार की मंशा है वह पूरी नहीं हो पा रही है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने यह बताया कि न्यायालय के अनुदेश के अनुपालन में 15 ड्रग इंस्पेक्टरों की नियुक्ति कर दी गयी, इसमें कहीं यह स्पष्ट नहीं है कि कुल जो स्वीकृत पद हैं वह कितने हैं और कितने पद अभी खाली हैं और जो खाली हैं वह प्रदेश की 17 करोड़ जनता के लिए और 70 जिलों के लिए क्या उचित हैं ? और अगर खाली हैं तो कब तक भर दिये जायेंगे ? दूसरा सवाल यह है कि प्रदेश में कितनी निर्माण ईकाईयां हैं, कितनी विक्रय ईकाईयां पंजीकृत हैं ? आपको मालूम हो कि इनके लिए जो ड्रग इंस्पेक्टर तैनात हैं वर्तमान में उनकी संख्या पर्याप्त है ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

मान्यवर, निरीक्षकों के टोटल 67 पद हैं, जिसमें से 17 रिक्त रह गये हैं, उनके अधियाचन की कार्यवाही की जा चुकी है, शेष कार्यवाही लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जा रही है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य ने जानना चाहा था कि जितनी निर्माण ईकाईयां हैं और जितनी विक्रय इकाइयां हैं, उसके अनुपात में औषधि निरीक्षकों के पद पर्याप्त हैं ? यह सूचना हो तो दे दें।

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

मान्यवर, सूचना नहीं है।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं जानना चाह रहा हूं कि प्रदेश में कुल कितनी पंजीकृत निर्माण ईकाईयां हैं और कितनी विक्रय ईकाईयां हैं। मैं संख्या जानना चाहता हूं ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, सूचना हो तो दे दें।

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

सूचना नहीं है कितनी ईकाईयां हैं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मान्यवर, कितनी निर्माण इकाईयां हैं और कितनी विक्रय इकाईयां हैं, इसमें कोई सूचना की आवश्यकता तो नहीं है, यह तो सूचना होनी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी के पास सूचना नहीं है, होती तो वह देते।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जहां-जहां औषधियों का निर्माण होता है और जहां पर बिक्री हो रही है। पिछले 1 साल के अन्दर कितनी चेकिंग शासन द्वारा कराई गई है और कितनी अनियमिततायें पाई गई हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

राजा महेन्द्र अरिमन सिंह–

मान्यवर, 2001-2002 में निर्माण लाइसेंस 5 निरस्त किये गये हैं, 3 निलम्बित किये गये हैं और 48 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।

श्री घनश्याम शुक्ला–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या शासन द्वारा नकली दवा बेचने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने के लिये कोई नया कानून बनाने की योजना है ? नकली दवा बनाकर, बेचकर जनजीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लखनऊ राजधानी ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में गांव, गली गलियारों में दवा बेचने की कार्यवाही चल रही है, क्या सरकार कोई नया

कठोर कानून बनायेगी जिससे जो नकली दवा बेचने वाले हैं, उनके खिलाफ तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित हो सके ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

मान्यवर, अधिनियम 1940 और 1945 में प्राविधान किये गये हैं, उसी के तहत कार्यवाही की जाती है, इसके अलावा एक इंटेलीजेंस सेल भी गठित कर दिया गया है । जहां भी जानकारी पायी जाती है, वहां कार्यवाही की जाती है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि इस तरह के प्रकरणों पर और अधिक प्रभावी कार्यवाही करने के लिये किसी नये कानून पर सरकार विचार कर रही है ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

मान्यवर, इस संबंध में अभी कोई विचार नहीं चल रहा है ।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, माननीय श्याम देव राय चौधरी जी ने यह किया कि प्रदेश में नकली अधोमानक दवाइयों की बिक्री हो रही है । कुछ घटनाओं का उल्लेख किया, मंत्री जी ने निस्तारण के बारे में बताया कि औषधियों के निर्माण के संबंध में ड्रग ऐक्ट है और उसके कन्ट्रोल के लिये ड्रग इंस्पेक्टर्स नियुक्त हैं । इन औषधि निर्माण तथा विक्रय करने वाली संस्थाओं को अपना लाइसेंस रिनीवल कराने के लिये जिन एथारिटीज के पास जाना पड़ता है, वह 70 जनपदों में मात्र 17 अधिकार प्राप्त हैं । यू०पी० ड्रग ऐक्ट के हिसाब से जितने फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड हैं, उनकी संख्या बता दें । मेरे संज्ञान में लगभग साढ़े 26 हजार फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड हैं और प्रत्येक औषधि निर्माण तथा औषधि विक्रेताओं को एक फार्मासिस्ट को रखना लाइसेंस के लिये जरूरी है । अभी तक शासन द्वारा 75 हजार विक्रेताओं को लाइसेंस निर्गत किये गये हैं, उतने फार्मासिस्ट का होना जरूरी है । यू० पी० ड्रग ऐक्ट में प्राविधान है कि हर विक्रेता अपने फार्मासिस्ट की फोटो लगाकर उसे दुकान पर डिस्प्ले करेगा । लेकिन हो यह रहा है कि भोले-भाले रोगियों का शोषण किया जायेगा, उन्हें नकली दवायें दी जायेंगी ; मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो ड्रग इंस्पेक्टर उनके लाइसेन्स को रिन्यू करता है, उसके लिये मात्र शासन के द्वारा 17 लोगों को वह पावर दी गई है, क्या जिन लोगों को वह पावर डेलीगेट की गई है, वह इसके लिये निर्धारित क्वालीफिकेशन पूरी करते हैं ? दूसरा यह कि जो फोटो लगाकर के डिस्प्ले करने की बात है तो क्या वह ऐसा करते हैं और यदि नहीं करते हैं तो विक्रेताओं को इस बात के लिये मजबूर किया जाना चाहिये, और अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो क्या शासन द्वारा उनका लाइसेंस निरस्त करने का काम किया जाएगा ? यू० पी० में इतने कम फार्मासिस्टों के रजिस्ट्रेशन है और विक्रेताओं की संख्या लगभग 56 हजार है, तो इसके लिये सरकार क्या नियम बना रही है ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

मान्यवर, अभी हमारे पास इस बात की कोई सूचना नहीं है, जब होगी तो हम जानकारी दे देंगे ।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, फर्जी तौर पर लाइसेन्स निर्गत किये जा रहे हैं । विक्रेताओं को जिनको लाइसेन्स दिये गये हैं उनकी संख्या लगभग 75 हजार है और फार्मासिस्टों की संख्या मात्र 26 हजार है । जिससे ऐसा लगता

है कि शासन इस विसंगति को दूर करने के प्रति गम्भीर नहीं है और माननीय मंत्री जी इसके बारे में कुछ जवाब भी नहीं देंगे तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं, इस समस्या का निदान किस तरह से होगा ?

श्री अधिष्ठाता–

आप का प्रश्न मूल विषय से संबंधित नहीं है और मंत्री जी ने कह भी दिया है कि जब सूचना आ जाएगी तो उत्तर दे दूंगा ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि मार्केट में एक दवाई 2 रु० और पांच रुपये में बिक रही है और 50 रुपये में भी वही दवाई मिल रही है, तो एक ही कम्पाउण्ड 10 गुना, सौ गुना का अन्तर से बिक रहा है तो स्पष्ट है कि बड़े पैमाने पर मिलावट हो रही है । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इन जीवन रक्षक दवाओं में जो मिलावट करें उन्हें जेल हो, फांसी हो, और कठोर सजा हो, ऐसा कोई कानून बनाने का काम वह करेंगे । जो रोगी चाहता है कि इन दवाइयों से उसकी जिन्दगी बच जाएगी लेकिन उन्हीं से उसकी जिन्दगी चली जाती है, छीन ली जाती है, इतना बड़ा धोखा उनके साथ किया जाता है, क्या इसको दूर करने का काम मंत्री जी करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

इस प्रश्न को माननीय घनश्याम शुक्ला जी कर चुके हैं और माननीय मंत्री जी उसका उत्तर भी दे चुके हैं ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, जिला अस्पतालों में जो दवाइयां सप्लाई होती हैं उनमें से अधिकांश नकली होती हैं, जिसका परिणाम है कि लोगों का सरकारी अस्पतालों के द्वारा मिली हुई दवाओं पर से विश्वास उठ चुका है । मेरा सवाल है कि क्या मंत्री जी से यह कहूंगा कि यह लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ, 17 करोड़ की जनता से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसमें एक नियम बनाकर एक निश्चित अवधि के अन्दर नकली दवाओं को सदा-सदा के लिये समाप्त कर देंगे ? जिससे कि लोगों का सरकार और सरकारी दवाओं पर यकीन बना रहे ।

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

मान्यवर, इसके लिये समय-समय पर अधिनियम बनाये जा रहे हैं और आगे भी जरूरत पड़ने पर बनते रहेंगे ।

श्री जगदम्बिका पाल–

अधिष्ठाता महोदय माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि सूचना मिलने पर छापामार कार्यवाही की जाती है तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो मुख्यालय पर उनके अभिसूचना दल गठित है, उससे कितनी सूचनाएं प्राप्त हुईं, और उसके आधार पर छापा मारने की जो कार्यवाही हुई उसके क्या परिणाम आए और औषधि निर्माताओं और औषधि बिक्री करने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? आज औषधि निरीक्षक लगातार छापे मारते हैं, चेकिंग की जाती है, नमूने लिये जाते हैं, कदाचित इन सब कार्यवाहियों के बावजूद रेपूटेड कम्पनियों के नाम पर अधोमानक और नकली दवायें बनाकर बाजार में बेची जा रही हैं । मैं यह मंत्री जी से जानना चाह रहा हूं कि आपने जो अभिसूचना दल गठित किया है उसमें कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और उस दल में किस-किस स्तर के लोग हैं और अब तक कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

मान्यवर, जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी है वह मैंने बता दिया है कि इनके-इनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, अभिसूचना दल का उल्लेख किया गया जब शिकायतें मिलती हैं तो छापामार कार्यवाही करते हैं, मैंने जानकारी चाही थी कि उस अभिसूचना दल में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ?

(इसी बीच मा० मुख्य मंत्री जी के सदन में प्रवेश करने पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाकर स्वागत किया)

प्रसन्नता की बात है कि माननीया मुख्यमंत्री जी भी सदन में आ गयी हैं, मैं समझता हूं कि वह भी इसको करेंगी । पूरे सदन की इच्छा है कि आज जो दवाओं में मिलावट की जाती है, चाहे वह किडनी, लीवर हार्ट की दवायें हों, उनका प्रभाव नहीं पड़ता और रोगियों की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी नकली दवाओं के विक्रेताओं को मृत्यु दण्ड देने के लिये जो कानून है उसमें संशोधन करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

यह प्रश्न अन्य माननीय सदस्यों द्वारा भी पूछा गया था और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि वर्तमान में जो कानून है वह इसको रोकने के लिये सक्षम है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जनजीवन से जुड़ा हुआ मामला है इसमें गम्भीरता से विचार करना चाहिये और सरकार को कार्यवाही करनी चाहिये ।

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

मान्यवर, जो कानून है वह पर्याप्त है । 6 प्रतिष्ठानों से और 71 अस्पतालों से नमूने लिये गये, दो और हैं । इस प्रकार 79 लोगों के विरुद्ध जांच की गयी । वर्ष 2001-2002 में कुल 51 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी, 3 फर्मों के विरुद्ध और 48 व्यक्तियों के विरुद्ध ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

अधिष्ठाता महोदय, इस पर काफी प्रश्न आ चुके हैं और उत्तर भी जो आना था आ चुका है फिर भी मेरी जिज्ञासा यह है कि उत्तर में मंत्री जी ने जो कहा है उसी से यह संबंधित है, पता नहीं इसका उत्तर मिलेगा भी या नहीं मिलेगा । माननीय मंत्री जी ने शुरू में कहा कि 2001-02 में 79 अधोमानक एवं 3 नकली तथा वर्ष 2002-03 में 38 अधोमानक एवं 4 नकली औषधियों के मामले प्रकाश में आये हैं तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो अधोमानक दवा निर्मात्री कम्पनियां हैं या नकली फुटकर बिक्रेताओं से संबंधित है । मान्यवर, जो कानून बने हुये हैं वर्तमान में वह पर्याप्त नहीं है ।

मान्यवर, आज मनुष्य में नैतिकता नाम की चीज समाप्त होती जा रही है । वर्तमान में जो कानून है वह नकली दवा बनाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने में पर्याप्त नहीं है । क्या वर्तमान कानून को अपर्याप्त मानते हुए कोई कठोर प्राविधान करेंगे ? दूसरे यह जो 67 पद स्वीकृत हैं और केवल 50 व्यक्ति नियुक्त हैं इसको देखते हुए जो पद खाली हैं उनको कब तक भर दिया जायेगा ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

मान्यवर, लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जा चुका है जैसे ही वहां से लोग एप्रूव होकर आ जायेंगे उनकी नियुक्ति हो जायेगी ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, उत्तर नहीं आया है यह 17 करोड़ लोगों के जनजीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है ।

प्रदेश में नकली दवाओं के बिक्री की रोकथाम हेतु औषधि निरीक्षक की नियुक्ति करने की मांग

*3–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में नकली दवायें बेची जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या इसकी रोकथाम हेतु सरकार ने कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो उक्त योजना क्या है ? क्या प्रदेश में पर्याप्त संख्या में औषधि निरीक्षक नियुक्त हैं ? यदि नहीं, तो सरकार इस संबंध में क्या कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

वर्ष 2001-2002 में 79 अधोमानक तथा 03 नकली एवं वर्ष 2002-03 (जून माह तक) में 38 अधोमानक तथा 04 नकली औषधियों के मामले प्रकाश में आये हैं ।

अधोमानक/नकली औषधियों की रोकथाम हेत औषधि नियंत्रण संगठत द्वारा ड्रग्स एण्ड कास्टमेटिक्स ऐक्ट, 1940 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है । मण्डल स्तर पर तैनात वरिष्ठ औषधि निरीक्षकों तथा जनपद स्तर पर तैनात औषधि निरीक्षकों द्वारा औषधि निर्माण तथा विक्रय इकाईयों का नियमित निरीक्षण किया जाता है एवं संदिग्ध औषधियों के नमूने एकत्र कर उन्हें जांच हेतु जन विश्लेषक प्रयोगशाला भेजे जाते हैं ।

जी नहीं । औषधि निरीक्षक के कुल स्वीकृत 67 पदों के विरुद्ध सम्प्रति 50 औषधि निरीक्षक नियुक्त है ।

औषधि निरीक्षक के रिक्त 17 (सत्रह) पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन करने हेतु लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, मंत्री जी ने काफी विस्तार से जबाव दिया है लेकिन वह पूरा नहीं है । 70 जनपद हैं और केवल 50 लोग नियुक्त हैं । एक जिले में एक औषधि निरीक्षक का औसत नहीं आता है । इसी तरह से स्वास्थ्य निदेशलाय में भ्रष्टाचार है । डा० बच्चीलाल जैसे व्यक्ति की हत्या हो गयी और डा० शर्मा जैसे तमाम कारनामें प्रदेश में हो रहे हैं । प्रदेश में नकली दवाईयों का कारोबार हो रहा है । दूसरी चीजों में तो दो-चार गुने मुनाफा होता है लेकिन नकली दवायें बनाकर 100 से 800 गुने का लाभ कमाया जा रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि नकली दवाओं के संबंध में अधिसूचना दल ने कितने छापे मारे, कितने लोग पकड़े गये, कितनी दवाईयां मिली और कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है ?

श्री अधिष्ठाता–

जितना मूल प्रश्न से संबंधित है उतने का उत्तर दे दीजिये ।

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

मान्यवर, जो कार्यवाही की गयी है, उसमें 6 विक्रेता प्रतिष्ठानों, 71 अस्पतालों और अन्य दो के खिलाफ कार्यवाही अधोमानक दवाइयों के सिलसिले में की गयी है । इसी तरह जो अधोमानक नकली दवाओं के संबंध में कार्यवाही की गयी है उसमें 79 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है । मान्यवर, नकली दवाओं के संबंध में दो अस्पतालों और एक व्यक्ति अर्थात 3 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है । मान्यवर, इसी प्रकार से 3 फर्मों के विरुद्ध, 48 व्यक्तियों के विरुद्ध अर्थात् 51 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है ।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अमीनाबाद में नकली दवाओं का पूरा बाजार है । वहां पर उत्तर प्रदेश के राजकीय अस्पतालों के डाक्टर आकर नकली दवायें ले जाते हैं औरअस्पताल में मरीजों को देकर जनजीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं । क्या मंत्री जी आप इस बाजार पर छापा मारने का काम करेंगे ? एक निर्णय लिया है कि नकली दवाओं के नियंत्रण की दृष्टि से प्रदेश में खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण का गठन करेंगे ? तो यह प्राधिकरण का गठन कब तक हो जायेगा ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

यह छापे की कार्यवाही निरन्तर चलती रहने वाली कार्यवाही है । स्पेसफिक कोई सूचना हो तो लिखकर दे दें उनके विरुद्ध कार्यवाही कर दी जाएगी ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

माननीय सदस्य ने एक विशेष प्रकार की जानकारी दी व मण्डी का नाम लिया ।

श्री अधिष्ठाता–

जानकारी मिलनें पर कार्यवाही की जाएगी ।

डा० राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, नकली दवाओं के बारे में जो बातें अभी तक कही गई हैं एक चिकित्सक होने के नाते मैं उससे सहमत हूं । और दो बिन्दु दे रहा हूं । नकली दवाओं की बिक्री का एक कारण परचा अंग्रेजी में लिखा जाना व रसीद अंग्रेजी में दिया जाना है । मेरा यह सुझाव है कि यह व्यवस्था की जाए कि परचा हिन्दी में लिखा जाए व दवाओं की रसीद हिन्दी में दी जाये । दूसरे जितनी दवाओं को कारीदा जाता है 99 प्रतिशत दवाओं की रसीद नहीं दी जाती । उनका बैच नम्बर नहीं लिखा जाता है । एक्सपायरी नहीं लिखी जाती है । क्या ऐसा कोई प्राविधान बनाया जाएगा कि कम से कम सरकारी चिकित्सकों को हिन्दी में परचा लिखने के लिये कहा जाये व दुकानदारों द्वारा दी गई रसीदें हिन्दी में हों ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न से संबंधित अनुपूरक पूछें ।

डा० राधा मोहन दास अग्रवाल–

यह सब नकली दवाओं के मूल पर चोट है । नकली दवाएं इसलिये हैं क्योंकि जनता में जागरुकता नहीं है । जनता को अंग्रेजी में परचा लिख दिया जाता है ।

राजा महेन्द्र अरिदमन सिह–

बीमारी और औषधियों के नाम हैं उसी आधार पर पर्चे लिखे जाते हैं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मैं माननीय अग्रवाल साहब को इस हिन्दी प्रेम के लिये बधाई देना चाहता हूं । लेकिन आप भी पैंट शर्ट की जगह धोती कुर्ता पहनकर आया करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, साधारणतया मैं अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछता लेकिन यह प्रश्न आदमी की जिन्दगी से जुड़ा हुआ है । नकली दवाओं के प्रश्न पर मंत्री जी ने कहा कि निश्चित सूचना दी जाए उन्होंने स्पेसफिक वर्ड इस्तेमाल किया । तो एक निश्चित विधायक हैं, अमीनाबाद निश्चित है, उन्होंने राजधानी भी कहा तो अभी प्रदेश में एक ही राजधानी है । दो प्रदेश नहीं बने । यह निश्चित प्रश्न है । मंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के हैं और सदस्य भी भारतीय जनता पार्टी के हैं यह भी नहीं कि विरोधी दल के कोई माननीय सदस्य सूचना दे रहे हों । नकली दवाई बिक रही है । तो उन पर कार्यवाही करेंगे यह कहने में क्या दिक्कत है ? क्या उस स्थान पर छापा मारा जाएगा ?

मान्यवर, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं और आप स्वीकार करेंगे । मैं आपको सम्बोधित नहीं करना चाहता । आप खुद डाक्टर हैं । मान्यवर, यह नकली दवा बेचने का एक रैकेट चल रहा है । आपके पास जो स्टाफ है, वह चेकिंग के लिये पर्याप्त नहीं है । 1940 का कानून आउट डेटेड हो गया है । क्या सरकार इस बात की जानकारी देगी कि नकली दवाओं के प्रचलन को रोकने के लिये सरकार और क्या प्रभावी कदम कानून में सख्त से सख्त सजा करने का प्राविधान करने जा रही है ।

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

मान्यवर, जो कानून है, वह पर्याप्त है । जैसा मैंने कहा कि समय-समय पर छापे मार कर कार्यवाही की गई और हम इसको और प्रबल करेंगे । कितने लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की, इसकी सूचना अभी हम दे चुके हैं पूर्व में ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, नियम–49 में चर्चा करा लें ।

श्री अधिष्ठाता–

लिखकर दे दीजिये ।

डा० विनोद तिवारी–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस वित्तीय वर्ष में नकली दवा बेचने वालों के विरुद्ध कितने छापे डाले गये और कितने विवाद न्यायालय में विचाराधीन है । जो वाद न्यायालय में गये उतने में से कितनों को सजा मिली और कितनों को छोड़ दिया गया । दूसरी एक बात और कहना चाहता हूं कि प्रदेश सूखे की चपेट में आने के कारण आज तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं । क्या पूरे प्रदेश में नकली दवा बेचने वालों के विरुद्ध कोई कार्य योजना बनायेंगे ताकि नकली दवा बेचने वालों और उसका निर्माण करने वालों के प्रति कार्यवाही की जा सके । क्या माननीय मंत्री जी उन डाक्टरों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे जो नकली दवा का इस्तेमाल करते हुए पाये जायेंगे ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

मान्यवर, जो दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी । जितनों के विरुद्ध की गई उसकी सूचना हम दे चुके हैं ।

बुन्देलखण्ड में नव-स्थापित औद्योगिक इकाइयों के प्रोत्साहन के लिये व्यापार-कर में छूट देने के योजना की जानकारी

*4–श्री सिद्ध गोपाल साहू–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बुन्देलखण्ड में नव-स्थापित औद्योगिक इकाइयों के प्रोत्साहन के लिए व्यापार कर में छूट देने की कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन, पर्यावरण एवं आबकारी मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)–

जी नहीं ।

भारत सरकार के स्तर पर सभी राज्यों में किये गये समझौते के अनुसार दिनांक 31-12-2001 के पश्चात् उत्पादन प्रारम्भ करने वाली इकाइयों को व्यापार कर की छूट समाप्त कर दी गई जिसमें बुन्देलखण्ड में स्थापित इकाइयां भी शामिल है ।

श्री सिद्ध गोपाल साहू–

मान्यवर, बुन्देलखण्ड उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ा क्षेत्र है जिसमें सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा हर मामले में पिछड़ा है । उद्योगों के मामले मे जिस तरह से खादी ग्रामोद्योग द्वारा इकाई लगाई जाती है और व्यापार कर से छूट दी जाती है उसी तरीके से इन कुटीर उद्योगों और लघु उद्योगों के बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार करके व्यापार कर से छूट देने का प्राविधान करने के साथ साथ अनुदान देने की व्यवस्था करेंगे जिससे बुन्देलखण्ड का भी विकास हो सके ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

यह भारत सरकार के स्तर पर सभी राज्यों की एक बैठक हुई थी और उसमें यह तय किया गया था । और यह प्रतिबंधित किया था कि जो राज्य नहीं मानेंगे उनकी वित्तीय सहायता समाप्त कर दी जायेगी । माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह होना सम्भव नहीं है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी अभी दिल्ली गई थीं फिक्की की बैठक में । उन्होंने घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश में जो लोग उद्योग लगायेंगे सरकार उनको तमाम सहूलियत देगी । मैं जानना चाहता हूं कि जो उद्योगपति प्रदेश में आकर उद्योग लगायेंगे उनको सरकार क्या सहायता देगी ? जो सहायता देगी उसका विधिवत प्रारूप क्या है ?

श्री अधिष्ठाता–

जो प्रश्न है वह बुन्देलखण्ड से संबंधित है और आप पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी भी यहां बैठीं हैं । यह खुद दिल्ली में घोषणा करके आई हैं । वह खुद ही बता दें ।

श्री अधिष्ठाता–

यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

श्री सिद्धगोपाल साहू–

मान्यवर, जो मंत्री जी ने उत्तर दिया है वह सही उत्तर नहीं है अभी भी छोटे ग्रामोद्योग को बुन्देलखण्ड में पूरी छूट दी जा रही है इसी तरह से कुटीर उद्योगों और लघु उद्योगों के लिये करने में क्या आपत्ति है ? यह गरीब तबके, बेरोजगार तबके और छोटे तबके के लिये होगा ।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, जिन इकाइयों के उत्पादन होने का दिनांक 1 अप्रैल, 2002 या उसके पश्चात् पड़ती है, 21 दिसमबर, 2000 के बाद में कोई कर देय नहीं होगा या घटी दरों पर कर देय होगा ।

जनपद सोनभद्र के कतिपय औद्योगिक क्षेत्रों के आस-पास बढ़ रहे रोगों की रोकथाम के उपाय

*5–श्री विजय सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के औद्योगिक क्षेत्र ओबरा रेणुकूट, अनपरा, शक्तिनगर के आस-पास दमा, श्वास, टी०बी० के रोगियों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है ? यदि हां, तो इस वृद्धि के कारणों की जांच की गई ? सरकार इसकी रोकथाम हेतु कोई योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री विजय सिंह–

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सूचना कब तक एकत्र होगी ?

श्री अधिष्ठाता–

यह अन्तरिम उत्तर है, 15 दिन बाद फिर आएगा ।

उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को पेंशन सुविधा देने के सम्बन्ध में जानकारी

*6–श्री रामजीत राजभर–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को उत्तर प्रदेश में पेंशन आदि की सुविधा देने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री इन्द्रजीत सरोज)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भूतपूर्व सैनिक भारत सरकार, रक्षा विभाग की सैन्य सेवा से सेवा निवृत्त होते हैं और उन्हें भारत सरकार, रक्षा विभाग की पेंशन प्राप्त होती है तथा भूतपूर्व सैनिकों के दिवंगत होने पर भारत सरकार, रक्षा विभाग की उक्त पेंशन उनकी पत्नियों को प्राप्त होती है । अतः उन्हें राज्य सरकार की पेंशन दिये जाने पर विचार करने का औचित्य नहीं है ।

श्री रामजीत राजभर–

मान्यवर, मैंने जो सवाल किया था उसका जवाब माननीय मंत्री जी ने ईमानदारी से नहीं दिया मैं कहना — ' उत्तर प्रदेश सरकार भूतपूर्व सैनिकों की एवं उनके आश्रितों को पेंशन देने पर विचार

कर रही है मैं जानना चाहता हूं हरियाणा, महारास्ट्र की सरकार और पंजाब की सरकार भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन दे सकती है तो उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं दे सकती है ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

भूतपूर्व सैनिकों को भारत सरकार जब वह सेवानिवृत्त होते हैं तो वहां से पेंशन मिलती है । उत्तर प्रदेश सरकार उनको सहूलियतें देती है, उनका पुनर्नियोजन होता है, विभिन्न सेवाओं में उनको फिर से नौकरी देने का काम किया जाता है ।

श्री रामजीत राजभर–

सरहदों पर सैनिक न होते, उन्होंने कुर्बानी न दी होती तो....

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न करें ।

श्री रामजीत राजभर–

आज प्रदेश का क्या होता जांगे आजादी में कुर्बानियां न होती तो ऐसी व्यवस्था न होती ?

श्री अधिष्ठाता–

सीधे-सीधे प्रश्न करें ।

श्री रामजीत राजभर–.

सरहदों पर लोग मर रहे हैं कट रहे हैं जमीन की रक्षा कर रहे हैं उनके लिए सरकार संवेदनशील नहीं है । 55 साल से लोग यहां बैठे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

चर्चा नहीं हो रही है ।

श्री रामजीत राजभर–

आपने कहा कि सेन्ट्रल, केन्द्र सरकार पेंशन देती है मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र तीन प्रदेशों की सरकार पेंशन देती है । मंत्री जी ने दूसरी बात कह दी । हम और सहुलियतें देते हैं मैं जानना चाहता हूं जिस जमीन की रक्षा के लिए सरहदों पर लोग जान देवें.....

श्री अधिष्ठाता–

यह प्रश्नकाल है कोई चर्चा नहीं हो रही है ।

श्री रामजीत राजभर–

उसकी जमीन का बटवारा कर रही है । तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार भूतपूर्व सैनिकों को इसमें सबसे ज्यादा वरीयता देगी ?

श्री इंद्रजीत सरोज–

मान्यवर, द्वितीय विश्व युद्ध के जो सैनिक हैं, उनकी विधवाएं हैं उनको सरकार पेंशन दे रही है और जो माननीय सदस्य ने सीमाओं पर अपनी जान देने वाले सैनिकों की बात कही है तो यह सरकार उनकी विधवा को पांच हजार रुपया तथा उनके माता मिता को ढाई हजार रुपये के हिसाब से पेंशन देती है । यह जो सम्पूर्ण सैनिक हैं वह भारत सरकार से सेवायोजित होते हैं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री जगदम्बिका पाल–

अभी माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि जो सैनिक नौकरियों से रिटायर होते हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सैनिक कल्याण बोर्ड की स्थापना की है, तो इनके माध्यम से पुनः सर्विसेज में लेने पर विचार कर रही है। मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में जो भूतपूर्व सैनिक हैं और यह जो यू०पी० सैनिक कल्याण बोर्ड है, जो कि सेवायोजित करता है, इसमें सैनिकों की पुनर्नियोजित संख्या कितनी है। और प्रदेश सरकार के सरकारी शासकीय विभाग हैं वहां पर प्राइवेट सिक्योरिटी रखी जाती है तो क्या भूतपूर्व सैनिकों के माध्यम से इनकी भर्ती करेगी ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

मान्यवर, जो पुनर्नियोजित सैनिकों की संख्या पूछी गयी है तो वह 1491 है। समय-समय पर मांग आती है सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी संस्थानों से हम उनको वहां पर तैनात करते रहते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी–

मानयवर, माननीय रामजीत राजभर जी ने प्रश्न पूछा है वह मूल प्रश्नकर्ता भी है, इसी प्रश्न को मैं फिर दोहराना चाहता हूं। क्योंकि उत्तर नहीं दिया गया है। जिस जमीन की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग वह सैनिक करता है और जब सरकारी जमीन के आवंटन का मामला आता है तो जो उसकी श्रेणी है, मैं यह जानना चाहता हूं कि गांव सभाओं में या दुसरी सरकारी भूमि के आवंटन में भूतपूर्व सैनिकों को सर्वोच्च वरीयता अर्थात् पहले नम्बर पर रखने की घोषणा करेंगे ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

मान्यवर, जो जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय है वहां पर जिले के अधिकारी बैठते हैं। ऐसे जो भूतपूर्व सैनिक हैं, या उनकी निराश्रित है, उनके लिए जिलाधिकारी के माध्यम से चाहे इंदिरा आवास हो या अन्य भूमि आवंटन के समय-समय पर सारी सुविधाएं मुहैय्या कराने का काम जिला सैन्य अधिकारी करता है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय चौधरी साहब ने जो बिन्दु उठाया है वह यह है कि क्या सरकार इस प्रकार के सैनिकों के लिए सरकारी भूमि के आवंटन के समय पर प्राथमिकता देने पर विचार कर रही है ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

जो शहीद सैनिक हैं, अभी कारगिल के शहीद सैनिकों के लिए स्पेशल योजना बनायी है और अन्य जगह पर जो शहीद होते हैं उनके लिए कोई योजना नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी आपके पास कोई प्राविधान भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता देने का नहीं है। मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि क्या भूतपूर्व सैनिकों को गांव सभाओं की जमीन या किसी तरह की सरकारी जमीन के आवंटन के मामले में मान्यवर, जो दूसरी सूची है क्या सरकार उनको सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर रखने पर विचार करेगी ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

मान्यवर, इनमें जो गरीबी रेखा के नीचे आयेंगे तो इस सम्बन्ध में विचार किया जाएगा।

*7–श्री राजेन्द्र सिंह राणा–

[मा० सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

*8–कुंवर रेवती रमण सिंह तथा डा० अंशोक बाजपेयी–

[मा० सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

विधायक निवास दारुलशफा बी० ब्लाक (पुराना) लखनऊ में स्थित गैराजों का आवंटन

*9–श्री सीताराम निषाद तथा श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि विधायक निवास दारुलशफा बी० ब्लाक (पुराना) लखनऊ में कुल कितने गैराज हैं तथा उनमें से कितने गैराज विधायकों को आवंटित हैं ? क्या यह सत्य है कि दारुलशफा बी० ब्लाक स्थित अनेक गैराजों का प्रयोग कपड़ों की सिलाई की दुकानों व कपड़ा धुलाई (लाण्ड्री) के लिये प्रयोग किया जा रहा है और जरूरतमन्द विधायकों को गैराजों का आवंटन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या राज्य सम्पत्ति विभाग उन गैराजों को खाली कराकर विधायकों को गाड़ियां खड़ी करने के लिए आवंटित करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

विधायक निवास–2 पुराना बी० ब्लाक दारुलशफा, लखनऊ में कुल 25 गैराज हैं, जिनमें से 17 गैराज विधान मण्डल के माननीय सदस्यगण को आवंटित हैं ।

दारुलशफा बी० ब्लाक पुराना के मात्र 9 गैराजों में कपड़े की सिलाई व कपड़ा धुलाई/प्रेस के लिए प्रयुक्त किये जाने की सूचना जांचोपरान्त प्राप्त हुई है । वस्तुतः उक्त सभी गैराजों का आवंटन/कब्जा माननीय विधायकों के पक्ष में ही है ।

प्रश्नगत गैराज उपरोक्तानुसार पूर्व से ही माननीय विधायकों के पास हैं । जिनका आवंटन विधान परिषद् की आवासीय परिवाद सम्बन्धी जांच समिति की संस्तुति के अनुसार वरीयता के आधार पर मात्र वाहन रखने के लिए ही किया गया है जिसके निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें बड़ा विरोधाभास है । उत्तर में कहा गया है कि विधायक निवास–2 पुराना बी ब्लाक दारुलशफा, लखनऊ में कुल 25 गैराज हैं, जिसमें से 17 गैराज विधान मणडल के माननीय सदस्यगण को आवंटित हैं । दूसरे पैरा में कहा गया है कि दारुलशफा बी०ब्लाक पुराना के मात्र 9 गैराजों में कपड़े की सिलाई व कपड़ा धुलाई/प्रेस के लिए प्रयुक्त किये जाने की सूचना जांचोपरान्त प्राप्त हुई है । यह भी कहा गया है कि इन सभी गैराजों का आवंटन माननीय विधायकों के पक्ष में ही है । क्या माननीय मंत्री जी उन सभी माननीय सदस्यों की सूची जिनके नाम गैराज आवंटित हैं उनकी सूची को पटल पर रखेंगे ?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, जिनके नाम गैराज आवंटित है उनके नाम हैं श्री शारदानन्द अंचल–कपड़ा सिलाई का कार्य होता है व गाड़ी खड़ी होती है, श्री श्यामलाल रावत, परिवार रहता है, श्री सीताराम

निषाद–मान्यवर, इसमें श्रीमती उषा वर्मा जी का कब्जा है चाहें तो वह इनसे बात करके समझौता कर लें । मस्तराम–सिलाई का कार्य होता है, डा० शिवकुमार अस्थाना–गाड़ी खड़ी होती है, श्रीमती शारदा देवी, श्री राम अचल राजभर, श्री राम कृष्ण, श्री शबीर अहमद, श्री अब्दुल मन्नान, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, एवं श्री मुख्तार अंसारी जी, श्री उदय राज जी, माननीय विजय सिंह जी हैं, माननीय अजीज खां हैं, माननीय राम विशुन आजाद हैं और माननीय राजेन्द्र सिंह चौहान हैं और इसी तरीके से श्री जे० पी० जायसवाल हैं और श्री राकेश पाण्डेय, श्री रामेश्वर सिंह यादव, श्री सुभाष चन्द्र यादव और गैर विधायकों में मो० इसहाक, पत्रकार, श्री आर० सी० पाल, शोध अधिकारी, श्री भागवत पाल, पूर्व सदस्य, श्री सत्यलाल जयसवाल, पत्रकार ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

*10–श्री कमाल यूसुफ मलिक तथा श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों में उपलब्ध कराये जाने वाली ए० आर० वी० की आपूर्ति बढ़ाये जाने की मांग

*11–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों में उपलब्ध कराये जाने वाली ए०आर०वी० की आपूर्ति मांग की अपेक्षा बहुत कम है ? क्या सरकार इसकी आपूर्ति बढ़ाये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस संबंध में सी०एम०एस० मेरठ का पत्र सं०–सी०एम०एस०/ए०आर०वी०/2002, दिनांक 21-7-02 निदेशक, सी०एम०एस०डी० स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु अपर निदेशक, केन्द्रीय औषधि भण्डार, स्वास्थ्य भवन लखनऊ के पत्र दिनांक 22-8-2002 द्वारा निर्देश मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, पी० एल० शर्मा चिकित्सालय मेरठ को दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नोट :–नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न संख्या–9 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों के अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को विगत वर्षों में छात्रवृत्ति वितरण करने सम्बन्धी जानकारी

*12–श्री उदय राज–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को वर्ष 2000-2001 एवं 2001-2002 की छात्रवृत्ति का वितरण कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? उपरोक्त छात्रवृत्ति का वितरण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

जी हां ।

शिक्षा सत्र 2000-2001 एवं 2001-2002 में छात्रवृत्ति का वितरण किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

श्री आर०सी० राय प्रभारी महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, श्रावस्ती,/बहराइच के वर्ष 1999-2000 के वित्तीय रिकार्ड सीज कर उनके विरुद्ध गोपनीय जांच कराने की मांग

1–डा० वकार अहमद शाह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2001 के 5वें मंगलवार हेतु श्री रामतेज यादव, पूर्व सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–135 के उत्तर के संदर्भ में क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि प्रश्नगत अधिकारी के विरुद्ध निदेशालय द्वारा भेजी गयी जांच आख्या के आधार पर कार्यवाही शासन स्तर पर विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ? क्या शासन इस पर अविलम्ब निर्णय लेकर कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)–

जी नहीं । प्रारम्भिक जांच में लिये गये निर्णय के आधार पर सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ की गयी है । जांच अधिकारी की जांच आख्या अभी तक शासन को प्राप्त नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ टी० बी० अस्पतालों में बी०सी०जी० टेक्नीशियन्स के स्थानान्तरण नीति के सम्बन्ध में जानकारी

2–श्री शाकिर अली–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार द्वारा टी०वी० अस्पतालों में कार्यरत बी०सी०जी० टेक्नीशियन पद धारकों हेतु स्थानान्तरण की कोई नीति बनाई गई है ? क्या उक्त नीति का अनुपालन लखनऊ जनपद में किया जा रहा है ? क्या यह सही है कि लखनऊ स्थित टी०वी० अस्पतालों में बी०सी०जी० टेक्नीशियन्स, जो एक ही स्थान पर 10-12 वर्षों से कार्यरत हैं ? उनके स्थानान्तरण न

किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

बी०सी०जी० टेक्नीशियन समूह "ग" के कर्मी है समूह "ग" के कार्मिकों की कोई स्थानान्तरण नीति नहीं बनायी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्थानान्तरण नीति का न होना ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों के अनुसूचित जाति के छात्रों को विगत वर्षों में मिलने वाली छात्रवृत्ति के वितरण की मांग

3–श्री उदय राज–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को वर्ष 2000-2001 एवं 2001-2002 की छात्रवृत्ति का वितरण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ? छात्रवृत्ति का वितरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

वर्ष 2000-2001 एवं 2001-2002 की छात्रवृत्ति का भुगतान अनुसूचित जाति के छात्रों में किया गया है । छात्रवृत्ति पाने से वंचित रह गये छात्रों की सूचना जनपदों से संकलित की जा रही है ।

उक्त सूचना प्राप्त होने पर कारण ज्ञात हो सकेंगे ।

वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान बजट व्यवस्था उपलब्ध होने पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में विगत वर्षों में पारिवारिक लाभ योजना की धनराशि वितरण की मांग

4–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा में वर्ष 2000-2001 व 2002-2003 तक पारिवारिक लाभ योजना के कुल कितने प्रार्थना-पत्र विचाराधीन है ? क्या सभी लाभार्थियों को अगस्त, 2002 तक पारिवारिक लाभ योजना की धनराशि वितरित कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

जनपद बांदा में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत वर्ष 2000-2001 से वर्ष 2002-2003 तक अद्यावधि कुल 1639 आवेदन पत्र प्राप्त हुये, जिनमें से 1086 लम्बित हैं ।

जी नहीं ।

धनाभाव के कारण ।

जनपद बांदा में अनुसूचित जाति/जनजाति तथा विधवाओं की पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान प्रदान करने सम्बन्धी जानकारी

5–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या समाज कल्याण' मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा में वर्ष 2001–2002 तथा 2002–2003 में कुल कितने प्रार्थना पत्र अनुसूचित जाति/जनजाति तथा विधवाओं के पुत्रियों की शादी के लिये जिला समाज कल्याण अधिकारी के यहाँ प्राप्त हुए हैं ? क्या सभी को अनुदान प्रदान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

अनुसूचित जाति/जनजाति तथा विधवाओं की पुत्रियों की शादी के लिए वर्ष 2001-2002 में कुल 567 आवेदन पत्र प्राप्त हुए । आवंटित धनराशि के सापेक्ष 171 आवेदकों को अनुदान की धनराशि दी गयी । वर्ष 2002-2003 में अभी तक 656 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं । अभी तक किसी को भी अनुदान नहीं दिया गया है । क्योंकि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक नहीं हो सकी है ।

प्रदेश में पिछड़े वर्ग की जातियों की आर्थिक स्थिति सुधारने की योजना

6–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में पिछड़े वर्ग की जातियों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु सरकार कौन-कौन सी योजनायें बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री (श्री राम भुआल निषाद)–

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश के पिछड़ा वर्ग की जातियों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु उ०प्र० पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई है ।

उ०प्र० पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा प्रदेश के अधिसूचित पिछड़ी जाति के पुरुषों/महिलाओं को जो गरीबी रेखा/दोहरी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, के सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु निम्नलिखित योजनाएं संचालित की जा रही है :–

(क) मार्जिन मनी ऋण योजना :

के अन्तर्गत विभिन्न 15 परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है ।

(ख) टर्मलोन योजना :

टर्मलोन योजना के अन्तर्गत विभिन्न व्यवसायों हेतु 52 परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है । उक्त के साथ-साथ टर्मलोन योजना के अन्तर्गत ही वर्ष 2001-2002 से शैक्षिक ऋण योजना, माइक्रो फाइनेन्स योजना एवं पिछड़ी जाति की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से न्यू स्वर्णिम योजना का संचालन किया जा रहा है ।

उक्त के अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग पिछड़े वर्ग के आर्थिक सुधार हेतु समय-समय पर आवश्यकतानुसार विभाग योजनाओं को बनाने के लिये कृतसंकल्प है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला अस्पताल बहराइच में पर्याप्त संख्या में नर्सों की नियुक्ति की मांग

7–डा० वकार अहमद शाह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बहराइच के जिला अस्पताल में नर्सों की कमी के कारण मरीजों को असुविधा हो रही है जिससे एक–एक नर्स को दो–दो वार्डों का कार्यभार सम्भालना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार पर्याप्त संख्या में नर्सों की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

वर्ष 2001 में 714 स्टाफ नर्सों के चयन के लिये विज्ञापन किया गया था, जिस पर मा० उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश प्राप्त होने के कारण रिक्त पद वर्तमान समय में भरा जाना सम्भव नहीं है । स्थगन समाप्त होने पर नियमानुसार नियुक्ति कर दी जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बुलन्दशहर के औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद की बन्द पड़ी डी०एस०एम० पेपर मिल पुनः चालू कराने की मांग

8–श्री संजय गर्ग तथा श्री राजेन्द्र सिंह राणा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद जनपद बुलन्दशहर में स्थित डी०एस०एम० पेपर मिल को बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों क्या मजदूरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु क्या सरकार उक्त फैक्ट्री को पुनः चालू कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

जी हां ।

लगातार घाटे के कारण यह इकाई लगभग 10 वर्ष पूर्व बन्द हो चुकी है ।

निजी क्षेत्र में स्थापित इस इकाई में इस समय कोई मशीन, उपकरण विद्यमान नहीं रह गया है, भवन भी गिरा दिया गया है, केवल प्लाट/भूमि ही शेष है । इस प्रकार इस इकाई को इसके मालिकान द्वारा पूर्णतया बन्द कर दिये जाने से इसमें रोजगार के अवसर नहीं रह गये हैं तथा उसे चलाने का औचित्य समाप्त हो चुका है ।

जनपद मऊ के ग्राम सभा कल्यानपुर विकास खण्ड घोसी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण पूर्ण कराने की मांग

9–श्री समरपाल सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मऊ जनपद के ग्राम सभा कल्यानपुर विकास खण्ड घोसी में प्रा०स्वा० केन्द्र का निर्माण कार्य शुरू कराया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त स्वा० केन्द्र अधूरा छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य क्या वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूरा कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां ।

भवन निर्माणाधीन है ।

जिला योज़ना में आवश्यक परिव्यय की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद–रायबरेली, नगर बछरावां में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की जानकारी

10–श्री राम लाल अकेला–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर बछरावाँ, जनपद–रायबरेली में प्रा०स्वा० केन्द्र का भवन बहुत जर्जर है ? यदि हां, तो क्या उक्त भवन का निर्माण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां ।

भवन की मरम्मत व जीर्णोद्धार प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बहराइच में मुख्य चिकित्साधिकारी की नियुक्ति की मांग

11–डा० वकार अहमद शाह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद बहराइच में मुख्य चिकित्सा अधिकारी का पद रिक्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद बहराइच में मुख्य चिकित्साधिकारी की नियुक्ति कब तक करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां ।

तैनाती का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर/आजमगढ़ के कतिपय चिकित्सालयों में कार्यरत फार्मासिस्टों की संख्या एवं श्री ज्ञान प्रकाश भारती, श्री दिवाकर दत्त भारती द्वारा अन्यत्र कार्य करने पर विवरणों को सेवा पुस्तिका में अंकित कराये जाने की मांग

12–श्री अवधेश प्रसाद–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2001 के 4थे बुध० में अतारांकित प्रश्न संख्या 16 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सी०आर०एस० के अनुच्छेद 370 एवं अन्य संगत नियमों व शासनादेशों के अनुपालन में वांछित कार्यवाही कर ली गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रकरण में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

जनपद बरेली स्थित बन्द पड़ी रबर फैक्ट्री फतेहगंज पश्चिमी को चालू कराने/श्रमिकों के बकाया वेतन भुगतान की मांग

13–श्री धर्मपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेगें कि जनपद बरेली स्थित रबर फैक्ट्री फतेहगंज पश्चिमी बन्द होने की स्थिति में है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उसकी स्थिति में सुधार लाने के क्या प्रयास किये गये ? उक्त फैक्ट्री में कार्यरत श्रमिकों के वेतन का भुगतान कब से बकाया है ? क्या सरकार श्रमिकों के बकाया वेतन का भुगतान करते हुए उक्त फैक्ट्री को बन्द होने से बचायेगी ?

सुश्री मायावती–

इस इकाई में उत्पादन दिनांक 15-7-1999 से पूर्णतः बन्द है । इकाई पर वित्त पोषक संस्था आई०सी०आई०सी०आई० द्वारा योजित वाद संख्या–3821 सन् 1999 में मा० उच्च न्यायालय, मुम्बई के पारित आदेश से रिसीवर नियुक्त है । इस प्रकार निजी क्षेत्र की इस इकाई की सम्पत्ति मा० उच्च न्यायालय, मुम्बई के अधीन है ।

इस फैक्ट्री/इकाई के श्रमिकों का वेतन दिनांक 16-1-1999 से बकाया है ।

निजी क्षेत्र में स्थापित इस फैक्ट्री/इकाई में रिसीवर नियुक्त होने से कोई कार्यवाही मा० उच्च न्यायालय, मुम्बई के निर्देशानुसार रिसीवर द्वारा ही की जा सकेगी ।

मछुआ समुदाय से सम्बन्धित जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाये जाने सम्बन्धी जानकारी

14–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेगें कि श्री राजेश तुराहा कार्यकर्ता, भा०ज०पा० मेरठ का पत्र जो मछुआ समुदाय से सम्बन्धित जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाये जाने सम्बन्ध में है, जुलाई 2002 में शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्त ।

जनपद संतकबीर नगर में जिला चिकित्सालय की स्थापना कराने सम्बन्धी जानकारी

15–श्री शंख लाल माझी–

क्या सरकार को जानकारी है कि नवसृजित जनपद–संतकबीर नगर में जिला चिकित्सालय की स्थापना कर दी गई है ? यदि नहीं, तो सरकार जिला अस्पताल का निर्माण कराकर चिकित्सीय सुविधा कब तक उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं । नवसृजित जनपद संत कबीर नगर में जिला चिकित्सालय के निर्माण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में कोई प्राविधान नहीं है । इसलिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में जिला चिकित्सालय का निर्माण कार्य प्रस्तावित नहीं है ।

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी में राजकीय चिकित्सालयों की संख्या एवं उनमें मानकों के अनुसार चिकित्सकों की नियुक्ति तथा जर्जर पड़े भवनों का जीर्णोद्धार कराने की मांग

16–श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र सरेनी जनपद रायबरेली में कितने राजकीय चिकित्सालय है ? क्या सभी चिकित्सालयों में मानक के अनुरूप चिकित्सक नियुक्त हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जर्जर अवस्था में पड़े चिकित्सालय का जीर्णोद्धार हेतु सरकार की कोई योजना है?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

14 राजकीय चिकित्सालय/स्वास्थ्य केन्द्र हैं ।

मानक के अनुरूपसभी चिकित्सालयों में चिकित्सक तैनात नहीं हैं किन्तु प्रत्येक चिकित्सालयों/स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकीय व्यवस्था उपलब्ध है । शासन द्वारा चिकित्साधिकारियों के 362 रिक्त पदों पर चयन हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया है । आयोग से चयन सूची प्राप्त होने पर रिक्त पदों पर तैनाती की जायेगी । जी हां । आर०सी०एच० सब प्रोजेक्ट तथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत जर्जर चिन्हित चिकित्सालयों की मरम्मत/नवीनीकरण की कार्यवाही की जा रही है ।

ग्रीन कार्डधारक राज्य कर्मियों को राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवास आवंटन में वरीयता दिये जाने सम्बन्धी जानकारी

17–श्री राम प्रताप सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या–876/5–9–2002–9(70)/84 दिनांक 16 जुलाई 2002 (चिकित्सा अनु०–9) के अनुपालन में ग्रीन कार्ड धारक राज्य कर्मियों को राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवास आवंटन में वरीयता दी जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार आवास आवंटन आवेदन-प्रपत्र और प्रतीक्षा सूची पंजी में इसका प्राविधान कर आवास आवंटन किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन आवास आवंटन नियमावली, 1980 में ग्रीन कार्ड धारक राज्य कर्मियों को आवास आवंटन में वरीयता दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है और न ही इस सम्बन्ध में किसी नीति का निर्धारण किया गया है ।

जनपद कानपुर (नगर) में गत वर्ष अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु स्वीकृत धनराशि तथा उसके वितरण संबंधी जानकारी

18–श्री शिवपाल सिंह यादव–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेगें कि जनपद–कानपुर (नगर) के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों के लिए वित्तीय वर्ष 2001–2002 में छात्रवृत्ति के रूप में कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है ? उसमें से कितने छात्रों को कुल कितनी-कितनी धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में वितरित की गयी ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

जनपद–कानपुर (नगर) में अनुसूचित जाति के छात्रों को निम्न विवरणानुसार वर्ष 2001-2002 में छात्रवृत्ति की धनराशि स्वीकृत की गयी है :–

1–पूर्वदशम छात्रवृत्ति कक्षा–1 से 10 तक	रु० 410.72 लाख
2–आई० टी० आई० छात्रवृत्ति	रु० 1.70 लाख
3–दशमोत्तर छात्रवृत्ति	रु० 194.88 लाख
4–अनावर्ती सहायता	रु० 2.48 लाख

उसमें से कक्षा 1 से 5 तक के 70,210 छात्रों को रु० 210.63 लाख, कक्षा 6 से 8 के 20,100 छात्रों को रु० 96.48 लाख, कक्षा 9 से 10 तक के 5,500 छात्रों को रु० 48.40 लाख, आई० टी० आई० के 283 छात्रों को रु० 1.70 लाख, दशमोत्तर कक्षा के 14,987 छात्रों को रु० 187.34 लाख, अनावर्ती सहायता के अन्तर्गत 496 छात्रों को रु० 2.48 लाख की धनराशि वितरित की गयी । जहां तक अनुसूचित जनजाति का प्रश्न है जनपद–कानपुर (नगर) को वर्ष 2001-2002 में कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है ।

प्रदेश के विद्यालयो में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को प्राविधान अनुसार छात्रवृत्ति वितरण के विवरण की जानकारी

19–श्री राजेन्द्र सिंह राणा तथा श्री संजय गर्ग–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रदेश के विद्यालयों में अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति दिये जाने हेतु प्रति छात्र कितनी धनराशि का प्राविधान है ? उक्त छात्रवृत्ति की उपलब्धता तथा वितरण सुनिश्चित किये जाने हेतु क्या प्रचलित प्रणाली में कोई सुधार किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु कक्षावार/पाठ्यक्रमवार छात्रवृत्ति की दरें निम्नानुसार निर्धारित हैं :–

कक्षा	छात्रवृत्ति दर प्रतिमाह	
	अनावासीय	आवासीय
1–कक्षा 1–5	रु० 25/-	रु० —
2–कक्षा 6–8	रु० 40/-	रु० —
3–कक्षा 9–10	रु० 60/-	रु० --
4–कक्षा 11 से स्नातक प्रथम वर्ष तक	रु० 90/-	रु० 150/-
5–स्नातक द्वितीय व तृतीय वर्ष	रु० 120/-	रु० 230/-
6–स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा	रु० 190/-	रु० 290/-
7–व्यवसायिक/तकनीकी डिप्लोमा स्तर	रु० 190/-	रु० 290/-
8–तकनीकी पाठ्यक्रम/वयवसायिक पाठ्यक्रम (डिग्री स्तर) मेडिकल इंजीनियरिंग एमबीए	रु० 190/-	रु० 425/-

जी हां ।

शसानादेश संख्या–1887/26-3-2002-4(215)/90 टी० सी०, दिनांक 10 जुलाई, 2002 द्वारा सुधार/संशोधन किया गया है । कक्षा–1 से 8 तक के छात्र/छात्राओं को नकद तथा कक्षा–8 से ऊपर की समस्त कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का वितरण उनके बैंक खातों के माध्यम से किया जायेगा । इस हेतु पात्र छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति खाते उसी बैंक में खोले जायेंगे जिस बैंक में विद्यालय का छात्रवृत्ति खाता खुला हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु गत वर्ष वितरित धनराशि की जानकारी

20–श्री राम नरेश यादव–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु वर्ष 2001-2002 में कितनी धनराशि की व्यवस्था की गयी थी ? गत तीन सालों का तुलनात्मक विवरण क्या है ? क्या निर्धारित धनराशि का उपयोग लाभार्थियों के लिए किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2001-2002 में रु० 1018.65 लाख का बजट प्राविधान किया गया था । विगत तीन वर्षों में प्राविधानित धनराशि का तुलनात्मक विवरण निम्न है :–

वर्ष	धनराशि (रु० लाख में)
1999-2000	1033.30
2000-2001	1018.65
2001-2002	1018.65

विगत तीन वर्षों में आवंटन के सापेक्ष क्रमशः 1026.34 लाख, रु० 1018.11 लाख एवं रु० 1011.95 का उपभोग किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ में विगत वर्षों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आवंटित धनराशि के संबंध में जानकारी

21–श्री राम नरेश यादव–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 में आजमगढ़ जनपद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए सरकार द्वारा कितनी-कितनी धनराशि प्रतिवर्ष आवंटित की गयी एवं प्रत्येक वर्ष कितने लाभार्थियों को कुल कितनी धनराशि दी गयी थी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि लाभार्थियों के चयन में क्या प्रक्रिया अपनायी गयी थी ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

जी हां । निम्नानुसार धनराशि आवंटित की गयी :–

वर्ष	आवंटित धनराशि (रु० लाख में)
1999-2000	24.45
2000-2001	24-45
2001-2002	25.49

वर्ष	लाभार्थी	धनराशि
1999-2000	270	24.44
2000-2001	270	24.44
2001-2002	302	25.48

वित्तीय वर्ष 1999-2000 में प्रथम आगत-प्रथम स्वीकृति तथा वर्ष 2000-2001, 2001-2002 में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति, जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया पूरी की गयी ।

जनपद बहराइच में वर्तमान में कुत्ता काटने से बचाव की सुई की मांग के अनुपात में आपूर्ति किये जाने की मांग

22–डा० वकार अहमद शाह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बहराइच में वर्तमान में कुत्ता काटने से बचाव की सुई की मांग के अनुपात में इसकी आपूर्ति क्या है ? क्या शासन उक्त सुई की मांग के अनुरूप आपूर्ति की व्यवस्था करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

23–श्री सीताराम निषाद–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद कुशीनगर में विधायक निधि में विगत वर्षों में प्राप्त धन से उपलब्ध एक्सरे मशीन व अन्य उपकरणों को चालू करने के संबंध में जानकारी

24–श्री बादशाह सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद–कुशीनगर में विधायक निधि वर्ष 2000-2001 में प्राप्त धन से उपलब्ध एक्सरे मशीन व अन्य उपकरणों को चालू किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त उपकरणों को कब तक चालू कर दिया जायेगा ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

विधायक निधि से 100 एम० ए० की एक्स-रे मशीन उपलब्ध हुयी है परन्तु एक्स-रे टेक्नीशियन के अभाव में चालू नहीं हो पा रही है ।

एक्स-रे टेक्नीशियन की व्यवस्था के लिये महानिदेशक को निर्देशित कर दिया गया है ।

जनपद हरदोई के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सण्डीला में एक्सरे मशीन लगाने की मांग

25–श्री राम विशुन आजाद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सण्डीला में एक्सरे मशीन 100 एम० ए० तथा अन्य उपसाधन हेतु शासनादेश सं०–3501/5-6-97 एस० एन० डी० दिनांक 31 मार्च, 1997 द्वारा पांच लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी ? यदि हां, तो क्या उक्त केन्द्र पर एक्सरे मशीन स्थापित करा दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? विलम्ब के क्या कारण हैं ? एक्सरे मशीन कब तक लगा दी जायेगी ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

प्रश्न में संदर्भित शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 1997 द्वारा नहीं, अपितु शासनादेश संख्या–3501/पांच–6-97-एस०एन०डी०–5/97, दिनांक 31 मार्च, 1998 द्वारा एक्सरे मशीन (100 एम०ए० तथा उप साधक) हेतु रुपये पांच लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी ।

जी नहीं ।

विवरण प्राप्त किया जा रहा है ।

प्रदेश में खाद्य निरीक्षकों के कार्यों की समीक्षा हेतु की गई व्यवस्था की जानकारी

26–श्री संजय गर्ग–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेगें कि प्रदेश में खाद्य निरीक्षकों के कार्यों की समीक्षा की कोई व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां ।

खाद्य निरीक्षकों के कार्यों की समीक्षा जनपद स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा, मण्डल स्तर पर अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा तथा प्रदेश मुख्यालय पर निदेशक (स्वास्थ्य) द्वारा की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के पूर्वी जिलों में राजभर जाति के आबादी के उत्थान हेतु सरकार की योजना

27–श्री अम्बिका चौधरी–

क्या समाज कल्याण मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश के पूर्वी जिलों में राजभर जाति की आबादी का अधिकांश हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है ? यदि हां, तो उनके उत्थान हेतु क्या सरकार कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

इस सम्बन्ध में निदेशक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान से सर्वेक्षण कराये जाने के आदेश दिये गये हैं ।

सर्वेक्षण आख्या प्राप्त होने पर आख्या का परीक्षण कर विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर में महमूदाबाद की बन्द पड़ी कताई मिल के कर्मचारियों को बी०आर० एस० का भुगतान करने विषयक जानकारी

28–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि महमूदाबाद जनपद सीतापुर की बन्द पड़ी कताई मिल के कर्मचारियों को बी० आर० एस० का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कितने कर्मचारियों को किस तिथि में भुगतान किया गया है ? शेष कर्मचारियों को बी० आर० एस० का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

महमूदाबाद (जनपद–सीतापुर) स्थित कताई मिल जो उ०प्र० सहकारी कताई मिल संघ लि० की एक सदस्य मिल है तथा जो 10-1-2000 से विधिक रूप से बन्द है, के कर्मियों/श्रमिकों को बुलन्दशहर स्थित एक अन्य सदस्य मिल के कर्मियों/श्रमिकों सहित स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (वीआरएस) के अन्तर्गत भुगतान हेतु कुल रु० 2011.55 लाख की धनराशि शासनादेश सं०–3040/77-1-2000-59(टी)/99, दिनांक 10-11-2000 द्वारा स्वीकृत की गयी थी । परन्तु संघ द्वारा जारी किये गये डिवेंचर्स बाण्ड्स में निवेशित धनराशि की वापसी न हो सकने के विरुद्ध इसी बीच महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (एक निवेशक) के योजित वाद सं०–2739 सन् 2000 एवं 2792 सन् 2000 में मा० उच्च न्यायालय, मुम्बई के पारित आदेशों क्रमशः दि० 30-6-2000 एवं दि० 28-11-2000 द्वारा बिना अनुमति के भुगतान न करने के आदेश के कारण स्वीकृत धनराशि का कोषागार से आहरण संभव न हो सका । यद्यपि इस धनराशि के भुगतान की अनुमति हेतु संघ की ओर से अपील भी प्रस्तुत की गयी, परन्तु इस पर अपेक्षित अनुतोष न देकर मा० उच्च न्यायालय, मुम्बई द्वारा संघ एवं उसकी सदस्य मिलों पर रिसीवर की नियुक्ति कर दी गयी है । इस कारण इंगित धनराशि का आहरण एवं भुगतान संभव नहीं हो पाया है ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 28 अगस्त, 2002 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम–301 के अन्तर्गत कुल 28 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए शलाका के आधार पर निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गयी ।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार हुई हैं उनकी सूचनायें पढ़ी हुई मानी जाती हैं ।

(स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयी ।)

जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज क्षेत्रान्तर्गत सरयू नहर परियोजना की कई शाखाओं पर साइफन बनवाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कमाल यूसुफ मलिक–

[मान्यवर, जनपद सिद्धार्थनगर के 154 विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सरयू नहर परियोजना की कई बड़ी-बड़ी शाखायें निकली हुई हैं जिस पर साइफन के न बनने के कारण किसानों के हजारों एकड़ जमीन बरसात के दिनों में जलमग्न होकर पूरी फसल बरबाद हो जाती है । आम किसानों की कमर टूट जाती है । यह व्यापक जनहित का प्रकरण है इसलिए डुमरियागंज विधान सभा क्षेत्र के निम्न स्थानों पर

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

गांवों एवं फसलों को बचाने के लिए साइफन बनाने का अग्रह करता हूं जो निम्न है :–1–अकोहिल्या, 2–महनुवा व सिसवा के बीच में, 3–मनिकौरा–गागापुर के बीच में, 4–लटिया–वासा के बीच में, 5–टिकरिया गांव के पास, 6–महुवा, 7–खजुहा ताल के पास, 8–मझारी–गोबरहिया के बीच में (जनपद बस्ती डुमरियागंज आंशिक क्षेत्र में) अतः आपके माध्यम से इस लोक महत्व के अविलम्बनीय सूचना पर उक्त गांवों एवं हजारों एकड़ फसलों के बचाये जाने के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करते हुए समुचित निर्देश जारी करने का कष्ट करें ।]

जनपद–फैजाबाद के मिल्कीपुर क्षेत्रान्तर्गत कई गांवों को मुख्य मांगों से जोड़ने वाला सम्पर्क मार्ग कुचेरा-मजनाई-खानपुर-कीन्हूपुर मार्ग के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम– 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आनन्द सेन–

[मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत स्थित फैजाबाद-रायबरेली विभागीय मार्ग से सम्बद्ध सम्पर्क मार्ग कुचेरा–मजनाई-खानपुर-कीन्हूपुर मार्ग जोकि कई गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ता है । आवागमन की दृष्टिकोण से मिल्कीपुर विधान सभा क्षेत्र का महत्वपूर्ण है । मार्ग के अधूरे निर्माण से क्षेत्र की जनता के आवागमन में भारी कठिनाई हो रही है । छात्र/छात्राओं बुजर्ग, बीमार लोगों का चलना दुशवार हो गया है । विगत 10 वर्षों से निर्माणाधीन मार्ग अधूरा पड़ा हुआ है । लोक निर्माण विभाग की उदासीनता, निष्क्रियता और जानबूझकर उपेक्षा के कारण विगत वर्षों से निर्माण कार्य लम्बित है । अतएव आपके संज्ञान में लोक महत्व की सूचना प्रस्तुत करते हुए शीघ्र निर्माण कार्य सम्पन्न कराने की मांग करता हूं ।]

जनपद मुजफ्फरनगर के जानसठ क्षेत्रान्तर्गत अयूबशहर ब्रान्च नहर के क्षतिग्रस्त अपर चुड़ियाला पुल का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा० यशवन्त सिंह–

[मेरे विधान सभा क्षेत्र जानसठ (जनपद मुजफ्फरनगर) से होकर जाने वाली अनूपशहर ब्रान्च नहर का अपर चुहियाला पुल पिछले 12 वर्षों से क्षतिग्रस्त है । इस पुल पर कई दुर्घटनायें हो चुकी हैं जिससे 2 व्यक्तियों की जानें भी जा चुकी हैं । मीरापुर-खतौली मार्ग पर यातायात पूर्णतया बाधित है । अनेकों बार इस समस्या की ओर आकर्षित शासन और प्रशासन को कराया गया है परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी है । इस पुल से लगभग 1.5 कि०मी० की दूरी पर दूसरा पुल है जो इसी पुल के साथ निर्माण हुआ था वह पुल टूटने की हालत में है अगर यह पुल भीं क्षतिग्रस्त हो जाता है तो पूरे जनपद का यातायात बाधित हो जायेगा । मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से मांग करता हूँ कि उपरोक्त दोनों पुलों का निर्माण कार्य शीघ्र कराया जाये ।]

जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा एवं तिन्दवारी में जिला परिषद् तथा क्षेत्र पंचायत को वर्ष 2001-2002 में अवमुक्त की गई रोजगार योजना की धनराशि के कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[मान्यवर, मै आपका ध्यान लोक महत्व के विषय की तरफ कराना चाहता हूँ । जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा व तिन्दवारी में जिला परिषद् तथा क्षेत्र पंचायत का वर्ष 2001-2002 तथा वित्तीय वर्ष में सम्पूर्ण रोजगार योजना की धनराशि तथा गेहूँ हजारों मजदूरों के नाम तालाब खुदाई कार्य, सड़क निर्माण

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

खण्ड़जा निर्माण दिखा कर गबन किया जा रहा है । फर्जी मजदूर चिट्ठा बनाये गये हैं, जिससे लाखों का गबन हो गया है इसलिए तत्काल गत दो वर्ष से कराये गये कार्यों की जांच विस्तृत आगणन मांगकर करायी जाये तथा बिना स्टीमेट के कार्य करा कर फर्जी मजदूर चिट्ठें तैयार किये गये हैं इसलिए जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत की उक्त वर्षों में अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण रोजगार योजना की धनराशि के कार्यों की उप जिलाधिकारी स्तर से मजदूरों के बयान लेकर जांच करायी जाये तथा मजदूरों की मजदूरी अंकित लेवर चिट्ठा के अनुसार दिलायी जाये । अतः लोक महत्व के विषय पर हजारों मजदूरों की मजदूरी दिलाने हेतु शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं ।]

जनपद आगरा के एत्मादपुर क्षेत्रान्तर्गत नाला चूहरपुर के निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गयी किसानों की भूमि के प्रतिकर का भुगतान कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गंगा प्रसाद पुष्कर–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर (आगरा) में नाला चूहरपुर के लिए अध्यापित भूमि के प्रतिकर के भुगतान न कराये जाने के सम्बन्ध में आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि गांव चूहरपुर, मुत्थर, अलीपुर, अहार, खरिकना, नगला स्वरूप मुबारिकपुर, निधौली, ईशपुर तहसील–एत्मादपुर जिला आगरा के किसानों की भूमि नाला चूहरपुर निर्माण हेतु 1974 में अधिग्रहीत की गयी थी और भूमि पर कब्जा लेकर नाला का निर्माण भी कराया जा चुका है किन्तु भूस्वामियों को अभी तक अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर का भुगतान नहीं किया गया है । मात्र इसमें से 27 लाख रुपये की धनराशि भुगतान हेतु शासन से स्वीकार कर भूस्वामियों को भेजी गयी है जबकि भूस्वामियों का एक करोड़ पच्चीस लाख की धनराशि बकाया है उक्त के सम्बन्ध में जिला प्रशासन एवं उ०प्र० शासन को कई बार लिखित एवं मौखिक रूप से अवगत कराया । किन्तु अभी तक शेष धनराशि किसानों को नहीं दी गयी । उक्त भुगतान न होने से वहां के किसानों में काफी रोष व्याप्त है । स्थिति अत्यन्त गम्भीर है किसी भी समय विस्फोटक रूप धारण कर सकती है । जिसकी जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की होगी । अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त प्रतिकर भुगतान हेतु अविलम्ब भूस्वामियों को दिलाने की कृपा की जाये ताकि गरीब किसानों का हित हो सके ।]

जनपद कुशीनगर में कप्तानगंज के समीप भवन नाले के तटबन्धों को ऊँचा कराने एवं नाले की सफाई कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधेश्याम सिंह–

[महोदय, आपको अवगत कराना है कि जनपद कुशीनगर में स्थित कप्तानगंज के समीप भवन नाला स्थित है । जो वर्षाकाल के पूर्व ही पानी का इतना उफान हो जाता है कि इस समय इदरपुर से लेकर संवागी पट्टी तक 15 किमी० के गांव व फसल जलमग्न हो गये हैं । हजारों एकड़ धान व गन्ने की फसल पूरी तरह से बरबाद हो चुकी है । भवन नाले के तटबन्धों को ऊँचा कराने व सफाई कराने की मांग कई बार सिंचाई विभाग के उच्च अधिकारियों से की गयी किन्तु विभागीय लापरवाही से प्रति वर्ष भवन नाले से हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो जाती है । इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर विभागीय जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही जनहित में होना आवश्यक है । अतः इस विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित कराते हुए सरकार से तत्काल कार्यवाही कराये जाने की मांग करता हूँ ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद खीरी में विषाक्त तेल से निर्मित भोजन सामग्री के सेवन से फैली बीमारियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा० विनोद तिवारी–

[महोदय, उपयुक्त विषय मैं नियम–301के माध्यम से सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं । विषाक्त तेल से बना भोजन का कहर जनपद शाहजहांपुर, की तहसील में अभी समाप्त हुआ ही नहीं था कि जनपद खीरी में मैलानी अस्पताल में सेहरामऊ उत्तर के एक ही परिवार के 12 लोग विषाक्त तेल से बना भोजन खाकर बीमार हाल में भर्ती हैं सम्पूर्ण जनपद में विषाक्त तेल से अब तक 250 व्यक्ति बीमार पड़े हैं । यदि स्वास्थ्य विभाग बिकने वाले खाद्य पदार्थों की विधिवत् जांच कराने के उपरान्त सामग्री बाजार में बेची जाये तब इस प्रकार की घटनायें कभी घटित न हों । यहां पर यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि जो लोग विषाक्त तेल से बना भोजन खाकर अस्पताल में भर्ती हैं उन्हें अस्पताल से दवा न मिल पाने के कारण स्थिति और भयावह हो चुकी है । अस्पताल में डाक्टरों का कथन है कि दवाईयां मेडिकल स्टोर से खरीदें । अस्तु मैं उक्त ज्वलन्त विषय सदन की जानकारी में लाकर शासन से उक्त प्रकरण को गम्भीरता से लेकर स्वास्थ्य विभाग पर सरकार का शिकंजा कसने की मांग करता हूँ कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति भविष्य में न हो ।]

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 28-8-2002 को नियम–300 के अन्तर्गत कुल ग्यारह सूचनायें प्राप्त हुई । पहली सूचना श्री रामनरेश यादव की, शासन द्वारा प्रश्नों के उत्तरों में तथ्यपरक सूचनायें न देने के सम्बन्ध में ।

प्रश्नों के उत्तरों में तथ्यपरक सूचनाएं न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, यह सदन संविधान, संसदीय परम्पराओं और हमारी जो नियमावली है उसके आधार पर संचालित होता है । मान्यवर, इसके अध्याय 7 में दिया है कि इस तरह से प्रश्न आयेंगे । कैसे पूछे जायेंगे । अध्यक्ष की तरफ से क्या विनिश्चय होंगे, कार्यसूची में कैसे रखा जायेगा । मान्यवर, इसी द्वितीय शुक्रवार को एक प्रश्न मैंने रखा कि क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद–फूलपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम डेऊगा में 132 के०वी०ए० के विद्युत केन्द्र की अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु पावर कारपोरेशन से 75 लाख रुपये की स्वीकृति होकर के निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है ? उत्तर आया, जी हां । मैं वहां चार बार गया हूं इस प्रश्न का उत्तर सही ढंग से नहीं आया और मौके पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है । जब एक तारांकित प्रश्न आया तो उत्तर भी नियमावली के अनुसार सुसंगत और स्पष्ट होना चाहिए यह नियम–38 में व्यवस्था है । मान्यवर, अब माननीय सदस्य और हम जैसे लोग सदन में सवाल करते हैं और इसका सुसंगत उत्तर नहीं आता है तो दिक्कत होती है । तो फिर सदन में बैठने का औचित्य क्या है ? प्रश्न पूछने का औचित्य क्या है ? इस सिलसिले में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ और यह भी चाहता हूँ कि जिस अधिकारी ने सदन को गुमराह करने का प्रयास किया उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय और आपकी व्यवस्था भी इसमें चाहता हूँ ।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, जहां तक प्रश्नों के संदर्भ में औचित्य का सवाल है इसमें तमाम विनिश्चय माननीय अध्यक्ष जी के हो चुके हैं प्रश्नों के उत्तरों के संदर्भ में औचित्य का प्रश्न नहीं लाया जा सकेगा । इसके लिए प्राविधान है कि नियम–49 में माननीय सदस्य चर्चा करा सकते हैं । जहां तक गलत तथ्य और सूचनाएं दे दी गयी हैं तो इसके लिए भी प्रक्रिया के नियमों में इस तरह का प्राविधान है कि माननीय

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अध्यक्ष जी को वह लिखकर दे सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी उसका विनिश्चय कर लेंगे अगर सूचना गलत मिली है उसको अध्यक्ष जी को लिख कर दे सकते हैं और यह आपका प्रिविलेज हैं कि नियम–49 में चर्चा करा ले जैसा कि हमारे वरिष्ठ नेता ने कहा है। इसके संदर्भ में माननीय अध्यक्ष जी के निर्देश हैं और रूलिंग हुयी है जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐसे संदर्भों में वह माननीय अध्यक्ष जी को लिख कर दें सकते हैं और वह निर्णय ले लेते हैं इसलिए औचित्य के प्रश्न के रूप में यह ग्राह्य नहीं है।

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, एक प्रश्न का उत्तर दिया गया जैसा माननीय सदस्य ने कहा वहां कोई कार्य नहीं प्रारम्भ किया गया और माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं। मैंने नियम 300 पूरा देख लिया है। इसमें कहीं आपत्ति नहीं है कि हम नियम–300 में इसे नहीं उठा सकते आप भी इसको पढ़ लें।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्नों के संदर्भ में, यदि प्रश्न का उत्तर वैसा नहीं आता है गलत आता है तो नियमावली के नियमों में व्यवस्था दी है निदेश सं० 166, के तहत हम जिस प्रश्न का उत्तर संतोषजनक नहीं आता है या गलत आता है सूचना दे सकते हैं और उस पर कार्रवाई की जा सकती है इसलिए यह नियम 300 में नहीं आता।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, अगर कार्य प्रारम्भ करने की सूचना दी गयी है तो क्या उसको माननीय मंत्री जी दिखवायेंगे और कार्य प्रारम्भ हो जायेगा।

श्री अधिष्ठाता–

166 में लिख कर देंगे तो सरकार समुचित कार्यवाही करेगी आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं यह नियम 300 में नहीं आता है मैं इसको आग्राह्य करता हूँ।

सदन में ध्वनि प्रणाली में खराबी होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अधिष्ठाता–

दूसरी सूचना श्री प्रमोद कुमार और श्री जगदम्बिका पाल जी की है।

*श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, सामान्यतः इस सदन में हम प्रदेश की ज्वलन्त समस्याओं को उठाते हैं और उन समस्याओं के लिए हम अपेक्षा भी करते हैं प्रदेश सरकार द्वारा इस विधान सभा में उसके समाधान की, कि उसका समाधान हो जायेगा। मान्यवर, यह केवल मेरी समस्या नहीं बल्कि सारे सदस्यों की है कि विधान सभा का जो साउण्ड सिस्टम है उससे सुनाई नहीं देता है। जब हम किसी प्रश्नों की बात करते हैं, चर्चा होती है मंत्री जी के उत्तर आते हैं, आज ही सुबह स्वास्थ्य मंत्री जी का उत्तर आ रहा था और सब लोगों को उत्तर नहीं सुनाई पड़ रहा था। मान्यवर, हम सदन में इसलिए बैठते हैं कि सदन की कार्यवाही में सुचारू रूप से हिस्सा ले सकें। प्रश्नों पर, संकल्पों के माध्यम से, प्रस्ताव के माध्यम से हम पूरी बात रख सके और सरकार से सुसंगत नियमों में उत्तर प्राप्त कर सके लेकिन हम सबके इस उत्तर के श्रवण में कठिनाई होती है। आप पता लगा लीजिए इससे सभी को परेशानी होती है और इससे सदन की कार्यवाही विनियमित होती है। इससे ज्यादा इस सदन में और कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं हो सकता, नियम–300 भी आप देख लें। नियम 300 के अन्तर्गत भी आता है। आज सदन में हम बैठते हैं अपने उत्तरदायित्व का पालन करते हैं। समय-समय

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर यह बात कई बार उठाई गयी कि इस तरह से हम लोगों को व्यवधान हो रहा है, साउन्ड सिस्टम ठीक नहीं है। मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न है, इसे स्वीकार कर लें।

श्री प्रमोद कुमार–

अधिष्ठाता महोदय, यह प्रश्न पिछले सत्र के समय भी उठाया गया था, उस समय यह निर्देश हुआ था कि प्रभावी कार्यवाही कर दी जायेगी। हमारी सदस्य संख्या 403 है और संसद में 540 से ज्यादा सदस्य बैठते हैं परन्तु वहां किसी को अनुश्रवण की समस्या नहीं होती। पीठ से जो बात कही जाती है वह सदस्यों तक साफ नहीं सुनायी पड़ती है। जब आप कोई व्यवस्था दे रहे होते हैं तब यहां पर कोई व्यवस्था साफ सुनायी नहीं पड़ती है। यह एक ऐसी कठिनाई है जो कि व्यवहारिक है। ज्यादातर सदस्यों को, आप क्या बोलते हैं यह सुनाई ही नहीं पड़ता। दूसरी व्यवस्था में हम लोगों को जो इन्स्टूमेन्ट दिया गया है जिसको लेकर हम प्रयास करते हैं कि आवाज थोड़ा साफ सुनाई पड़े, यह भी पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। इस सिस्टम की जिस तरह से व्यवस्था की गयी है, इसको लाने ले जाने की व्यवस्था है, वह ठीक नहीं है। कृपया एक समिति बन जाये, या आप अपने स्तर पर अधिकारियों की समिति बना लें, किसी स्तर पर यहां की जो अनुश्रवण की समस्या है, जो साउन्ड सिस्टम है, इसका कुछ समाधान कर दिया जाये ताकि हर सदस्य को साफ सुनाई पड़े। इस फोन को लाने ले जाने की जगह पर इसको सीट पर रख दिया जाये जो भी उस सीट पर बैठे वह उसका प्रयोग करे, यह विधान सभा की ही सम्पत्ति रह जाये। मैं सुझाव के रूप में ही कह रहा हूं कि आप यह सुनिश्चित कर दें कि जब अगला सत्र चले अगली सरकार बने, क्योंकि यह सरकार तब तक तो रहेगी नहीं, तब तक यह व्यवस्था ठीक कर ली जाये।

श्री अधिष्ठाता–

जगदम्बिका पाल को नियम–300 में सुना और इस सूचना को मैं अग्राह्य करता हूं लेकिन इसके लिए समुचित कार्यवाही की जायेगी।

आय-व्ययक में 10 हजार अम्बेडकर गांवों को संतृप्त किये जाने संबंधी मुख्य मंत्री की घोषणा तथा विश्व बैंक द्वारा उसमें मदद देने से मना करने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

* श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, आप इस उ० प्र० कार्य संचालन नियमावली के नियम–183 में देखें, इस सदन की कार्यसूची में जो भी आता है, नियमानुसार आता है। नियम–183 में आय-व्ययक और उससे उपस्थापन की व्यवस्था है और नियम–186 में यह साफ दिया है कि साधारण चर्चा होगी और विभागीय मांगों पर मतदान होगा। 9 तारीख को जो बजट प्रस्तुत हुआ, उस बजट में कई योजनाओं को जो वित्तीय व्यवस्था थी उसके अनुरूप इस सदन में घोषित किया गया। इस वित्तीय व्यवस्था के अनुरूप सरकार इन-इन विभागों में यह-यह काम करायेगी, वह साधारण चर्चा में पास हुआ। उस चर्चा के अनुरूप जो बजट यहां पर पेश किया गया, नियम–188 के अन्तर्गत जो ग्राम विकास विभाग का बजट रखा गया उसमें भी उसका उल्लेख करके पास करा लिया गया कि माननीय मुख्य मंत्री ने जो आय-व्ययक रखा उसमें उन्होंने घोषणा की थी कि 10 हजार अम्बेडकर गांव पूर्ण रूप से संतृप्तीकरण किये जायेंगे लेकिन उसमें उन्होंने लिखा कि वर्ल्ड बैंक के एडवर्ड लिम ने सहायता देना स्वीकार कर लिया है, लेकिन अब उन्होंने एक पत्र सरकार को लिखा है कि उन्होंने उन गांवों को मदद देने के लिए मना कर दिया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन् प्रश्न यह उठा कि जो आय-व्ययक में उपलब्धता में दिखाया गया है, अनुदान की मांगों में स्वीकार कर लिया गया है, बजट का प्राविधान हो गया है । उसके संबंध में अब प्रश्न पैदा हो गया है कि जो 10 हजार अम्बेडकर गांव जिनके लिये घोषणा की गई कि उनको संतृप्त किया जायेगा, उनके लिये बजट का प्राविधान है या नहीं । इस प्रकार जो बजट में आय दिखाई गई है, वह गलत दिखाया गया है । मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी घोषणा करें कि यह बात कितनी सही है जो एडवर्ड लिम ने मुख्य सचिव को लिखा है और क्या लिखा है ?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, व्यवस्था देने से पहले हम लोगों को भी सुन लें, यही प्रश्न हम लोगों ने नियम–56 में दिया है । विश्व बैंक के इण्डिया चैप्टर के श्री एडवर्ड लिम ने मुख्य सचिव को एक पत्र लिखकर कहा है ...

श्री अधिष्ठाता–

नियम–300 में जितनी सूचनायें स्वीकार हुयी थीं, उनको सुन लिया, शेष अग्राह्य कर दी गई हैं । अब मैंने मद संख्या–3 ली है । माननीय नरेश अग्रवाल जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, इस संबंध में मैं यह व्यवस्था दे रहा हूं । इसे नियम–300 में अग्राह्य किया जा चुका है और जो सूचना नियम–56 में है, उसको उस समय सुन लिया जायेगा ।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, आप मुझे भी सुन लें, मैं भी इसी से जुड़ी बात कहना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

अगर उसी विषय पर बोलेंगे तो लिखा नहीं जायेगा ।

विधायक निवास दारुलशफा के ए, बी, सी, ब्लाकों में किचेन आदि की समुचित व्यवस्था उपलब्ध न होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आज विधायक दारुलशफा के ए, बी, सी, ब्लाक में रहना नहीं चाहते । वह चाहते हैं कि हमको ओ०सी०आर० में जगह मिले ।

श्री अधिष्ठाता–

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, आप सुन तो लें । चूंकि आज सवाल में समुचित जवाब नहीं आया और 12.20 हो गया, उसी के संबंध में व्यवस्था का सवाल उठाना चाहते हैं ।

श्री राम करन आर्य–

तो मैं जिक्र कर रहा था कि विधायक पार्क रोड, ओ०सी०आर०, मंत्री निवास जाना चाहते हैं । यह जो दारुलशफा का ए, बी, सी, ब्लाक है, यह चिड़ियाघर का मुर्गी दरबाखाना बन गया है । अगर वहां एक की जगह दो दे दिये जायें तो ठीक रहेगा । वहां किचेन की भी व्यवस्था नहीं है । अगर एक ही जगह दो मिल जायेगा तो परिवार के लोग रह सकेंगे, कार्यकर्ताओं के लिये हो जायेगा और हर विधायक जो आज वहां जाना नहीं चाहता, तब उस स्थिति में हर विधायक उसको प्रिफर करने लगेगा । इसलिये

मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि एक की जगह दो करने का कष्ट करें।

श्री जटाशंकर सिंह–

अधिष्ठाता महोदय मैं आपकी आज्ञा से यह कहना चाहूंगा कि सन् 1980 से 85 के कार्यकाल का ए ब्लाक, बी ब्लाक और सी ब्लाक का 150 रु० प्रति माह की दर से किराये की धनराशि मा० विधायकों को भुगतान एक मुश्त चेक से की गई थी। जो विधायक का मानक किराया है कमरे का उससे कम किराया ए, बी, सी, ब्लाक के कमरों का है। इसलिए रामकरन जी के प्रश्न में बल है और औचित्य भी है इस बीच 13वीं विधान सभा के कार्यकाल में भी यह व्यवस्था दी गई थी कि दो कमरे एक विधायक को दिए जायेंगे लेकिन उसे लम्बित रखा गया है। इसलिए दो कमरे एक विधायक को दिया जाना चाहिए और समान किराया मानक के आधार पर उचित भी है अतः सरकार इसे स्वीकार करे। जिससे मा० विधायकों की आवासीय एक रूपता स्थापित हो सके।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, जहां तक दारुलशफा के ए, बी, सी, ब्लाक का विषय है तो यह सूचना माननीय सदस्यों ने पहले भी दिया था और इसे गंभीरता से लिया भी गया, इसमें एक बैठक भी बुलाई गई थी और कई माननीय सदस्य भी थे, चौधरी साहब और कई माननीय सदस्य थे इस पर विचार विमर्श भी हुआ था कि उनकी स्थिति वास्तव में ठीक नहीं है अगर एक विधायक को दो-दो कमरे मिल जाए तो ठीक रहेगा। इसके लिए एक आवास समिति बना दी जाय और वह समिति आवंटन का निर्णय लेगी, इसमें आप लोगों की सहमति भी बनी थी। हम लोग इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ आवास ऐसे भी हैं कि जिन पर अगर कोई कार्यवाही करेंगे तो वह न्यायालय में चले जायेंगे। कुछ प्रक्रिया इस तरह की है कि इस पर हम जल्दी ही निर्णय लेंगे कि उसको खाली कैसे कराया जाय। मैंने दो बार राज्य सम्पत्ति विभाग से इस पर चर्चा की है और इसे हमने गंभीरता से लिया है। मान्यवर, इस पर विचार चल रहा है और शीघ्र ही कोई न कोई निर्णय लिया जायेगा।

श्री सीताराम निषाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय इस संबंध में आज तक किसी प्रकार का शासन से निर्देश जारी नहीं किया गया है।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें।

श्री अधिष्ठाता–

मैं अब नियम–300 पर किसी को नहीं सुनूंगा।

आय-व्ययक में 10 हजार अम्बेडकर गांवों को संतृप्त किये जाने संबंधी मुख्य मंत्री की घोषणा तथा विश्व बैंक द्वारा उसमें मदद देने से मना करने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, कई बार ऐसी महत्वपूर्ण बातें सदन के सामने आती हैं और उन पर कई बार व्यवस्था बड़ी जल्दबाजी में दे दी जाती है। मान्यवर, यह गंभीर विषय है इस पर व्यवस्था देने से पहले मेरा एक प्रश्न सुन लीजिए। मान्यवर, आज जो प्रदेश में अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ है। गांव में रहने वाले लोगों का जब बजट भाषण पेश हुआ था, उसके बाद उन्हें विश्वास हुआ था कि हमारे गांव में भी विकास के कार्य होंगे, यह बजट की एक विश्वसनीयता होती है कि जब बजट सत्र में बजट पारित होता

है तो पूरे प्रदेश की जनता का उसमें भरोसा और विश्वास होता है बजट में जो नीतियां स्वीकृत होती हैं अगर उनके बारे में इस तरह का अविश्वास पैदा हो जायगा तो सारे गांव के विकास कार्य अवरुद्ध हो जायेंगे और सारे विकास कार्य अवरुद्ध होंगे । 10 हजार गांवों के लोगों में अविश्वास पैदा हो गया है ।

श्री अधिष्ठाता–

नियम–300 में सूचनायें निरस्त की जा चुकी हैं ।

* श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, संसदीय कार्य मंत्री जी अगर यह स्पष्ट कर दें कि बजट में जो प्राविधान किया गया है और पूरे प्रदेश की जनता को सदन के माध्यम से और मा० मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के माध्यम से तथा जो ग्राम्य विकास विभाग की अनुदान की स्वीकृति है उसके माध्यम से प्रदेश की जनता को यह संदेश दे दिया गया कि 10 हजार गांवों का विकास अम्बेडकर गांव योजना के अन्तर्गत कर दिया जायेगा, धन की व्यवस्था हो जायेगी । विश्व बैंक ने अस्वीकार कर दिया है । संसदीय कार्य मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता के उस विश्वास को खण्डित करने का काम इन्होंने किया है, इनकी डूबी हुई साख है उसके चलते गंभीर स्थिति पैदा हो गयी है उसके लिए यह क्या करने जा रहे हैं ? मान्यवर, यह सामान्य मामला नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

यह सामान्य मामला नहीं है, लेकिन नियम–300 में भी नहीं आता है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपसे अनुरोध है कि आप अपनी व्यवस्था देने से पूर्व सरकार का पक्ष भी जान लें ताकि व्यवस्था देने में सुविधा हो जायेगी । यह बतायें कि उस पत्र का क्या हुआ ?

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, इस सूचना में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम–183 का हवाला दिया गया है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

संसदीय कार्य मंत्री जी ये बतायें कि अम्बेडकर गांवों के नाम पर क्या करेंगे, आपने पूरे प्रदेश को धोखे की स्थिति में खड़ा कर दिया है ?

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, यह शंकाओं के घेरे में रहते हैं और काल्पनिक आधार पर चलते हैं । जिन अम्बेडकर गांवों को संतृप्त करने का लक्ष्य है, जिसको संदर्भित किया गया है उसका वित्त पोषण विश्व बैंक से यह अन्य माध्यमों से करा लेंगे । अम्बेडकर गांवों का जो टारगेट था जो संतृप्त नहीं हो पाये । 11 बिन्दुओं में से किन्हीं बिन्दु में छूट गया है उनको संतृप्त करने के लिए धन की व्यवस्था होगी, वह हम करेंगे । उसमें कुछ ऐसे बिन्दु हैं जिनका पोषण हम अपने स्तर से करा लेते हैं ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

हम 10 हजार गांवों की बात कर रहे हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सुखदेव राजभर–

हम उन्हीं 10 हजार गांवों के बारे में बता रहे हैं। 10 हजार गांवों का लक्ष्य है, उसमें संतृप्त गांव भी हैं, कुछ नये चयनित गांव हैं। जो अनसेचुरेटेड गांव हैं उनको भी लेंगे। यह हमारी जिम्मेदारी है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इस विषय में नियम–56 में सूचना दी गयी है और आप व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से उसी प्रश्न को सुन रहे हैं तो नियम–56 को कब आप सुनेंगे। सदन को नियमों से चलाइये अगर व्यवस्था के प्रश्न पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उस विषय का उत्तर देंगे तो नियम–56 भी अभी ले लीजिए।

श्री अधिष्ठाता–

जब नियम–56 आयेगा तो उस पर निर्णय लिया जायेगा आप आसन ग्रहण करें।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, कुछ गांव 95-96 में चयनित किये गये थे वह संतृप्त नहीं हुए हैं उन को भी इसमें लिया गया है।

श्री अधिष्ठाता–

केवल एक प्रश्न का उत्तर दे दें कि क्या विश्व बैंक के किसी पत्र के कारण बजट में घोषित दस हजार ग्रामों को संतृप्त करने में कोई कठिनाई आ रही है।

श्री सुखदेव राजभर–

माननीय सदस्य कह रहे हैं कि अगर विश्व बैंक ने पैसा नहीं दिया तो यह घोषणा बेकार जायेगी। मान्यवर, ऐसा नहीं है जो ये दस हजार गांव हैं उनके लिए धन की व्यवस्था की गयी है राज्य अंश से, केन्द्रीय अंश और कुछ विश्व बैंक की मदद से किया है। अन्य संसाधनों से भी पैसा इकट्ठा करके इनको सेचुरेट किया जायेगा।

जनपद हरदोई के अन्तर्गत दहलिया से अरवल के मध्य कुंडा नदी पर पेन्टून पुल बनाये जाने विषयक श्री महेन्द्र प्रताप सिंह निवासीगण जनपद–हरदोई आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

*श्री विश्राम सिंह यादव–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद–हरदोई के अन्तर्गत दहलिया से अरवल के मध्य कुण्डा नदी पर पेन्टून पुल बनाये जाने विषयक श्री महेन्द्र प्रताप तथा श्री संजीव सिंह यादव व अन्य निवासीगण जनपद–हरदोई द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, विश्व बैंक ने सहायता देने से मना कर दिया है।

(शोर)

---

† छापी नहीं गयी।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, सुन लें। आप सुन ही नहीं रहे हैं।

जनपद हरदोई के अन्तर्गत बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र के ग्राम म्योढ़ा मदार रोड पर स्थित नीलम नदी पर पुल निर्माण कराये जाने विषयक डा० जमील अहमद निवासीगण जनपद–हरदोई आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री विश्राम सिंह यादव–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद हरदोई के अन्तर्गत बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र के ग्राम म्योढ़ा मदार रोड पर स्थित नीलम नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक डा० जमील अहमद तथा श्री महेश कश्यप व अन्य निवासीगण–जनपद हरदोई द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

आय-व्ययक में 10 हजार अम्बेडकर गांवों को संतृप्त किये जाने संबंधी मुख्य मंत्री की घोषणा तथा विश्व बैंक द्वारा उसमें मदद देने से मना करने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, 10 हजार अम्बेडकर गांवों का सवाल है। सरकार धोखे में रख रही है।

(शोर)

(मद सं०–3(3) पुकारे जाने पर)

(अनेक सदस्य सदन के वेल में आ गये)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अपने आसन पर जाएं। यह विषय नियम–56 में भी है। नियम–300 में यह अग्राह्य हो चुका है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने अपना उत्तर दे दिया है। इस पर अब चर्चा की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अशोक बाजपेयी जी ने जो प्रश्न उठाए उनका बिन्दुवार मंत्री जी ने उत्तर दे दिया अब कृपया अपने आसन पर जाएं।

(श्री वसीम अहमद जी, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री बलराम यादव तथा श्री बीजू पटनायक आदि विपक्ष के कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन को 1.15 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(व्यवधान के कारण श्री अधिष्ठाता ने 12 बजकर 55 मिटन पर सदन की कार्यवाही 1 बजकर 15 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। 1 बजकर 15 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन 1 बजकर 30 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है। 1 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

---

† छापी नहीं गयी।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी पूरे प्रदेश के दस हजार अम्बेडकर गांव से जुड़ा इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से बजट को डायवर्ट करने का गंभीर अनुचित आचरण सरकार द्वारा किया जा रहा है, इसको व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से उठाया गया था। इसमें आप व्यवस्था दें, संसदीय कार्य मंत्री जी का कोई वक्तव्य हो तो देख लें।

श्री अधिष्ठाता–

यह विषय नियम–56 में स्वीकृत है। इसमें सभी माननीय सदस्यों को अम्बिका चौधरी जी, नरेश चन्द्र जी, डा० अशोक बाजपेयी [illegible] माननीय सदस्य विचार रखना चाहें उनको सुन लिया जाएगा।

जनपद हरदोई के अन्तर्गत हरदोई हरपालपुर रोड पर म्योढ़ा से मदार तक की रोड का अवशेष भाग का निर्माण कार्य कराये जाने विषयक श्री आशिक अली निवासीगण जनपद–हरदोई आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री विश्राम सिंह यादव–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद हरदोई के अन्तर्गत हरदोई हरपालपुर रोड पर म्योढ़ा से मदार तक की रोड का अवशेष भाग का निर्माण कार्य कराये जाने विषयक श्री आशिक अली तथा श्री [illegible] राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद–हरदोई द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत कटरा से बनगांव तक सम्पर्क मार्ग का लेपन कार्य कराये जाने एवं टेढ़ी नदी पर पुल निर्माण कराये जाने विषयक श्री निसार अहमद निवासीगण जनपद–गोण्डा आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री बैजनाथ दुबे–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद गोण्डा के अन्तर्गत कटरा से बनगांव तक सम्पर्क मार्ग का लेपन कार्य कराये जाने एवं टेढ़ी नदी पर पुल निर्माण कराये जाने विषयक श्री निसार अहमद तथा श्री राज नरायण पाठक व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत क्षेत्र कटरा बाजार के कौड़िया अशोकपुर मार्ग का अवशेष भाग का पिच निर्माण एवं भेड़िया घाट पर पुल निर्माण किये जाने विषयक श्री त्रियुगी नारायण पूर्व निवासीगण जनपद गोण्डा आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री बैजनाथ दुबे–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद गोण्डा के अन्तर्गत क्षेत्र कटरा बाजार के कौड़िया अशोकपुर मार्ग के अवशेष भाग का पिच निर्माण एवं भेड़िया घाट पर पुल निर्माण किये जाने विषयक श्री त्रियुगी नारायण दुबे तथा श्री दिनेश कुमार तिवारी निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

जनपद लखनऊ के अन्तर्गत ग्राम मौरा खेड़ा में राजकीय कन्या इण्टर कालेज की स्थापना विषयक श्री जगदीश प्रसाद मिश्र निवासीगण जनपद लखनऊ आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री कौशल किशोर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद लखनऊ के अन्तर्गत ग्राम मौराखेड़ा में राजकीय कन्या इण्टर कालेज की स्थापना किये जाने विषयक श्री जगदीश प्रसाद मिश्र तथा श्री जगन्नाथ प्रसाद रावत निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–7, मद संख्या–8, मद संख्या–9 में कुछ नहीं है।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 28 अगस्त, 2002 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 21 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गई। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है।

(श्री महबूब अली का नाम पुकारा गया।)

श्री महबूब अली–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं जिस ज्वलन्त समस्या के बारे में बजट सुधार के लिए शुरू से सदन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए लगातार प्रयास करते रहे लेकिन आज इसे गंभीर समस्या मानते हुए आपकी पीठ से जो निर्देश हुए हैं मैं इसके लिए आभारी हूं। मान्यवर, पूरे प्रदेश में अखबार के माध्यम से सदन के माध्यम से सदन के बाहर और अन्दर लगातार लूट, डकैती, हत्या, अपहरण, बलात्कार की चर्चाएं हम सुनते रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद सदन के इस पक्ष के द्वारा जमीनों का अधिग्रहण और इस पक्ष पर होने वाली ज्यादतियों को सदन में सुनते रहे हैं। मैं सदन का ध्यान ऐसी गंभीर समस्या के बारे में दिलाना चाहूंगा। आज लगातार ऐसे वक्त में जब सूखा पड़ा है, प्रदेश अकाल से ग्रस्त हैं, इसके बावजूद प्रदेश में अतिक्रमण के नाम पर, अधिग्रहण के नाम पर किसानों की जमीन एक्वायर की जा रही है। सदन में जब नेता सदन बजट भाषण कर रही थी, वे गरीबों दलितों और अल्पसंख्यकों को बार-बार आश्वासन भूमिहीनों के लिए बार-बार आश्वासन देने का काम कर रही थी। आज प्रदेश में 19 जनपदों, पांच मण्डलों के लिए तहसीलों के लिए, ब्लाकों के लिए जमीनों का अधिग्रहण हो रहा है जो गंभीर समस्या है। ऐसे वक्त में, जिला हेडक्वार्टर बने, यह ठीक है लेकिन ऐसे वक्त में जब अकाल पड़ा हो और किसान भूखा प्यासा हो, परेशान हो, मजबूर हो और आत्महत्या भूख से करे, उन गरीबों की जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। जो लाचार है, बेबस है, जिसके पास रोजी रोटी का यही एक मात्र सहारा है आज उनकी जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है।

मान्यवर, आज अच्छी तरह से पूरा सदन अवगत है कि 19 जिला हेडक्वार्टर बनाने के लिए ढाई सौ एकड़ जमीनों के अधिग्रहण करने के लिए उन गरीबों की जमीन अधिग्रहीत की जा रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो उनकी उपजाऊ जमीन है उनकी जमीन ली जा रही है जबकि आपके पास बंजर ऊसर जमीन है, उसे आप ले सकते हैं। लेकिन उन मंहगी जमीनों को लिया जा रहा है। जो एक-एक बीघा या दो-दो बीघा के मालिक हैं उनकी जमीन ली जा रही है।

---

† छापी नहीं गयी।

यह प्रशासन गुमराह करके फरेब और झूठ से प्रशासनिक अधिकारी गुमराह कर रहे हैं और जो मंहगी जमीनें हैं उनको झूठ बोलकर कम दामों में ले रहे हैं। मान्यवर, इसी तरह की हालत हमारे विधान सभा क्षेत्र 9–अमरोहा में हो रहा है। यह ज्योतिबा फूले नगर में है और हेडक्वार्टर पड़ता है। उसके चारों तरफ ऊसर और बंजर भूमि है लेकिन उसके बावजूद जिनकी कीमत ज्यादा है और जिन किसानों के पास एक-एक या दो-दो बीघा जमीन है और जो गरीब हैं, लाचार हैं, जिनके पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं है वह इतने मज़बूत नहीं हैं कि पैसा इकट्ठा करके ऊपर तक पहुंचाये और जमीन का अधिग्रहण रुकवा सकें ऐसे उन गरीब लोगों की जमीनें अधिग्रहीत की जा रही है। मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यह समस्या एक पार्टी स्तर पर हल नहीं होगी।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें।

श्री महबूब अली–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि मेरे जनपद में 100 एकड़ जमीन एक्वायर की गयी है। मान्यवर, इसमें उन गरीबों की भी जमीन है जिनके पास मात्र एक-दो एकड़ जमीन है। मान्यवर, यह 100 एकड़ जमीन 704 किसानों से अधिग्रहीत की गयी है। मान्यवर, यह जमीन 55 हजार रुपये से लेकर 16 हजार रुपये की कीमत पर एक्वायर की गयी है। मान्यवर, इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ कि एक जमीन की कीमत 55 हजार रुपये और जिनके पास एक-दो बीघा जमीन थी उनको 16 हजार रुपये की कीमत से एक्वायर की गयी ? क्या उनकी जमीन पर लेट्रिन बनायेंगे और जो 55 हजार की है उसमें हेडक्वार्टर आफिस बनायेंगे ? जब पूरा हेडक्वार्टर बनना है तो यह विरोधाभास क्यों है ?

श्री अधिष्ठाता–

अब कृपया समाप्त करें।

श्री महबूब अली–

मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि मेरी बात को सुन लें। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि क्या जमीनों की इसी तरह से अलग-अलग कीमतें लगाना उचित होगा कि एक जगह तो 96 हजार प्रति एकड़ के हिसाब से एक्वायर की गयी है और कहीं पर 3 लाख 36 हजार प्रति एकड़ के हिसाब से। मान्यवर, एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम हेडक्वार्टर के पक्षधर हैं।

श्री अधिष्ठाता–

नियम–56 में रखकर क्या मांग सरकार से की जाती है। इसे समझ लें। अब इसे समाप्त करें।

श्री महबूब अली–

मान्यवर, बस मैं समाप्त कर रहा हूं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि दोनों पक्षों के सदस्यों का काम तो हो जाता है लेकिन हमें भी अपने क्षेत्र की जनता को जवाब देना पड़ता है। हम बड़ी मेहनत से जीतकर आये हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि 1997 से उनकी जमीनों का बैनामा नहीं हुआ है। 1997 से इसको लेकर आन्दोलन किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने सरकार के आदेश पर उन गरीबों की जमीन को एक्वायर कर लिया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि उन गरीबों को न्याय दिलाया जाये। मान्यवर, अल्पसंख्यकों की बस्ती में भी यही प्रकरण किया गया है। वहां कुल 3 गांवों में अल्पसंख्यक रहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार अल्पसंख्यक विरोधी है। मान्यवर, जो किसान

लाचार हैं जिनकी जमीन एक्वायर की गयी है उनको दुकानें दी जाएं, प्लाट दिये जायें ताकि वे अपनी रोजी-रोटी चला सकें। इसलिए मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि उनको न्याय दिलाया जाय।

मान्यवर, मेरा आपकी पीठ से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि बड़े लम्बे चौड़े वायदे कर दिया बजट में इसके बावजूद भी सरकार इन अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती करने पर क्यों मजबूर है ?

श्री अधिष्ठाता–

आप ग्राह्यता पर बोले, यह चर्चा नहीं हो रही है।

श्री महबूब अली–

मान्यवर, मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। मान्यवर, हमारे जिले के बराबर के जिले मुरादाबाद में गिरोध सेन्टर के लिए गांव नगवलिया, गंगवारी, बहादुरपुर, काण्डली, कनपुरी में प्राइवेट संस्था द्वारा 55 हजार रुपये बीघे के हिसाब से जमीन एक्वायर की गयी है जो साढ़े तीन लाख रुपया एकड़ के हिसाब से होती है जबकि वह ऊसर, बंजर जमीन है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप जो बोलेंगे वह नहीं लिखा जायेगा।

श्री महबूब अली–

[× × ×]

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, जिस जगह में जमीन अधिग्रहीत की जाती है वहां अधिग्रहण अधिनियम के तहत पूरी कार्यवाही पूरी की जाती है और उसमें भी तमाम आपत्तियां भी निस्तारित की जाती हैं। उसी के तहत जनपद ज्योतिबाफूलेनगर मुख्यालय के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु शासन की अधिसूचना संख्या–3041/1-5-2001–262/97 टी०सी०रा०–5, दिनांक 19 सितम्बर, 2001 तथा अधिसूचना संख्या–515/1–5-2002–261/97 टी०सी०रा०–5, दिनांक 11 फरवरी, 2002 द्वारा ग्राम रायपुरखुर्द, दासीपुर, अमरोहा के किसानों की जमीनें अधिग्रहीत की गयीं। इसमें मान्यवर, किसानों की 100.92 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गयी है तथा किसानों की भूमि के मुआवजे का भुगतान अभी तक 2,43,51,615.00 की धनराशि का शासन द्वारा जिलाधिकारी, ज्योतिबाफूलेनगर को अवमुक्त की जा चुकी है। मान्यवर, माननीय विधायक जी ने कहा कि वहां के रेट के निर्धारण के आधार पर हम लोगों की मांग है तो मान्यवर, जब एक्यूजीशन होता है और एक्यूजीशन आफिसर अधिग्रहण करता है तो उस समय भी जिनकी जमीनें अधिग्रहीत की जाती हैं तो वह उनकी आपत्ति मांगते हैं। जब यह अधिग्रहण हो गया, मुआवजा निर्धारित हो गया, धन अवमुक्त हो गया। जो किसान मुआवजा को लेता है तो उनके लिए यह है कि विवाद सहित लिख दें। जो आप दे रहे हैं। विवाद सहित ले रहे हैं तो इसके लिए न्यायालय में जा सकते हैं कि गलत रेट है तो आगे भी उनके लिए मौका छोड़ा जाता है। तो मान्यवर, 2001 में अधिसूचना के तहत जमीन का अधिग्रहण किया गया लैण्ड एक्यूजीशन एक्ट के तहत अधिग्रहण किया गया। अब इसमें विवाद सहित लिख देंगे तो न्यायालय में जाने का मौका रहता है। मान्यवर, इसमें दो करोड़ तैंतालिस लाख एक्यावन हजार छः सौ पन्द्रह रुपये की धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है शासन द्वारा।

× × × । यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मान्यवर, किसी का शोषण नहीं होने पायेगा न किसी को तकलीफ होने पायेगी । सरकार किसानों के हित में है ।

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना पर मा० सदस्य एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं ।

(व्यवधान)

इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

(इसी बीच श्री महबूब अली सदन के फ्लोर पर आ गये)

श्री प्रमोद कुमार–

मैं माननीय सदस्य को वापस बुला ले रहा हूं ।

(श्री प्रमोद कुमार के अनुरोध पर श्री महबूब अली वापस चले गये ।)

आप माननीय सदस्य के साथ अलग से माननीय अध्यक्ष के यहां बात कर लीजियेगा । डी०एम० को बुला लीजिये । बात कर लीजिये ।

श्री सुखदेव राजभर–

बात कर लेंगे ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैंने नियम–56 में सूचना दी है । मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया । यह पूरे प्रदेश के समग्र विकास से जुड़ा हुआ प्रश्न है । 17 करोड़ जनता की जो अपेक्षायें और आकांक्षायें हैं इस सरकार ने उन आकांक्षाओं की पूर्ति और उन विकास कार्यक्रमों को चलाने के संबंध में जो अपना बजट प्रस्तुत किया है और उस बजट में जिन परिव्ययों को परिलक्षित किया है, उल्लेख किया गया है कि यह परिव्यय निर्धारित किया है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश के गांवों, खेत, खलिहान और चौपालों में बैठकर वह किसान यह अपेक्षा करता है कि प्रदेश के बजट सत्र के बाद सरकार अपने वित्तीय संसाधनों से उन योजनाओं को पूरा करेगी । सदन के फ्लोर पर जो कमिटमेंट किया है, अपनी प्रतिबद्धता दोहरायी है और बजट के माध्यम से जो प्राथमिकतायें तय की हैं, उनको सरकार पूरा करेगी । मान्यवर, मैं सुनिश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने दस हजार अम्बेडकर ग्रामों के विकास के लिये और उसके क्रियान्वयन में जो 11 सूत्रीय कार्यक्रम रखा है जिसमें चाहे विद्युतीकरण हो, सड़कों का कार्य हो, नाले और खड़न्जे का कार्य हो, इन्दिरा आवास योजना हो उनको इस वित्तीय वर्ष में संतृप्त करेंगे । इसी प्रकार विकास के संबंध में जो यू०पी० रोड–फेज–2002 कार्यक्रम है, जिसमें स्टेट हाईवेज हैं, ओ०डी०आर०, एम०डी०आर० की योजनायें हैं, उसमें विश्व बैंक से मान्यवर, हमें ढाई हजार करोड़ रु० मिला है ।

इस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो योजनाएं हैं, कृषि विपदीकरण की योजनायें हैं, 350 विकास खण्ड चयनित किये हैं जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से भी ज्यादा अच्छे तरीके से उन सड़कों का निर्माण करेंगे । विश्व बैंक ने 377 मिलियन डालर उत्तर प्रदेश की सरकार को सहायता दे रखी है । 18,750 करोड़ रुपये हैं सरकार के पास । आज प्रदेश सरकार के समक्ष हम कोई बात कहते हैं तो पैसे का रोना रोती है । जब हम यह प्रश्न उठाते हैं कि 50 हैण्ड पम्प दे दें तो कहते हैं कि उसमें से 10 परसेन्ट विधायक निधि से दिया जाये । हम कहते हैं कि 10 परसेन्ट का राइडर क्यों लगाया जाता है । तो सरकार कहती है कि वित्तीय संशाधन नहीं है । आज प्रदेश के सामने विधायक निधि का प्रश्न हो

विकास का प्रश्न हो, पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का प्रश्न हो, वेतन की प्रोन्नतियां हों, आज इसी सदन में उत्तर आया कि कर्मचारियों की 2 साल के लिए एल०टी०सी० स्थगित कर दी गयी है । आई०ए०एस० के लिए एल०टी०सी० है, प्रदेश के कर्मचारियों को एल०टी०सी० नहीं मिल रही है । वित्तीय संकट का रोना रोया जाता है । एक तरफ वित्तीय संकट है दूसरी तरफ विश्व बैंक ने 18,750 की सहायता दी है । उन्होंने अपेक्षा यह की है कि उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार, जो विश्व बैंक से परियोजनाएं चल रही हैं जो अधिकारी उनमें हैं उन अधिकारियों का स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा । इतने बड़े पैमाने पर ट्रांसफर हो रहे हैं । पिछले तीन माह में चार प्रशासनिक अधिकारी सर्वश्री सी०बी० पालीवाल, पी०सी० चतुर्वेदी तथा मो० हलीम का तबादला किया गया, तो विश्व बैंक किसको पैसा दे । लेकिन आज भी लगातार ट्रान्सफर हो रहे हैं । इस तरह से सामाजिक वानिकी आदि में जहां विश्व बैंक का पैसा लगा है वहां भी लगातार अधिकारियों के ट्रान्सफर किये जा रहे हैं । विश्व बैंक के भारत क्षेत्र के निदेशक श्री ल्यूड विन आर० लिम ने प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि प्रदेश को जो पैसा विश्व बैंक ने दिया है उसको विड्रा भी कर लेंगे और भविष्य में कोई पैसा विश्व बैंक से नहीं मिलेगा । आज अगर विश्व बैंक ने सहायता देनी बन्द कर दी तो पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो आलरेडी संकट में है, चरमरा जायेगी । तो मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि आज जो महत्वपूर्ण परियोजनायें हैं विधायकों और सांसदों को भी पत्र लिखा उन्होंने अपने जिलाधिकारियों और विकास अधिकारियों को सहमति नहीं दी और कहा कि हम अपनी अपेक्षाओं को जनता के अनुरूप निर्धारित करेंगे । तो इन 10 हजार गांवों को विश्व बैंक ने मि० लिम ने सहायता देने का आश्वासन दिया था कि पैसा देंगे, अब उन्होंने मना कर दिया है । यह पूरे प्रदेश के समक्ष कितना बड़ा संकट है । सरकार ने कहा कि हम 10 हजार अम्बेडकर गांवों को संतृप्त करेंगे और संतृप्त करने के लिए इस सरकार के पास पैसा नहीं है । इसी तरह से यू०पी० रोड प्रोजेक्ट फेज–2 के लिए ढाई हजार करोड़ रुपये देने के लिए हस्ताक्षर हुए थे, वह भी अब खटाई में पड़ गया है । इससे प्रदेश में आने वाले दिनों में सारी विकास योजनायें ठप्प हो जायेंगी, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न और कोई नहीं हो सकता, इस पर मैं आपके माध्यम से व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इस वर्ष का जो बजट प्रस्तुत हुआ है, उसमें 959.66 करोड़ का घाटा है, जबकि वास्तविक घाटा 3 हजार करोड़ के आसपास है । घाटे पर चलने वाली आप इस सरकार का हौसला तो देखिये कि यह कहा कि हम 10 हजार अम्बेडकर गांवों को संतृप्त करेंगे । इन्होंने चाहा यह था कि विश्व बैंक इसके लिए धन दे दे । मैं निश्चित सूचना के रूप में अभी आपसे चाहूंगा कि उस पत्र को माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सदन में रख दें जो श्री लिम ने स्पष्ट रूप से मुख्य सचिव श्री डी० एस० बग्गा को लिखा है । मान्यवर, इसमें 3 बातें लिखी हैं । एक तो साफ-साफ यह कहा है कि हम पैसा नहीं दे सकते । दूसरा, आपको पैसा लेने की तमीज नहीं है । पैसा लेते हैं तो उपयोग करना नहीं जानते हो । तीसरा हम आपको विश्व बैंक से 372 करोड़ डालर दे रहे हैं और जिस योजना में आप ले रहे हो, उत्तर प्रदेश में उसके लिए एक भी अधिकारी तय नहीं कर पाये जो उसको देखे, उसको आप चयनित नहीं कर पाये । इसके अलावा जिन अधिकारियों को हटाया गया है, वह सभी एक से एक योग्य और ईमानदार अधिकारी थे । मान्यवर, विश्व बैंक अपना पैसा किन्हीं शर्तों पर देगा, किसी काम के उपयोग के लिए देगा । इसमें सबसे ज्यादा चिन्ता का विषय है । वह एक दिन यह भी कह सकता है कि जिस तरह से आप अधिकारियों के तबादले कर रहे हो उससे हम मजबूर हो जायेंगे और ऋण नही देंगे । प्रश्न यह उठ सकता है कि विश्व बैंक यह कर सकता है कि वह यह भी कहने लगे कि अपने अधिकारियों को हटाये या नहीं । मान्यवर, विश्व बैंक से एक समझौते के आधार पर काम होता है । पैसा वह दे रहे हैं और उनका दिया पैसा यह उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो वह शर्त लगा सकते हैं कि पैसा नहीं मिलेगा । यह

तो चले जायेंगे लेकिन उत्तर प्रदेश का क्या होगा ? दूसरी सबसे बड़ी चिन्ता की बात सभी माननीय सदस्यों की यह है कि 10 हजार गांवों के लिए विश्व बैंक ने पैसा देने से मना कर दिया तो अब यह कर क्या रहे हैं, विधायकों से कह रहे हैं कि तुम अपने विधायक निधि से पैसा दो, पूर्वांचल विकास निधि से पैसा दो, तो 10 हजार गांवों को संतृप्त करेंगे । मैं कहना चाहता हूं कि विधायक निधि जो हमको मिलती है, वह हमारी सहमति पर खर्च होगी । उसमें सहमति शब्द का इस्तेमाल किया गया है । एक आजमगढ़ का ही उदाहरण है, बलराम यादव जी ने दिया, कि अधिकारी हमारी सहमति के स्थान पर विवश कर रहे हैं कि पैसा दो तो उसमें लगाया जाय, जबरदस्ती ले रहे हैं । मान्यवर, मैं यदि गलत शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो यह इनके लिए कोड़ा है, फटकार है, इनकी कार्य प्रणाली पर सेंसर है, अभी सम्भल जाओ, नहीं तो हम ऋण रोक देंगे जिस दिन ऋण रुक जायेगा उसी दिन से उत्तर प्रदेश का विकास रुक जायेगा, इसलिए मान्यवर, इस अविलम्बनीय और लोक महत्व के प्रश्न पर, जो अविलम्बनीय इसलिए है क्योंकि यह विषय लगातार चल रहा है और लोक महत्व का इसलिए है क्योंकि यह उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़ा हुआ है, चर्चा करा ली जाय और मुख्य सचिव को जो पत्र विश्व बैंक की तरफ से आया है, उसको सदन के पटल पर रख दें और उसे आप पढ़ कर सुना दें या संसदीय कार्य मंत्री जी स्वयं पढ़ कर सुना दें तो अभी यह स्पष्ट हो जाएगा कि उनके कुप्रशासन की वजह से प्रदेश अन्धेरे में जा रहा है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय नरेश अग्रवाल जी, अशोक बाजपेयी जी और प्रमोद कुमार जी और जगदम्बिका पाल जी ने जो बातें कही हैं मैं उस पर बल देता हूं और संक्षेप में आपसे यह कहना चाहता हूं कि बजट इस सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और पूरे सदन के लिए और प्रदेश के लिए इससे बड़ा महत्वपूर्ण विकास के लिए कोई दूसरा कार्य नहीं है, लेकिन मान्यवर, एक बिडम्बना देखिये आपकी इस सरकार ने जो प्राविधान किया बजट में उसमें जो आंकलन किया है वह गलत आंकड़ों के आधार पर या गलत अनुमानों को लगा करके सरकार ने बजट का प्राविधान किया और माननीय मुख्य मंत्री ने घोषणा कर दिया कि इस साल 2002 और 2003 में 10,000 अम्बेडकर गांव संतृप्त किये जायेंगे । मान्यवर, मेरा कहना है कि बजट में उनका यह अनुमान गलत हो गया क्योंकि वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक उनको पैसा देने से इंकार कर दिया तो क्या इस सदन में बिना पुनरीक्षित बजट को कराये ही अनुमानों को लगाये ही पास कर दिया । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि हम उनको कहीं न कहीं से संतृप्त कर देंगे, मान्यवर, इस सदन की आज तक की जो परम्परा रही है, चाहे कोई भी सरकार हो इस तरह से बजट के प्राविधानों को न चला सकती है और न ऐसा कर सकती है कि किसी मद का पैसा काट कर किसी अन्य मद में कर दिया जाय जो बजट इस सदन में पास होता है, मान्यवर, दस हजार गांवों को संतृप्त करने के लिए बहुत बड़े धन की आवश्यकता है वह धन कहां से आएगा, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने उसको स्पष्ट नहीं किया । मान्यवर, बलराम यादव का ही प्रस्ताव नहीं कटा माननीय राम नरेश यादव जी और अन्य सदस्य ने जो प्रस्ताव भेजे थे, उसे कमिश्नर ने निरस्त कर दिया । मान्यवर, जो 50 हैण्ड पम्प हमको मिले हैं, उन्हें भी अम्बेडकर ग्रामों में स्थानान्तरित कर दिया जाएगा, पूर्वांचल निधि का पैसा भी स्थानान्तरित कर दिया जाएगा, तो मान्यवर, पिछले 28 सालों से यह सब पहले कभी नहीं हुआ न किया गया । माननीय संसदीय कार्य मंत्री मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस तरह का काम न करें जो इस सदन की मंशा के विपरीत हो, इस बजट का जो प्राविधान है, उसके विपरीत हो, अगर आप ऐसा करेंगे तो प्रदेश गर्त में चला जायेगा । हम यह नहीं जानते कि वर्ल्ड बैंक ने दिया है या नहीं दिया है । लेकिन हम इतना जरूर चाहते हैं कि संसदीय कार्य मंत्री जी स्पष्ट घोषणा सदन में करें कि 10 हजार अम्बेडकर गांवों को संतृप्त करने के लिए धन कहां से लायेंगे, इसकी स्पष्ट घोषणा सदन में होनी चाहिए । दूसरी बात विधायकों की जो विधायक निधि है उसमें कोई कटौती नहीं होगी और विधायक स्वच्छन्द होगा, जहां चाहेगा धन देगा । यह दो बातें पूरी तरह से संसदीय कार्य मंत्री जी को साफ कर देनी चाहिए ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

श्रीमन्, 9 तारीख को जब इस सदन में बजट पेश हुआ तो सरकार ने अपनी आय के श्रोत और आय से प्राप्त धनराशि को किस-किस मद में कहां खर्च करेंगे इसका बड़ा स्पष्ट उल्लेख किया है। जिसमें आय के श्रोत में केन्द्रीय करों की सहायता, प्रदेश का राजस्व, वाह्य सहायता तथा लोक लेखा से सरकार को आमदनी हुई और सरकार ने कहा कि हमारा 12 प्रतिशत रेवेन्यू बढ़ा। खर्च में मुख्य रूप से नान-प्लान, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह, विभागीय बजट तथा उसकी क्या योजनायें हैं और तीसरा राज्य सरकार के ऊपर 83 हजार करोड़ रुपये का ऋण है, उस ऋण की अदायगी, ये तीन मुख्य खर्च सरकार ने अपने बजट में डाले। चूंकि खर्च ज्यादा था, आमदनी कम थी 12 से 14 प्रतिशत खर्च ज्यादा हुआ जिससे बजट घाटे में गया। अभी तिवारी जी बता रहे थे कि 959 करोड़ रुपये का बजटीय घाटा हुआ। मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली का नियम 183, 186 और 187 देख लें। ऐसे नहीं है कि इस सदन में मंत्री को यह अधिकार हो जाये कि सिर्फ कोरी घोषणा कर दे या जो विभागीय नीति बतायें और उस नीति में कटौती कर लें। श्रीमन्, यह माना जाता है कि इस सदन में जो कुछ कहा गया वह प्रदेश की जनता के हित में कहा गया और प्रदेश की जनता उसको सरकार की नीति समझती है। बजट पुस्तिका के पृष्ठ–26-27 पर मुख्य मंत्री जी ने बहुत साफ उल्लेख किया है कि 10 हजार अम्बेडकर गांवों का चयन करके संतृप्त करायेंगे। इसमें 500 करोड़ से ज्यादा का खर्च आयेगा। इसमें यह भी लिखा गया है कि विश्व बैंक से बात हो गयी। यह अखबारों में भी छपा और पूरे प्रदेश में यह बात फैल गयी कि सुश्री मायावती जी की सरकार ने 10 हजार गांवों को पूर्ण रूप से संतृप्त करने का निर्णय लिया है। उसी विश्व बैंक के श्री एडवर्ड लिन ने आपको पत्र लिखा है। इसलिए सही स्थिति इस सदन के समक्ष आनी चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि विश्व बैंक के दबाव में सरकार काम करे। जब मैं ऊर्जा मंत्री था तो विश्व बैंक की उपाध्यक्ष आयी थीं और उन्होंने बयान दिया था कि विद्युत विभाग में राजनैतिक हस्तक्षेप ज्यादा है, हम पैसा नहीं देंगे। हमने भी बयान जारी किया कि विश्व बैंक ऋण दाता है, योजनाओं पर शर्त रख सकता है लेकिन किसी सरकार पर दबाव नहीं डाल सकता। आप हिम्मत करिये और कहिये कि विश्व बैंक से ऋण नहीं लेंगे। 377 करोड़ डालर विश्व बैंक दे रहा है, आप लेंगे तो उनकी शर्तों को मानना पड़ेगा। अगर नहीं लेंगे तो 10 हजार गांव कहां से संतृप्त होंगे। आपने ग्राम विकास विभाग का बजट पास करा लिया ; अगर उसमें से एक पैसा इधर से उधर करना है तो सप्लीमेंटरी बजट लाइये या विभागीय बिल लाइये। आप कैसे 10 हजार अम्बेडकर गांवों को संतृप्त करेंगे ? विधायकों को जो निधि दी जाती है, उस निधि को ले लेंगे, जो सुविधा आपने दी है क्या उसका पैसा काट लेंगे या अन्य योजनाओं की कटौती करके उन गांवों को संतृप्त करेंगे या नहीं करेंगे ? आज प्रश्न पैदा हुआ है जिससे पूरा प्रदेश प्रभावित है। मान्यवर, ऐसा नहीं है कि डा० अम्बेडकर का नाम राजनीति भुनाने की चीज है। डा० अम्बेडकर का हम सभी आदर करते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि कुछ राजनीतिक दल राजनीतिक रूप से उस पर अधिकार जता रहे हैं और उनके नाम पर योजनायें चला रहे हैं। आप इस बात को साफ करें कि पैसा कहां से लायेंगे। जब तक सदन के सामने स्पष्ट नहीं करते हैं तब तक सदन भ्रम में रहेगा। केवल विपक्ष ही नहीं सत्ता पक्ष के विधायकों का अधिकार है, वह भी जानना चाहते हैं कि पैसा कहां से आयेगा। 75 लाख रुपया विधायक निधि में मिलता है क्या उस पर प्रतिबन्ध लगायेंगे, क्या यह पैसा काटा जायेगा। एक कि०मी० पक्की सड़क पर रुपया पांच लाख लगते हैं। पांच कि०मी० सड़क पर ही विधायक निधि के रुपया 75 लाख खर्च हो जायेंगे। आप चाहे तो मुख्य मंत्री जी से इस सम्बन्ध में विचार कर लें। वैसे तो सामूहिक जिम्मेदारी है, आप सक्षम हैं कि नहीं ये मुझे नहीं मालूम लेकिन कहा जाता है कि आपके दल का कोई मंत्री सक्षम नहीं है जब तक मुख्य मंत्री जी से पूछ न लें कि क्या करना है। मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में स्पष्ट जानकारी सदन में देने का कष्ट करें ताकि सही स्थिति सदन के सामने आ सके।

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिस प्रश्न को ले करके मा० सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया है उससे आज पूरे प्रदेश के सामने एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है । अभी इस विधान सभा में ग्राम विकास के बजट पर चर्चा हुई है और उसका पारण हुआ है और इस विश्वास के साथ हुआ है कि दस हजार नये आम्बेडकर गांव चयनित किये जायेंगे, जिनमें पक्की सड़कें, विद्युतीकरण, पेयजल व्यवस्था, चिकित्सा, स्वास्थ्य आदि तमाम चीजों की व्यवस्था करके उनको संतृप्त किया जायेगा । अगर एक गांव की आबादी एक हजार मानिये तो एक करोड़ आबादी से जुड़ा हुआ ये सवाल है । मैं आपके माध्यम से आगाह करना चाहता हूं कि सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह का घिनौना और भोंडा मजाक करने का काम बन्द करें । मान्यवर, बजट एक ऐसा दस्तावेज है जिस पर सदन और प्रदेश की जनता को विश्वास होता है । जब बजट के माध्यम से कोई प्रस्ताव स्वीकृत होता है तो यह माना जाता है कि वह चीज मूर्त रूप लेंगी और वह कार्यपरिणति के रूप में दिखायी पड़ेगी । लेकिन बिना धन की उपलब्धता से यह स्पष्ट है कि प्रदेश की जनता को सुविधा नहीं मिलेगी और यह जो दस हजार गांव चयनित हुए हैं उनके सामने संकट उत्पन्न हो गया है । आपने विश्व बैंक द्वारा मिलने वाले धन की अपेक्षा पर स्वीकृति की घोषणा की थी । विश्व बैंक के कन्ट्री डायरेक्टर ने स्पष्ट मना कर दिया है कि अम्बेडकर गांव के लिए धन नहीं उपलब्ध करा सकते इसलिए अब अगर सरकार सारी विधायक निधि और सारी पूर्वांचल निधि लगा दे उसके बावजूद भी यह दस हजार गांव संतृप्त नहीं किये जा सकते । आपने कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, वैसे ही आपने घाटे का बजट प्रस्तुत किया है राजस्व करों में वृद्धि नहीं की जा सकती है । सरकार का जो उत्पादन है वह इतना कम है कि प्रदेश में कोई नया कर बढ़ाया नहीं जा सकता है । इन स्थितियों में कैसे दस हजार गांवों का वित्त पोषण होगा, कैसे वह संतृप्त होंगे यह गम्भीर चिन्ता का विषय है । यह सदन जानना चाहता है कि दस हजार गांवों के संतृप्तीकरण पर कितनी धनराशि व्यय होनी थी ।

(इस समय 2 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता श्री भगेलू राम पीठासीन हुए ।)

10 हजार गांवों को संतृप्त करने के लिए सरकार ने कितनी धनराशि की इस पर व्यवस्था करने का निर्णय लिया था । कितनी धनराशि की व्यवस्था होगी । उस धनराशि को विश्व बैंक से सहायता न मिलने के बाद कैसे वित्त पोषित करेंगे । यह हम सबकी चिन्ता का विषय है । अधिष्ठाता महोदय, मैं चाहूंगा कि सरकार भविष्य में इस तरह की घाषणायें न करे । जब तक उनके लिए सारी वित्तीय संसाधन न हों । तब तक सस्ती लोकप्रियता के लिए एक महान नेता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से जो मजाक किया जा रहा है, क्रूर मजाक न किया जाय । बिना वित्त की व्यवस्था किये 10 हजार गांवों का चयन कर लिया गया और उस महान व्यक्ति के नाम पर जो काम किया है उसके लिए कहां से व्यवस्था करेंगे । मैं मंत्री जी के बारे में तो नहीं कह सकता हूं किन्तु मुख्य मंत्री जी की क्षमता पर सन्देह नहीं है । अगर विश्व बैंक ने मना भी कर दिया है तो मुख्य मंत्री जी की इच्छा शक्ति हो तो वह 10 हजार गांवों को संतृप्त करने के लिए साधन जुटाने की क्षमता रखती हैं । इन पर मुझे सन्देह नहीं है । यह विषय अविलम्बनीय है लोक महत्व का है । इससे ज्यादा कोई विषय अविलम्बनीय नहीं हो सकता है । बजट जैसे संवैधानिक दस्तावेज का मजाक बनाया गया है । उसकी विश्वसनीयता को घटाने का काम किया । इससे संवैधानिक संकट प्रदेश के समक्ष उत्पन्न हुआ है । इससे बजट के पारण का कोई मतलब नहीं रह जाता है । अब सरकार नया बजट तैयार करे और सदन को विश्वास में लेकर नया बजट पारित कराये । उसमें स्थिति स्पष्ट हो कि किस तरह से इन 10 हजार गांवों को संतृप्त करेंगे । मैं चाहता हूं कि यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करा ली जाय ।

श्री बलराम यादव–

अधिष्ठाता महोदया, औचित्य के प्रश्न पर व नियम 56 के उसी प्रश्न पर माननीय जगदम्बिका पाल, माननीय प्रमोद कुमार, कुंवर रेवती रमण सिंह, नरेश अग्रवाल जी व डा० अशोक बाजपेयी जी ने जो विचार सदन में प्रस्तुत किये हैं, उस सम्बन्ध में मुझे कहना है कि बजट मुख्य मंत्री द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया है और उस बजट के अन्दर वित्त विहीन घोषणायें की गयीं । अभी तक यह होता था कि बजट में जो भी घोषणाएं होती थीं जो भी योजनाएं बजट के माध्यम से प्रदेश के लिए आती थीं उसमें वित्तीय व्यवस्था का प्राविधान हुआ करता था । हमने सुना था कि वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालय होते हैं । लेकिन वित्त विहीन बजट पहली बार प्रदेश के सामने आया है । बजट में कहा गया कि 10 हजार अम्बेडकर गांवों का चयन करेंगे और उनको संतृप्त करेंगे । उसकी धन की व्यवस्था के लिए सरकार विश्व बैंक के पास गए इस वित्तीय व्यवस्था के लिए भारत सरकार के पास गए पैकेज लेकर लेकिन भारत सरकार ने उस पैकेज को देने से मना कर दिया । मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने बजट तैयार करवाया मुख्य मंत्री की प्राथमिकता हो सकती है अम्बेडकर गांवों के चयन की ताकि योजना के माध्यम से अधिक से अधिक गांवों का विकास हो लेकिन वित्तीय प्रबन्धन करने वाले अधिकारी जिन्होंने इनकी बातों को सुनकर बिना वित्तीय प्रबन्ध किए इतने गांवों का चयन करा दिया । इससे प्रदेश की जनता खुश हुई हम लोग भी खुश हुए जब सदन में बजट प्रस्तुत हुआ तो सोचा कि इतने गांवों के लिए वित्तीय प्रबन्ध होगा और उन गांवों का विकास हो जायेगा । बिना वित्तीय प्रबन्ध किए इतने गांवों का चयन करना मैं समझता हूं कि यह बजट पेश करके एक संवैधानिक धोखा हुआ है । यह जनता के साथ धोखा है । मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव वित्त ने एक झूठा बजट पेश करवाया । अभी मुख्य सचिव ने एक चिट्ठी प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को भेजी है कि जो अम्बेडकर गांव चयनित किये गये हैं उनका वित्तीय पोषण जिला योजनाओं से प्राप्त धन से होगा । पूर्वांचल विकास निधि है, उससे होगा । विधायक निधि से करने की प्राथमिकता दी जायेगी । मान्यवर, एक चिट्ठी मुख्य सचिव ने पूरे प्रदेश को लिख दी और उसी से संबंधित ग्राम विकास के प्रमुख सचिव ने भी लिख दी । इस समय मेरे पास नहीं है । मैं कल प्रस्तुत कर दूंगा । उन्होंने भी इसी तरह की चिट्ठी लिख दी । मान्यवर, हमने जो प्रस्ताव दिये थे पूर्वांचल विकास निधि के माध्यम से जो योजनाएं बनाई गई थीं । मान्यवर, मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिये पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड विकास निधि की स्थापना की गई और उस पर नियंत्रण विधान सभा सदस्यों का था, विधान परिषद् के सदस्यों का था । मेरे द्वारा पिछले साल के दिये गये प्रस्ताव संसाधनों के साथ जब स्वीकृति के लिये गये जिसे आजमगढ़ मण्डल से नोट लगाकर वापस कर दिये गये ।

मान्यवर, अब तो स्पष्ट हो गया है कि बिना वित्तीय प्रबन्ध के आज यह जो संशय की स्थिति बन गई है । मान्यवर, चाहे इधर के लोग हों या उधर के लोग हों । उधर के लोग भले ही न कह पायें लेकिन संशय की स्थिति बन गई है । यह पहली बार बिना वित्तीय व्यवस्था के बजट प्रस्तुत किया गया है । मान्यवर, आज यह संशय की स्थिति हो गई है और कदाचित् जबसे सदन चल रहा है किसी न किसी रूप में यह मामला सदन के सामने आता है । हमारे संसदीय कार्य मंत्री बड़ी मधुर वाणी के हैं । किसी न किसी रूप में बात स्पष्ट नहीं हो पाती है । कहते हैं कि किसी के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं होगा । मान्यवर, यह किसी वजीफे के रूप में नहीं मिला है । विधायी व्यवस्था के द्वारा पूर्वांचल विकास निधि, बुन्देलखण्ड विकास निधि और विधायक निधि जो भी हो, इसकी व्यवस्था की गई है । यह कोई रहम करम नहीं है । मैं समझता हूं कि यह मुख्य सचिव ने जिस तरह से चिट्ठी लिखी है, ग्राम्य विकास द्वारा अपेक्षा की जा रही है और जिस तरह से मुख्य विकास अधिकारी और मण्डलायुक्त कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि यह असंवैधानिक कार्य है । यह वित्तीय व्यवस्था को अनियमित करने का काम है । कैसे कहें कि इसको अदालतों में चुनौती हम नहीं देंगे । इस तरह की बात आई, गंभीर संकट पैदा होगा । इस बात का संशय है कि 10 हजार गांव जो चयनित हैं, उनका संतृप्तीकरण कैसे होगा ।

विधायक निधि से जो कार्य सम्पन्न होने वाले हैं, उन्हें उसी से कराया जाय । मान्यवर, इस विषय पर चर्चा का होना अति आवश्यक है ।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, मैं आभारी हूं और आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे जगदम्बिका पाल और प्रमोद कुमार जी के कार्य स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । पाल साहब ने इस सम्मानित सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया जिसमें आपकी पीठ की तरफ से चर्चा करने का मौका देने का काम किया गया । मैं पाल साहब का आभारी हूं । वास्तव में यह सम्मानित सदन नियमों से चलता है और उस प्रक्रिया नियमावली के तहत मौजूदा दौर में 17 करोड़ की आबादी के बजट का नियमन करने के लिये बैठे हैं । शासन ने एक बजट सामने रखा । उसके अन्तर्गत माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात की घोषणा की कि 959.62 करोड़ रुपये का घाटा इस प्रदेश को उठाना पड़ेगा । बहुत सारी महत्वपूर्ण योजनाएं, विकास की योजनाएं, प्रदेश के चतुर्मुखी विकास की योजनाएं प्रदेश की सरकार ने पिछले दिनों में रखी हैं ।

बहुत से प्रमुख विभागों का बजट रखा गया इन तमाम विभागों के बजटों पर प्राप्तियों के आधार पर शासन ने बजटीकरण किया प्राप्तियों का उल्लेख किया गया, बजट में पृष्ठ 84 पर "प्राप्तियां" शीर्षक से लिखा गया है कि–"वर्ष 2002-2003 में बावन हजार छः सौ उन्तालिस करोड़ सोलह लाख रुपये (52639.16 करोड़ रुपये) की कुल प्राप्तियां अनुमानित हैं । कुल प्राप्तियों में इकत्तीस हजार तीन सौ सत्तर करोड़ छियासी लाख रुपये (31370.86 करोड़ रुपये) की राजस्व प्राप्तियां तथा इक्कीस हजार दो सौ अड़सठ करोड़ तीस लाख रुपये (21268.30 करोड़ रुपये) की पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित हैं ।" इसमें करों के द्वारा केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा है । मान्यवर, पृष्ठ–26 में लिखा गया है कि नये ग्रामों का चयन करके उन्हें समयबद्ध रूप से सभी कारकों से संतृप्त किया जायेगा, मुझे माननीय सदन को यह अवगत कराते हुए सन्तोष होता है कि हमने भारत सरकार से औपचारिक अनुरोध किया है कि वे इस अत्यन्त महत्वाकांक्षी योजना को विश्वबैंक से पोषित करावें । इस संदर्भ में विश्व बैंक के साथ अधिकारी स्तर पर विचार विमर्श भी हुआ है, जिसके संकेत सकारात्मक हैं ।" माननीय नेता सदन ने वर्ल्ड बैंक के बारे में लिखा है कि वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श भी हुआ है । वर्ल्ड बैंक के निदेश श्री ल्यूड विन आर० लिम ने इनको पत्र भी लिखा है और इस बात की चिन्ता जाहिर की है । जिस बात का मान्यवर, उन्हें पहले से अन्दाजा था, विश्व बैंक से मदद लेकर चलने वाली महत्वपूर्ण योजनाओं में काम करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों का फेर बदल न किया जाए हमने भी इस बात को कहा, लेकिन अधिकारियों को ताश के पत्तों की तरह फेंटा जा रहा है, अधिकारियों को बदला जा रहा है । इनको विश्व बैंक ने निर्देशित किया, चुनाव आयोग नें इनको निर्देशित करने का काम किया लेकिन इसको इन्होंने नहीं माना । विदेशी बोझ से सारा प्रदेश दबा है । विदेशी कर से हर बच्चा दबा है लेकिन इसकी दूरदर्शिता को दरकिनार करते हुए, सदन में मितव्ययिता की दुहाई देते हैं और उन अधिकारियों को ताश के पत्तों की तरह फेंटते हैं । विश्व बैंक को निदेशक ने मजबूर होकर निर्देश देना पड़ा पुराने अधिकारियों का फेरबदल किया है इसलिए निश्चित रूप से विश्व बैंक से पोषित महत्वपूर्ण जो योजनायें हैं उन पर रोक लगनी चाहिए । दस हजार अम्बेडकर गांव की महत्वपूर्ण योजना जिसमें संतृप्तीकरण की बात है उनका संतृप्तीकरण खतरे में पड़ गया है । शासन ने इस बात के लिए बार-बार आश्वासन दिया मान्यवर, दस हजार अम्बेदकर गांव का सवाल नहीं है मैं संरक्षण चाहता हूं विश्व बैंक के निदेशक श्री ल्यूड बिन आर० लिम ने विश्व बैंक द्वारा पोषित होने वाली तमाम योजनाओं पर रोक लगाने की चेतावनी दी । यह योजनायें लगभग 20 हजार करोड़ की योजनायें हैं जो विश्व बैंक द्वारा पोषित हैं ।

एग्रीकल्चर की सोडिक लैण्ड रिकलेमेशन प्रोजेक्ट 11 है यह वर्ल्ड बैंक से पोसित योजना है । यह 1469.46 करोड़ की योजना है इस प्रोजेक्ट का पीरिएड अप्रैल, 99 से सितम्बर, 2005 तक है । दूसरा

योजना को आर्डिनेशन डिपार्टमेन्ट की है यह यू०पी० डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है, यह वर्ल्ड बैंक द्वारा पोषित योजना है यह 707.00 करोड़ की योजना है इसका पीरिएड सितम्बर, 1998 से सितम्बर, 2003 का है । तीसरी रूरल डेवलपमेन्ट की प्रोजेक्ट है, यह यू०पी० रूरल वाटर सप्लाई एण्ड इन्वायरमेंटल से निदेशन प्रोजेक्ट है यह वर्ल्ड बैंक द्वारा पोषित है यह प्रोजेक्ट 127.56 करोड़ रुपये की है इस प्रोजेक्ट का पीरिएड अगस्त, 96 से मई, 2003 था । फारेस्ट विभाग की यू०पी० फारेस्टरी प्रोजेक्ट है यह वर्ल्ड बैंक द्वारा पोषित योजना है । यह 159.14 करोड़ की योजना है इसका पीरिएड फरवरी, 98 से जुलाई, 2003 का था । अर्बन डेवलपमेंट की योजना है यह गंगा एक्शन प्लान सपोर्ट प्रोजेक्ट है इसकी एजेन्सी डच है यह 115.14 करोड़ की प्रोजेक्ट है इसका पीरिएड अक्टूबर, 1997 से दिसम्बर, 2003 तक है । जिसे दिसम्बर, 2003 तक पूरा होना था, आनपारा ''सी'' जिसकी फंडिग एजेन्सी जे०बी०आई०सी० थी 433.80 करोड़ की थी 1985-86 से सितम्बर, 2002 में पूरा होना था, यू०पी० पावर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट यह विश्व बैंक से पोषित थी 912.12 करोड़ की थी मई, 2000 से दिसम्बर, 2004 में पूरा होना तथा यू०पी० हेल्थ सिस्टम डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट यह विश्व बैंक से पोषित है तथा 478.07 करोड़ की थी जुलाई, 2000 से थी तथा दिसम्बर, 2005 में इसे पूरा होना था । यानि कुल 8302.29 करोड़ की योजना थी और दूसरी जो एडेड प्रोजेक्ट चल रहे थे जैसे वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट–1 जोकि विश्व बैंक से पोषित थी जिसकी कास्ट 663.41 करोड़ थी, यू०पी० फिसकल रिफार्म एण्ड पब्लिक सेक्टर रिस्ट्रकचरिंग जो कि विश्व बैंक से पोषित थी, जिसकी कास्ट 1300.00 करोड़ थी, स्टेट रोड प्रोजेक्ट–11 यह भी विश्व बैंक से पोषित थी इसकी कास्ट 2755.00 करोड़ की थी, ताज महल इन्वायरमेन्ट इम्प्रूवमेन्ट प्रोजेक्ट रिवाइन स्टेबलाइजेशन प्रोजेक्ट और टी०ए० फार इंकोनोमिक रिफार्म यह तमाम तरह की योजनाएं जो पूरे उत्तर प्रदेश के विकास से संबंधित है । उन योजनाओं से मिलने वाले वित्तीय प्रबन्धन को पूरा करना होगा और यदि आप अधिकारियों को इसी तरह से ताश के पत्तों की तरह फेर बदल करेंगे तो जो फंडिंग एजेन्सी है वह कैसे पैसा देगी । यह सरकार किस तरह से 17 हजार करोड़ की योजनाओं को दर किनार कर अपने बजट को बचाने का काम कर रही है । अगर इसी तरह से विश्व बैंक इनको पैसा नहीं देगा तो उन योजनाओं को कैसे आप पूरा कर पायेंगे । जो विभिन्न विभागों की मदें हैं उन्हें आप कैसे पूरा कर पायेंगे और कितने वित्तीय घाटा का बोझ प्रदेश सरकार के ऊपर गिरेगा । जो पहले विश्व बैंक से पोषित हैं, आगे पूरी होनी थी, बीच में रुक गयी तो कैसे उनके ऋण की अदायगी हो पायेगी । यह अत्यन्त ही लोक महत्व का प्रश्न है, अविलम्बनीय है । माननीय पाल साहब ने जो कार्य स्थगन का प्रस्ताव रखा है, मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि सरकार को निर्देशित करें । पटल पर सारे कागजात रखे हैं । आप उनको देख लें । यह गंभीर विषय है इस पर चर्चा कराने का कष्ट करें ।

* श्री रामगोविन्द चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो प्रश्न उठा है यह एक भोजपुरी में मशहूर कहावत है ''हांडी के डाली छुए कि न बहुरिया के पार दुलहा, अगर कोई दुलहन आती है उसे घर का काम न सौंपा जाय'' इसी तरह से अम्बेडकर गांव का जो चयन हुआ है, पैसे का प्राविधान नहीं है और जनता को धोखा देने के लिए यह किया गया है कि हम अम्बेडकर गांव का विकास करेंगे । यह प्रदेश की जनता और विधान सभा को स्पष्ट रूप से धोखा देने की व्यवस्था है और विश्व बैंक ने चेतावनी भी दी है यह दुखदायी है इससे प्रदेश का अहित होगा । अगर विश्व बैंक पैसा नहीं देगा तो प्रदेश का विकास अवरुद्ध हो जायेगा और यह सरकार जो बजट पास करा रही है इसमें प्रश्नचिन्ह लग जायेगा । अम्बेडकर गांव में पैसा नहीं है और यह कहते हैं कि हम व्यवस्था करेंगे तो निश्चित रूप से किन्हीं न किन्हीं मदों से पैसे को चुराकर खर्च करेंगे ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, माननीय नेता सदन जब पहले मुख्य मंत्री बनी थीं तो भी उन्होंने अम्बेडकर गांवों के विकास की बात कही थी। उन गांवों का अभी पूरा विकास नहीं हुआ और यह नए 10 हजार गांव फिर से लिये गये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि केवल अनुसूचित जातियों के वोट के लिए किया गया है। इसके लिए पैसा कहां से आएगा ? इसलिए मान्यवर, यह विषय लोकमहत्व का है और अविलम्बनीय है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस विषय पर चर्चा करा लें।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं आपको आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण कार्य-स्थगन के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, कई विद्वान माननीय सदस्यों ने इस पर अपनी बातें रखी हैं। माननीय मुख्य मंत्री कुमारी मायावती जी ने वित्त मंत्री की हैसियत से इस प्रदेश का बजट इस सदन में प्रस्तुत किया है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी यहां बजट रख रही थीं तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सकते में आ गये थे। 10 हजार अम्बेडकर गांवों के विकास का मामला है। उन्होंने कहा कि जो गांव वर्ष 1996-97 में लिये गये थे उनको लेने का काम किया गया है। इन गांवों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जायेगा। इसलिए मान्यवर, 10 हजार नए गांवों को अम्बेडकर गांव के रूप में विकसित करने का सपना दिखाया गया है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। मान्यवर, जो लोक लेखा और अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली प्राप्तियां हैं उसमें हम विश्व बैंक से ऋण लेकर इन गांवों को विकसित करने की बात इस बजट में की है। मान्यवर, अब विश्व बैंक ने ऋण देने से मना कर दिया है तो अम्बेडकर गांवों के विकास की जो योजना है उसे कैसे पूरा किया जाएगा ? मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि इस सरकार की कोई मंशा गांवों के विकास की नहीं थी। यह जान गये थे कि इनकी साख डूब चुकी है और दिवालिया हो चुका है, कोई नया कर्ज मिल नहीं रहा है। मान्यवर, यह स्थिति है। मान्यवर, देश के संविधान में कानून 266 और 267 हैं जिसमें 267 में भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोकलेखा और आकस्मिक निधियां हैं। कानून 266(3) में भारत की सिंचित निधि या राज्य की निधि में से कटौतियां तथा इस संविधान में उपबन्धित निधियों और रीति से ही संयोजित की जाएगी। इसकी प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली में है। जब सदन इस पर सहमति व्यक्त कर देगा तथा उस धन को खजाने से निकाला जा सकेगा। यह सरकार अपनी मेहरबानी से एक रुपया भी निकालने की क्षमता नहीं रखती है और न अपने कक्ष में बैठकर कोई मंत्री या स्वतः मुख्य मंत्री को यह अधिकार है कि जो अनुदान मांगें पारित हो गयी हैं उस बजट से परे जाकर अपने मन से डाईवर्ट करने का काम करें। यह अधिकार किसी को नहीं है। मान्यवर, बजट पारित होने के पूर्व ऐसी चिट्ठी जिलों में गयी कि पूर्वांचल विकास निधि में कोई प्रस्ताव अम्बेडकर ग्राम योजना के अलावा न लिया जाये। विधायक निधि में कोई प्रस्ताव देना है तो उस योजना के अलावा न दीजिए। इस सदन में माननीय सदस्यों ने जानना चाहा था तो यह कहा गया कि यह प्राविधान पूर्ववत् रखे गये हैं किसी सदस्य को बाध्य नहीं किया जायेगा कि विधायक निधि में अम्बेडकर ग्राम का ही चयन करें। यह कहा गया कि यह अपील की गयी है विकास से संबंधित अधिकारियों द्वारा चाहे वह ग्राम्य विकास अधिकारी हो, चाहे वे मण्डलायुक्त हों इसको यहां स्पष्ट कर दिया गया। अब इनकी योजना यह है कि जो पूर्वांचल विकास निधि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए लागू की थी उसको समाप्त करके अपनी डूबती साख को बचाने के लिए यह इस तरह से डाईवर्ट कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि आप इस सदन के प्रत्येक सदस्य से राय ले लें, सदस्य चाहे पूर्वांचल के हों या बुन्देलखण्ड के सबकी यही राय है विधायक निधि के संबंध में कि कोई बैरियर लगाकर उन प्रस्तावों को न लिया जाये और उनके द्वारा दिये जाने वाले प्रस्ताव नियमानुकूल जितने हैं उसमें काम कराया जाये। उनके द्वारा प्रस्तावित पांच गांवों का विद्युतीकरण हो सके। 50-50 हैण्डपम्प गांव में लग सके। एक भी सदस्य इसमें ऐसा नहीं है जो इन प्राविधान से परे जाना चाहता हो। मान्यवर, यह केवल यह कर सकते हैं कि बजट में इन्होंने जो

प्राविधान किया है उसके अलावा अन्य श्रोतों से जो आने वाली आमदनी है उसमें यह सोचें । विश्व बैंक ने इनको मना कर दिया है । इन्होंने अन्धा-धुंध व तबादले किये और सरकारी मशीनरी को फेंट करके रख दिया । मान्यवर, कभी-कभी धतूरे जैसे पौधे में भी औषधीय गुण आ जाते हैं । अब यह अपने आप में एक कारण आ गया है कि विश्व बैंक ने आपको पूरी तरह से नकार दिया है कि हम ऋण नहीं देंगे । माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री तक इस सदन की भावना पहुंचा दें । अभी माननीय बाजपेयी जी ने कहा कि वे अपने निजी फण्ड से दे दें जो धन मदों से अर्जित हुई है और उसमें सर्वाधिक योगदान तो तबादला उद्योग का है जिसकी वजह से विश्व बैंक ने ऋण देने से मना कर दिया है ।

उस तबादला उद्योग से जो संचित राशि आई है उससे विश्व बैंक द्वारा जो मना कर दिया गया है उस राशि से आपूर्ति कर ली जाय । यह मेरा सुझाव है और इस संवैधानिक संकट को दूर करने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है । मान्यवर, आखिर में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर चाहें भी तो इसको यह नहीं कर सकते हैं इनके सामने संवैधानिक बाध्यता है और जिस अनुदान मांग को इन्होंने सदन में पारित कराया है उसके रहते जब तक दूसरा प्रस्ताव लाकर उसको यह संशोधन नहीं करेंगी वह अम्बेडकर गांव के विकास का कार्य नहीं कर सकती । मान्यवर, जब बिकने लगता है तो महल बगैरह बिक जाता है और बाद में बटुलियां होती हैं वह भी बिक जाती हैं । मान्यवर, जब घुड़साल खत्म हो जाती है तो घोड़े की लगाम भी नीलाम होती है आज इस दिवालियेपन की वजह से आज तमाम हाथी जो चमकीले चमकीले लगाये गये हैं उनको भी बेचकर अम्बेडकर गांव में काम हो सके तो अनुचित नहीं होगा । यह मेरा सुझाव है । मान्यवर, संवैधानिक बाध्यता है उससे परे नहीं जा सकती हैं । इन अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर इससे महत्वपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता । आप इस अविलम्बनीय प्रश्न पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री सुखदेव राजभर–

आप इधर आ जायं तो पूरा हाथी का चुनाव चिह्न ही दे दें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इसके पहले कि आप संसदीय कार्य मंत्री जी को बुलायें और जवाब दें मैं चाहता हूं कि यह बहुत ही वृहद विषय है इसमें 10 हजार गांव से जुड़ा हुआ मामला है । 10 हजार गांव के लिए 5 हजार करोड़ की बात आयेगी । मैं चाहता हूं कि चूंकि सभी माननीय सदस्यों के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है । मैं आग्रह करूंगा कि आप उनसे उत्तर न लेकर इसको रिजर्व कर लें, रूलिंग रिजर्व कर लें, कल दें, कल यह मुख्य मंत्री से बात करके बता देंगे या मुख्य मंत्री जवाब दे देगी लेकिन आज रूलिंग मत दीजिए । कोई निर्णय मत करिये ।

* नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अधिष्ठाता जी, इसकी गंभीरता आपके सामने आ ही गयी है चूंकि खुद बजट नेता सदन ने पेश किया है और इस सदन में सभी इस बात के गवाह हैं, आप भी कि संवैधानिक विचारों के अलावा या जिस दिन एतिमाद का वोट हासिल किया है उस दिन मुख्य मंत्री यहां रहीं जिस दिन बजट पेश किया है उस दिन रहीं । जिस दिन हमारा बजट भाषण शुरू हुआ एक मिनट देर से आईं लेकिन रहीं और जब जवाब दिया गया है तब रहीं इसके अलावा ..

एक सदस्य–

आज भी आई थीं, आप नहीं थे ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, कमाल हो गया, मैं चूंकि थोड़ी देर नहीं रहा ।

कल अगर रात में यह होते, कल अगर 10 बजे से 11 सवा 11 बजे तक के समय में यहां होते तो दिन भर की थकान कम हो गयी होती । कभी-कभी हल्के मूड में भी रहा कीजिए । मैं सन् 1980 से देख रहा हूं कि अगर मुख्य मंत्री लखनऊ में नहीं हैं तब न आये हों, और अगर लखनऊ में हैं और सदन में न आयें मान्यवर, ऐसा कभी नहीं हुआ अलावा माननीया मोहतरमा के । मुख्य मंत्री लखनऊ में रहें और कभी सदन में न आयें । बड़े वरिष्ठ नेता, बहुत वरिष्ठ मुख्य मंत्री, बहुत सीनियर लोग आये और यहां आधे-आधे दिन तक बैठे । बजट सदन में मुख्य मंत्री न रहें यह सदन की गमतरी को ही दर्शाता है । इसलिए यह जरूरी है कि मुख्य मंत्री यहां रहें उनके रहने से बड़े फायदे हैं । कितने वर्तमान अधिकारी रहते हैं जब वह देखेंगे कि नेता सदन की जानकारी में बातें आ रही हैं तब वह काम सही ढंग से करेंगे । बार-बार देखा गया है कि विपक्ष की मांग होती रही है कि यह जवाब मुख्य मंत्री दें । अजीब विडम्बना है कि पांच मिनट के लिए मुख्य मंत्री पूरे बजट सेशन में आई हैं और इस पर भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को बड़ा फक्र हो रहा है, बजाय इसके कि उनको शर्मिन्दगी होनी चाहिए थी । बहुत हैरत की बात है कि यह बात अभी तक सदन में उठी नहीं । अब आपकी पीठ से यह निर्देश होना चाहिए कि मुख्य मंत्री सदन में रहें, न हीं तो यह सदन की तौहीन मानी जायेगी । खुद मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया है, मुख्य मंत्री को सदन में आना चाहिए ।

श्री सुखदेव राजभर–

हमारे माननीय चौधरी साहब ने उल्लेख किया बजट भाषण का । अम्बेडकर ग्राम योजना के अन्तर्गत वर्ष 1997 तक चयनित ग्रामों में अवशेष कार्यों को शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर इसी वर्ष पूरा किया जायेगा । इस वर्ष के लिए 10 हजार नये ग्रामों को चयनित करके उन्हें समयबद्ध रूप से सभी कारकों से संतृप्त किया जायेगा । मुझे सदन को अवगत कराते हुए संतोष होता है कि हमने भारत सरकार से औपचारिक अनुरोध किया है कि वह इस महत्वाकांक्षी योजना को विश्व बैंक द्वारा पोषित करायें । चौधरी साहब आप कह रहे हैं करायेंगे और हम कह रहे हैं कि करायें । इस संदर्भ में विश्व बैंक के साथ अधिकारी स्तर पर विचार विमर्श भी हुआ है, जिसके संकेत सकारात्मक हैं । आपने कहा कि करायेंगे और फिर कह रहे हैं कि विश्व बैंक ने मना कर दिया ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, विश्व बैंक का प्रदेश में बहुत बड़ा योगदान है । आज विकास कार्यों में विश्व बैंक का योगदान है । बजट नेता सदन ने पेश किया है, वह अपने कार्यालय में मौजूद हैं, आप उन्हें बुला लीजिये ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, यह बजट का मुद्दा नहीं है । कहीं बता दें यह बजट का मुद्दा है । मैं तो बहुत स्पष्ट चीज बता रहा हूं ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

यह बिल्कुल सदन का अपमान हो रहा है । इतने दिन हो गया बजट पेश हुये और वह 5 मिनट के लिये नहीं आई, यह तो सीधे-सीधे सदन की अवमानना है । ऐसा कभी नहीं हुआ, इस तरह कभी नहीं हुआ, इतना अपमानित सदन कभी नहीं हुआ ।

(विपक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर–घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आपको सुन लें, उसके बाद हम व्यवस्था देते हैं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

आप पीठ से सीधे-सीधे निर्देशित करें ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

अधिष्ठाता जी, मेरा इस सदन में आने का काफी अरसा रहा है । यहां जितने भी पुराने सदस्य हैं वह जानते होंगे और राजभर जी गवाह होंगे । जब कभी विपक्ष की तरफ से नेता सदन को बुलाने की मांग हुई है, ऐसा एक नहीं, हजार बार हुआ होगा, नेता सदन आई हैं । हम लोग बुलवाना चाहते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप संसदीय कार्य मंत्री को सुन लें, उसके बाद हम व्यवस्था देते हैं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

अपने नेता प्रतिपक्ष से क्षमा याचना के साथ मैं कहना चाहता हूं कि यदि वह तत्काल आने में असमर्थ हैं तो बता दें कि वह कब उपस्थित हो रही हैं । आप संसदीय कार्य मंत्री से पूछ लें, उन्हें निर्देशित करें । यह अत्यन्त महत्वपूर्ण सवाल है, इससे बड़ा और कौन सा सवाल है, हम लोग नेता सदन से उत्तर चाहते है, उनसे उत्तर चाहते हैं । आप पीठ से इसके लिये निर्देश देने की कृपा करें, यह मेरा अनुरोध है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग संसदीय कार्य मंत्री की बात सुन लें ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैं पूरी वस्तुस्थिति को रखे दे रहा हूं । यह जबरदस्ती विश्व बैंक के मसले में फंसे हैं । वह तो अलग हेड बना हुआ है, उसमें पैसा आवंटन किया है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, 10 हजार गांव का आश्वासन दिया है, यह कोई अम्बेडकर पार्क का पत्थर हटाने का मामला नहीं है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह इसलिये महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी विनियोग विधेयक पारित नहीं हुआ है । इधर विश्व बैंक ने लिखकर दिया है कि हम पैसा नहीं देंगे । उधर मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है, वह समायोजित हो जाये । यह बहुत बड़ा मामला है, यह नियम–56 का कोई साधारण मसला नहीं है, इस संदर्भ में यदि कोई अधिकृत है तो वह माननीया मुख्य मंत्री जी हैं, वह आकर हमें बता दें । यदि वह नहीं आ सकें तो सदन की कार्यवाही को एक दिन के लिये और बढ़ा लेंगे । जहां से प्राविधान देंगे तो विनियोग विधेयक पारित होने के पहले, उसमें उसे जोड़ देंगे । अन्यथा एक बार यदि विनियोग विधेयक पारित हो जायेगा तो यह हल्की हो जायेगी, इसलिये संसदीय कार्य मंत्री जी से अपील करता हूं कि कृपापूर्वक मुख्य मंत्री जी को सदन में बुला लें, क्योंकि वह वित्त मंत्री भी हैं और उन्हीं के रखे हुए बजट पर हम चर्चा कर रहे हैं, और जवाब देने के बाद पूरे प्रदेश को बता दें कि 10 हजार गांवों का संतृप्तीकरण कहां से होगा ?

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष ने एक मांग रखी है मैं संसदीय कार्य मंत्री को याद दिलाना चाहता हूं कि इस सदन में एक बार नहीं अनेक बार खासतौर से नेता प्रतिपक्ष और सभी विपक्षी सदस्य यह चाहते हैं कि गंभीर मसले पर मुख्य मंत्री जी आयें यहां । अगर आप कार्यवाही देखें तो पूर्व में भी ऐसे मसलों पर मुख्य मंत्री को आप जवाब देना पड़ा है । मैं चाहूंगा कि इस गंभीर प्रश्न पर मुख्य मंत्री जी यहां आएं, इसमें कोई प्रतिष्ठा की बात नहीं है, लेकिन एक परम्परा और मर्यादा की बात है, इसमें कोई नई परम्परा नहीं बनाने जा रहे हैं । संसदीय कार्य मंत्री जी, इसको आप प्रतिष्ठा न बनाये और मुख्य मंत्री जी से आग्रह करें कि वह यहां आकर के जवाब दें ।

(व्यवधान)

* श्री कमाल यूसुफ मलिक–

किसी समय सदन में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई, जब नारायण दत्त तिवारी मुख्य मंत्री थे और उस समय वह दिल्ली में मौजूद थे फिर भी उन्हें बुलाया गया । वह एक बार में नहीं आये, दूसरी बार में नहीं आए, तीसरी बार में वह आए सदन के अन्दर । इसलिए मान्यवर, यह कोई नई बात नहीं है, मुख्य मंत्री जी को बुलाया जाय और वह यहां आकर जवाब दें ।

(व्यवधान)

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, ये हमेशा कहते रहते हैं कि मंत्रि-परिषद् के हर सदस्य की संयुक्त जिम्मेदारी रहती है । मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि आप बहुत ही कल्पना के आधार पर बातों को रख रहे हैं और अनुचित मांग कर रहे हैं और इसे आप प्रतिष्ठा मान रहे हैं । अभी उनके तमाम बजट है, उसमें भी करेंगे, लेकिन मान्यवर, जिस चीज पर आप प्रतिष्ठा बना रहे हैं तो यह बजट में संबंधित नहीं है और मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि ...

(व्यवधान)

प्रदेश में विश्व बैंक द्वारा सहायतित योजनाओं को धन रोक देने की चेतावनी से उत्पन्न गंभीर स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता के संबंध में मुख्य मंत्री द्वारा उत्तर दिये जाने की मांग

नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपको नहीं सुना जाएगा ।

(घोर व्यवधान)

(सभी विपक्ष के सदस्य खड़े होकर कहने लगे कि आपको नहीं सुना जाएगा)

लघु उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)–

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष का कथन कि आपको नहीं सुना जाएगा, असंसदीय है, इसे कार्यवाही से निकाला जाय ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान/शोर के मध्य)

माननीय अधिष्ठाता जी, नेता प्रतिपक्ष का यह कहना कि आपको नहीं सुनेंगे, असंसदीय है । क्योंकि इस सदन में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है । मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

(सत्तापक्ष एवं विपक्ष के अनेक माननीय सदस्य अपने आसन पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने लगे)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप लोग शांत हो जाईये ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, नेता सदन को बुलाया जाये ।

(समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्य नेता सदन को बुलाने की मांग करने लगे और इसी बीच श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री अब्दुल कलाम, सुश्री सन्ध्या कठेरिया सहित अनेक माननीय सदस्य सदन की वेल में आ गये ।)

श्री अधिष्ठाता–

सदन की कार्यवाही 3 बजकर 20 मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अधिष्ठाता ने 3 बजकर 10 मिटन पर सदन की कार्यवाही 3 बजकर 20 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी । 3 बजकर 20 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन 3 बजकर 30 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है । 3 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री अध्यक्ष–

जो विषय इस समय सदन के स्थगन के पहले था उस पर सभी माननीय सदस्यों ने संक्षेप में अपनी बात कह दी है । माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी की सारी बातें आपने सुन ली हैं तो इस पर उत्तर कल सदन में आ जाए । मुझे विश्वास है चूंकि विधायक निधि से सम्बन्धित है, पूर्वांचल निधि से सम्बन्धित है अतः नेता सदन स्वयं उत्तर दे दें तो ज्यादा उचित होगा ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

दूसरी सूचना श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल की है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, पूरा राष्ट्र इस बात से चिन्तित है कि राजनीति में जो अपराधीकरण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति है व अपराधियों को संरक्षण देने की प्रवृत्ति है। इस पर मा० सर्वोच्च न्यायालय ने जजमेंट दिया। चुनाव आयोग ने इस पर सुधार लागू करने के आदेश निर्गत करें। लोक सभा में इस पर चर्चा हुई थी और सभी दलों ने इस पर बैठकर स्वीकार किया कि उसी को लेकर एक अध्यादेश राष्ट्रपति जी के आदेश से स्वीकृत किया। हम लोग भी इस सदन में बैठकर गिरती हुई कानून व्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं। इस बात की सभी लोगों ने चिन्ता व्यक्त की कि प्रदेश में जो अपराधीकरण बढ़ रहा है व गिरती हुई कानून व्यवस्था की हालत को कैसे सम्भाला जाए ? कैसे प्रदेश की जनता को राहत दी जाए ? जब सत्ता में बैठें हुए विधायक व मंत्री ही संरक्षण देकर प्रदेश की कानून व्यवस्था को गिराने का काम करेंगे तो एक संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। मान्यवर, कल का ही किस्सा है एस० टी० एफ० ने दो लोगों का इनकाउन्टर किया बदमाशों को मार गिराया। उनका ड्राइवर सतेन्द्र श्रीवास्तव ने पुलिस को बयान दिया है मैं उस बयान को पढ़े देता हूं। मैं अपने साथी जयेश, महेन्द्र फौजी के साथ परसों शाम 4.00 बजे गोरखपुर से चला था रात 9.30 बजे यह लोग क्वालिस से लखनऊ पहुंचे और बाजार खाला में पारा चौकी के पास जयसिंह नामक किसी सिपाही के घर ठहरे। रात के खाने व सुबह के नाश्ते का इन्तजाम सिपाही ने ही किया। कल सुबह जयेश डालीबाग स्थित बहुखण्डी भवन जाकर एक मंत्री से मिला इसके बाद उसने दारूलशफा में उपस्थित विधायक से मिला। वहां से वह सीधे विधान भवन गया। गेट नम्बर 7 से प्रवेश करके एक अन्य मंत्री से मिला चूंकि यहां आप सख्ती किए हैं इसलिए यहां नहीं आ सका। लौटते समय वह अपने खास विधायक से मिलने के लिए मीराबाई मार्ग स्थित विधायक निवास भी जाना नहीं भूला। जयेश ने लखनऊ में अपने मोबाइल फोन से उसी पूर्व मंत्री से बात-चीत की और डाक्टर को अगवा करने के लिए दिशा निर्देश प्राप्त किए। उसके संरक्षकों में छात्र नेता रह चुके गाजीपुर के एक भाजपा नेता भी शामिल हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह सब बयान में है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

इसके पहले भी सूर्य प्रकाश शुक्ला से सम्बन्धों को लेकर हम लोगों ने 13वीं विधान सभा में मांग की थी कि एस०टी०एफ० रिपोर्ट जो है वह विधान सभा में सदन के पटल पर रखी जाए। मैं तो कहूंगा कि संसदीय कार्य-मंत्री एस०टी०एफ० की रिपोर्ट को सदन के सामने रखें वह सदन की प्रापर्टी है। सरकार की प्रापर्टी नहीं है। सरकार ने अभी निर्णय लिया कि कोई भी कागज गुप्त नहीं रखा जाएगा डेढ़ रुपए का टिकट लगाकर कागज पर कोई भी रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है। इसको क्यों गुप्त रखा जा रहा है ? यह एक गम्भीर मामला है। वह मंत्री जी से मिला हुआ है। मंत्रियों का संरक्षण है। कौन मंत्री है ? कौन विधायक है ? किस मंत्री से वह यहां मिला ? इन सब चीजों को यहां पर आना चाहिए। इन सब चीजों पर सदन में चर्चा हो सके, उन बातों पर ध्यान आ सके। जनता के बीच सन्देश जा सके कि राजनीति में अपराधीकरण को कौन बढ़ावा दे रहा है। मैंने पंजाब केसरी में छपा था उसके तमाम आंकड़े दिये थे कि बहुजन समाज पार्टी ने किन-किन अपराधियों को टिकट दिये। कुंवर रेवती रमण सिंह, रंगनाथ सिंह और हुकुम सिंह जी के खिलाफ अपराधियों को लड़वाया। मान्यवर, तमाम अपराधियों को टिकट दिये। राजनीतिक व्यक्ति कब तक उसका शिकार होता जायेगा ? इन सब चीजों पर अच्छा हो, बात विधायकों के सामने आये, सदन में उसका खुलासा हो। सत्ता पक्ष के सारे विधायक एक विधायक की वजह से कलंकित न हों। 25–30 मंत्री हैं एक मंत्री की वजह से वह सब कलंकित न हों। मान्यवर,

यह लोक महत्व से जुड़ा सवाल है । आपसे अनुरोध है कि इस पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करा ली जाय ।

(श्री जगदम्बिका पाल जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

इसमें प्रमोद कुमार जी का नाम लिखा है । कुंवर साहब के बाद प्रमोद जी अपनी बात रख लेंगे ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, जो सूचना हम लोगों ने दी है, नरेश अग्रवाल जी ने उसको प्रारम्भ किया । तमाम घटनाओं का उल्लेख भी किया है । यह अविलम्बनीय भी है और लोक महत्व का भी है । तात्कालिक भी है और सुनिश्चित भी है । जितनी भी शर्तों हैं कार्य-स्थगन के लिये, उन सब शर्तों को यह पूरा करता है । मान्यवर, यह गम्भीर है । कल मैं इलाहाबाद जा रहा था । बछरावां के पास बड़ी भीड़ मैंने देखी । मैंने रुक कर पूछा कि काहे की भीड़ है । पता चला कि 2 बदमाश मारे गये हैं । मान्यवर, बदमाश मारे गये अच्छी बात है । हमारे प्रदेश में एक माहौल बन गया है और हम कहें कि पूरे देश में, तो कोई गलत बात नहीं होगी । अभी वीरप्पन ने पूर्व मंत्री का अपहरण कर लिया । एस०टी०एफ० के लोगों ने जब इन बदमाशों का मारा और एक बदमाश को गिरफ्तार किया जो कि क्वालिस गाड़ी में बैठा था । उसने बयान दिया है जो कि बड़ा ही चौंकाने वाला और गम्भीर है । गम्भीर इसलिये है कि उसने कहा है कि जो एक अपराधी मारा गया कुख्यात, कल सचिवालय में आया था और आकर एक मंत्री से मिला था मान्यवर, उसने यह भी बताया कि जो डायरी मिली है अपराधियों के पास से उसमें तमाम मंत्रियों और विधायकों का उल्लेख है । इस प्रदेश में माहौल बनता जा रहा है अपराधीकरण का । आज माननीय मंत्री जी और सरकार कहती है कि हम अपराधमुक्त प्रदेश बनायेंगे, यह हमारा इरादा है । मान्यवर, यह जो कल डायरी मिली है और जो बयान उसने एस०टी०एफ० के सामने दिया है उसमें एक पूर्व मंत्री जो गोरखपुर के थे, उनसे भी उसके सम्बन्ध थे और 2 वर्तमान मंत्रियों का भी नाम है बहुजन समाज पार्टी के 3 विधायक भी उसमें हैं । मान्यवर, यह उसका बयान है, मैं नहीं कह रहा हूं । सरकार इस बात का खुलासा करे ? पिछली बार एस०टी०एफ० ने जांच की थी और रिपोर्ट भी सन्दर्भित की थी लेकिन उस रिपोर्ट का सरकार ने अभी तक खुलासा नहीं किया । जब तक इन अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता है अपराधी यूं ही खुले आम घूमते रहेंगे । मेरे विधान सभा में एक अपराधी का भाई रायफल लेकर जाता है एक हत्या भी करवा दी लेकिन पुलिस चूं तक नहीं बोलती है । यह कहेंगे कि वह अपराधी है, उनकी पार्टी में हैं, इनकी पार्टी में है तो अपराधी नहीं है । यह बड़ा ही गम्भीर प्रश्न है । यह गम्भीर प्रश्न है इस गम्भीर मसले पर सदन में काम रोककर चर्चा करा दें । सरकार यह बता दे कि कल किस मंत्री से मिलने वह आया, मंत्री से क्या संबंध था पुलिस की यह भी रिपोर्ट है जो पकड़ा गया वह अपराधी है उसने कहा कि मंत्री और विधायकों से पुराने संबंध हैं । गोरखपुर में कितने अपराध हो रहे हैं राजस्थान के डाक्टर के अपहरण की योजना थी इस गम्भीर मसले पर तत्काल काम रोककर चर्चा करायें, ताकि जो पक्ष और विपक्ष के सम्मानित सदस्यों पर ऊंगली उठ रही है वह खत्म हो जाए ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं आभारी हूं आपने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना पर मुझे बोलने का, अपने विचार रखने का अवसर दिया है । मान्यवर, जहां एक ओर मैं बधाई देना चाहता हूं एस०डी०एम० को, कि दो कुख्यात अपराधियों को मारा है यह सराहनीय कार्य है इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं । एडीशनल एस०पी० का बयान छपा है, बयान के बाद पूरी विधान सभा शक के घेरे में है एक विधायक और दो मंत्रियों से अपराधियों का वास्ता है हम में से कौन है वह ? जो तीन अपराधी है, मंत्रिमंडल में अपराधी

है वह कौन अपराधी है ? यह बताया गया कि एक पूर्व मंत्री हजरतगंज क्षेत्र में रहते हैं वह कौन पूर्व मंत्री हैं, तमाम लोग शक के घेरे में आ रहे हैं । उत्तर प्रदेश की विधान सभा में एक से एक सम्मानित सदस्य इस विधान सभा में हैं । प्रतिष्ठित विधायक विधान सभा में चुनकर आते हैं, मंत्रिपरिषद् है, बहुत से मंत्री ऐसे हैं जिनके दामन पर दाग नहीं है इस सूचना के बाद पूरा मंत्रिपरिषद् शक के घेरे में खड़ा हो गया है आप यह बतायें कि वह कौन से दो मंत्री हैं । कौन विधायक है ? मेरा औचित्य का प्रश्न इतना है, कि जो एस०टी०एफ० की रिपोर्ट है बयान है उसको पढ़कर सदन के सामने प्रस्तुत किया जाए । उन दागी लोगों को सार्वजनिक किया जाए जिनके कारण बसपा की आलोचना हो रही है । एक अपराधी आया एक मंत्री से मिलकर चला जाए ऐसी घटना घटित हुई है अब आपके सामने दो विकल्प हैं जो दो मंत्री हैं उनको मंत्रिमण्डल से बाहर करें वरना हमको कहना पड़ेगा कि पूरा मंत्रिमण्डल अपराधी है, तीन सदस्यों के नाम नहीं बता रहे हैं, हमारा पूरा विपक्ष उसके दामन में कोई दाग नहीं है । हम यह आवाज उठा रहे हैं कि तीन लोगों के नाम बता दें ताकि आप बेदाग बरी हो जाएं । यह सम्मानित सदन के सम्मान की बात है या तो कह दें कि गलत सूचना प्रकाशित हुई है और इस पर कार्यवाही करायें ।

(डा० अशोक बाजपेयी का नाम पुकारा गया)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, औचित्य के प्रश्न पर मुझे भी बुलवा लें ।

श्री अध्यक्ष–

डा० बाजपेयी जी को बुला लिया है ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, एस०टी०एफ० ने रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट को प्रकाशित कर दिया जाता तो मंत्रि-परिषद् के जिन सदस्यों के नाम है प्रदेश की जनता के सामने आ गए होते, मंत्रीगण हिम्मत नहीं करते अपराधियों को संरक्षण देने का । मुख्य मंत्री जी ने कहा कि माफियाओं से खतरा है । आज मामला खुला एक लखनऊ के बड़े डाक्टर के अपहरण के लिए जो ग्रुप तैयारी कर रहा था जो गिरोह तैयारी कर रहे थे उसका एक सदस्य पकड़ा गया तो मालूम हुआ कि कल एक व्यक्ति ने सचिवालय में प्रवेश करके इस सरकार के एक माननीय मंत्री जी से मुलाकात की थी । इतनी कड़ी सुरक्षा है कि हम लोग अपना सुरक्षा कर्मी भी नहीं ला सकते । क्षेत्र के मतदाता प्रवेश नहीं कर सकते । लेकिन, इन आतंकवादियों, माफियाओं के लिए कोई कानून नहीं है । पता नहीं इनके पास कौन सा ऐसा गोल्डेन पास है जिससे यह प्रवेश कर जाते हैं और मिलकर चले जाते हैं । अभी यह कहा गया कि हजरतगंज में पूर्व मंत्री जी से मिले । मान्यवर, यह तो एक माफिया गिरोह है जो पकड़ा गया है । मेरा दावा है कि अगर एस०टी०एफ० को पूरी स्वतंत्रता मिल जाये तो इसमें आधे से ज्यादा ऐसे सदस्य होंगे जो आतंक....

श्री अध्यक्ष–

पूरी जिम्मेदारी के साथ बात करें ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, इस प्रदेश को अपराध मुक्त तब तक नहीं बनाया जा सकता जब तक राजनीतिक संरक्षण न खत्म कर दिया जाय । यदि सरकार में चुने हुए लोग इस तरह से इन माफियाओं को संरक्षण देंगे तो फिर क्या होगा ? कहीं डाक्टर का अपहरण हो रहा है, व्यापारियों का अपहरण हो रहा है और कहां पर सदस्य बोलकर निकलें और पता लगा कि अपहरण हो गया है । अगर इस सरकार में नैतिक साहस हो तो घोषणा करें कि हम मंत्रिपरिषद् से निकालते हैं । अगर नहीं निकालेंगे तो फिर इस मंत्रि-परिषद् की निष्पक्षता समाप्त हो जायेगी । वैसे भी अगर अपहरणकर्ता मंत्रियों से और विधायकों से सम्बन्ध रखेंगे तो

यह हम सब पर प्रश्नचिन्ह लग जायेगा । संसदीय कार्य-मंत्री या मुख्य मंत्री बयान दें । जो इन अपराधियों को संरक्षण दे रहे थे इसका खुलासा करें और कार्यवाही करें । जब तक इन मंत्रियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी तब तक पुलिस का मनोबल गिरेगा प्रशासन का मनोबल गिरेगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, यह सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है कि किसी भी अपराधी को न संरक्षण दिया जायेगा और न ही बख्शा जायेगा क्योंकि यह प्रदेश की जनता की सुरक्षा और उनके जान माल की सुरक्षा का सवाल है । मान्यवर, आरोप लगा देना आसान है लेकिन अपने दिल में हाथ रखकर बोलें कि इसके जनक कौन रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, पहले उन मंत्रियों के नाम बता दें, विधायकों के नाम बता दें फिर उसके बाद बता देंगे कि उनके बाप कौन हैं ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय नरेश चन्द्र अग्रवाल जी ने जो बयान पढ़ा है उसमें मंत्री का नाम नहीं है । केवल यह लिखा है कि एक मंत्री हैं । यह जांच का विषय है कि कौन हैं ?

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी ने जो बात कही है कि जनक कौन हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि न तो मेरा अपराधियों से रिश्ता है और न मैं उनको संरक्षण देता हूं ?

श्री अध्यक्ष–

यह तो कटाक्ष है । जैसे कि आपने कहा कि आप मंत्री लोग हैं ।

श्री सुखदेव राजभर–

आप अपनी तरफ न लें । तो मान्यवर, जिस घटना के संदर्भ में नियम–56 में सूचना लगी है और जो शातिर बदमाश मारे गये, इनके प्रकाश में आया कि आजमगढ़ में जो व्यापारी का अपहरण हुआ था, गोरखपुर में जिस व्यापारी का अपहरण हुआ था, एस०टी०एफ० को सूचना मिली कि इनका हाथ है । कल दिनांक 27/8 को यह जानकारी मिली कि कुछ शातिर बदमाश अपनी गाड़ी...

मान्यवर, दिनांक 28-8-2002 को एस०टी०एफ० को जानकारी मिली कि कुछ शातिर बदमाश अपनी गाड़ी से जा रहे हैं और बछरावां रोड पर जाने वाले हैं । मान्यवर, इसके बाद पुलिस ने वन विभाग के बैरियर लगाकर उन्हें रोका । वह क्वालिस गाड़ी से जा रहे थे । पुलिस मुस्तैद थी । मान्यवर, ये बदमाश बैरियर को तोड़कर आगे जाने लगे और बाद में फायर कर दिया । पुलिस ने भी पीछा किया

और इसके बाद एस०टी०एफ० ने दो शातिर बदमाशों को मार गिराया और इसके बाद जनता ने भी पकड़ लिया। इसमें सतेन्द्र कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री रितेश कुमार श्रीवास्तव, हरेन्द्र श्रीवास्तव हैं। य गोरखपुर के रहने वाले हैं। जिनको जनता ने पकड़ा है। मान्यवर, 2–2 व्यापारियों के अपहरण करने की योजना बना रहे थे। जो जिंदा पकड़ा गया है उसने बयान दे दिया है। इस घटना पर विपक्ष द्वार षडयंत्र रचा जा रहा है उनको तो पुलिस को बधाई देनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, पूरा सदन पुलिस और एस०टी०एफ० को बधाई दे रहा है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जाइए।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, इन बदमाशों के पास से कई कारतूस बरामद हुए हैं। मान्यवर, इस घटना को मोड़ने क कोशिश की जा रही है। यह षडयंत्र के रूप में किया जा रहा है। मान्यवर, आप इनके चरित्र के बारे जानते हैं कि यह क्या कह रहे हैं। जहां तक बयान का सवाल है। जिस तरह से इस पर जोर दिया जा रहा है उससे लगता है कि जैसे आप भी वहां पर थे। मान्यवर, यह बदमाश मुठभेड़ में मारा ग इसलिए यह नियम–56 में ग्राह्य नहीं है इसलिए इसको अग्राह्य घोषित किया जाये।

नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आजम खां)–

अध्यक्ष जी, नियम–56 में नरेश चन्द्र अग्रवाल जी ने जो मामला रखा है वह गम्भीर तो है अविलम्बनीय भी है और जिस तरह से जवाब आया है उससे मामला और गम्भीर हुआ है। मान्य एस०टी०एफ० की कार्यवाही के लिए मुबारकबाद। जो असली बात पूछी गयी थी उसका जवाब आया है। आपकी पीठ से कन्फर्मेशन हुआ।

श्री अध्यक्ष–

मैं प्रश्न पूछ रहा था कि क्या बयान पढ़ रहे हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

आपने ड्राइवर के बयान के सिलसिले में जानकारी चाही तो उसकी यहां तस्दीक की गयी। ड्रा का अपना बयान है जिसको उसने पुलिस को दिया। मान्यवर, वह कब विधान सभा आया ? मंत्रियों से, पूर्व मंत्रियों से, विधायकों से मिला उनके नाम उस बयान में दर्ज हैं। मान्यवर, पुलिस ने बड़े शातिर बदमाश मारे हैं हम चाहते हैं जो पुलिस को बयान दिया है वह बयान क्या है ? और उस बयान में किन्हीं मंत्रियों से विधायकों से मिलने की बात कही है वह कौन है ? इसमें कोई भी ऐसी नहीं है जिसको सरकार को छुपाना चाहिए ? मान्यवर, आज कहां हमारे यहां यह जहरे बहस हैं कि राजनीति से अपराधीकरण खत्म हो। मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें आयत कीं और सरकार से यह उम्मीद की कि ऐसा कानून पार्लियामेण्ट में आये जिसके तहत अपराधी प्रवृत्ति के लो आ सकें। मान्यवर, एक अध्यादेश राष्ट्रपति के पास गया वह वापस हुआ फिर दुबारा गया। मै बहस नहीं करना चाहता हूं कि अध्यादेश में कोई कमी रही या गलत वापस किया गया। आज यह में है और पूरे भारत में रहने वाले लोग यह चाह रहे हैं कि भारत की राजनीति की छवि साफ होनी चाहिए।

मान्यवर, मुझे याद है जब मैं राजनीति में नया-नया आया था तो नेता जी का शब्द भले लोगों के लिए इस्तेमाल होता था । आज ऐसा लगता है कि रेलवे स्टेशन पर चलते हुए नेता कहकर पुकारने वाला व्यक्ति हमारा मजाक उड़ा रहा है । हमें अच्छा आदमी नहीं मानता है हम बहुत से मामले में बिल्कुल आंख मूंद कर मुखालफत नहीं करते हैं । मान्यवर, हमारे बहुत से पक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्य का दामन बिल्कुल बेदाग है इधर के माननीय सदस्यों का दामन पर दाग नहीं है । लेकिन इसके मायने हर्गिज नहीं होता है कि भारत की जनता जो चाह रही है उस ओर हम ध्यान न दें । वह चाहते हैं कि राजनीति में रहने वाले जो लौग हैं वह उनके अगवा हैं, इमाम हैं और उनके इमाम की छवि साफ-सुथरी होनी चाहिये, उसके दामन पर कोई दाग नहीं होना चाहिए । मान्यवर, इसलिए कोई भी हिच नहीं होनी चाहिए सरकार को इसे बताने में । अगर मेरे मन में कोई दाग है तो हम उसे धोने की कोशिश करेंगे । मान्यवर, आज पूरा भारत इंतजार कर रहा है । हां, हमने अपराधियों को निकाला है । यह कहने की हिम्मत हमारे दल में हैं कि मेरे दल के मुखिया ने अपराधियों को टिकट न देकर मिसाल कायम की है । मान्यवर, तीन पार्लियामेण्ट के मेम्बर निकालकर हमारी पार्टी ने यह कार्य किया है । सरकार से कोई ऐसी बात नहीं पूंछने की मांग की गयी है जो सरकार नहीं बता सकती । आपके पास इस वक्त फाइल में रिपोर्ट होगी, बयान होगा मुल्जिम का कि किन लोगों के ड्राइवर ने नाम बताये थे इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं चाहता, आपसे संरक्षण चाहता हूं अपने अधिकारों का और आपसे संरक्षण अभी मिला है । आप भी चाहते हैं कि राजनीति का अपराधीकरण न हो, आप अपने यहां माफियाओं के खिलाफ लड़ते हैं, आपने उनके कीमती तोहफों को ठुकराया है । इसलिये मैं यह जिम्मेदारी आप पर सौंपता हूं कि वह रपट जो इनके पास है उसमें अगर उन लोगों के नाम हैं तो वह नाम सदन को बताये जाने चाहिए ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय मंत्री जी ने मान्यवर, एक बात स्वीकार की आधे-अधूरे मन से कि इन अपराधियों का क्या ठिकाना अभी कुछ कहते हैं और बाद में कुछ कहते हैं ? मान्यवर, मैं तो अपराधियों की बात कह रहा हूं टण्डन जी, आप क्यों हाथ जोड़ने लगे ?

श्री अध्यक्ष–

वह इसलिये जोड़ रहे हैं क्योंकि आप अपराधियों की बात कर रहे हैं । वह आश्चर्य से हाथ जोड़ रहे हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह कोई एकेडमी डिसकशन के लिए विषय नहीं है है माननीय मंत्री जी ने कोई बात कही है तो बहुत सोच समझकर कही है । इस बात को छिपाने के लिए यह बात कही है कि इन अपराधियों का क्या ठिकाना अभी कुछ कह दें बाद में पता नहीं क्या कह दें तो मान्यवर, जो बाद में बयान दे देंगे वह बात में बता दीजिएगा और आज जो बयान दिया है वह आज बता दें । हम चश्मदीद गवाह नहीं है लेकिन जब पुलिस के एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी यह अधिकृत रूप से बयान देते हैं कि उसने यह कहा कि उसमें 2 मंत्री शामिल हैं और 3 विधायक शामिल हैं । इसमें आपको भी चिन्तित होना चाहिए और हमें भी चिन्तित होना चाहिए । मैं इस सदन की चिन्ता को बढ़ाये देता हूं । उदयभान करवरिया विधायक हैं 2 दिन पहले उन्होंने लिखकर दिया है कि उनकी हत्या के लिए लखनऊ आ रहे थे और दूसरे एक सहजनवा के विधायक हैं उनकी हत्या के इरादे मे आ रहे थे, उन्होंने भी आशंका व्यक्त किया है । जिस पर शक जाहिर किया जा रहा है आज सरकार उस बयान को क्यों छुपाना चाहती है । जिस बयान में अपराधियों के नाम आये हैं । मान्यवर, इसमें उन मंत्रियों को भी एस०टी०एफ० के सामने खड़े होना चाहिए जिस तरह से अपराधी खड़े हुए हैं । आप अपने इन मंत्रियों का इस्तीफा लीजिए और उनको जेल भेजिये । अगर आप अपने इन दो मंत्रियों के नाम छुपाना

चहाते हैं तो यह कालिख आप पूरे मंत्रिमण्डल पर लगा रहे हैं । मैं यह अनुरोध करता हूं कि आप इतना ही बता दीजिए कि एस०टी०एफ० ने क्या बयान दिया है ? ये तो मंत्री हैं कैसे रह पायेंगे, रिकार्ड बदलवा दिया जायेगा ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मुठभेड़ हुई, अपराधी मारा गया इसमें मान्यवर, कुछ शंकाएं थी इन लोगों के नाम मुल्जिम बता रहे हैं । मान्यवर, बछरावां थाने के अन्तर्गत रायबरेली में एक मुकदमा दर्ज है । उसकी विवेचना होगी उसमें बहुत सी चीजें प्रकाश में आयेंगी । जब अपराध दर्ज है उसमें पुलिस विवेचना करेगी और मुल्जिम पकड़े गये हैं उससे तमाम बयान लेंगे और उससे तमाम बातें प्रकाश में आयेंगी । अब यह बात तो विवेचना के बाद ही फाइनल होगी मुठभेड़ की उसकी विवेचना के बाद उसका फैसला होगा ।

श्री अध्यक्ष–

मैं कह दूं तो बात समाप्त हो जायेगी । देखिये माननीय सदस्य इस सदन के, जब कोई बात कहते हैं तो प्रथमदृष्टया हम लोग उसमें विश्वास करके तभी आगे की कार्यवाही करते हैं । मा० नरेश चन्द्र अग्रवाल ने एक बयान पढ़ा । अब हम यह मानकर चलते हैं, अवधारणा है कि माननीय सदस्य जो इस सदन में कहते हैं, सत्य कहते हैं । नरेश चन्द्र अग्रवाल जी ने जितना अंश पढ़ा उसमें किसी मंत्री का नाम अथवा विधायक का नाम नहीं है । इसी के साथ ही साथ एक और चिन्ता का विषय है कि वह व्यक्ति विधान भवन के परिसर में आया, किसके द्वारा उसका प्रवेश-पत्र बनाया गया, किसने उसकी संस्तुति की, यह सब जांच का विषय है । आज की तारीख में जो बयान श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल ने पढ़ा है उसमें किसी मंत्री का नाम नहीं है । लेकिन इसमें कोई शक नहीं, कि अगर उसमें एक अंश भी सत्य है कि कोई विधायक या मंत्री उनसे मिला है तो इस सदन में मुझको सम्मिलित करते हुए सभी राजनीतिज्ञ हैं, कोई व्यक्ति मेरा, आपका टेलीफोन नम्बर नोट कर लें, तो यह कहना सही नहीं है कि वह सब अपराधी हैं । किसी भी कारण से वह नम्बर नोट कर सकता है इसलिए बहुत सही ढंग से समीक्षा होनी चाहिए । क्योंकि उसमें विधायकों का नाम आ गया है । इस संबंध में मुझे पता नहीं कि आपके पास उसकी प्रतिलिपि है या नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि इस सदन को उसे देखना चाहिए । सदन की उत्कंठा यह नहीं है कि इसी क्षण वह बात आ जाये, सदन की उत्कंठा इस बात की है कि जो सरकार इस सदन के प्रति उत्तरदायी रहती है उस सरकार में साफ छवि के लोग रहें । कल सूचना दे दीजिए इस संबंध में ।

श्री राधेश्याम सिंह–

मैं आपका आभारी हूं कि आपने कार्य स्थगन के प्रस्ताव पर बोलने का मुझे अवसर दिया । मान्यवर, उत्तर प्रदेश के सभी सहकारी कुर्क अमीन विधान सभा के सामने हजारों की तादाद में धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं । मान्यवर, उन कुर्क अमीनों की मांग है कि हमको राज्य कर्मचारी माना जाये । जब कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 16 नवम्बर, 1985 के क्रम में प्रदेश के सारे कुर्क अमीनों को राज्य कर्मचारी मान कर सहकारी अमीनों व संग्रह सहयोगियों को उनके अवशेष भुगतान हेतु निर्देश दिया गया माननीय उच्च न्यायालय के परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नयी दिल्ली में सिविल अपील सं०–8467-68/95 के निर्णय दिनांक 20-03-2001 के द्वारा प्रदेश के सभी कुर्क अमीनों एवं उनके संग्रह सहयोगियों को प्रदेश के राज्य कर्मचारी की सुविधा के साथ वेतन और समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है । मान्यवर, उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 16 महीने बीत गये हैं उत्तर प्रदेश के सहकारी कुर्क अमीनों को एवं संग्रह सहयोगियों को राजकीय कर्मचारी सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है । मान्यवर, जो इसके साथ वर्तमान में हमारे सहकारिता मंत्री हैं इन्होंने 09-09-2001 को एक पत्र लिखा है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी राजनाथ सिंह के नाम से । उस समय प्रभारी सहकारिता उत्तर प्रदेश थे । उन्होंने लिखा है कि 16 नवम्बर, 85 के निर्णय और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय

20 मार्च, 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सहकारी कुर्क अमीनों को राजकीय कर्मी घोषित कर निदेशक सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश उनके अवशेष का भुगतान करायें । मान्यवर, जो सहकारिता मंत्री वर्तमान में हैं, उन्होंने यह भी दर्शाया है कि इनको राजकीय कर्मचारी मान लेने से सरकार पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा । इनका मानना है कि जो बकाये देयों पर 10 प्रतिशत संग्रह शुल्क प्राप्त कर कोषागारों में जमा किया जाता है, वर्तमान समय में करोड़ों रुपये जिला सहकारी बैंकों में मौजूद है । हमारे सहकारिता मंत्री जी ने अपने 9-9-2001 की चिट्ठी में यह भी लिखा है कि पिछली सरकार के द्वारा कुर्क अमीनों संग्रह सहयोगियों के साथ करके अन्याय किया गया है, नहीं तो यह सभी देय के पात्र हैं । हम आपके माध्यम से यह भी अवगत कराना चाहते हैं कि आज वही व्यक्ति उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं । क्यों नहीं माननीय उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर उत्तर प्रदेश के उन सभी गरीब कुर्क अमीनों को जो 25 साल से कार्यरत हैं, मेहनत करके अपने परिवार की परवरिश करते हैं, मात्र ऋण वसूली का 10% मजदूरी दी जाती है । यह लोग पिछली 25 तारीख से विधान सभा के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि उन लोगों ने लिखित सरकार को अवगत कराया है कि हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो 25 अगस्त से 28 अगस्त तक प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद 29 अगस्त से 31 अगस्त तक क्रमिक अनशन चलायेंगे और एक सितम्बर, से 3 सितम्बर तक भूख हड़ताल पर जायेंगे और 4 सितम्बर, से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर जायेंगे । हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश के जितने कुर्क अमीन हैं और जो उनके संग्रह सहयोगी हैं, उनको सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के आदेश के तहत राजकीय कर्मचारी यह सरकार माने और मान्यवर, यह मामला अति महत्वपूर्ण है और सदन की सारी कार्यवाही को रोककर मैं इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूं ।

श्री सुखदेव राजभर–

इस संदर्भ में, जैसा माननीय सदस्य ने उल्लेख किया, मैं बताना चाहता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ बेंच और माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के पारित आदेश के क्रम में न्याय विभाग की राय ली जा रही है । तद्नुसार रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव को अवगत कराया जायेगा । इस पर परीक्षण करने की कार्यवाही चल रही है ।

श्री राधेश्याम सिंह–

मान्यवर, आदेशों का अनुपालन कब तक करा दिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

पालन हो रहा है, माननीय मंत्री जी ने कह दिया ।

श्री राधेश्याम सिंह–

मान्यवर, गरीब लोगों का सवाल है, 4 हजार कर्मचारी उनके परिवार भुखमरी के कगार पर हैं ।

श्री अध्यक्ष–

न्याय विभाग की राय जल्दी ले ली जाय । माननीय सदस्य राधेश्याम सिंह व संसदीय कार्य-मंत्री जी को इस सूचना पर सुनने के उपरान्त मैं इसको अग्राह्य घोषित करता हूं ।

श्री पूर्णमासी देहाती–

यह लोग काफी दिनों से भूख हड़ताल कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

कुछ सूचनाओं को मैंने जो श्लाका में नहीं थी, उसे मैंने विशेष उल्लेख के रूप में अनुमति दे दी है और मेरा अनुरोध है कि दो मिनट में संक्षेप में वह माननीय सदस्य कह दें ।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

माननीय अध्यक्ष जी भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है कि किसी के साथ भेद-भाव नहीं बरता जाएगा । अध्यक्ष महोदय जब से यह सरकार बनी है, सत्ता में बैठे हुए लोग सत्ता के मद में मदान्ध होकर बदले की भावना से समाज वादी पार्टी का कार्यकर्ता हो, या पूर्व विधायक हो, चाहे कोई सम्मानित नेता गण हो, एक साजिश के तहत फंसाने के लिए हथकण्डा किया है । मैं इसका एक जीता जागता उदाहरण दे रहा हूं–संघर्ष की कोख से पैदा हुआ लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ का अध्यक्ष और युवजन सभा का प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं अरविन्द सिंह गोप, उनके बारे में अध्यक्ष महोदय मैं बताना चाहता हूं कि उनका जन्म राजनीति के संघर्ष की कोख से हुआ है और जब वह छात्र संघ के पदाधिकारी थे तो उन्होंने छात्र हितों को सर्वोच्च महत्ता दी । उन पर कभी कोई किसी तरह का आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगा लेकिन एक घटना हुई, गेस्ट हाऊस काण्ड, और जिसका आज तक नतीजा नहीं निकला, जहां समाज वादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता थे, बसपा के नेता और कार्यकर्ता थे, और वहां बैठक चल रही थी, चुनाव एक साथ लड़ने की तो वहां पर समाजवादी पार्टी का नेता और कार्यकर्ता होने के नाते अरविन्द सिंह गोप भी जाते हैं । वहां पर बदले की भावना से, सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले व्यक्ति को इस तरह से झूठा मुकदमा लगा करके फसाया जाएगा तो यह प्रदेश किस तरह से चलेगा, उनका राजनीतिक भविष्य चौपट करने के लिए ऐसा काम किया गया । मैं चाहूंगा कि अध्यक्ष जी आप अपनी पीठ से न्याय देने का काम करें । यह अरविन्द सिंह गोप को फसाने की साजिश की जा रही है, उन्हें फंसाने के लिए झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, उन पर जुल्म किया जा रहा है । उन पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि सरकार को गिराने में उनका कहीं न कहीं हाथ हो सकता है, इसलिए गोप को बन्द किया जाय, यह ठीक नहीं है । मान्यवर, अगर कोई अपराधी है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय लेकिन यदि इस तरह झूठा इल्जाम लगाकर किसी भाई को, किसी नेता को, कटघरे में खड़ा किया जाएगा, उसे अपराधी करार किया जाएगा, तो गलत है मान्यवर, यह अन्याय हो रहा, यह कार्यवाही बदले की भावना की जा रही है ।

(इस समय 4 बजकर 15 मिनट पर अधिष्ठाता श्री भगेलू राम पीठासीन हुए ।)

गोप जी को जिस तरह से फंसाने की कार्यवाही की जा रही है तो मैं जरूर चाहूंगा कि इस पर आपकी पीठ से संरक्षण मिले और मैं कहना चाहता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए । जो डी०आई०जी० हैं लखनऊ के उनसे जांच कराना चाहते हैं, उच्चस्तरीय जांच डी०आई०जी० से करा लें । अगर लगता है कि गुनाहगार हैं तो सजा दें, आपका आदेश सर आंखों पर है । माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप अपनी पीठ से निर्देश देने का काम करें जिससे उस छात्र नेता जिसकी पूरी की पूरी जवानी चौराहे पर खड़ी है उसको न्याय मिल सके और बेवजह उसको बदनाम न किया जाये ।

श्री बलराम यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से ओम प्रकाश जी ने जो बात कही है, उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं । यह अरविन्द सिंह गोप लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष रहे हैं, हमारी पार्टी के लोहिया वाहिनी का अध्यक्ष रहे हैं, इस समय यह समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव है । पिछले विधान सभा चुनाव में हैदरगढ़ से चुनाव लड़ा था और पूर्व मुख्यमंत्री श्री राजनाथ सिंह के खिलाफ उसे 46 हजार से अधिक मत प्राप्त हुए थे । हममें से बहुत से सम्मानित सदस्य जो इस

सम्मानित सदन में आये हैं शायद उनको इतना मत न मिला हो लेकिन वह जीते हैं । इनके परिवार की पृष्ठभूमि ऐसी है कि इनके परिवार के ऊपर कोई एन०सी०आर० तक नहीं है । वह छात्र संघ से राजनीति में आये हैं । विश्वविद्यालयों के अपने संघों के लिए बड़े-बड़े मुकदमें कायम होते हैं, अपराध से उनका कोई मतलब नहीं होता । बिना किसी घटनाक्रम के अरविन्द सिंह गोप को गिरफ्तार किया गया और एक बड़ी सरसरी धारा हो गयी है गुण्डा ऐक्ट, जिसको चाहे पुलिस और सरकार अपेक्षा करे उसको, गुण्डा ऐक्ट लगाकर चालान कर देने और जेल में बंद कर देना एक आम धारणा हो गयी है । हमें यह जानकारी मिली है कि अरविन्द सिंह गोप को फंसाने के लिए अन्य आपराधिक मामलों में संलिप्तता दिखा करके ''रासुका'' लगाने की सरकारी षडयंत्र हो रहा है । हम लोग पहले भी कहा करते थे कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न, हत्यायें सरकार बराबर करा रहा है । यह बहुत ही लोक महत्व का प्रश्न है, एक आदमी का नहीं नौजवानों का प्रतिनिधित्व करने वाले साथी का प्रश्न है । उसको अकारण जेल में बंद करके यातनायें दी जा रही हैं । इस अविलम्बनीय महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग कर रहा हूं । भाई ओम प्रकाश जी ने कहा कि डी०आई०जी० लखनऊ जो सीधे सरकार के नियंत्रण में हैं, उनसे जांच करा लीजिये । अगर उनके ऊपर कोई अपराध बनता है तो जेल नहीं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं लेकिन अकारण जेल में न रखा जाये । इस मामले की तात्कालिकता देखकर चर्चा कराने की मांग करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

जो मामला गोप वाला उठाया गया है उसमें ध्यान आकृष्ट से काम नहीं चलेगा । सिर्फ इतना कहना था माननीय सदस्य का कि उनके साथ कोई ज्यादती न हो, बेवजह किसी मुकदमें में न फंसाया जाये । ''गेस्ट हाऊस काण्ड'' ऐसा हो गया जैसे चौरी-चौरा काण्ड हो गया जो देश की आजादी के लिए हुआ था । उस काण्ड से बहुत कुछ बहुजन समाज पार्टी को मिल गया, अब उस काण्ड को कैश करने से कोई फायदा नहीं होगा । आजतक यह नहीं मालूम हुआ कि गेस्ट हाउस काण्ड में हुआ क्या था ? किस बात का इतना बुरा लगा । इस विषय में बस इतनी सी बात है, संसदीय कार्य-मंत्री जी इतना आश्वासन दे दें कि गोप के मामले में कोई फर्जी मुकदमा न दर्ज हो और उत्पीड़न की कार्यवाही न हो । डर है कि उनका इन्काउण्टर भी कराया जा सकता है ऐसी कोई कार्यवाही न हो । कानून की परिधि में रहकर जो जुर्म है उसके अनुसार सजा मिले ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैं नेता प्रतिपक्ष को बधाई देता हूं कि जिसे पूरे प्रदेश की जनता जानती है और जिसका मैं भुक्त भोगी रहा हूं, मैं खुद उस कमरे में बंद था । 2 जून की जो घटना है उसमें मैं खुद बहिन मायावती जी के साथ बंद था कमरे में । वहां पर पानी को काटा गया, लाइट को काटा गया । दरवाजे तोड़े गये । हमारे दो माननीय विधायकों को पकड़कर ले जाया गया । नेता प्रतिपक्ष जिन्होंने यह किया था वह आपके साथ हैं उनसे पूछ लें । मैं इसमें जाना नहीं चाहता था लेकिन आपने चिंता व्यक्त कर दी तो मुझे बताना पड़ रहा है । बहिन मायावती के ऊपर हमला हुआ । मैं तो कहता हूं कि डा० राम मनोहर लोहिया अगर इस तरह का व्यवहार किसी महिला के साथ होते देख लेते तो खुद कुछ कर बैठते या फिर आपका गला दबा देते । 2 जून को जिस तरह से दरवाजे तोड़े गये वह शर्मनाक है यह आपने कहा कि हम उसका फायदा उठा रहे हैं आप फिर वैसी दूसरी घटना करा दीजिये आपको भी फायदा मिल जायगा । मैं यह सब नहीं कहना चाहता था लेकिन आपने कहा तब मैंने कहा जिस तरह से पानी के लिये हम तरस रहे थे, लाइट काट दी गयी थी उस गरमी में और दरवाजे तोड़े जा रहे थे । हमने कुर्सियां

लगाकर दरवाजा टूटने से रोका । ऊपर वाले की कृपा से दरवाजे नहीं टूटे, मैं उस घटना में ज्यादा नहीं जाना चहाता हूं । मान्यवर, जहां तक इस प्रकारण की बात है, आपने शासन का ध्यान आकृष्ट किया है । यह जो प्रकरण है इस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि एक ओम प्रकाश पुत्र श्री जुगल किशोर निवासी ए/71 शिव शक्तिनगर थाना निर्माण नगर जयपुर (राजस्थान) ने दिनांक 6-8-2002 को थाना गोमती नगर लखनऊ पर लिखित प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी कि उनकी कम्पनी मेसर्स राजस्थान मिनिरल (रजिस्टर्ड) को डा० भीमराव अम्बेडकर उद्यान में मारबल सेन्ड स्टोन लगाने का कार्य उ० प्र० लखनऊ निर्माण निगम लखनऊ से मिला है और यह कार्य उनके द्वारा लगभग 150 मजदूरों से करवाया जा रहा था । इस कार्य को ठेकेदार सुबोध विक्रम सिंह मेसर्स असोनिक के नाम से लेना चहाते थे लेकिन निर्माण निगम ने उनको ठेका न देकर वादी की कम्पनी को ठेका दे दिया जिसके कारण सुबोध विक्रम सिंह उनसे नाराज रहता था एवं प्रतिदिन उनके स्टाफ को धमकी दिया करता था । सुबोध विक्रम सिंह एवं उसके साथी कुछ माफियाओं का नाम लेकर भी धमकी दिया करते थे कि वे अभय सिंह व अरविन्द सिंह गोप के आदमी हैं तथा वादी ने अपना काम बन्द न किया तो उसे मारने के आदेश हुए हैं । दिनांक 6-8-2002 को बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के सामने वाले हिस्से में करीब 6-7 आदमियों को लेकर सुबोध विक्रम सिंह असलहों के साथ करीब 9.30 बजे प्रातः आया तथा उसे रिवाल्वर लगाकर कहा कि बाबा साहब की मूर्ति के पीछे चलो नहीं तो गोली मार दूंगा । यह हंगामा सुनकर उसके सुरक्षागार्ड रविन्द्र कुमार व मुल्हौर सिंह तथा चालक रवि व वहां मौजूद मजदूर काम छोड़कर आ गये एवं घटना देखने के बाद उन लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया । सुबोध विक्रम सिंह ने अपने साथियों के साथ रिवाल्वर तानकर मुल्हौर सिंह व रविन्द्र कुमार की लाइसेंसी एस०बी०बी०एल० गन 12 बोर उनसे छीनकर वादी पर फायर कर दिया व बन्दूक की बट आदि तोड़कर मौके पर वहीं गिरा दिया तथा चौकीदार मुल्हौर सिंह के सिर पर फावड़ा मारकर उसे घायल कर दिया । वादी को किसी प्रकार उसके मजदूरों ने घेरकर छिपाकर भगाया इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गयी और मजदूर भाग गये । इस सूचना पर थाना गोमतीनगर में मु०अ०सं० 312/2002 अन्तर्गत धारा–147/148/149/307/506 भा०द०वि व 7 क्रिमिनल ला अमेन्डमेन्ट ऐक्ट अधिनियम बनाम सुबोध एवं 5-7 व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रभारी चौकी, अम्बेदकर उद्यान, थाना गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा प्रारम्भ की गयी ।

घटना की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ जोन लखनऊ पुलिस उप महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लखनऊ एवं अन्य अधिकारीगण तथा थाना गोमतीनगर की पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंच गयी । विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान वादी एवं गवाहों के बयान अंकित किये गये और इस घटना में घायल मुल्हौर सिंह पुत्र लालता सिंह निवासी तुलसीपुर मांझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा, जिसके सिर पर गम्भीर चोट आयी है, का भी बयान अंकित किया गया विवेचना से अभियोग के अन्तर्गत धारा–427/120 बी भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स ऐक्ट तथा 2/3 उ०प्र० गैंगेस्टर ऐक्ट की वृद्धि की गयी । वर्तमान में इस अभियोग की विवेचना श्री रमेश चन्द्र शुक्ला थानाध्यक्ष, गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा की जा रही है । विवेचना के दौरान अभियुक्त अरविन्द सिंह गोप पुत्र श्री आर० वी० सिंह निवासी कोतवाली बाराबंकी के पीछे थाना कोतवाली बाराबंकी हाल पता जी० 7 पार्क रोड लखनऊ को दिनांक 6-8-2002 की रात्रि में गिरफ्तार कर दिनांक 7-8-2002 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा न्यायालय द्वारा उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया । इस अभियोग में नामजद अभियुक्त सुबोध विक्रम सिंह पुत्र अर्जुन सिंह निवासी गोरखपुर थाना-गयासगंज जनपद–कन्नौज हाल पता सी–137, इन्दिरा नगर थाना–गाजीपुर एवं ग्राम–बुढ़वाल, थाना–रामनगर जनपद बाराबंकी की गिरफ्तारी हेतु दबिश सम्भावित जगहों पर दी गयी जिससे अभियुक्त सुबोध विक्रम सिंह उपरोक्त दिनांक 8-8-2002 को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया जो जनपद–कारागार लखनऊ में निरूद्ध है । विवेचना प्रचलित है ।

अम्बेदकर उद्यान एवं समीपवर्ती क्षेत्र में सुरक्षा के अलग से व्यापक प्रबन्ध किये गये हैं व सर्तक दृष्टि रखी जा रही है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

अधिष्ठाता महोदय, अभी एक इनकाउंटर के बारे में मंत्री जी ने कहा था कि अपराधी कहीं कोई बात कहता है तो यह पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। यही बात इस प्रकरण में है। यह अरविन्द सिंह गोप राजनीतिक आदमी हैं। उनके ऊपर कभी इस तरह की कोई धाराएं लगी हैं ? जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि वह गुण्डा हैं, माफिया हैं। उनको कभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। अब उनके ऊपर विभिन्न धाराएं लगा दी गई हैं। सुबोध सिंह के कहने पर उनको फंसाया जा रहा है वह शुद्ध राजनीतिक आदमी हैं।

श्री सुखदेव राजभर–

अभी आप एक आदमी के बयान पर चार एम०एल०ए० व मंत्री को अपराधी बता रहे थे। अब यह बात कह रहे हैं तो या तो अपने को विदूड़ा कर लें।

श्री अधिष्ठाता–

अगली सूचना श्री किरनपाल सिंह की है।

श्री सुखदेव राजभर–

इसमें अपराधी के कहने पर मुल्जिम बनाया गया है। अपराधी का बयान है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, इसका स्पष्टीकरण हो जाने दीजिए। क्या अरविन्द सिंह गोप के ऊपर कभी कोई इस तरह के गम्भीर चार्ज नहीं लगाए गए हैं ?

कौन सी धाराएं और कब लगाई गई थीं ? राजनीतिक छोड़कर आप बता दें तो मैं मान लूंगा कि वह बड़ा अपराधी और माफिया गिरोह का सरगना है।

श्री सुखदेव राजभर–

माननीय कुंवर जी वरिष्ठ सदस्य हैं। आपराधिक चरित्र कब बनेगा इसका कोई निश्चय नहीं है। अगर किसी ने गोली मारी और 302 में डाल दिया गया तो वह यह नहीं है कि मुझ पर तो कभी 351 मुजरिम होने का अपराध नहीं इसलिये मैं अपराधी कैसे बनूंगा ?

श्री अधिष्ठाता–

इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है। अब मैं दूसरी सूचना ले रहा हूं।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

मान्यवर, संसदीय कार्य-मंत्री अधिवक्ता हैं और विद्वान भी हैं। आपसे कहा जा रहा है, मांग की जा रही है कि लखनऊ के डी०आई०जी० से इसकी जांच करा लें।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, इसमें डी०आई०जी० से जांच कराने में क्या जाता है ?

* श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक अविलम्बनीय और लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। बुलन्दशहर में एक सहकारी सूत मिल है वहां हजारों कर्मचारी हैं और उन कर्मचारियों का वेतन और विभिन्न प्रकार के भत्तों का विभिन्न खण्डों का 20 करोड़ रुपया बकाया है। सारे कर्मचारी एक पखवारे से हड़ताल कर रहे हैं, आन्दोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और मान्यवर, उनकी मांग यही है कि जब राज्यपाल का शासन था इस प्रदेश में....

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

मान्यवर, हमारी पार्टी के सदस्य बोल रहे हैं। हमको ऐतराज नहीं है लेकिन हम डी०आई०जी० से जांच करवाने के लिये कह रहे हैं, इसका आश्वासन दे दें।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है और दूसरी सूचना ले ली है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

सिर्फ जांच कराने की बात कह रहे हैं।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, पांच को सुना और 4 को विशेष उल्लेख में दे दिया। माननीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया कि विशेष उल्लेख में शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाय। आप इस पर चर्चा करा रहे हैं। निर्देश हैं कि विशेष उल्लेख में शासन का ध्यान आकृष्ट कराया जायेगा।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि न्याय किया जाय। न्याय की याचना करना चाहता हूं। ओम प्रकाश जी ने अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न किया है। उस व्यक्ति को राजनीतिक कारणों से तमाम मुकदमों में फंसाने की कोशिश की जा रही है। इस बात की सजा दी जा रही है कि वह तत्कालीन मुख्यमंत्री जो कि एक जाति विशेष के थे वह नहीं सोच सकते थे कि उनकी जाति का कोई आदमी उनके खिलाफ चुनाव लड़ेगा। उनकी जाति का प्रत्याशी हो सकता है, उसमें उसको इतनी बड़ी सजा दी जाएगी। वह समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था। हम न्याय की मांग करते हैं, हम आग्रह करते हैं संसदीय कार्य-मंत्री जी से आपके माध्यम से आवाज पहुंचा रहे हैं, वह हमारी आवाज सुन नहीं रहे हैं आप सीधे-सीधे निर्देशित करें। इसमें आप उच्चाधिकारी से जांच करा दें। हम एजेन्सी बदलने की बात नहीं कर रहे हैं। उच्चस्तरीय जांच की बात कर रहे हैं किस तरह से समाजवादी कार्यकर्ता को फंसाने की गम्भीर साजिश की जा रही है इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसमें डी०आई०जी० से जांच करा दें। शासन पर वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा, अलग से आयोग गठन की बात भी नहीं है। संसदीय कार्य-मंत्री के टेलीफोन से हो जाएगा। हम डी०आई०जी० कश्मीर से बुलाने की बात तो कर नहीं रहे हैं, असम का डी०आई०जी० बुलाने की तो बात है नहीं, इसमें आप डी०आई०जी० से जांच करा दें। मेरा आपसे अनुरोध है संसदीय कार्य-मंत्री इसमें उच्च स्तरीय जांच करा दें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

इसमें शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया गया है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

आपका ध्यान अगर आकृष्ट हो गया है तो इससे अच्छी क्या बात है ? संसदीय कार्य-मंत्री जी घोषणा कर दें ।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

डी०आई०जी० से मान्यवर, जांच करा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

इसमें शासन का ध्यान आकृष्ट हो गया है ।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

मैं पांच वर्ष से सदस्य रह चुका हूं, ऐसा न करें कि हम सदन के वेल में आए तो आप हमारी बात सुनें । हम केवल डी०आई०जी० से जांच कराने की बात कर रहे हैं । दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा । एक अधिकारी के कहने पर मुल्जिम बना दिया गया । आप एफ०आई०आर० देख लें क्या एफ०आई०आर० देखने से वह अभियुक्त लगता है ?

(व्यवधान)

अधिष्ठाता महोदय, संसदीय कार्य-मंत्री जी गेस्ट हाउस कांड की पीड़ा की वजह से फंसाने की बात है तो आप बता दें ?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

संसदीय कार्य-मंत्री जी ने आपकी बात का जवाब दे दिया है पीठ से निर्देश हो चुके हैं ध्यान आकृष्ट कराया जा चुका है । दूसरी सूचना ले ली गई है ।

(व्यवधान)

इस सूचना में विशेष उल्लेख के तहत दो मिनट का समय दिया गया था और इतना समय हो गया है । सारी बातें आ गई हैं ।

श्री राम करन आर्य–

302 दफा, गुण्डा ऐक्ट और अनेक दफाओं में विपक्षी दलों को इस तरह से फंसाया जाएगा यह ठीक नहीं है सत्ता में रहकर आप इस तरह से न करें । हम भी सत्ता में रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

सारी बातें आ गई हैं ।

(व्यवधान)

माननीय किरनपाल सिंह जी आप बोलें ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, पहले सदन तो व्यवस्थित करें ।

श्री पारसनाथ यादव–

मान्यवर, अगर किसी के ऊपर 307 का मुकदमा सिर्फ इसलिए लगा दिया जाय कि वह एक दल से जुड़ा हुआ है, उसे अपराधी घोषित कर दिया जाय तो यह उचित नहीं है । डी०आई०जी० से जांच करायें ।

श्री अधिष्ठाता–

इसमें शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है ।

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, मेरे ऊपर भी 75 मुकदमें हैं । मैं भी 75 मुकदमों का मुल्जिम हूं ।

(विपक्ष के श्री राम करन आर्य, श्री राम लाल अकेला, श्री राधेश्याम सिंह, श्री नारद राय, श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर) तथा श्री वसीम अहमद आदि सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा ।)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अपने स्थान पर जायें ।

(विपक्ष के कई सदस्य सदन के फ्लोर पर खड़े होकर कहते रहे कि डी०आई०जी० से जांच करायी जाय)

श्री अधिष्ठाता–

आप पहले अपने स्थान पर जायें

(विपक्ष के फ्लोर पर आये हुए सदस्यगण अपने स्थानों पर वापस चले गये ।)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, वह न्यायिक हिरासत में है, कोर्ट में हाजिर हो गये हैं, गैंगस्टर ऐक्ट लगा है । इसकी एक प्रक्रिया होती है । नीचे की तफतीश चल रही है उसकी विवेचना हो रही है । उस विवेचना में न्याय मिलेगा यह विश्वास रखें ।

(विपक्ष के सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर बोलते रहें जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, एक दरोगा से तफतीश करायी जा रही है । जब मंत्री नहीं सुनेंगे तो एक दरोगा पर राजनीतिक दबाव पड़ेगा तो कैसे निष्पक्ष जांच कर पायेगा ?

श्री अमर मणि–

मान्यवर, अगली मद ले लें । मंत्री जी का बयान आ ही चुका है ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अमरमणि–

अधिष्ठाता जी, आप अगली मद ले लें, उसे शुरू कर दें ।

(विपक्ष के सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर जांच की मांग करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया)

श्री दद्दू प्रसाद–

मान्यवर, यह सदन की अवमानना है, पीठ की अवमानना है ।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की जाती है ।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अधिष्ठाता ने 4 बजकर 50 मिनट पर सदन की कार्यवाही 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी । 5 बजे अधिष्ठाता श्री श्याम सूरत उपाध्याय के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, नियम–56 में इसका नोटिस दिया गया था उसमें विशेष उल्लेख के रूप में श्री ओम प्रकाश (ओ०पी०सिंह), श्री बलराम यादव एवं अन्य सदस्यों ने बात कही । मान्यवर, एक छोटी सी मांग माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी से हमने रखी थी कि जो जांच एजेंसी रखी है उसमें हमने बदलाव की बात नहीं रखी । हमने कहा कि जो जांच एजेंसी है वह पक्षपात से भरी हुई है और टूटे मनोबल से चल रही है और राजनीति दखलंदाजी इतनी है कि एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती है इसलिए निवेदन किया कि इस प्रकरण की जांच अपने किसी डी०आई०जी० से करा लें इसी परिक्षेत्र के डी० आई० जी० से कराना चाहते हैं तो उसी से करा लें या उससे ऊपर के किसी अधिकारी से करा लें और मान्यवर, ऐसे व्यक्ति के लिए कह रहे हैं जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है वैसे तो आपके कैबिनेट में अपराधी शामिल हैं आप उनको रखिये अपराधी यहां आते हैं और उनके कक्षों में मिलकर चले जाते हैं मान्यवर, एक व्यक्ति किसी पार्टी का राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते वह व्यक्ति जो तत्कालीन मुख्यमंत्री के खिलाफ उनकी चुनौती को स्वीकार करता हुआ लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध चुनाव लड़ने का काम करता हो उसको एक नहीं अनेकों मुकदमों में फंसाने की साजिश है । एक मुकदमा चला फिर गैंगस्टर लगा, फिर तीसरा–चौथा मुकदमा चला यह अपने राजनीतिक विरोधियों से बदला लेना चाहते हैं । सरकार उनके मुकदमों को वापस लेने की घोषणा करे । मान्यवर, जो हालात हैं उसमें दरोगा जो इंवेस्टीगेशन आफीसर है वह राजनीतिक पक्षपात से मुक्त नहीं हो सकता है । आप डी०आई०जी० स्तर के ही किसी अधिकारी से जांच करवा लें । मैं तफ्तीश की बात नहीं करता हूं । मैं जांच की बात कह रहा हूं । उसके बाद अगर इन्वेस्टीगेशन की आवश्यकता पड़ती है तो जो इन्वेस्टीगेशन एथारिटी है उससे आप इन्वेस्टीगेट करावे । मान्यवर, अगर आपका संरक्षण नहीं होगा तो इस सदन में कैसे हम अपनी बात कह पायेंगे, हम अपनी बात कहां रखेंगे ?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, हम तो कई बार कह चुके हैं । आपकी पीठ से निर्देश हो गया कि शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है हमने स्वीकार किया और उसके आधार पर शासन कार्यवाही करेगा और किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जायेगा । एक विवेचना प्राइमरी स्टेज पर चल रही है कहीं न कहीं विश्वास रखना पड़ेगा कहीं न कहीं नीचे विश्वास आयेगा तभी तो काम चलेगा । मैंने पहले भी कह दिया है ।

श्री अधिष्ठाता–

केवल उल्लेख करने के लिए स्वीकार हुई थी । माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी ने जो कहना था कह दिया है ।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

मान्यवर, वह छात्र नेता है उसका कहीं कोई अपराधिक इतिहास नहीं है । मैंने न्याय दिलाने की बात कही थी, मैंने यह नहीं कहा था कि उल्लेख कर लीजिए, मैंने रिक्वेस्ट किया था ।

श्री अधिष्ठाता–

शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया गया अब इस प्रकरण को समाप्त करें ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, ये पीठ से न्याय की बात कर रहे हैं पीठ निर्देश दे दे कि डी०आई०जी० उसकी इन्क्वायरी कर लें । बस इतनी बात है ।

श्री अधिष्ठाता–

यह प्रश्न केवल उल्लेख के लिए स्वीकार हुआ था, आपने अपनी बात कह दी, माननीय संसदीय कार्य-मंत्री ने उत्तर दे दिया और पीठ की तरफ से शासन का ध्यान इस प्रकरण पर आकृष्ट कर दिया गया अब शासन स्तर पर कार्यवाही होनी है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, जिद करके, प्रतिष्ठा का बिन्दु बनाकर कि हमारे दारोगा की जांच के ऊपर कोई जांच न हो यह कहां उचित है ?

मान्यवर, फर्जी मुकदमों की फेहरिश्त बन रही है, तमाम अपराधिक मामलों में फंसाने की पृष्ठभूमि बनायी जा रही हैं उसकी पहली कड़ी में यह मामला है । इसलिए मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच डी०आई०जी० से मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं कि सक्सेना डी०आई०जी०, श्रीवास्तव डी०आई०जी०, सिंह डी०आई०जी० से करा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी का जवाब आ गया अब इस प्रकरण को समाप्त करिये ।

श्री अम्बिका चौधरी–

आप मान्यवर, संरक्षण नहीं देंगे तो हम कहां संरक्षण मांगने जायेंगे । मेरी इतनी छोटी मांग है ।

श्री अधिष्ठाता–

आपने 3–3 बार अपनी बात रख दी, संसदीय कार्य-मंत्री ने उत्तर दे दिया । अब पीठ से शासन पर दबाव नहीं बनाया जा सकता ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आपकी कृपा आपने इस बात का उल्लेख कर दिया कि विशेष उल्लेख में 2 मिनट का अवसर दिया और उससे इस समय तक हम अपनी बात कहते रहे । मान्यवर, यह सदन निश्चित रूप से सुनने सुनाने का फोरम है लेकिन हमारी बता आ जाय, या हमारा भाषण कार्यवाही में रिकार्ड हो जाय यह इसका उद्देश्य नहीं है । आप जैसे सुविज्ञ, अनुभवी और परम्पराओं के ज्ञाता आदमी पीठ पर विद्यमान हैं । हम कहना चाहते हैं कि महज हमारी बात का उल्लेख हो जाय यह काफी नहींहै हमारी

समस्याओं के निराकरण में सदन की भूमिका क्या है ? एक राजनीतिक कार्यकर्ता को फंसाने के लिए इतनी गम्भीर साजिश है, उस पर सदन का अंकुश क्या है ?

मान्यवर, उससे बड़ा सवाल है कि आखिर इन सवालों पर सदन का कोई अंकुश नहीं है तो चर्चा का औचित्य कल की तारीख में समाप्त हो जायेगा । यहां प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार नहीं दिये जायेंगे । इसका उद्देश्य यह है कि संविधान के निर्माताओं और इस परम्परा के बनाने वालों के मन में यही बात नहीं थी कि कार्यवाही में भाषण नोट हो जायेगा । सदन की जो भूमिका है और इन समस्याओं पर सरकार की तरफ से जो कमी होती है उनको सुधारा जाता है । शायद इसीलिए हम कहते हैं कि सदन को चलने दो तो इस सवाल को हम उठायेंगे । इतनी छोटी सी बात हम कह रहे हैं कि अपनी ही एजेंसी डी०आई०जी० से जांच करा लें । मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि आप सरकार को निर्देशित करें । आप समर्थ हैं इसलिए आप से कह रहा हूं । आप पीठ से दिशित करें कि डी०आई०जी० या उसकी किसी अन्य इकाई से जांच करवा लें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय चौधरी साहब आपने अपनी पूरी बात कह दी, सारी बातों का उल्लेख किया, मांग प्रस्तुत की । माननीय संसदीय कार्य-मंत्री ने अपना उत्तर दिया । पीठ से कोई शासन पर दबाव नहीं बनाया जा सकता है कि शासन कार्यवाही करे । यह शासन पर निर्भर करता है कि वह आपकी मांग को स्वीकार करता है या नहीं ।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

अधिष्ठाता महोदय, हमें न्याय चाहिए, हम न्याय की गुहार कर रहे हैं, हमको न्याय मिले । मैं तो कह के चला जाऊंगा उससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा । जिसकी पूरी की पूरी जिन्दगी नौजवानों, किसानों पर समर्पण है । मान्यवर, 20 तारीख को बाराबंकी में इसके लिए प्रदर्शन हो चुका है, इस बात को लेकर प्रदर्शन हो चुका है । इस पीठ से कम से कम न्याय मिलेगा इसलिए आपकी पीठ से अनुरोध किया ।

श्री अधिष्ठाता–

यह प्रकरण सदन के संज्ञान में आ चुका है, इस पर संसदीय कार्य-मंत्री विचार करेंगे जो उचित होगा निर्णय लेंगे ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, हमारे जनपद बुलन्दशहर में सहकारी समिति मिल के हजारों कर्मचारी पिछले 15–20 रोज से आन्दोलनरत हैं, भूख हड़ताल पर हैं, धरना दे रहे हैं । मान्यवर, उनका लगभग 20 करोड़ रुपया बकाया है, वेतन का एवं भत्तों का फण्डों का । मान्यवर, राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल ने 10 करोड़ रुपया दिया था मिल के कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए, शासन से भी लिखा गया था । नवम्बर, 2000 में हथकरघा निगम के निदेशक के लिए कि यह रकम वहां ट्रांसफर कर दी और इसे कर्मचारियों में बांट दिया जाय । लेकिन मान्यवर, आज तक वहां एक भी पैसा बांटा नहीं गया, उस पैसे का यह भी पता नहीं कि दुरुपयोग हो गया, या कहीं और इस्तेमाल कर लिया गया है या कोई बीच में खा गया है । पूरे जिले में पिछले 15–20 दिन से कोहराम मचा हुआ है । इस आन्दोलन से हजारों परिवार प्रभावित हैं, इस आन्दोलन में किसान यूनियन भी कूद पड़ी है और वह मजदूरों के साथ है । रास्ता रोको, कचेहरी का घेराव करने का, काम जो भी कुछ हो सकता है, वह हो रहा है और कुछ रास्ता नहीं निकल रहा है कि कैसे इसे हल किया जाय ? राज्यपाल शासन में जो पैसा मिल चुका है, उसका भी पता नहीं है । मैं चाहूंगा कि यह आन्दोलन और उग्र रूप धारण न कर लें, इसलिये समय रहते इस पर ध्यान दिया जाय

और मजदूरों के लिये जो 10 करोड़ रुपया अवमुक्त किया जा चुका है, उसका भी पता लगा करके मजदूरों में बंटवाया जाय और जो बाकी पैसा बचा है, उसका भी इन्तजाम किया जाय ? मैं अपनी बात पर बल देते हुये माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वह इसे कब तक दिलवा देंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, कुछ तो आश्वासन दिलवा दें । 10 करोड़ रुपया जा चुका है, उसका पता लगाया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया गया है ।

श्री किरन पाल सिंह–

यह सरकार मजदूर विरोधी है और गरीब, मजदूर, किसान की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसके विरोध में मैं सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री किरन पाल सिंह ने सदन का त्याग किया)

* श्री कैलाश यादव–

मान्यवर, हमारे यहां लाइर्स डिस्टलरी, सिहोरी, नंदगंज में काफी दिनों से चल रही है और उसका गंदा पानी आस-पास के अतरसुइया, सिहोरीख भरवा आदि तमाम गांवों में सैकड़ों एकड़ जमीन पर खेती को नुकसान कर रहा है । इस वजह से जिन खेतों में गेहूं और धान पैदा होता है, वहां गंदा पानी भरा हुआ है । वहां इसके लिये प्रदर्शन भी हुआ, फैक्ट्री मालिक से बात भी हुई है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई । यह डिस्टलरी का पानी कम से कम 20 कि०मी० तक फैला हुआ है, इससे सैकड़ों गांव प्रभावित हैं, पूरे क्षेत्र में मच्छर और बदबू आती है । सारे क्षेत्र की जनता इससे परेशान है । वहां के गरीब किसान गेहूं-धान आदि नहीं बो पा रहे हैं, उनकी खेती योग्य जमीन है जो गंदे पानी से भरी है । मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इन किसानों के परिवार भुखमरी के कगार पर हैं, इस समस्या को तत्काल हल कराये जाने की आपसे मांग करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया । अगली सूचना श्री राम गोविन्द चौधरी की है ।

*श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने जो नियम–56 के अन्तर्गत कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है, यह ग्राह्यता की सभी शर्तों को पूरा करती है । यह अविलम्बनीय है, निश्चित है और लोकमहत्व की है । अभी एक हफ्ता पहले सी०बी०सी०आई०डी० वाराणसी द्वारा बलिया जनपद के दर्जनों माध्यमिक विद्यालयों को प्रबन्धक, प्रधानाचार्यों और कुछ टीचरों पर एफ०आई०आर० लिखाया गया है । वह केस इस पर लिखाया गया है कि 1991-92 में कुछ अध्यापकों की नियुक्ति हुई थी और किसी ने यह एप्लीकेशन दिया कि यह नियुक्ति फर्जी हैं, इस पर मामले की जांच हुई और सितम्बर, 1995 में जांच के नाम पर अध्यापकों का वेतन रोक दिया गया उसके बाद 23-9-1995 को शिक्षा निदेशक माध्यमिक द्वारा प्रकरण की जांच का आदेश दिया गया । उसके बाद 5-10-1995 को प्रमुख सचिव, शिक्षा द्वारा उपरोक्त

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रकरण की जांच सी०बी०सी०आई०डी० को सौंपी गयी । फिर 3-2-1996 को शासन के आदेशानुसार विभागीय जांच समिति बनायी गयी । उसके बाद 16-10-1996 को जांच समिति ने पूरे प्रकरण की जांच कर प्रकरण का निस्तारण कर दिया तथा जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया को उपरोक्त आधार पर वेतन अवमुक्त करने हेतु निर्देशित किया । इसके बाद 11-8-1997 को शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने दिनांक 16-10-1996 के आदेश के अनुपालन हेतु पुनः जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया को निर्देशित किया । विभागीय जांच समिति के आदेश दिनांक 16-10-1996 के अनुपालन में जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया द्वारा लगभग 24 माह बाद उपरोक्त प्रकरण का निस्तारण करते हुये संबंधित अध्यापकों/कर्मचारियों का जुलाई, 1995 से स्थगित वेतन अवमुक्त किया गया । फिर 25-4-2002 को जिस प्रकरण की जांच समिति के द्वारा निस्तारित हो चुकी है, उसी प्रकरण में पुनः सी०बी०सी०आई०डी० वाराणसी द्वारा शहर कोतवाली बलिया में 6 प्राथमिकी दर्ज करायी गई है । श्रीमन् कार्मिक अनुभाग का आदेश है संख्या–327 को०–1/27 लखनऊ दिनांक 8 मई० 1987 उसके प्रस्तर 12 में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि किसी अनियमितता में एक बार जांच कर मामला अन्तिम रूप से निस्तारित कर दिया गया हो उसी अनियमितता पर पुनः जांच नहीं करायी जा सकती । शिक्षा विभाग द्वारा पुनः सी०बी०सी०आई०डी० को आधार बनाकर कर्मचारियों का पूरा वेतन रोकने का प्रयास है । निदेशक ने विभागीय जांच समिति बना दी, समिति ने जांच की । जांच के बाद उसने कहा कि जितने दिन से वेतन रुका है, 1995 से अब तक सारा वेतन दे दिया जाय और सी०बी०सी०आई०डी० के लिए जांच गयी तो घूम-घूम करके अध्यापकों और प्रिन्सिपल से कहा कि पैसा दीजिए नहीं तो फाइनल नहीं लगायेंगे । अध्यापक कहां पैसा देते रंजिश में आकर सी०बी०सी०आई० डी० ने प्राथमिकी दर्ज करा दी । एक जांच विभागीय हो गयी । जहां तक जांच की बात है तो नियुक्ति शिक्षा विभाग में गलत है या सही है, शिक्षा विभाग इसका निस्तारण करेगी पुलिस को इसमें नियमों की क्या जानकारी है ? शिक्षा विभाग ने विधिवत जांच करके इस मामले को समाप्त कर दिया ।

अब पुलिस ने फिर इसमें जांच शुरू कर दी है । मेरा कहना है कि स्पष्ट उल्लेख भी है कि विभागीय जांच हो जाये तो उसका निस्तारण हो जायेगा । जो सी०बी०सी०आई०डी० की रिपोर्ट है उसको सरकार को तत्काल वापस लेना चाहिए और अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि इस पर वक्तव्य दिलवा देंगे । इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार इस पर वक्तव्य दे । बलिया जनपद में इस मामले को लेकर हड़कम्प मचा हुआ है, चाहे प्रधानाचार्य हों, लेक्चरर हों, हजारों लोगों के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है, इस पर तत्काल वक्तव्य दिलवा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

श्रीमन्, माननीय अध्यक्ष जी, ने इस पर वक्तव्य के लिए कहा था ।

श्री अधिष्ठाता–

शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया गया है, शासन उचित कार्यवाही करेगा ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो मैंने नियम–56 में सूचना दी है, वह ग्राह्यता की सभी शर्तों को पूरा करती है । यह तात्कालिक और लोक महत्व की सूचना है । इस समय पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है, दिनों-दिन घटनायें बढ़ रही हैं,

डकैत, बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं। प्रदेश की राजधानी में डकैतियां एवं अपहरण हो रहे हैं। मान्यवर, कल दिनांक 27-8-02 को प्रातः ग्राम कटका थाना सहजनां, गोरखपुर में सामूहिक नरसंहार हुआ है उसके बारे में बताना चाहता हूं जिसमें इन्दल पुत्र कोलही, रामसुभग पुत्र रूपयी तथा पप्पू को गोलियों से भून दिया गया तथा शारदा, फूलादेवी, इन्दरेश, हुबलाल तथा सावित्री सहित दर्जनों लोग घायल हैं, गम्भीर चोटें आयी हैं, उनके मरने की आशंका है। यह भी पता चला है कि कटका गड़रा टोला के प्रशान्त सिंह, महेश सिंह, पृथ्वी सिंह, ध्रुव, पिन्टू, लक्ष्मी सिंह, उपेन्द्र सिंह आदि ने असलहों से लैस होकर घेरा बन्दी कर सामूहिक नरसंहार किया है। यह विवाद बेकारी में मकान पर चूना लगाने को लेकर हुआ। यह अत्यन्त लोक महत्व का विषय है। इसी तरह से आज हम देख रहे हैं कि परसों इतवार को मैं जालौन और झांसी से होकर आ रहा हूं वहां पर अपराधी और डकैत खुलेआम घूम रहे हैं, प्रतिदिन अपहरण और डकैतियां हो रही हैं। इसी तरह से जनपद बांदा के सवादा ग्राम के नाविकों को यमुना नदी से फूलचन्द्र निषाद आदि का अपहरण ग्राम सैमसी थाना जाफरगंज फतेहपुर के सामंतों द्वारा किया गया है वह अभी लापता हैं, उनके हत्या की आशंका है। जनपद बांदा में ही शिव प्रसाद गुप्ता की हत्या तथा थाना पैलानी के ग्राम साड़ी के उपरौत डेरा सामन्तों द्वारा खाली करा दिया गया है जिससे वहां भय और आतंक पैदा हो गया है। सैकड़ों लोगों का बस्ती, घर, द्वार, खेती, जानवर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया है। इसी तरह से थाना–पैलानी (बांदा) ग्राम पड़ेरी मरझा में पाल समाज के संतपाल के घर सामन्तों द्वारा गिराने का काम किया जा रहा है। मान्यवर, पूरे प्रदेश में कानून-व्यवस्था चरमरा गयी है। चित्रकूट जनपद में ऋषि कुमार पहाड़िया की हत्या चित्रकूट जनपद में मान्यवर, ऋषि कुमार पहाड़िया की घटना में हत्या हो गयी है। यह घटना जो गोरखपुर में हुई है, यह बहुत ही हृदय विदारक घटना है, इसमें तीन लोगों की हत्या हुई है, इसमें इन्दल, राम सुभग तथा पप्पू इन तीन लोगों की हत्या हुई है और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि मृतकों के परिवारों को एक-एक लाख रुपये तथा घायलों को 50-50 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाय। मान्यवर, इस समय जो अपराधिक आंकड़े हैं जब से बसपा-भाजपा की सरकार बनी है। 1150 हत्यायें हो गयी हैं, 420 अपहरण हुए हैं, 234 बलात्कार और 1150 दलित उत्पीड़न की घटनायें हुई हैं। इनके राज में मान्यवर, पानी मंहगा हो गया है और खून सस्ता हो गया है। यह सरकार संवेदनशील नहीं है, इस सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। मान्यवर, कल ही फैजाबाद में भुखमरी से पीड़ित होकर कुएं में चार बच्चों सहित एक गरीब ब्राह्मण कूद कर जान दे दिया। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस तरह की जो हृदय विदारक घटनायें हो रही हैं उन पर संज्ञान लिया जाय और तुरन्त कार्यवाही की जाय और गोरखपुर में जो नरसंहार हुआ है उसमें मृतकों के परिवारीजनों को एक-एक लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

श्री राम नरेश यादव की सूचना पर श्री राम गोविन्द चौधरी और विशम्भर प्रसाद निषाद को सुनने के बाद .....

(व्यवधान)

सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है और बाकी श्री कौशल किशोर, श्री संजय गर्ग, श्री रामजीत राजभर, श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री श्याम नारायण, श्री प्रेमपाल सिंह यादव, श्री मूलचन्द्र, श्री सीताराम निषाद, श्री अनिल कुमार सिंह, श्री शिशुपाल सिंह यादव, श्री प्रभु नारायण सिंह, श्री पूर्णमासी देहाती, डा० पी० के० राय, श्री राम विशुन आजाद, श्री बैजनाथ दुबे, डा० शिव प्रताप यादव, श्री अम्बिका चौधरी, श्री विजय कुमार मिश्रा, श्री परमेश्वर दयाल, श्री नारद राय, सुश्री सन्ध्या

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा और मतदान–अनुदान संख्या–50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन), अनुदान संख्या–51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत), अनुदान संख्या–52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

* राजस्व मंत्री (श्री रवि गौतम)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,65,85,01,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 82,28,04,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,85,72,97,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(व्यवधान होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए अपने सदस्यों को आदेश करें ।

श्री रवि गौतम–

मान्यवर, प्रदेश के भूमि सम्बन्धी अभिलेखों के समुचित रख-रखाव कृषि उपज सम्बन्धी आंकड़ों के आकलन भूमि विवादों के निपटारे भूमि सुधार सम्बन्धी कार्यक्रमों का सृजन एवं उनका क्रियान्वयन तथा राजस्व में वृद्धि के लिए देयों की वसूली जैसे मुख्य कार्यों का निष्पादन राजस्व प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य है ।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सहयोग, अन्य विभागों की सामाजिक आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन के साथ-साथ दैवी आपदा के प्रसंग में राहत कार्यों के सम्बन्ध में भी राजस्व विभाग की प्रमुख भूमिका है । वित्तीय वर्ष 2001-2002 की अवधि में राजस्व प्रशासन के महत्वपूर्ण उपलब्धियों एवं उल्लेखनीय क्रिया-कलापों के साथ-साथ वर्ष 2002-2003 के लिए निर्धारित लक्ष्यों का विवरण ।

मान्यवर, दीन-हीन शोषित पीड़ित, गरीब, मजूदर, किसान, व्यापारी, अधिकारी, कर्मचारी, अधिवक्ता कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिससे राजस्व विभाग किसी न किसी रूप से जुड़ा न हो । मान्यवर, उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है । यूं तो पूरा हिन्दुस्तान ही कृषि प्रधान देश है लेकिन उत्तर प्रदेश इसका महत्वपूर्ण प्रदेश है और इस प्रदेश की पूर्ण अर्थ व्यवस्था कृषि से जुड़ी है । यहां पर 85 प्रतिशत कृषक समुदाय है और जो बाकी लोग हैं वह किसी न किसी प्रकार से राजस्व विभाग से जुड़े हैं । कृषकों के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हित में बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य राजस्व विभाग द्वारा हुए हैं । कृषक पहले दर-दर की ठोकर खाता है छोटे से अभिलेख के लिए । उसको बड़ी परेशानी होती थी । राजस्व विभाग द्वारा अब उसको जोत बही देने की व्यवस्था की गयी है जिससे उसको कठिनाई व परेशानी नहीं होती है ।

मान्यवर, प्रदेश के लगभग 2.41 करोड़ जोत धारकों को उनकी भौमिक सम्पत्ति के बारे में समुचित जानकारी रहे इसके लिए भू-राजस्व अधिनियम की धारा–33 में आवश्यक संशोधन के उपरान्त किसान बही की छायाप्रतियों को विधिक मान्यता प्रदान करते हुए किसान बही नियमावली प्रख्यापित कर दी गयी है । प्रदेश में चकबन्दी अथवा रिकार्ड आपरेशन के अन्तर्गत ग्रामों को छोड़कर शेष ग्रामों के 2,41,25,262 कृषकों को किसान बहियां उपलब्ध कराने के शत-प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है । इसके अतिरिक्त चकबन्दी अथवा रिकार्ड आपरेशन से 30-6-2002 तक बाहर आ गये 6782 ग्रामों के 8,23,021 किसानों को भी किसान बहियों का वितरण किया जा चुका है । इस प्रकार कुल 2,49,48,283 किसान बहियों का वितरण किया जा चुका है ।

मान्यवर, दाखिल खारिज हेतु एक समय सीमा बांध दी गयी है और उसमें 35-45 दिन में दाखिल खारिज हो जाता है और लोगों को परेशानी नहीं होती है । अब समयबद्ध तरीके से दाखिल खारिज कर दिया जाता है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

कोई नई बात हो तो बता दें ।

श्री रवि गौतम–

आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं, विषय से अलग हटकर चले जाते हैं मैं तो विषय पर हूं । मान्यवर, किसान के सम्बन्ध में, किसान के हित में राजस्व विभाग द्वारा तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है । तहसील दिवस पर किसानों की समस्याओं को सुनने के बाद उनका पंजीकरण किया जाता है । जिससे कि उसको समय पर न्याय मिल सके और अधिकारीगण कों उसके लिए बाध्य किया जा सके । भूमि सुधार जैसे कार्य भी राजस्व विभाग करता है उससे सम्बन्धित ऐसे लोग हजारों लाखों ऐसे बेघर लोग ऐसे लोग जो बेरोजगार हो गये कृषि से जुड़े हुए थे आज दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं राजस्व विभाग उनके लिए कृषि के पट्टे और उनका सर छिपाने के लिए ऐसी व्यवस्था कर रहा है जिससे वह अपनी झोपड़ी डाल सके । आवास आवंटन भी करता है । जो विधेयक आपने पारित किया है उससे पूर्ण न्याय मिलने में विलम्ब होता था अब आज स्थिति यह है कि उस विधेयक के पारित होने से चकबन्दी विधेयक पारित होने से न्याय मिलने में आसानी मिलने लगी है । जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 120 बी में भी गांव सभा की भूमि पर बेदखली नोटिस का उत्तर देने में पहले तीन माह का समय लगता था अब इसे 30 दिन कर दिया गया है । जिससे साधारण व्यक्ति को और गरीब व्यक्ति को न्याय मिलने में आसानी हो सके । उक्त अधिनियम की धारा 198 ए भूमि आवंटियों को भूमि पर बार-बार कब्जा करने वाले दबंगों के खिलाफ भी अब ऐसी व्यवस्था कर दी गयी है कि जिससे उन पर दण्ड प्रक्रिया लागू हो यह पांच हजार से 15 हजार की अर्थ दण्ड की व्यवस्था कर दी गयी है । जिससे कि अब किसी की हिम्मत न हो सके कि वह किसी गरीब की भूमि पर आवंटित भूमि पर कब्जा न कर सके । हमारी सरकार ने राजस्व विभाग ने ऐसे लोगों के लिए जो परम्परागत पेशों से जुड़े हुए लोग थे छोटे-छाटे मजदूर थे गांव में कुम्हारी कला का काम करते थे । छोटे-छोटे धन्धों से जुड़े हुए थे । आज हमारी सरकार ने व्यवस्था की है कि मत्स्य पालन कुम्हारी कला करने वालों को पट्टे आवंटन की व्यवस्था की है । भूमि सुधार उसी के अन्तर्गत मत्स्य पालन होता है तालाब पोखर कुम्हारी

कला प्रोत्साहन हेतु पात्र व्यक्तियों को लक्ष्य के अनुरूप भूमि का आवंटन सुनिश्चित किया है । वर्ष 2002 में मत्स्य पालन हेतु 3 हजार लक्ष्य के विपरीत 737.051 हेक्टेयर की उपलब्धि रही है ।

कुम्हारी कला करने वाले व्यक्तियों को 2002-2003 में 2500 के लक्ष्य के सापेक्ष 973 क्षेत्र की उपलब्धि प्राप्त की है । वृक्षारोपण हेतु पट्टे और भूमि आवंटन योजना के तहत 2001-2002 में दो हजार हेक्टेयर लक्ष्य के सापेक्ष 2365.750 हेक्टेयर की उपलब्धि रही है । वर्ष 2002-2003 में 2500 हेक्टेयर लक्ष्य के सापेक्ष तीस जून, 2002 तक 463.235 हेक्टेयर उपलब्धि प्राप्त कर ली है । सीलिंग के विषय में भी भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए अतिरिक्त घोषित सीलिंग भूमि के आवंटन का लक्ष्य 250 एकड़ निर्धारित किया यह वित्तीय वर्ष में मार्च, 2002 तक 305 एकड़ भूमि 5453 आवंटियों को आवंटित की जा चुकी है । वर्ष 2002-2003 में 250 एकड़ लक्ष्य के सापेक्ष 30 जून, 2002 तक 137 एकड़ भूमि का आवंटन 254 आवंटियों को किया जा चुका है । इसी प्रकार से राजस्व संग्रह में भी विशेष उपलब्धि इस प्रकार रही । राजकीय देयों की वसूली के अन्तर्गत मुख्य देय तथा विविध देयों की वसूली के रूप में 2001-2002 में 217.99 करोड़ के विरुद्ध 129.92 करोड़ की वसूली यह मुख्य देय तथा 922.99 के विरुद्ध 827.84 करोड़ रुपये विविध देयों के रूप में । 2002-2003 में 261.63 करोड़ के विरुद्ध 34.93 करोड़ तथा विविध देयों की वसूली 696.79 करोड़ के सापेक्ष 197.49 करोड़ की वसूली की गयी यह 1-4-2002 से 30-6-2002 तक वसूल किया गया । मान्यवर, राजस्व वादों के निस्तारण में प्रगति आयी है । राजस्व वादों के अन्तर्गत जनपद स्तरीय न्यायालयों में दिनांक 1-10-2001 से प्रारम्भ हुए राजस्व वर्ष के प्रारम्भ में 322212 वाद शेष थे । 30-6-2002 तक 752372 दायर वादों को मिलाकर कुल 1074507 वाद निस्तारण हेतु उपलब्ध हुए, जिनमें से 728248 वादों का निस्तारण किया गया । कुल 343639 वाद अवशेष रहे । मण्डल स्तरीय न्यायालयों में दिनांक 1-10-2001 से प्रारम्भ हुए राजस्व वर्ष के प्रारम्भ में 64870 वाद शेष थे । 31-5-2002 तक दायर 19460 नये वादों को मिलाकर 84330 वाद निस्तारण हेतु उपलब्ध हुए जिनमें से 36181 वादों का निस्तारण किया गया । कुल 48149 वाद अवशेष रहे । परिषद् स्तर न्यायालयों में कुल 25176 वाद निस्तारण हेतु उपलब्ध थे जिनमें से 3546 वादों का निस्तारण हुआ । राजस्व बन्दी गृहों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है । राजस्व भवनों के निर्माण कार्यक्रमों के अन्तर्गत राजस्व बन्दी गृहों के सुधार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु दस जनपदों के लिए 21.90 लाख की स्वीकृतियां वर्ष 2001-2002 में दी गयी ।

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के प्रथम 6 माह के देय शासन द्वारा 70.00 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसके विरुद्ध 5.60 लाख रुपये की दर से 12 तहसीलों में राजस्व बन्दीगृहों के निर्माण की स्वीकृति दी गयी । जिला मुख्यालयों तथा तहसीलों की आवासीय एवं अनावासीय भवनों के लिए वर्ष 2001-2002 में आयोजनागत मद में 1659.00 लाख की स्वीकृतियां जारी की गयी । वित्तीय वर्ष 2002-2003 में चालू कार्यों हेतु 10.00 करोड़ रुपये का प्राविधान है । वित्तीय वर्ष 2001-2002 में केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत लेखपाल विद्यालय आगरा के नवीन भवन तथा लखनऊ व गोरखपुर के कुल पांच लेखपाल विद्यालय का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है जिनका प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है । ग्यारहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत भारत सरकार ने नवसृजित 13 जनपदों के इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास

हेतु आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु कुल 99.41 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2001-02 में 49.97 करोड़ रुपया 13 जनपदों के अनावासीय भवन तथा 4 जनपदों के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु स्वीकृत की गयी है । वित्तीय वर्ष 2002-03 में उक्त कार्यों हेतु 19.99 करोड़ का परिव्यय अनुमोदित किया गया है । ग्यारहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत जनपद कौशाम्बी, अम्बेडकरनगर, औरैया, चित्रकूट, गौतमबुद्धनगर, सोनभद्र, श्रावस्ती, हाथरस, बलरामपुर, कन्नौज, चन्दौली, बागपत तथा ज्योतिबाफुलेनगर के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण किया जाना है । सर्वेक्षण एवं भू-अभिलेख के अन्तर्गत वर्तमान समय में प्रदेश में 6 सर्वेक्षण इकाईयों के माध्यम से सर्वेक्षण एवं भू-अभिलेख क्रिया का कार्य सम्पन्न कराया जा रहा है । मान्यवर, भू-अध्याप्ति अधिनियम 1894 यथासंशोधित 1984 के प्राविधानों के तहत वित्तीय वर्ष 2001-02 के लिए निर्धारित लक्ष्य 250 करोड़ रुपये के सापेक्ष 260.95 करोड़ रुपये की धनराशि प्रतिकर के रूप में 31 मार्च, 2001 तक वितरित की गयी । 2002-03 में प्रतिकर वितरण हेतु निर्धारित लक्ष्य 250 करोड़ के सापेक्ष माह जून, 2002 तक निर्धारित लक्ष्य 62.49 करोड़ के सापेक्ष 73.85 करोड़ रुपया प्रतिकर के रूप में वितरित किया गया है । मान्यवर, चकबन्दी कार्य में काफी सुधार किया गया है । चकबन्दी के अन्तर्गत सीमा, कब्जा परिवर्तन का विशेष अभियान चलाकर अप्रैल, 2002 से जून 2002 तक 443 ग्रामों का सीमांकन कार्य पूर्ण कराकर नये चकों पर कब्जा हस्तान्तरण की कार्यवाही की गयी । इसी प्रकार धारा–23 में 155000 हे० का लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 30-6-2002 तक 7489 हे० की प्रगति प्राप्त की गयी, धारा–27 के तहत 1400000 गाटो के लक्ष्य के सापेक्ष इसी अवधि में 41424 गाटो की प्रगति पूर्ण की गयी, धारा-52 के अन्तर्गत 1400 ग्रामों के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 30-6-02 तक 37 ग्रामों की प्रगति पूर्ण की गयी । उत्तराधिकार के 5894 लम्बित मामलों में से 3597 मामलों का निस्तारण इसी अवधि में किया गया । वर्ष 2002-03 में दिनांक 30-6-02 तक 5684 पट्टेदारों को असंक्रमणीय भूमिधर से संक्रमणीय भूमिधर में दर्ज करने की कार्यवाही पूर्ण की गयी है (व्यवधान)

एक सदस्य–

मान्यवर, इसको पढ़ा मान लीजिये ।

श्री रवि गौतम–

मान्यवर, भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण करने की हम कार्यवाही चला रहे हैं ताकि किसानों को इंतजार न करना पड़े और उनको सुविधा हो सके । (मेजें थपथपाई गयीं) कम्प्यूटर के माध्यम से यह भी व्यवस्था की जा रही है किसान अपने गांव और खेत से सम्बन्धित जो भी अभिलेख चाहें पूरे प्रदेश में कहीं भी किसी भी स्थान पर हों वह यदि नक्शा प्राप्त करना चाहते हैं तो वह उनको मिल सके इस तरह की योजना बनायी जा रही है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, हमने प्रदेश के 70 जिलों में डाटाइंट्री हेतु कुल ग्रामों की संख्या 98202 में से 31-5-2002 तक 91626 ग्रामों की खतौनी की फीडिंग की जा चुकी है । डाटाइंट्री किए गए कुल गांव 91626 में से 79534 गांवों की त्रुटिरहित खतौनियां तैयार की जा चुकी है ।

(व्यवधान)

प्रदेश के 70 जनपदों में से 40 जनपदों का कार्य पूर्ण हो चुका है । 45 जनपदों में कृषकों को कम्प्यूटरीकृत खतौनियां वितरित की जा रही है । मान्यवर, कैडस्ट्रल मैप में डिजिटाइजेशन के लिए भारत

सरकार से प्राप्त 60 लाख रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है जिसके अन्तर्गत जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में चलायी जा रही है, जिसके अन्तर्गत रु० 500 भू मानचित्रों का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है । कृषकों को उनकी जोतों की खसरा खतौनी एवं भू-मानचित्रों के एकीकृत अभिलेखों की प्रतियां उपलब्ध कराने का लक्ष्य है । इसी तरह से मान्यवर, भू-आवंटियों को कब्जा दिलाने की बात है सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत कब्जा एवं अतिक्रमण जैसी विकट समस्या से निपटने के लिए विभाग द्वारा अभियान चलाकर कार्यवाही की गई है । मान्यवर, 30-6-2002 तक 145000 हे० भूमि पर अवैध कब्जों को हटवाकर 137000 पात्र व्यक्तियों को कब्जा दिलाया गया है (मेजें थपथपाई गई) यह अभूतपूर्व सफलता है । इसी तरह से मान्यवर तहसील कार्यालयों व लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है राजस्व के सुदृढ़ीकरण हेतु 50 प्रतिशत केन्द्र सहायतित योजना है । इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001-2002 के लिए रुपया 787.67 लाख के विरुद्ध रुपया 563.12 लाख की धनराशि प्रदेश के जनपदों की 266 तहसील कार्यालय में सुदृढ़ीकरण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है । इसके अतिरिक्त लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ, टुडला गोरखपुर के निर्माण में वाईस हजार दो सौ चौबीस प्वाइन्ट पचपन लाख की धनराशि स्वीकृति की गयी है । मान्यवर, यह राजस्व विभाग जिला गजेटीयर का मुद्रण भी करता है उसमें प्रगति है । मान्यवर, अभी सूखे की चर्चा हुई । सूखे के बारे में सरकार ने पूरे 70 जनपदों को सूखाग्रस्त घोषित किया । जबकि भारत में अन्य कई प्रदेश सूखा से ग्रस्त हैं लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने संवेदनशीलता दिखायी और उत्तर प्रदेश के सभी 70 जनपदों को सूखाग्रस्त घोषित किया, अन्य राज्यों ने नहीं किया । केवल सूखाग्रस्त ही घोषित बल्कि वसूलयाबी को भी रोका है । आम तौर पर देखा यह जाता था कि जो छोटा कास्तकार है वह हवालात में बन्द हुआ करता लेकिन इस सरकार ने उसे राहत प्रदान की और आज वह सम्मान का जीवन जी रहा है । हमने अधिकारियों से कहा है कि वह वसूली न करें और यह नहीं हो रही है । अगर किसी ने शिकायत की तो हम उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? इस प्रकार की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है ।

मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2002-2003 के प्रारम्भ में समस्त जिलाधिकारी द्वारा विभागों को दैवी आपदा राहत वितरण और पुनर्निर्माण कार्य हुआ । इसमें 1710 करोड़ की धनराशि आवंटित की जा चुकी है । 2002-2003 में दैवी आपदा के तहत तीस जनपदों को बाइस करोड़ दस लाख रुपया पहले आवंटित कर चुके थे । जल व्यवस्था के लिए जल निगम को पचपन करोड़ रुपया व्यवस्था के लिए नगर विकास को आवंटित किया गया जिसमें शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्र आते हैं । मान्यवर, ग्यारह हजार सात सौ अट्ठारह आवेदन किसानों के पड़े थे नलकूपों के उनको कनेक्शन नहीं दिया जा रहा था । राजस्व विभाग में राहत विभाग ने 45 करोड़ रुपया स्वीकृत करके तीस करोड़ रुपया नलकूपों के कनेक्शन के लिए अवमुक्त कर दिया है । मान्यवर, पशुओं को बीमारी होती है । हमने चार करोड़ चालीस लाख रुपया दे दिया था । दस करोड़ रुपया उनके चारे और दवा हेतु इस प्रकार चौदह करोड़ साठ लाख रुपया पशुधन विभाग के लिए दिया गया है । मान्यवर, किसानों को बीज किट जिसमें फसली बीज और चारा बीज इसमें पांच करोड़ रुपया पहले दिया जा चुका था पंचानवे करोड़ और आवंटित किये हैं । केन्द्र सरकार से मांग की है कि साढ़े सात हजार करोड़ जिसमें विभिन्न विभागों से सहायता प्राप्त हुई है, हमने मांग की है, ताकि वहां से राशि मिल जाय और पूरे प्रदेश में एक साथ किसानों को राहत दी जा सके । यह हमने व्यवस्था करी है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अब तक राहत रक्षा की उपलब्धता 268.41 करोड़ थी जिसमें जनपदों को 35.16 करोड़ था और अन्य विभागों को 211.94 करोड़ था इस प्रकार कुल मिलाकर 247.10 करोड़ रुपया आवंटित कर दिया गया है और राजस्व विभाग के पास 21.31 करोड़ अभी शेष है । बिजली विभाग को 30 करोड़ देने बाद 15 करोड़ अभी शेष है जैसे ही हमारे पास उपलब्धता होगी या केन्द्र सरकार से होगी तो उसको दे देंगे । वित्त वर्ष 2002-03 की आपदा निधि में यह प्राविधान किया गया और बजट में जो मांग है उसके अनुरूप वित्तीय वर्ष 2002-03 के

आय-व्ययक में अनुदान संख्या–50 जिला प्रशासन के अन्तर्गत रुपये 2 अरब 92 करोड़ 77 लाख 61 हजार तथा भारित में रुपया 3 लाख 50 हजार की आवश्यकता है । इसी प्रकार अनुदान संख्या–51 में दैवीय विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत के अन्तर्गत 1 अरब 62 करोड़ 95 लाख 58 हजार तथा भारित में 1 करोड़ 87 लाख रुपये की आवश्यकता है । अनुदान संख्या–52 में 5 अरब 91 करोड़ 65 लाख 60 हजार की आवश्यकता है । तथा भारित में 1 करोड़ 47 लाख की आवश्यकता है । मान्यवर, इस तरह की व्यवस्था बजट में की गयी है । मैं ऐसा महसूस करता हूं कि यह राजस्व विभाग किसी एक जाति, वर्ग का किसी एक धर्म का, एक पार्टी के लोगों का नहीं बल्कि सबसे सम्बद्ध है और उत्तर प्रदेश की सारी जनता से जुड़ा हुआ है । मैं सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ओर के माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि यह पारित करने के योग्य है ।

* श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपकी अनुपति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

अधिष्ठाता महोदय, अभी जब मंत्री जी ने अभी जब तमाम मागों का उल्लेख किया तो उन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया कि जैसे सरकार के माध्यम से राजस्व विभाग द्वारा बहुत अच्छा काम किया जा रहा है । धन उपलब्ध कराकर लोगों को सूखे से राहत दिलाने की कोशिश की जा रही है । हमें आशा थी कि वह अपने भाषण में कोई नीतिगत बात बतायेंगे लेकिन उन्होंने एक भी नीतिगत बात नहीं कही । राजस्व विभाग के अन्तर्गत कितने मुकदमें चल रहे हैं इसका भी उन्होंने उल्लेख नहीं किया । सूखा राहत के बारे में, दैवी आपदा के बारे में बात कही लेकिन कोई नीतिगत बात उस पर नहीं कही कोई नीतिगत विचार उस पर नहीं आया । मैं आंकड़ों के जाल में न उलझकर कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मान्यवर, सबसे बड़ा संगठन राजस्व विभाग का या राजस्व परिषद् का आता है । आपका यह प्रशासन, शासन और राजस्व परिषद् यह दोनों मिलकर राजस्व परिषद् को विनियमित करते हैं । राजस्व के लेखों के पुनरीक्षण उनके रख-रखाव आदि का कार्य राजस्व परिषद् करता है । आप उसके बराबर रहते हैं । राजस्व परिषद् का नियंत्रण आप पर है या आपका है, यह बातें समानान्तर चल रही हैं । मान्यवर, एक कमेटी बनी थी जिसमें जो आपके तमाम कानून कायदे ऐसे हैं जो राजस्व विभाग को उद्वेलित करते रहते हैं । अब एक टाईम पर एक व्यवस्था के लिए एक कानून है लेकिन राजस्व विभाग में 26 कानून और अधिनियम हैं अगर इसको हम पढ़ें तो समय लगेगा । मान्यवर, पुरानी विधान सभा में एक प्रस्ताव किया था कि इन राजस्व अधिनियमों को समाप्त करके एक राजस्व संहिता बनाई जाय और उसके लिए एक प्रवर समिति यहां बनी थी आप अधिष्ठाता जी उसके सदस्य थे । उस समिति में हिन्दुस्तान का दौरा किया और विभिन्न राजस्व अधिनियमों को देखा और एक राजस्व संहिता तैयार की । मान्यवर, यह जो 26 कानून हैं जिसमें हमारे गांव का व्यक्ति उलझकर रह जाता है । इसलिए मान्यवर, एक सुझाव था कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

राजस्व संहिता बनने से यह सारे कानून जो हैं वह समाप्त हो जायेंगे और एक बड़े दायरे का कानून बनेगा जिसके तहत किसान अपनी बातों को आसानी से समझकर सुलझा सकेगा और जो विभिन्न वाद उत्पन्न हो रहे हैं वह स्वतः समाप्त हो जायेंगे । मान्यवर, दुर्भाग्य है जो राजस्व संहिता में यहां प्रस्तावित किया गया है उसमें राजस्व परिषद् को समाप्त कर राजस्व निदेशालय बनाने की बात कही गयी है । इसमें कोई आई० ए० एस० को रखने की बात नहीं है । उसमें दो सदस्य होंगे जो दो सदस्य होंगे वह उच्च न्यायालय के जज की योग्यता के अनुरूप होगे । वह राजस्व परिषद् के कार्यों को विनियमित करेंगे । जैसे राजस्व लेखों, किसान बही, जमीन के पट्टों की बात को वह सब उसके अधीन कर दिया जायेगा । मान्यवर, यह राजस्व परिषद् में बड़े अफसर पुराने आई० ए० एस० जिससे मुख्य मंत्री नाराज हुएं, मुख्य सचिव के पद से हटाकर वहां बैठा दिया । मान्यवर, जितने बड़े अफसर हैं जिनसे नाराजगी हो जाती है वह उनके लिए चारागाह बन गया है । इसलिए राजस्व परिषद् को तोड़ने की बात नहीं हो पाती है जब यह टूट जायेगा तो यह आई० ए० एस० अधिकारी उसमें नहीं जा पायेंगे । आप सारे 26 कानूनों को समाप्त करके एक राजस्व संहिता बनाए जो प्रवर समिति ने प्रस्ताव रखा है उसको यहां पारित कराएं । मान्यवर, उससे तमाम जो झगड़े हैं वह समाप्त हो जायेंगे । आप के तमाम वाद जिला न्यायालय और तहसीलों में है उसमें वादों के बारे में सुझाव दिया गया है । मान्यवर, जनार्दन शुक्ल आई० सी० एस० अफसर रहे उनकी अध्यक्षता में एक आयोग प्रशासनिक सुधार आयोग बना था उसमें तमाम सुझाव दिये गये थे । उसको आपको मंगाकर पढ़ना चाहिए और उन सुधारों के आधार पर इस प्रदेश के राजस्व विभाग को ले चलने की कोशिश करनी चाहिए । ये प्रशासनिक सुधार आज के परिवेश में बड़ा व्यावहारिक है इसमें कुछ सुझाव आये हैं मैं एक-दो बातों के बारे में आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा । आपने कुछ नये जिले बनाये, कुछ तहसील बनायी बिना किसी आधार के आप जिला और तहसील बनाते चले जा रहे हैं सस्ती लोक प्रियता के लिए । मान्यवर, एक जिले पर कुल मिलाकर पांच अरब का खर्चा आता है और आप जिला बनाते चले जा रहे हैं । अगर 20 जिले बना दिये, तो एक खरब रुपया आपका चला गया । आपको सेन्ट्रल गवर्नमेंट कितना देती है, आप उसको अपने बजट से पूरा करते हैं । उसका परिणाम क्या होता है, जो हमारी सड़क बननी हैं, अस्पताल बनना है जो शैक्षणिक संस्थाओं को लाभ मिलना है वह नहीं मिल पाता है । उसमें जो धन खर्च होना चाहिए मुख्यालय बनाने में वह पैसा खर्च हो जाता है । प्रशासनिक आयोग की सिफारिशों को पढ़ेंगे, इसमें तमाम बातें दी गयी हैं, इसमें दिया हुआ है कि आप कैसे जिला बनावायेंगे ? एक सुझाव इनका है इस बारे में उसमें उन्होंने कहा है कि जिला का जनसंख्या आधार नहीं प्रशासनिक सुधार ने तीन जिले बनाने के लिए कहा था–इलाहाबाद, मिर्जापुर और बस्ती । लेकिन प्रशासनिक सुधार की संस्तुतियों की अवहेलना करके तमाम जिले बना दिये गये, परिणाम क्या है न बिल्डिंग है, न कार्यालय है, न अधिकारियों के रहने की व्यवस्था हो रही है, बजट भार निरन्तर बढ़ता चला जा रहा है । इसलिए हम इसको पढ़ें और इसमें जो सुधार बताये गये हैं जिला, तहसील बनाने के उसके अनुरूप कार्य करें । तीसरी बात हैं कहना चाहता हूं यह जो आपने बताया है प्रशासनिक सुधार आयोग ने बहुत संस्तुतियां की हैं और उसने कहा है आपके लेखपाल हैं, आपने कहा नायब तहसीलदार के बारे में, यह किताब आपने दी है इसमें नायब तहसीलदार की पोस्ट बतायी है कि 1237 सृजित हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या 1237 नायब तहसीलदार हैं ? हम लोगों के यहां तो दो-दो, एक-एक हैं । आपने यह नहीं बताया है कि कितने हैं और कितने पद रिक्त हैं ? यह वित्तीय अनियमितता है जो पद रिक्त हैं उसके अगेस्ट बजट पास कराते हैं और वह पैसा जब उसकी तनख्वाह से बच जाता है, तो आप कहते हैं कि हमने बजट घाटा कम कर दिया, यह नहीं कहते हैं कि हमने उन पदों को नहीं भरा । इसलिए जब आप जवाब देने के लिए खड़े हों, तो इसमें यह बतायें कि जो 1237 पद हैं यह भरे गये या नहीं ? मान्यवर, दो-तीन बातें और कहना चाहता हूं यह जो आपने राजस्व परिषद् के न्यायालय में मुकदमों की बात कही है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तमाम पट्टे के मुकदमें आपने चालू करा दिये । पट्टा आप कैसे देते हैं ? सभी मा० सदस्य और आप खुद भी जानते

होंगे कि पट्टा देते समय जमीन का निरीक्षण नहीं किया जाता है, घर में बैठकर, तहसील में बैठकर लेखपाल, प्रधान, तहसीलदार और नायब तहसीलदार पट्टे का कागज बना देते हैं और बाद में पैमाइश की बात होती है तो किसी का दरवाजा निकलता है, किसी का पिछवाड़ा निकलता है, किसी के घर में चला जाता है परिणाम यह होता है कि जिस आदमी को आप पट्टा देते हैं । वह इतने मुकदमों में फंस जाता है कि वह तबाह हो जाता है । पट्टा देकर कितने मुकदमें आपने पैदा किये यह नहीं बताया विसंगतिपूर्ण पट्टों की वजह से यह हो रहा है, जब पट्टा दिलवायें, तो सर्वेक्षण करवा लें, कि वह जमीन खाली है या नहीं ? अगर ग्राम समाज की भूमि है और कब्जा किये हैं तो 115 सी में मुकदमा चलाकर उसको पट्टा दीजिए । 198 कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के न्यायालय में जाता है । इसलिए प्रशासनिक आयोग ने खण्ड तीन के किसी पैरा में कहा है कि एस०डी०एम० की कोर्ट में मुकदमा लायें जिसके लिए आप विधेयक लायें हैं, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है कि उसको पारित करा सकें । इसलिए मेरा सुझाव है कि जो पट्टे दिये हैं उसके मुकदमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट में न होकर एस०डी०एम के यहां हों । दूसरी बात मान्यवर, यह कि जो जोत बही के बारे में है । आज जोतबही तो बंटवा रहे हैं लेकिन यह जो खेतबही, किसान बही है इसमें आदमी परेशान होता है । हमारे पास किसान बही है हम किसान बहीं को लेकर बैंक जाते हैं बैंक वाला कहता है कि खसरा खतौनी लेकर आओ । इसलिए मेरा आपसे सुझाव यह है कि आप खसरा खतौनी और किसान बहियों के में से किसी एक को मान्यता दिला दीजिए ताकि लोग परेशान न हों । दूसरी बात आपको सुझाव देना चाहता हूं कि यह जो जमीनों के पट्टे के बारे में सीलिंग ऐक्ट है इस सीलिंग ऐक्ट को आप प्रभावी बनाइये । इसको प्रभावी बनाने के लिए कठोर कदम उठाने पड़ेंगे । इसलिए उठाने पड़ेंगे कि जो भू-माफिया हैं, वह जमीन पर कब्जा कर लेते हैं । सीलिंग ऐक्ट के अन्दर बहुत लम्बा मुकदमा चलता है फिर अंत में हाईकोर्ट पहुंचता है और तब तक बीसों साल गुजर चुके होते हैं । खाली करा करके, मुकदमों की पैरवी करके, जमीन को गरीबों में बांटने की जरूरत है । यह जो खसरा खतौनी तैयार कराते हैं । यह खसरा खतौनी सही ढंग से बननी चाहिए ऐसा नहीं होता है तो कठिनाइयां होती हैं । मैं इसमें ज्यादा टाइम न दें करके आपको चकबन्दी पर ले जाना चाहता हूं । यह चकबन्दी विभाग कई मुकदमों की जड़ है, जिससे धारा 52 उत्पन्न होता है । आपने जिस गांव की चकबन्दी करा दी, परमानेन्ट कर दिया कुछ सालों के लिए फिर क्यों मुकदमें होते हैं । अगर यह विसंगतियां दूर नहीं कर सकते तो चकबन्दी कराने का क्या औचित्य है ? चकबन्दी की पैमाइश का मामला है । आपने लिखा है, चकबन्दी जब ए०सी०ओ० ने चेक फाइनल कर दिया तो वह फाइनल नहीं हुआ वह संशोधन भी होता रहता है । चकबन्दी के लिए रुपया पैसा आपको केन्द्र से मिलता है । केन्द्र को धोखा देने के लिए, इतने हेक्टेयर की चकबन्दी मैंने कर दी है तो इन सब विसंगतियों पर भी आपको ध्यान देना चाहिए । चकबन्दी में रिफरेन्स नहीं बनते । जिस समय आप किसी के खेत की चकबन्दी करें तो उसी समय लम्बाई-चौड़ाई उसके सामने जो भी अधिकारी दस्तखत करे लिखकर उस आदमी को दे देता है । परिणाम यह होता है कि दूसरा आदमी जाता है, कहता है कि हमारा है यह और इस तरह से झगड़ा फिर शुरू हो जाता है । लैण्डरकवा के अन्तर्गत 42 का मुकदमा चलता है और उसमें 5-8 साल लग जाते हैं । जब तक उसका निस्तारण हुआ दूसरी पार्टी इस पर कोर्ट में चली गयी । इस तरह से वर्षों लग जाते हैं । तो मान्यवर, इससे कोई काम चलने वाला नहीं है । मुकदमों की जड़ यही कानून हैं तो पांच वर्ष लग जाता है । जब हम पूछते हैं कि आपने पैमाइश क्यों नहीं की तो वह कहते हैं कि हमारे पास फार्म ही उपलब्ध नहीं हैं । आपने कहा चकबन्दी करा रहे हैं, आप चकबन्दी नहीं झगड़ा करा रहे हैं । सारे त्रुटिपूर्ण कार्य आप करा रहे हैं । जो औसत निर्धारित हैं कभी आपने पूछा कि उसके हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं । पूर्वी उत्तर प्रदेश में मान्यवर मैंने उस दिन भी कहा था कि जब एक बार डी०डी०सी० के यहां से फैसला हो गया तो दुबारा ऐसा क्यों हो रहा है । क्या कभी आपने इसका अनुश्रवण किया । फिर उसी कोर्ट में उसे 10 बार दौड़ा रहे हैं । मान्यवर, मैं चाहता हूं कि जितने मुकदमें हैं उनका निस्तारण होना चाहिए । दूसरी बात मैं वसूली के संबंध में कहना

चाहता हूं । आप वसूली के लिए बड़ी-बड़ी बातें करते हैं । आपका कुल राजस्व देय 90 करोड़ है और अबकी बार आपने 95 करोड़ लिख दिया, तो क्या आप कहीं से जमीन और लेकर आने वाले हैं । आप वसूली की बात करते हैं दूसरे की वसूली में जो रिकवरी प्रमाण-पत्र जारी होता है, तो क्या उसको कभी आपके डी०एम० ने देखा है, इसमें संशोधन कराया है ? इसमें मान्यवर, आज तक संशोधन नहीं हुआ है ।

मान्यवर, अगर एक बार हम हवालात में बन्द हो गए तो उनसे इन्हें क्या फर्क पड़ता है और हवालात भी ऐसे हैं कि काल कोठरी । रामपुर में 10 बाई 10 की कोठरी में 32-32 आदमियों को रखा गया, मेरे जनपद में 10-10 आदमियों को मार करके बैठा दिया जाता है । आप रिकवरी के प्रमाण-पत्र जारी करने के बाद उसकी सम्पत्ति की नीलामी करवाइये । आप उसे जेल में क्यों बन्द कर देते हैं और फिर 14 दिन बन्द करने के बाद आप फिर उसकी सम्पत्ति को जब नीलाम ही करते हैं तो उसे हवालात में क्यों बन्द करते हैं । अगर आप को हवालात में बन्द करना जरूरी ही है तो आप जिला जेल में ले जाइए और उसे 14 दिन का खर्चा दीजिए । जिला जेल में उसे कम से कम एक कम्बल ओढ़ने के लिए देते हैं । अगर आप भी बकायेदार होते इन लोगों की तरह और आपको भी जेल जाना पड़ता तो आपको पता लग जाता है कि यह जेल कितनी सुन्दर है । अतः मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आप इसमें संशोधन करायें और वसूली की जो प्रक्रिया है, उसमें थोड़ा बदलाव लायें, उसमें वारन्ट कोई जरूरी नहीं है । मुलायम सिंह जी की सरकार ने जैसा किया वैसा करके देखिये । मान्यवर, होता क्या है, हमारी सम्पत्ति तो होती है पांच लाख की और बकाया होता है अगर एक लाख का, तो उस एक लाख के बदले किसानों की पांच लाख की जमीन कुर्क कर दी जाती है । जो उस क्षेत्र के व्यापारी हैं और उद्योगपति हैं, जिसमें वह बैठा है उसको करोड़ों की सम्पत्ति, उसको पट्टा कुर्की करते हैं और इनसे रुपया लेने में कितनी कठिनाई होती है, यह हम जानते हैं । जो बकाया है, उसके हिसाब से जितनी आवश्यकता है, उतना कुर्क करके नीलाम करके जमा करवाईये इसमें क्यों विवाद करते हैं ? एक सुझाव देना चाहता हूं तहसील अभी जो बताया, यही नहीं करता है, जाति प्रमाण-पत्र भी देता है । जबसे आरक्षण का नियम लागू हुआ है स्कूल, कालेज के लड़के, गांव वाले तहसील में जाते हैं । पहले लेखपाल, नायब तहसीलदार फिर तहसीलदार लिखता है फिर लेखपाल फिर बाबू के पास जाता है उसके बाद जाति प्रमाण-पत्र निर्गत हो पाता है । आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना दौड़ना पड़ता है ? मान्यवर, 1362 फसली वर्ष में जो सर्वे कराया गया था, खतौनी बनायी गयी थी उसमें सबकी जातियां लिखी हुई हैं, उस रजिस्टर को तहसीलों में रखवाईये । एक प्रारम्भिक रिकार्ड तैयार करवाईये । खतौनी बनती है उसमें जाति लिखा रहता है, जब यह व्यवस्था हो जायेगी तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और लोग आसानी से जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेंगे । मेरे तहसील इटवा में 50 जाति प्रमाण-पत्र रुपया लेकर बनाये गये । एक सज्जन थे जो फर्जी जाति प्रमाण-पत्र लेकर जिला पंचायत और प्रधानी का चुनाव लड़े जीत गये लेकिन उनका प्रमाण-पत्र निरस्त हो गया तो नये चुनाव हुए । दूसरा आदमी जीत गया लेकिन तहसीलदार, कानूनगो या लेखपाल के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई कि फर्जी प्रमाण-पत्र क्यों जारी किया गया । मान्यवर, इसमें भी आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है । दूसरी बात कहना चाहता हूं कि यदि आप भूमिहीनों को जमीन देना चाहते हैं जो खेतों में काम करता है उसके पास खेती नहीं है, जो काम नहीं करता है वह जमीन का मालिक है । इस व्यवस्था को बदलने की हिम्मत आप में नहीं है । आपने देखा होगा कि जो गरीब तबके के लोग हैं, भूमिहीन हैं उनको कितनी दिक्कत होती है । प्रधानी के चुनाव में या सदस्य के चुनाव में यदि वह गरीब आदमी किसी प्रभावशाली आदमी के कहने पर वोट नहीं देता है तो उसे खेतों में नहीं जाने दिया जाता है । हमारे यहां एक जो खेत था दूसरा भूमिहीन था । भूमिहीन वाला व्यक्ति जब घास के लिए उसके खेत में चला गया तो उसको रोक दिया जाता है । मान्यवर, इस पर आपको व्यापक विचार करके एक कानून बनाना चाहिए कि गांव में जो लोग भूमिहीन हैं वह अब भूमिहीन नहीं रहेंगे । सरकारी में जो 2 प्रतिशत और 10 प्रतिशत कटौती होनी है, आप 1 प्रतिशत कटौती करा

दीजिए । जितने भूमिहीन लोग हैं उनको एक जगह जमीन दे दिया जाये । ताकि उनकी परेशानी दूर हो सके । मान्यवर, हमारे डुमरियागंज इटवा में भिडौरी गांव में एक मकान जो 30 साल से बना था उसको कलेक्टर साहब ने बैठकर अपने सामने गिरवा दिया । इस तरह के जो मामले हैं उनको देखना चाहिए । अगर आपके मन में इच्छा है तो इसको आप कर सकते हैं । एक बात और कहना चाहता हूं आई०ए०एस० अधिकारी राजस्व परिषद् को तोड़ने नहीं देंगे । राजस्व परिषद् और शासन की रोज लड़ाई होती है । राजस्व परिषद् का चेयरमैन कहता है कि वह चीफ सेक्रेट्री रैंक का है । राजस्व परिषद् का अध्यक्ष मिनिस्टर के बुलाने पर नहीं जाता है, उसके आदेश को कैसे फेंकता है इसकी कल्पना कर लीजिए । जनता और राजस्व परिषद् के बीच में राजस्व मंत्री और राजस्व विभाग एक आढ़तिया की तरह है । आज नायब तहसीलदार, तहसीलदार और लेखपाल की व्यवस्था उसके पास है । एस०डी०एम० आपके पास हैं नहीं, नियुक्ति विभाग के पास है । इस पर आप गंभीरता से सोचिये और राजस्व संहिता को लागू करके राजस्व परिषद् को खत्म कर ऐक्ट बनाइये ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि चकरोडों पर कब्जे हो जाते हैं आपने इसमें विवरण दिया है कि कितने कब्जों को हटाया गया है । मैं बताना चाहता हूं कि भू-माफिया जमीनों पर कब्जे कर लेते हैं और बड़े स्कैण्डल करते हैं । आपके विभाग के लोगों से मिलकर जमीन पर भू-माफिया अपना नाम दर्ज करा लेते हैं । आप गोरखपुर चले जायें वहां पर आपके विभाग के लोगों की मदद से सरकारी जमीनों पर नाम दर्ज कराकर उन जमीनों को माफिया लोगों ने बेच दिया है और उन जमीनों पर घर बन चुके हैं । इसकी जांच हुई और जांच आख्या रखी है । परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी । नोएडा में क्या होता है ? जमीन दूसरों की है, दूसरा आदमी उसका मुआवजा ले लेता है । आप लैण्ड ऐक्वीजीशन ऐक्ट के अन्तर्गत, जब उद्योगपति आपसे कहते हैं जमीन एक्वायर करके उद्योगपति को दे देते हैं । इस संबंध में मेरा निवेदन है कि कृषि योग्य जमीन की सीमा कम होती जा रही है और ऐसी जमीनों पर उद्योग लग रहे हैं बिल्डिंगें बन रही हैं ।

जब मैं चुनकर आया था तो गोमती नगर और इन्दिरा नगर कहीं नहीं था वहां पर खेती लायक जमीनें थीं जहां पर फसलें होती थीं लेकिन उस जमीन को एक्वायर कर लिया गया और उस पर बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बना दी गयीं । देश और प्रदेश की जनसंख्या निरन्तर बढ़ रही हैं । आवास और उद्योग धन्धों के लिए कृषि योग्य भूमि एक्वायर करने से भयावह स्थिति बनती जा रही है और हमारा खाद्यान्न उत्पादन कम होता जा रहा है । इसलिए लैण्ड एक्वीजीशन करते समय ऐसी जमीनों को लिया जाये जो ऊसर बंजर हों । उन्नाव, कानपुर, आजमगढ़ में बहुत सी जमीन ऊसर है ऐसी जमीनों पर उद्योग धन्धे लगायें । एग्रीकल्चरल लैण्ड को एक्वायर न करें । इसके अतिरिक्त में यह भी कहना चाहता हूं कि जब किसी जमीन का एक्वीजीशन होता है तो जमीन आप पहले ले लेते हैं और किसान को उसकी कीमत बाद में देते हैं । उद्योगपति को यह जमीनें आप पहले हैण्ड ओवर कर देते हैं इस व्यवस्था को खत्म करिये और ऐसी व्यवस्था प्राविधानित करिये जिससे उसी किसान की भूमि का पैसा उसे दिया जाये उस दिन उस जमीन को एक्वायर किया जाये और उसके बाद उसे उद्योगपति को दिया जाय । बहुत से मामलों में ऐसा भी होता है कि किसान मुकदमा भी कर देता है और मुकदमा चलने के कारण खेत खाली पड़ा रहता है । आप धारा 4 और धारा–6 की नोटिस देकर जमीन लेते हैं और किसान को वर्षों तक मुआवजा नहीं मिल पाता है । वह पैसा ट्रेजरी में जमा रहता है और रिजर्व बैंक से आपकी गर्दन भी बची रहती है क्योंकि वह पैसा डिपॉजिट साइड में पड़ा रहता है । इसलिए जिस दिन किसान को मुआवजा दिया जाए उस दिन उसकी जमीन पर कब्जा किया जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करें ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, अभी तो मैंने घोटालों को बताया ही नहीं है थोड़ा सा समय और दीजिए । मान्यवर, राजस्व विभाग में जो विसंगतियां हैं उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट में इतने संशोधन कर दिये गये हैं कि उसकी वास्तविक मंशा खत्म हो गयी है । आप रोजाना संशोधन करते जा रहे हैं लेकिन आपने देखा कि इस एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है या नहीं ? जमीदारी एबोलीशन ऐक्ट की धारा–161 के अन्तर्गत प्राविधान है कि एस०डी०एम० ग्राम समाज की जमीन को बदल सकता है । इसका सहारा लेकर प्रभावशाली लोग अपनी जमीनों को जो बंजर और ऊसर हैं उसके बदले सड़क के किनारे की जमीनों का ट्रांसफर अपने नाम करा लेते हैं । इस तरह से अपनी 5 हजार की जमीन के बदले 5 लाख की जमीन उनको ट्रांसफर के जरिये मिल जाती है । इस पर प्रतिबन्ध लगायें आप बतायें कि ऐसे कितने केसेस आपके सामने आये । जिसमें राजस्व विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत होने के कारण ग्राम समाज की सम्पत्ति का और राजस्व का नुकसान हुआ । मेरे यहां एक सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट शिव पूजन हैं यह पहले वहां पर बाबू थे और अहलमद फौजदारी, फिर ये नायब तहसीलदार बने गये । जब जिला बंटा तो वह तहसीलदार हो गए इसके बाद एस०डी०एम० हो गए । वह 4 साल से एस०डी०एम० हैं । मुख्य मंत्री जी की दृष्टि पता नहीं क्यों नहीं पड़ी । वह चार साल से हैं और वह इधर का उधर करते हैं । हमारे यहां विशनपुर, इटवा में महत्वपूर्ण जमीनें सस्ती जमीनों के बदले दे दी । एक-एक दो-दो हजार की जमीनों को लाखों की जमीन के बदले बदल दिया और उसको पूंजीपतियों को दे दिया । जो बम्बई के पूंजीपति थे । यह जमीन कस्बों और सड़क के किनारे की थी । इसलिए आप यह संशोधन लाते कि जमीन की अदला बदली नहीं होगी और अगर होगी तो यह जिला मजिस्ट्रेट की परमीशन से होगी । एक बात और कहना चाहता हूं कि जिलों-जिलों में भू-माफिया हैं तो जिस तरह से अपराधी पकड़े जाते हैं उसी तरह से इनको भी गैंगस्टर ऐक्ट, रासुका लगाकर बन्द करें । कब्जा लिखने का जो प्राविधान है कि लेखपाल की रिपोर्ट पर कब्जा लिखा जाएगा तो लेखपाल किसी का कब्जा किसी दूसरे के नाम दिखा देता है । सीलिंग एक्ट को प्रभावी करिए एक सुझाव और है जो एग्रीकल्चर से पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट लोग खेती करना चाहते हैं तो 75 प्रतिशत खेत एक हेक्टेयर से कम जमीन वाले हैं यह अलाभकारी जोत है । इसलिए लोगों का शहरों में पलायन हो रहा है शहरों में पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, सड़क की समस्या है । अतः जो कृषि स्नातक हैं वह खेती करना चाहते हैं व कोई जमीन खरीदना चाहते हैं तो 18 एकड़ से अधिक जमीनें उनको रेट से सस्ती देंगे । भारत सरकार ने यह व्यवस्था कर दी है । यह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के कहने पर किया है । बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने ही कहा कि सीलिंग ऐक्ट में संशोधन करें । तो जो शिक्षित कृषि स्नातक हैं उनको भी इसका लाभ देंगे । मैं थोड़े से सुझाव दे रहा हूं । शेष बातें उत्तरार्द्ध में रखूंगा । मैं माननीय सदस्यों से अपने कटौती के प्रस्ताव पर सुझाव आमंत्रित करता हूं ।

* श्री रामशंकर पाल–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने राजस्व मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का मुझे मौका दिया । मैं बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । राजस्व मंत्री ने अपने बजट में बहुत ही कल्याणकारी योजनाएं दी हैं । मेरा केवल एक ही सुझाव है मेरा आग्रह है जो अभी लेखपाल भूमि के पट्टे दे रहे हैं । उसमें यह जानबूझकर भूमिधरी की भूमि नाप रहे हैं । मेरा निवेदन है कि इसको

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

देख लें। अभी जो राजस्व के सवाल पर हमारे प्रतिपक्ष से पांडे जी ने अपने विचार रखे हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे जनपद उन्नाव में बांगरमऊ विधान सभा में तीन गांव अर्जुनपुर, खड़गापुर, बद्रीपुरवा कट गए हैं। गंगा की कटरी के यह गांव हैं। मैंने आवेदन पत्र दिया है। मैं चाहूंगा कि यह जो कटरी के गांव हैं यह गरीबों के गांव हैं उनके लिए समुचित स्थान की व्यवस्था की जाए। इन शब्दों के साथ मैं राजस्व मंत्री जी के बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

* श्री विजेन्द्र सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे पाण्डेय जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया है इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। यह राजस्व विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। सृष्टि के बाद त्रेतायुग में भी जर, जमीन और जोरू के बारे में युद्ध होता था और उस युग में भी राज चलाने के लिये ठोस कार्य योजना होती थी। इसलिये हमने सोचा था कि इस बजट में भी कोई ठोस कार्य योजना होगी। गांव के गरीब, दलित, किसानों के लिये होगी। इस बजट में कोई योजना होगी, पर इसका अच्छा असर पड़ेगा। अभी गौतम जी, राजस्व मंत्री जी के पढ़ने से ऐसा विदित हुआ कि जो भी बजट तैयार करके इनके आई०एस०एस० अधिकारियों ने दे दिया है, यह उसको पढ़कर सुना रहे थे। लग रहा था कि जैसे गजट उनके संज्ञान से नहीं बना है। सामान्य जनता के लिये, उनके सुख-दुख के निवारण के लिये नहीं बना है। यह इनके राजपत्रित अधिकारियों ने बनाकर दे दिया और यह उसको पढ़कर सुना रहे थे। जो डाटा माननीय मंत्री जी दे रहे थे मैं उससे ही बताना चाहता हूं। मंत्री जी बता रहे थे राजस्व वादों के निस्तारण के संबंध में इन्होंने तालिका दी है। 2002 में तीन स्तरीय न्यायालय थे। निहित प्राधिकारी न्यायालय जिसमें 242 में से 71 का निस्तारण हुआ। अपील न्यायालय में 901 बाद थे जिसमें से 56 का निस्तारण हुआ और उच्च न्यायालय में 136 बाद थे जिसमें से मात्र 2 का निस्तारण हुआ जोकि 2003 में बढ़कर 956 हो गये यह उनका डाटा है। अगर इनकी तुलना कर ली जाय तो इससे ज्ञात हो जायेगा कि इनकी कार्य क्षमता और कार्य प्रणाली कैसी है और राजस्व विभाग कितना संवेदनशील है वादों के निस्तारण के लिये। इसी तरह से कहना चाहता हूं कि चकबन्दी में चार स्तर पर मामलों का निस्तारण होता है। 2002-2003 में सी०ओ० स्तर पर 346500 का लक्ष्य था लेकिन निस्तारण 73,787 का हुआ। एस०डी०सी० लेविल पर 72000 का लक्ष्य था जिसमें से 18236 का निस्तारण हुआ। डी०डी०सी० लेविल पर 45000 का लक्ष्य था जिसमें से 9934 का निस्तारण हुआ। यह डेटा माननीय राजस्व मंत्री जी इसलिये दिये हैं क्योंकि राजस्व मंत्री जी यह कह रहे थे कि हम राजस्व विभाग में संवेदनशील हैं। अगर यह विभाग संवदेनशील है तो जो जनता है उसके दुःख दर्द को समझें और उसके निस्तारण के लिये व्यवस्था करें और सरकार यह बताये कि हम उसके दुःख दर्द को दूर करने के लिये वचनबद्ध हैं और उसके लिये कार्य प्रणाली और कार्य योजना तेज गति से लागू की है। यह इनकी कार्य क्षमता का उदाहरण है जो कि इनके द्वारा दिये गये आंकड़ों से पता चलता है। इसी तरह से दैवी आपदा के संबंध में कहा गया है। मान्यवर, दैवी आपदा में क्या सहायता राशि आप देते हैं ? 75 प्रतिशत तो भारत सरकार देती है और 25 प्रतिशत का अंश उत्तर प्रदेश सरकार का होता है। उसमें भी यह 1947 के बाद से वही नियमावली चली आ रही है। बाढ़, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि जितने भी अग्निकाण्ड होते हैं गरीबों के पशु उसमें जलकर मर जाते हैं। आज भी उसमें कोई राहत नहीं दी जाती है। डी०एम० और अपर जिलाधिकारी भी उस सहायता को देने में अपनी असमर्थता जाहिर कर देते हैं। यहां पर इतने माननीय सदस्य बैठे हुए हैं। किसी न किसी के क्षेत्र में अग्निकाण्ड हुआ होगा, बतायें कि कहीं किसी ने इन गरीबों को जिनके जानवर जलकर मर गये उन्हें कोई भी धनराशि दैवी आपदा कोष से दी हो। सूखाग्रस्त में माननीय राजस्व मंत्री जी के द्वारा दर्शाया गया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के लिये 1 करोड़ रुपये पशुओं के मरने और दूसरी अन्य बीमारियों के लिये आवंटित किये हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो आप कह रहे हैं कि एक करोड़ रुपया दिया गया है तो उसके बारे में पूरा विवरण बतायें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई लोग यहां पर हैं। मंत्री जी बतायें कि किस जनपद में कितना दिया है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह पैसा जो आप कह रहे हैं कि आवंटित किया गया है। यह कहीं नहीं दिया गया है। सारे पैसे का घपला हो गया है। मेरी बात न मानें तो आप इसकी जांच करा लें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी जिले में धन इस मद का आवंटित हुआ हो। आपने कुम्हारी उद्योग और मत्स्य उद्योग की बात कही है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि कुम्हारी उद्योग की तरक्की तब हो सकती है जब उसको उसके लिये चिकनी मिट्टी के लिये तालाब उपलब्ध हों। जबसे चकबन्दी चालू है तमाम भू-माफिया ने तालाब का वैल्यूएशन कराकर तालाबों को भर दिया है आप संवेदनशील हैं तो कुम्हारी उद्योग के लिए गरीबों के लिए प्रयत्न करें। कुम्हारों को पट्टे दिलाने की कोशिश करें जिस तरह मत्स्य उद्योग के लिए कहा गया। मैं नहीं समझता हूं कि लक्ष्यों की पूर्ति होगी। मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कार्यवाही करें। मान्यवर, चकबन्दी 1954 में इसलिए लायी गयी थी जोत बढ़ाने के लिये, भूमि सुधार के लिए, कृषि विकास को बनाने के लिए, कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए। चकबन्दी किसानों के सुख दर्द को मिटाने के लिए लाई गई थी। धारा–23 में लक्ष्य रखा कि 1 करोड़ 55 लाख हेक्टेयर भूमि की चकबन्दी होगी। 2002 में, यह 7,489 करोड़ कर पाए हैं तो यह हमारी अक्षमता है। चकबन्दी का यही रेशियो रहा तो लक्ष्य की पूर्ति नहीं होगी यह मात्र झूठ का पुलिन्दा साबित होगी। मान्यवर, बजट साहित्य में एक चीज और है सूखाग्रस्त एरिये के लिए 5 करोड़ धन का आवंटन किया जा चुका है। सम्मानित सदस्य बैठे हैं उनको कोई पत्र नहीं मिला है कि इतने रुपये का धन आवंटन आपके विभाग से किया गया है।

मान्यवर, एक विचित्र समस्या है जहां-जहां चकबन्दी हो रही है, चौधरी चरण सिंह ईमानदार नेता कहे जाते थे उन्होंने कहा था कि इस देश में भ्रष्टाचार की जड़ है तो वह लेखपाल से शुरू होती है इसको समाप्त करने की जरूरत है। चकबन्दी में जितना भ्रष्टाचार है कहीं नहीं है। मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा अलीगढ़ में सुखपाल लेखपाल तीन बार स्थानान्तरित होने के बाद भी बार-बार वहीं भेज दिया जाता है इस आदमी ने अलीगढ़ में लोगों को परेशान कर रखा है कहर ढा रखा है। मान्यवर, इसी तरह से इग्लास तहसील के मेहलापुर में छोटे काश्तकारों की जमीन को 2 किमी० दूर भेज दिया गया। 4 कल्ल दोपहर में हुए हैं। 26-26 काश्तकारों की 3-3 चक बनाकर लूट करा रहे हैं। चकबन्दी का लाभ बड़े किसानों को देने का काम किया जा रहा है। आपकी सरकार छोटे किसानों को राहत देने के लिए वचनबद्ध है। आप ऐसे लोगों को दण्डित करें जो किसानों को परेशान करते हैं। जब तक आप इस पर नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक चकबन्दी का लाभ छोटे काश्तकारों को नहीं मिल सकेगा। इसी तरह से मान्यवर, रेवेन्यू विभाग में जो लोकल तहसील हैं वहां के लेखपालों का व्यवहार दोषपूर्ण है वह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसलिए आप लेखपालों को दूसरी तहसील में स्थानान्तरण करने का काम करें। मान्यवर, जहां तक दलित, शोषित समाज के लिए भूमि आवंटन की बात कही, आवासीय आवंटन की बात कही यदि आप संवेदनशील है, बिना पैसे के एक भी दलित को आवासीय या भूमि का पट्टा नहीं मिल रहा है, तो कोई ऐसी योजना लायें जिससे बिना किसी भ्रष्टाचार के बिना किसी को धन दिये आवंटन मिल जायें।

(व्यवधान)

दलितों में भी कई जातियां हैं। जैसे धोबी वगैरह इन सबको बराबरी का हिस्सा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री बिजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं एक और चीज कहना चाहूंगा। जो हमारे सम्मानित सदस्य हैं उससे संबंधित भी है। जबसे यह न्याय पंचायत में गया है तबसे गांव में लिंक रोड का निर्माण युद्ध स्तर पर हुआ है। इसमें मिट्टी का कार्य चल रहा है जो इनका चौड़ाई का मानक है। यह 23, 24 फिट से नीचे नहीं बन सकता। आप कहें इसकी जांच होगी और जहां कहीं भी चकबन्दी शुरू हो, जिन-जिन एरिया को लें वहां चकबन्दी में इस चीज का संज्ञान लिया जाये। उन चकों की पैमाइश की जाय जिससे एक काश्तकार की जमीन न जा पाये। मान्यवर, रेवेन्यू विभाग में जमीन को एक्वायर करते हैं। वहां पर एक्वायर की गयी जमीन का मूल्य शहर की जमीन के आधार पर दिया जाय। देश में आजादी के बाद मौलिक अधिकार दिये हैं मंत्री जी ने कहा और माता प्रसाद जी ने भी बात कही, 298 तहसीलों को दर्शाया है। 50 राजस्व बन्दी गृह बनाये हैं और इसका नाम रखा है राजस्व बन्दीगृह सौन्दर्यीकरण। लेकिन इसका सौन्दर्यीकरण नहीं हुआ है। वहां पर एक छोटे से कमरे में शौचालय भी है और मूत्रालय भी है, यह पोजीशन है। आपने 50 बनाये यदि आप जितनी तहसीलें हैं, 50 आपने बनाये, इसमें आधुनिकीकरण कर देते तो इससे किसानों को उनका हक मिल जाता तो मान्यवर, इन दो चीजों को आप समायोजित करेंगे तो मुझे लगेगा कि आप सबके शुभचिन्तक है। मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

डा० इन्द्रदेव सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका आभारी हूं और मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछली सरकार के कार्यों, अच्छे कार्यों को जारी रखते हुए उन्होंने कुछ उपलब्धियां हासिल की है जैसे 2.41 करोड़ किसान बहियां वितरित की है, दाखिल खारिज की प्रक्रिया का सरलीकरण किया है, तहसील दिवस प्रभावी रूप से चल रहे हैं और विगत जून तक ग्यारह लाख मामले तहसील दिवस में आये हैं जिसमें 96-97 प्रतिशत निस्तारित हो चुके हैं और इसके अलावा राजस्व बन्दी गृह के सुधार के लिए पैसा दिया है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। इसके साथ ही साथ मैं कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा।

मान्यवर, पुराने समय में सरकारों का दायित्व होता था कि वह विदेशी शत्रुओं से देश की रक्षा करती थीं। लेकिन लोकतंत्र के उदय के साथ राज्यों की लोक कल्याणकारी अवधारणा भी मजबूत होती गयी। जिसके कारण सरकारों के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गयीं। सड़क, परिवहन, बिजली, चिकित्सा, न्याय, प्रशासन इन सब दायित्वों के निर्वहन में सरकार को बहुत धन व्यय करना पड़ता है। यह धन करों के माध्यम से सरकार वसूलती है। मान्यवर, सर्वोत्तम नीति यह है कि जो अधिक धनाढ्य हैं उनसे अधिक कर वसूला जाए और जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनसे कम कर वसूला जाय। गरीबों की चिन्ता कागजों पर अधिक दिखाई देती है लेकिन व्यवहार में कम दिखाई देती है। गरीब की समस्यायें बढ़ती जा रही हैं। यह सब पूर्व की सरकारों का दोष है। माननीय मंत्री जी ने यह सब नहीं बिगाड़ा है। यह व्यवस्था कांग्रेस के कार्यकाल से बिगड़ी हुयी है। मैं बताना चाहता हूं कि गांव के किसान से, गरीब किसान से किस तरह से बकाए की वसूली की जाती है। उनका उत्पीड़न किया जाता है, बंदीगृह में डाल दिया जाता है। मान्यवर, इस व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है। बंदीगृहों का स्तर सुधारना होगा। आकार बढ़ाना होगा। वहां पर शौचालयों, हवा, पानी आदि की व्यवस्था नहीं है। हमारे जो किसान हैं उनसे बकाये की वसूली करने के लिए उनको पकड़ा जाता है और बंदीगृह में डाल दिया जाता है लेकिन जो बड़े बकायेदार हैं उनको कुछ नहीं कहा जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि बड़े बकायेदारों पर गरीब किसानों का गन्ने का मूल्य बकाया है अगर इन बड़े बकायेदारों (मिल मालिकों) को एक भी दिन बन्द कर दें तो किसानों के बकाये का भुगतान तुरन्त हो जायेगा। ऐसी स्थिति में हमें अपनी व्यवस्था में सुधार करना होगा। उसके लिए मैं सुझाव देना चाहता हूं–एक तो अपनी आय बढ़ायें।

पिछली सरकार के कार्यकाल का लेखा जोखा भी इसमें देखना अनिवार्य है । मेरे पास कुछ आंकड़े हैं । मान्यवर, 1997-98 में एक लाख 30 हजार, 370 करोड़ रुपये की हमारी आय थी जो 1998-99 में बढ़कर 149712 करोड़ रुपये हो गयी और 1999-2000 में बढ़कर एक लाख 64 हजार 630 करोड़ रुपये हो गयी । इसको जारी रखने की आवश्यकता है । इसके साथ-साथ जो राजस्व का घाटा है वह भी पिछली सरकार के कार्यकाल में कम हुआ है और मैं समझता हूं कि हमारे माननीय राजस्व मंत्री भी इस घाटे को कम करने की कोशिश जारी रखेंगे । मान्यवर, 1998-99 में राजस्व का घाटा 8 हजार 696.16 करोड़ था । 1999-2000 में यह घाटा 7 हजार 252061 करोड़ रह गया है । 2000-01 में यह और घट कर 6289.31 करोड़ रह गया । यह तत्कालीन सरकार की सुप्रबन्धन का परिणाम था । मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि वर्तमान वर्ष में राजस्व का घाटा रहने का जो अनुमान आपने लगाया है वह लगभग सात हजार 756.4 करोड़ है ।

मान्यवर, यह पहले से ज्यादा है । पिछले वर्षों के आधार पर अनुमान लगता है राजस्व घाटा इस वर्ष अनुमानित से भी अधिक बढ़ेगा । इस तरफ ध्यान देना होगा । जो हमारे अनावश्यक खर्चे हैं वहां हमें कटौती करनी होगी । यदि हम वास्तव में कल्याणकारी योजनायें लागू करना चाहते हैं । फिजूलखर्ची के कुछ उदाहरण देना चाहता हूं । मान्यवर, यू०पी० वित्त निगम ने ऋण आवंटित किया । दिल्ली की एक फर्म को । फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जिसके कारण 5-5 करोड़ रुपये की हानि हुई । इसी प्रकार गाजियाबाद की एक फर्म को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ऋण दिया गया जिसके कारण 97 लाख रुपये की हानि हुई है । इसमें मान्यवर, हम लोग सजगता से काम करें । इसमें सुधार करेंगे तो काफी पैसा बच सकता है । मान्यवर, दिल्ली के अन्दर यू०पी० भवन और यू०पी० सदन हैं वहां महामहिम राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्य मंत्री जी के लिए सूट आवंटित हैं । जब महानुभावगण वहां जाते हैं तो टेलीफोन का उपयोग करते हैं । लेकिन उनकी अनुपस्थिति में भी टेलीफोन का उपयोग हुआ है और बड़े-बड़े बिल आये हैं । मान्यवर, राज्यपाल महोदय के सूट पर 16-8-99 से 30-9-99 तक 48 दिनों में जबकि राज्यपाल नहीं थे 0.14 लाख रुपये का बिल आया इसी तरह से 1-11-99 से 30-11-99 तक का बिल 11 लाख रु० आया । इसको बचाने की जरूरत है । मुख्य मंत्री जी का सूट है । वहां भी यही हाल है उदाहरण दे रहा हूं । मान्यवर, जब कोई वित्तीय वर्ष समाप्त होने को आता है तो उस समय किसी भी विभाग के बजट का ज्यादातर पैसा उस अन्तिम महीने के अन्तिम दिनों में व्यय किया जाता है और यह आंकड़ा हैं । 1995-96 से लेकर 1999-2000 में कुल व्यय का 60 फीसदी से लेकर 100 फीसदी तक अन्तिम महीने में व्यय किया गया । इसी में घोटाला होता है इसमें मान्यवर, ध्यान देने की आवश्यकता है । मान्यवर, गांव में जब पट्टे किये जाते हैं तो लेखपाल लोग मोटे तौर पर पैसा लेते हैं और पैसे की लालच में क्या करते हैं जहां पर मौके पर जमीन कम है । वहां ज्यादा जमीनों का पट्टा कर देते हैं । जमीन नहीं है मौके पर लेकिन पट्टा कर देते हैं जब कब्जा दिलाने की बात आती है तो विवाद उत्पन्न होता है । किसानों की लगानी जमीनों में पट्टा नापने की कोशिश की जाती है । मान्यवर, किसानों की लगानी भूमि में कोई भी पट्टा न नापा जाये । सख्ती से इस आदेश को लागू किया जाये । मान्यवर, ग्रामों में नाला, नाली, नदियां, चारागाह, कूड़ियां ये आवश्यक हैं । कूड़ियां हमारी ग्रामीण व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है । हमारे घरों का कूड़ा है गोबर है वह कूड़ी में डाल दिया जाता है । इससे एक तो कूड़ा साफ हुआ दूसरे उसको कम्पोस्ट खाद बनाई और वह खाद के रूप में आती है । मान्यवर, जब पट्टे की व्यवस्था चल रही है तो उसमें इन कूड़ियों के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो रहा है । यह भी सुनिश्चित हो कि कूड़ियों की भूमि पर कोई पटान हो । मान्यवर, लेखपाल नाम का जो जीव है उसके कारण गांव में ज्यादातर समस्यायें हैं इसके अधिकार एवं कार्यप्रणाली को हमें फिर से संशोधित करने की आवश्यकता है । इसके अधिकार और इसकी जवाबदेही भी सुनिश्चित करनी होगी । मान्यवर, मेरे क्षेत्र में 12 भूतपूर्व सैनिकों की कालोनियां हैं । मान्यवर, जिन लोगों को उनकी कृषि भूमि के संक्रमणीय अधिकार शासन द्वारा दिये जा चुके हैं । वर्तमान में जिला प्रशासन उनको संक्रमणीय अधिकार नहीं दे

रहा इसी दशा में मवाना में दिये गये हैं। मेरे क्षेत्र में भी दिये जायें। इसी के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री शारदानन्द अंचल–

मान्यवर, राजस्व विभाग निश्चित रूप से बहुत बड़ा विभाग है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की आबादी का करीब 90 फीसदी हिस्सा गांव में बसता है और गांव के लोगों का संबंध राजस्व विभाग से होता है। मान्यवर, विडम्बना राजस्व विभाग की यह है कि इसके जो बड़े अफसर हैं वह इसको संचालित करते हैं उसमें कमिश्नर, कलेक्टर, ए०डी०एम०, एस०डी०एम इनको नियुक्ति विभाग डील करता है और उस पर राजस्व मंत्री जी का कोई अंकुश नहीं होता है। उनका अपने तरीके से काम करने का ढंग होता है और उसके नीचे तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कानूनगो इनको राजस्व परिषद् डील करता है। राजस्व मंत्री का उन पर भी कोई अंकुश नहीं होता है इसलिए मनमाने तरीके से वे काम करते हैं और परवाह नहीं करते हैं राजस्व मंत्री उनका क्या करेंगे ? अगर नीतियों के संचालन में कोई गड़बड़ी करते हैं तो उसके बाद वे हमारा क्या करेंगे ? यह विसंगतिपूर्ण स्थिति है। जिसके चलते राजस्व विभाग में ऐसा काम होता है जिसमें मंत्री की ओर से जो नीति निर्धारित होती है या राजाज्ञा कोई जारी होती है तो उनमें उनके अनुपालन में विसंगतिपूर्ण तरीके से काम होता है जिससे जनता को कष्ट होता है। मान्यवर, आप तहसील दिवस मनाते हैं जिसमें यह है कि सारे अधिकारी कम से कम एक दिन पहुंचे। लेकिन जिले के अधिकारी पूरे के पूरे नहीं पहुंच पा रहे हैं। टोकन तरीके पर कुछ अधिकारी पहुंचते हैं। किसान पहुंचते हैं अपनी नाली का सवाल उठाते हैं वहां की गड़ी के पट्टे को लेकर पहुंचते हैं। वहां के हरिजन, गरीब, भूमिहीन अपने पट्टे के सवाल को लेकर पहुंचते हैं और वहां अपनी फरियाद करते हैं वहां सैकड़ों की तादाद पर दर्खास्तें आती हैं उसमें 10-20 का निस्तारण होता है और यह कहा जाता है कि कानूनगो नापी के लिए जायेंगे। वहां कलेक्टर के सामने एस०डी०एम० के सामने निर्णय होता है लेकिन वास्तविकता है कि वे जाते नहीं हैं जब तक वे सुविधा शुल्क नहीं पाते हैं या जब तक अफसर नहीं कहते हैं।

(इस समय 7 बजकर 10 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सुरेन्द्र पाल वर्मा पीठासीन हुए।)

मान्यवर, आपने कम समय में बजट भाषण पढ़ दिया लेकिन आपके विभाग में जो सीमायें हैं जो दिशायें हैं उनपर आम पाबन्दी लगी हुई है इसलिए इसका परीक्षण करवाने के लिए आपको विशेष रूप से सेल बनाना चाहिए। जो तहसील में लोगों की दर्खास्तों का निस्तारण होता है। उसकी भी समीक्षा के लिए एक सेल बनना चाहिए कि कितनी दरखास्तें आईं और कितने का सही मायने में निस्तारण हुआ है और कितनों का नहीं हुआ है। मान्यवर, इस विभाग का संबंध किसानों से, मजदूरों से और मछुवारों से है भूमिहीन और जो सताये हुए लोग हैं जिनकी कहीं सुनवाई नहीं हो पाती है उनका इससे संबंध है।उन लोगों से है जो साधारण लोग हैं वह तहसील दिवस पर जाते हैं और अपनी फरियाद करते हैं। मान्यवर, उसी तरीके से एक-एक जगह की बात आप लेंगे, आप बलिया का ही लेंगे तो वहां पर दो ग्रामसभाओं में अभी भी जिमीदारी है, वहां की जिमीदारी नहीं टूटी है सिकन्दरपुर टाउन एरिया के अन्दर जमींदारी नहीं टूटी है। उस पर भी आपको विचार करना चाहिये। मान्यवर, वहां का आलम यह है कि वह तार और राकेट बनाये हुये हैं। शहर की जमीन है, करोड़ों की प्रापर्टी है, उनको फर्जी लिखवा देते हैं, फर्जी भुगतान कराने का काम करते हैं। बेतहाशा तरीके से राकेट चलाकर काम करते हैं जो जमीन बंजर है जिसका आवंटन नहीं हो सकता उसका आवंटन कराने का काम वह लोग करते हैं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप अब कृपया समाप्त कीजिये, यह लिखा नहीं जायेगा।

श्री शारदा नन्द अंचल–

[x x x]

श्री घूरा राम–

मान्यवर, आपने मुझे इस सम्मानित सदन में बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, राजस्व विभाग शुद्ध रूप से किसानों, मजदूरों, गरीबों से जुड़ा हुआ है। इस महत्वपूर्ण विभाग का जो बजट माननीय मंत्री जी ने पेश किया है उसमें बहुत सारी बातें दी गयी हैं। अभी श्री पांडेय जी कह रहे थे कि पट्टे की जमीनों को दिलाने के लिये 198/4 से खाली कराया जाये। हमारी गवर्नमेंट ने जो व्यवस्था बनायी है उसमें केवल माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि अधिकारी लोगों को सचेष्ट करें। जिला अधिकारी को, उप जिलाधिकारी को, पुलिस को, सी० ओ० को, तहसीलदार और एस० एच० ओ० को, थानाध्यक्ष को, कानूनगो को राजस्व विभाग के सभी कर्मचारियों को कि जिनको पट्टा दिया गया और जो भू-माफिया हैं, उन भू-माफियाओं को बुला लिया जाय और बता दिया जाये कि यह जमीन उनको दी गयी है इसलिये इस जमीन को छोड़ने का काम करें। इन अधिकारियों के द्वारा जिसने अतिक्रमण की हुई है उनको बुला करके सचेष्ट कर दिया जाये कि यह जमीन फलां को दी जा रही है। इससे हमारी सरकार की क्रान्तिकारी नीति सफल रहेगी। मान्यवर, मैं आपका ध्यान अपने बलिया जनपद की ओर आकर्षित करना चाहता हूं-बलिया के हिसाब से हमें उम्मीद है कि पूरे प्रदेश में ऐसी व्यवस्था होगी। मान्यवर, पट्टे के जमीन का कागजात पट्टा धारकों को मिल जाता है लेकिन उसके एप्रूवल के लिये कोर्ट में वह जाता है तो भूमि-माफिया पूरी फाइल को गायब करा देते हैं और पट्टाधारक अपने घर में बैठा रह जाता है। मान्यवर, हमारे यहां एक देवकलीगांव आता है बलिया में वहां के लोगों को पट्टा मिल गया लेकिन उप जिलाधिकारी के आफिस से फाइल गायब हो गयी और उसको पट्टा नहीं मिल सका। दूसरा हमारे रसड़ा विधान सभा क्षेत्र में सरायभारती में 300 लोगों को जमीन का पट्टा मिला है। वह पट्टा मिल तो गया है और जमीन भी है लेकिन जो भू-माफिया हैं वह जमीन नहीं छोड़ते हैं एस० डी० एम० और डी० एम० कहते हैं यदि पट्टाधारी जमीन पर जायेंगे तभी तो कब्जा दिलायेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि अगर पट्टाधारी बलवान होता, धनवान होता तो फिर भूमिहीन ही नहीं होता, गृहविहीन ही नहीं होता, मजबूर न होता।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री घूरा राम–

मान्यवर, एक वह व्यवस्था होनी चाहिये कि जिनको जमीन देनी हो उनको बता दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री घूरा राम–

मान्यवर, भू-माफिया जो होते हैं वह कई तरीके से फर्जी तरीके से तमाम तालाबों, चारागाहों और जलाशयों पर कब्जा करके अपना ही काम करते रहते हैं और फायदा लेते रहते हैं।

(अनेक सदस्यों द्वारा बोलने की अनुज्ञा मांगते रहने से व्यवधान बना रहा)

(व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, जो जमीन क्रय विक्रय होती है उसके बारे में बता रहा हूं माननीय मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो मैंने उस समय एक एकड़ जमीन खरीदी तो उसमें मुझे कुछ जमीन मिली और शेष ग्राम समाज को मिली तो जो रजिस्ट्री विभाग के कर्मचारी गलती करते हैं उस पर कार्यवाही होनी चाहिये। मान्यवर, रसड़ा में एक बड़ा गांव है परिसिया गांव है वहां एक चौहान का लड़का मर गया जिलाधिकारी को सूचना मिली लेकिन उसको कोई सुविधा नहीं मिल पाई तो ऐसे लोगों को कुछ सुविधा मिलनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

(कई सदस्यों द्वारा अनुज्ञा मांगने पर व्यवधान)

श्री घूरा राम–

अन्त में राजस्व मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बल देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री पारसनाथ यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम आपके आभारी हैं कि आपने राजस्व जैसे महत्वपूर्ण विभाग के बजट पर, जिस पर वरिष्ठ सदस्य श्री माता प्रसाद पाण्डेय ने कटौती प्रस्ताव रखा है, पर बल देने के लिये मौका दिया। मान्यवर, राजस्व विभाग का संबंध उत्तर प्रदेश में रहने वाली 17 करोड़ जनता से है क्योंकि उत्तर प्रदेश का पूरे का पूरा भू-भाग और उसका नक्शा, लेखा-जोखा राजस्व विभाग के पास रहता है। एक इंच जमीन जहां जिस रूप में है, उसका रिकार्ड यदि देखना है तो वह राजस्व विभाग के पास उपलब्ध रहता है। आंकड़े तो बहुत दिये गये, हमारे वरिष्ठ साथी माता प्रसाद जी ने आंकड़े दिये हैं और मंत्री जी ने भी पढ़कर आंकड़े सुनाये हैं। हम आंकड़े में नहीं जाना चाहते। केवल कुछ व्यवहारिक कठिनाईयों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं।

मान्यवर, जो रिकार्ड रखने वाला लेखपाल होता है,. चाहे वह विद्यार्थी हो, चाहे वह किसान हो, जब तहसील में जाता है, अपना जाति प्रमाण-पत्र लेने के लिये तब वह सबसे पहले बयानहलफी देता है, उसके बाद पुनः आदेश होता है और लेखपाल से कानूनगो, उसके बाद नायब तहसीलदार और फिर तहसीलदार जब तक उसकी रिपोर्ट न लगा दें, तब तक उसको प्रमाण-पत्र नहीं मिलता। इससे उसको दोहरी परेशानी उठानी पड़ती है। मेरा सुझाव है कि जब बयानहल्फी लगा दे तो उसी को सत्य माना जाय और पुनः उसको लेखपाल के पास न दौड़ना पड़े और नायब तहसीलदार आदि की रिपोर्ट न लगवानी पड़े। उसे बयान हलफी पर जाति प्रमाण-पत्र दिया जाय।

मान्यवर, हमारा प्रदेश गांवों का प्रदेश है। गांव में जो बसने वाले लोग हैं, यह हमेशा से बात रही है कि जहां भी खाली जमीन मिली है, लोग वहां बस गये और आपके राजस्व विभाग का लेखपाल यह कहते हुये सुना जाता है कि मुझे सबसे बड़ा अधिकार है। कभी-कभी यह भी कहते सुना जाता है कि नीचे लेखपाल और ऊपर राज्यपाल। आपने इस तरह का अधिकार उसको दे डाला है। यदि कहीं गांव

के लोग खाली जमीन पर बस गये तो वह लेखपाल उनको धमकी देता है और धमकी देकर उनसे पैसे का दोहन करता है । कहता है कि यह बंजर जमीन है, खाली करो उसके बाद वह तहसील का चक्कर लगाते-लगाते परेशान हो जाता है । आप इसे व्यवहारिक रूप से पता करायें । 5-5, 7-7 साल के निर्माण कार्य, उनके घर मकान जबरन खाली कराये जाते हैं, गिराये जाते हैं, इस प्रकार दोहरा धन दोहन हो रहा है और उनको बेदखल किया जा रहा है । आपके नियमों के अन्तर्गत 122 बी की रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट के आधार पर उनको सूचित करके मुकदमा करना आपका अधिकार है, एस० डी० एम०, सक्षम अधिकारी बेदखल करे तथा उनको बेदखल करें यदि वह नाजायज हैं । पचास-पचास साल से उस भूमि पर कब्जा है, मकान बना हुआ है, पट्टे के नाम पर बंजर में रिकार्ड नहीं दुरुस्त हुआ तो बेदखल कर दिया जायेगा यह अनियमितता है इस पर विचार करके, ध्यान दें । दूसरी बात, संक्षेप में यह भी कहना चाहूंगा कि चकबन्दी कार्य बहुत चल रहे हैं, चकबन्दी की सीमायें रखिये, एक समय सीमा रख दीजिये कि इतने वर्ष में अमुक गांव की चकबन्दी समाप्त हो जायेगी । 30-35 साल के चकबन्दी के गांव ले लिये गये । आपके पास अधिकारी/कर्मचारी कम हैं, बन्दोबस्त की धारा–52 का प्रकाशन नहीं हो पा रहा है, नक्शे को बदल दिया जा रहा है, नवैयत बदला जा रहा है । गांव में यह कहा जाता है कि जिस गांव में चकबन्दी शुरू हो गयी उस गांव में एक पैसा भी नहीं रह जायेगा, यह सच्चाई भी है, गांव तबाह हो जाते हैं । मड़ियाहूं में मेरे खुद के ग्राम कारी में 1969 में चकबन्दी शुरू हुई 1974 में चक कट गया लेकिन आज तक धारा–52 का प्रकाशन नहीं हुआ । इसलिये मेरा अनुरोध है कि चकबन्दी की समय सीमा निर्धारित करें जिससे समय से चकबन्दी हो सके ।

श्री अधिष्ठाता–

यादव जी अब आप समाप्त करिये ।

श्री पारस नाथ यादव–

मान्यवर, अपने क्षेत्र की कुछ बातें कहना चाहता हूं । मड़ियाहूं तहसील में एक गांव फत्तूपुर है वहां पर बन्दोबस्त का नक्शा गायब हो गया, वहां पर चकबन्दी शुरू हो गयी, पट्टे नापने का अभियान चल रहा है, कब्जा दिलाया जा रहा है, जब नक्शा नहीं रहेगा तो कब्जा कैसे देंगे । मेरा अनुरोध है कि जब तक नक्शा नहीं मिल जाये, नक्शे के अभाव में पैमाइश रोक दीजिये और जहां विवाद खड़ा किया जा रहा है उसको रोक दीजिये । इसी के साथ मान्यवर, माता प्रसाद पाण्डेय जी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए आपनी बात समाप्त करता हूं ।

* श्री अमरमणि त्रिपाठी–

अधिष्ठाता जी, मैं सम्बोधन करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं । इस बजट पर बात करीब-करीब सब आ गयी है इसलिये अब प्रश्न उपस्थित करिये और इस बजट को पास करिये ताकि माननीय मंत्री जी का बजट समाप्त हो और आज समय से लोग अपने घर जा सकें ।

श्री अधिष्ठाता–

अगर माननीय सदस्यगण सहमत हों तो दो-दो मिनट में अपनी बात कह लें ।

कुंवर भरतेन्द्र सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी के बजट का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । मेरे पूर्व वक्ता डा० इन्द्र देव सिंह जी ने अभी कहा कि राजस्व विभाग में पटवारी एक ऐसा जीव है और इसी तरह की बात अभी हमारे विपक्ष के भाई जो कटौती के पक्ष में बोल रहे थे, ने कही है । इससे मुक्ति पाने के लिये कम्प्यूटर आ गया है इसका लाभ लेना चाहिये । मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कि पूरे प्रदेश के आंकड़े तहसील पर उपलब्ध होंगे, पूरे प्रदेश के आंकड़े उपलब्ध न करायें, अपनी जमीन के आंकड़े तहसील और अन्य जगहों पर जैसे वोटर लिस्ट की भाति उपलब्ध करा दी जाये । इससे पटवारी जो किसानों का शोषण कर रहे हैं उससे निजात मिलेगा । मंत्री जी ने बहुत ही अच्छा बजट रखा है, जोत बही, किसान बही, सूखे की बजह से ऋण माफ किया गया है, वसूली भी मामवीय दृष्टि से की गयी है और वर्षों से चल रही गरीबों के नाम पर पट्टे और गरीबों को हुये पट्टे देने की बात कही गयी है । बजट भाषण में मंत्री जी ने सभी सूचनायें आम जनता को उपलब्ध कर सरकार की पारदर्शिता की नीति दर्शाई है मेरे सुझाव में जिस तरह से शहरों में व्यवस्था (बन्दोबस्त) है और शहरों में मकान के नक्शे पास होते हैं उसी प्रकार से व्यवस्था गांवों में बना दी जाय जिससे पतनाले और अन्य ग्रामवासियों के झगड़े न पैदा हों । राहत के संदर्भ में मेरे जिले में और मेरे विधान सभा क्षेत्र में मालान नदी व गंगा नदी है जिससे हर साल बाढ़ आती है तीन वर्ष से मालन नदी का बांध क्षतिग्रस्त हो गया है । इस बांध की मरम्मत राहत कोष से की जाय हमारे जिले में जो नदियां हैं उनका बहाव इतना तेज होता है कि बाढ़ आने पर फसल ही नहीं बल्कि जमीन भी बहा ले जाती है । इस बार हमारे यहां जो बाढ़ आई उसमें लोगों के घर बह गये हैं, ढोर डांगर बह गये हैं । ऐसे लोगों को राहत केवल 800 रु० दिये गये हैं । मेरी मांग है कि पूर्ण क्षतिग्रस्त घोषित कर इन्हें दस हजार रुपया दिया जाय । जिन लोगों के घर के अवशेष में थोड़े बहुत छप्पर आदि जमीन पर पड़े रह गये हैं उनको पूर्ण क्षतिग्रस्त नहीं माना गया है । ऐसे लोगों को सहायता दी जाय । अभी हमारे बड़े भाई वीरेन्द्र सिंह कटौती में बोले थे, उन्होंने बताया कि खून व झगड़े दो कारणों से होते हैं जोरू और जमीन । मा० मंत्री ने जमीन में तो बहुत सुधार नियम लाये हैं इनको जोरू का संकट है, इनके लिये कुछ कर दें । बहुत बहुत धन्यवाद ।

* श्री श्याम नारायण–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राजस्व विभाग पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का अवसर दिया । सबसे पहले मैं आपदा राहत के संबंध में कुछ बातें कहना चाहूंगा । उत्तर प्रदेश में आज सूखे की स्थिति है । इसकी भयावह स्थिति का जितना अनुमान आज लगाया जा रहा है वह उससे अधिक है । जो तस्वीर बाद में आयेगी वह भयावह होगी और इस संबंध में किसी प्रकार की लापरवाही या ध्यान न देना अच्छा नहीं होगा । मेरे विधान सभा क्षेत्र महराजगंज में सूखे की स्थित है पहले वहां पर थोड़ी सी बारिश हो गयी थी जिससे किसान ने धान की रोपाई कर दी तथा उसमें कीटनाशक, खरपतवार नाशक दवायें डाली तथा टापड्रेसिंग, बेसिल ड्रेसिंग कहीं से पैसा लेकर की लेकिन उसकी फसल खराब हो गयी । रबी की फसल उसकी पहले ही खराब हो चुकी है और उसके घर कुछ अनाज नहीं गया था । अबकी खरीफ में जो कुछ उसने कर्ज लेकर फसल में लगाया है पर फसल सूख गयी है, इसलिये किसान की सहायता पर विशेष ध्यान दिया जाय । अभी मंत्री जी ने राहत की धनराशि को अवमुक्त करने की बात कही है । जिलाधिकारी इस संबंध में कार्यवाही करें ऐसे निर्देश उनको दिये जायं । मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत हस्तान्तरण के मामले, दाखिल खारिज के मामलों का सरलीकरण हुआ था । दाखिल खारिज की समस्या सबसे ज्वलन्त समस्या है । सबकी है । थोड़ा पैसा बचाकर अपने भविष्य व अपने बच्चों के भविष्य के लिये किसान जमीन खरीदता है । मकान बनवाने के लिये आवास बनवाने के लिये छोटे-छोटे टुकड़े लोग खरीदते हैं उसका हस्तान्तरण नहीं हो पा रहा है । पूरे उत्तर प्रदेश में रुका हुआ है । सेगमेंटेशन नहीं होगा उसके कारण हस्तान्तरण नहीं होंगे । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस दिन कोई अपनी गाढ़ी कमाई लगाकर जमीन क्रय करता है उसी दिन उसकी मिलकियत राज्य सरकार को निहित हो जाती है । इसमें तुरन्त किसान की दाखिल खारिज होनी चाहिये । इसमें सुधार की जरुरत है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री श्याम नारायण –

जमीनों का आवंटन तो हो जाता है लेकिन लोग उसे खाली नहीं करते हैं। स्थगन आदेश ले लेते हैं। इसके कारण आवंटन रुका हुआ है। अतः जो इस तरह के स्थगनादेश हैं उनको खत्म करने की कार्यवाही की जाए। यह मैं आपसे निवेदन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

अब लिखा नहीं जाएगा।

श्री श्याम नारायन–

किसानों पर 123 व 122 बी के मुकदमें बढ़ रहे हैं। तहसील दिवस पर इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। इन मुकदमों का निपटारा हो नहीं रहा है। इस पर ध्यान दिया जाए। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

* श्री जयवीर सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने राजस्व मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। हमारी सरकार ने, जो दाखिल खारिज होने की मूलभूत समस्या रहती थी। गांवों में झगड़े दाखिल खारिज को लेकर होते थे। लेखपाल से लेकर तहसीलदार तक पैसे लेते थे व भ्रष्टाचार व्याप्त था उसमें समय सीमा निर्धारित करके 45 दिन की अवधि निश्चित कर दी इसके लिये मंत्री जी निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। इसके साथ ही साथ किसानों की मूलभूत समस्यायें तहसील स्तर की हुआ करती हैं किसान आज भी सबसे कमजोर तबका इसलिये माना जाता है कि किसानों की इस देश में सबसे ज्यादा निरक्षरों की संख्या है। अब तहसील दिवस के माध्यम से किसानों की मूलभूत समस्यायें हैं उनका निवारण समय सीमा के अन्दर हो रहा है। यह भी सरकार का अच्छा फैसला है। इसके लिये मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। गांवों में झगड़े जमीनों को लेकर हुआ करते हैं। राजस्व अभिलेखों में गड़बड़ियों का मामला बार-बार आता रहता है। राजस्व अभिलेखों को कम्प्यूटरीकरण करके सुधार करने का प्रयास किया गया है। लेकिन इसके बावजूद गांवों में झगड़े हैं। राजस्व विवादों के निस्तारण का मामला है। तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, मण्डल स्तर पर राजस्व परिषद् स्तर पर काफी मात्रा में वाद लम्बित हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

जयवीर जी आप बैठ जायं। मैंने श्री पूर्णमासी देहाती जी को बुला लिया है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री पूर्णमासी देहाती–

मान्यवर, कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिये आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि आवासीय....

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग बैठ जायं । मैंने पूर्णमासी देहाती जी को बुलाया है ।

श्री पूर्णमासी देहाती–

हम माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहेंगे कि आपको यह देखना चाहिए कि खास कर के हमारे कुशीनगर जनपद में भूमि माफिया बहुत ज्यादा है । मैं कहना चाहता हूं कि हमारे इलाके में रामपुर गोनहा, मुलहवां पडरौना जनपद का सबसे बड़े गांव हैं हजारों एकड़ सीलिंग की जमीन का बन्दरबांट हो गया है । हमारे जिले में विनोद शंकर चौबे, डी०एम० थे उन्होंने मौके का निरीक्षण किया था । उन्होंने कहा था कि जब तक पुलिस फोर्स के साथ उस जमीन को खाली न करा लें चकबन्दी की प्रक्रिया को न लागू किया जाय । लेकिन मान्यवर, कुछ नहीं हुआ । मान्यवर, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि गरीबों को कृषि योग्य भूमि पट्टे पर दे देते हैं लेकिन बड़े-बड़े लोग अदालत में चले जाते हैं और अदालत से स्टे ले आते हैं । अदालत के आदेश से उन पट्टेदारों से जमीन खाली करा ली जाती है । मैं इसमें एक सुझाव देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि आप दिखवा लें । कुछ दिन पूर्व मध्य प्रदेश की सरकार ने एक कानून बनाया है कि गरीबों को सीलिंग की भूमि पट्टे पर दे दी जायेगी और मालिक को किसी अदालत से उस पर मालिकाना हक मिलेगा तो भूमि खाली नहीं कराई जायेगी । अगर भूमि खाली कराई जाती है तो उसको भूमि के बदले मुआवजा दे दिया जायेगा । मान्यवर, इस पर विचार करिये कि किसी गरीब को भूमि दे दी उसको कब्जा मिल गया तो उससे वापस न ली जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री पूर्णमासी देहाती–

पचासों सालों से लोगों के घर बने हैं । गरीबों को आवासीय भूमि का पट्टा देने से पहले भूमि की नवाइयत करा लें कि कहां खलिहान है, घूरा है तो उसको घोषित कर दिया जाय । अगर पट्टे दे रहे हैं तो पहले जमीन को अपने कब्जे में ले लीजिये ताकि बाद में मार न होने पाय ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठ जायं ।

श्री पूर्णमासी देहाती–

मान्यवर, मामले और भी हैं । मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं कि बेनामी जमीन बहुत पड़ी है । बिलार, कुकुर के नाम से भी जमीन है । साढ़े बारह एकड़ जमीन का प्राविधान है लेकिन उसके बाद भी 100-200 एकड़ जमीन पड़ी है । हम आपसे कहना चाहेंगे कि गांव में एस० डी० एम० ..

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें । लिखा नहीं जायेगा ।

श्री पूर्णमासी देहाती–

तहसीलदार तथा अन्य अधिकारी मौके पर जमीन को खारिज कर दिया जाय और यह कानून बना दिया जाय । इसकी अपील किसी अदालत में नहीं होगी ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री पूर्णमासी देहाती–

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और माननीय पाण्डेय जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । (व्यवधान)

* श्री अमरजीत सिंह जनसेवक–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद । आपने हमें राजस्व मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में और माननीय पाण्डेय जी, जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है यह आग्रह करने के लिए कि वह कटौती का प्रस्ताव वापस कर दें । माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह न तो घुमावदार है न उसमें बनावटीपन है सहज भाव से प्रस्तुत किया है हो सकता है उनके स्थान पर कोई दूसरा उठक-पटक मंत्री होता तो वह इस तरह बजट न प्रस्तुत करता जिस तरह इन्होंने बजट प्रस्तुत किया । मैं इस बजट का स्वागत करता हूं । समर्थन करता हूं । एक अखाड़ा है वह भी छोटा सा उसमें बड़े-बड़े पहलवान बैठे हुए हैं । बोलने के लिए, मैं ज्यादा न कहकर एक दो बातें कहना चाहूंगा । मान्यवर, जब मैं छोटा था तब छोटे-छोटे गांव में आते थे अमीन और बड़े-बड़े घरों से आता था नमकीन उसके बाद आते थे पटवारी वह गांव में करते थे दादागीरी उसको देखकर उस समय यह लगता था कि यह गांव के सबसे बड़े अधिकारी हैं अमीन और पटवारी को सबसे बड़ा अधिकारी समझा जाता था । मान्यवर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी, लेखपाल मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं उनके पास ऐसा विभाग है ऐसे गांव हैं, तहसील है जिनके माध्यम से यह पूरे क्षेत्र में कितने नेत्रहीन हैं कितने शारीरिक रूप से विकलांग हैं कितने अपंग हैं इनका एक साथ चिन्हीकरण करा सकते हैं । जब सारे विकलांगों का चिन्हीकरण हो जायेगा तो उनको कोई भी सुविधा देने में यह सफल रहेंगे ।

मान्यवर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं हमारी तमाम नदिया हैं घाघरा, गंगा, गंडक, राप्ती आदि इन नदियों के किनारे रहने वाले लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं । यह नदियों के किनारे खर-पतवार से मकान बनाकर रहते हैं । जिसके कारण ग्रीष्म कालीन अग्निकाण्ड हुआ करते हैं खाना बनाते समय इनमें आग लग जाती है और सब जलकर नष्ट हो जाता है । लाखों रुपया मुआवजा शासन को देना पड़ता है । मैं अनुरोध करूंगा आप कोई ऐसी कोई ठोस नीति बना दें ताकि नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं उनको सुविधा हो सके । इनके घासफूस के मकान हैं इनको ऊंचा कराकर टीन शेड, पड़ाया जाय जिससे ग्रीष्म काल में इन मकानों में आग न लग सके और जो बाढ़ के कारण इनको नुकसान होता है और लाखों रुपये कि अहेतुक सहायता देनी पड़ती है उसका भी सही इस्तेमाल हो (व्यवधान) (कई सदस्य एक साथ बोल रहे थे)

श्रीमती सुखदेवी वर्मा–

अधिष्ठाता महोदय, आपने राजस्व विभाग पर, 2002-2003 के बजट पर कटौती का प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं । मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र लखना में नंगला नसीदीपुर और नंगला भोले में देवी आपदा के कारण आग लग गयी । ऐसे गरीब लोगों के घर जल गये । जिनके चार भाई थे एक को तो पांच सौ रुपये की राहत दे दी गयी । लेकिन मान्यवर, मैं यह कहना चाहती हूं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कि पांच सौ रुपये से क्या होता है । जो गरीब लोगों को पट्टे दिये जाते हैं तो वह बेचारे तहसीलों चक्कर लगाते रहते हैं और पट्टा कहीं किसी को कर देते हैं जो लेखपाल और कानूनगो होते हैं । लोग परेशान होते हैं और यह फर्जी पट्टे होते हैं । मान्यवर, मेरे क्षेत्र लखना में ऐसी दैवी आपदा नहर फट जाने के कारण हुई 10, 12 गांव बह गये । वहां लोगों को रहने के लिए घर नहीं है तो मैं कहना चाहती हूं कि उन लोगों को राहत पहुंचाने की कोई योजना बनायी है या नहीं और ऐसे-ऐसे र हैं जहां दलित भाईयों के घर हैं सबसे ज्यादा उनके घरों में पानी भरा है और दूर-दूर रह रहे हैं । जान उन्होंने छोड़ दिये हैं, तो इस ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूं और कटौती पर बल दे अपनी बात समाप्त करती हूं ।

श्री मुकुट बिहारी वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको कोटि धन्यवाद । मैं बजट का समर्थन करता हूं क्योंकि यह लोक कल्याणकारी और किसान हितकारी है । ह ही साथ किसान बही और इस प्रकार के जितने भी लाभकारी कदम हो सकते हैं वह इस बजट में उ गये हैं इसलिए मैं इस बजट का समर्थन करता हूं । मान्यवर, इस सबके बावजूद एक बात की त आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं । इस बजट में जनपद स्तरीय वादों का निस्तारण दिखाया है वह एक तरह से सरकारी कागजों के हिसाब-किताब का जाल है । मान्यवर, जब कभी अव दिखायेंगे, 2000 में तीन लाख बयासी हजार, 2001 में तीन लाख चौंतीस हजार, 2002 में तीन ल बाईस हजार । शेष अन्य वाद है ग्याहह लाख, सात लाख, आठ लाख तो वाद से निश्चित लगता है बीच का हिसाब किताब है । मान्यवर, दो प्रक्रिया है एक तो डिसमिस एण्ड डिफाल्ट और दूर रिस्टोरेशन । जिसके हिसाब से अन्त में वही लिखा जायेगा तीन लाख चौतीस हजार, तीन लाख बया हजार, तीन लाख बावन हजार यह अवशेष करके रखा है । इस प्रक्रिया के कारण बैलेन्स तो बराबर लेते हैं । लेकिन उसके कारण वादकारियों पर बोझ डाल रहे हैं । मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो वास्त है उसको लिखा जाय । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में छः स्थानों पर बन्दोबस्त प्रक्रिया हो रही है । बहराइच में आठ साल हो गये हैं कोई ए०आर०ओ० नहीं हैं । वहां ए०डी०एम० को बाई नेम चार्ज दिया जाता है । मेरा अनुरोध है कि उनको पदनाम से चार्ज दिया ज चाहिये और मेरी एक और प्रार्थना यह है कि 14-15 साल हो गये भूमि का अधिग्रहण कर लिया गय लेकिन मुआबजा नहीं दिया गया है तहसील कैसरगंज के ग्राम चक पिहानी कसेहरी आदि उदाहरण है मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि उन्हें उनकी जमीन का मुआबजा दिया जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें ।

श्री मुकुट बिहारी वर्मा–

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

डा० शिव प्रताप यादव–

मान्यवर, आपने मुझे श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दि इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, राजस्व विभाग जनता की जिंदगी से जुड़ा हुआ विभाग

ननीय राजस्व मंत्री ने जिस हल्के ढंग से भाषण दिया उससे मुझे नहीं लगता है कि जो गरीब हैं, हसान है उनको न्याय मिलेगा । मान्यवर, मैं कुछ सुझावों को आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को ना चाहता हूं । पहला सुझाव यह है कि जो तहसील दिवस की बात की जाती है कि पहले ही दिन रख्वास्त का निस्तारण कर दिया जायेगा । अगर नहीं होगा तो 10 दिन के अन्दर अवश्य कर दिया ायेगा । मान्यवर, व्यवहारिकता के रूप में बताया जाये तो स्थिति यह है कि तहसील दिवस में दरख्वास्त ा जाती हैं और इसके बाद उन पर मोहर लग सकती है, हस्ताक्षर हो जाते हैं लेकिन उसके बाद उसका या होता है इसका किसी को पता नहीं रहता मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि दरख्वास्तों ा निस्तारण 10 दिन के अन्दर करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें और जो इसमें लापरवाही बरते सके खिलाफ़ कार्यवाही की जाये । मान्यवर, दूसरी बात यह है कि दाखिल खारिज करने का इसमें ल्लेख है । मेरी मांग है कि इसको 45 दिन में करा दिया जाये । जो अविवादित है उसको 45 दिन में रा करा दिया जाये अगर नहीं होता तो दोषी के खिलाफ कार्यवाही की जाये । मान्यवर, उत्तराधिकार ा मामला है किसी गरीब आदमी का यदि बाप मर जाता है तो उसके लड़के के नाम स्थानान्तरण होने काफी समय लगता है । उसका नाम नहीं दर्ज होता है । इसकी व्यवस्था की जाये । मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि गांव में नालियों, सड़कों आदि को लेकर वाद-विवाद होता है । अतः मेरा ापसे अनुरोध है कि गांव का नक्शा बनाकर उसमें इंगित किया जाना चाहिये कि कौन सा रास्ता कहां । इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री माता प्रसाद जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

ी शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे राजस्व मंत्री द्वारा रखे ये बजट प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया ।

मान्यवर, मैं नया सदस्य हूं । मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मान्यवर, पूरे प्रदेश में लेखपालों की ाफी कमी है एक-एक लेखपाल के जिम्मे कम से कम 5-5, 7-7 और कहीं कहीं 10-10 राजस्व गांव हैं ससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है । मेरा आग्रह है कि एक विशेष अभियान लाकर लेखपालों की भर्ती की जाय जिससे किसानों की समस्याओं का निदान हो सके । दूसरी समस्या ड़ है कि पार्ट बैनामा तरमीम नहीं किया जा रहा है । जैसे किसी के पास ज्यादा जमीन है और उसमें से सका कुछ हिस्सा बेचना चाहता है तो उसका पार्ट बैनामा नहीं होता है यदि रोक के कारण अगर वह ामा करता है तो उसको महत्वपूर्ण अधिकारियों को घूस देना पड़ता है । पार्ट बैनामा तरमीम हो तो सानों को फायदा होगा । मान्यवर, सभी तहसीलों में बकायेदारों को रखने का स्थान ठीक नहीं है शेषकर ऐसे किसी भी स्थान पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है जिसके कारण बकायेदारों को उसमें ने के दौरान बहुत ही अमानवीय यातना सहनी पड़ती है । इसलिये प्राथमिकता के आधार पर हर सील में शौचालय का निर्माण कराया जाय ।

मान्यवर, चकबन्दी विभाग में काफी लापरवाही होती है उसमें पारदर्शिता नहीं है, गरीबों के साथ कृतिक न्याय नहीं हो पा रहा है । मान्यवर, हमारे तहसील शाहगंज में गांव सुरक्षित है वहां मेरे परिवार भी जमीन है वहां 30 साल चकबन्दी हुये हो गया और अभी तक धारा 52 का प्रकाशन नहीं हो पाया । ऐसे तमाम गांव हैं जहां 25-25, 30-30 साल हो गये हैं लेकिन धारा 52 का प्रकाशन नहीं किया ा है । इसलिये कोई नियमबद्ध कार्यक्रम बनना चाहिये । मान्यवर, मेरी विधान सभा दो तहसीलों में

बटी हुई है । दोनों तहसीलों के बीच में गोमती नदी बहती है । उसके एक तरफ शाहगंज तहसील है और दूसरी तरफ बदलापुर तहसील है शाहगंज में बीरमपुर गांव है और गौरा गजेन्द्रपुर गांव बदलापुर तहसील में है नदी की धारा बदलने से दोनों गांव की जमीने इधर से उधर हो गई है । इससे दोनों गांवों में विवाद है । उन दोनों गांवों को मिलाकर चकबन्दी करने की जरूरत है । मैं चाहता हूं कि उसकी व्यवस्था तत्काल कराई जाय ।

एक बात विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं कि तहसील शाहगंज में माफिया लोग फर्जी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं कब्जा करने का यह ढंग है कि पहले वह किसी की जमीन को फर्जी ढंग से किसी अपने परिचित व्यक्ति के नाम मुख्तारे आम करवाते हैं बाद में उसकी रजिस्ट्री कराकर ले लेते हैं । [× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

यह लिखा नहीं जायेगा, बगैर अनुमति के बोल रहे हैं ।

* श्री राम विशुन आजाद–

राजस्व विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिये आपने मुझे समय दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और यहां पर लगभग 200 लाख परिवार कृषि पर आधारित हैं । मान्यवर, उसमें से 50 प्रतिशत वह परिवार हैं जिनके पास एक एकड़ से कम भूमि है । मैं तो समझता था कि माननीय राजस्व मंत्री जी जो बजट पेश कर रहे हैं । इसमें यह जो नारा है कि यह दलितों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की सरकार है उनको पट्टा देने की बात करेंगे । ग्राम समाज की भूमि पर आवंटन का जो प्रस्ताव होता है, वास्तव में जो अपात्र व्यक्ति होते हैं, जो प्रभावशाली होते हैं उनको पट्टा बड़ी आसानी से मिल जाता है लेकिन जो पात्र व्यक्ति होते हैं वह लेखपाल और कानूनगो के शिकार होते हैं, इसलिये उनको पट्टा नहीं मिलता । इन्होंने कहा कि हम 2002–2003 में 8 हजार पट्टा देंगे, 1999–2000 में 10 हजार हेक्टेयर भूमि का पट्टा देंगे । 2000–2001 में 5770 हेक्टेयर भूमि का पट्टा हुआ था, 2001-2002 में 6 हजार हेक्टेयर भूमि का पट्टा हुआ था । लेकिन मान्यवर, 1999 में सरकार ने कहा था कि जिन किसानों को भूमि, खेतिहर मजदूरों को भूमि का जो पट्टा दिया गया है उनको पट्टा दिलाया जायेगा । मेरी निश्चित जानकारी जो है, जो कागजाद में आंकड़े हैं, आंकड़ों से सरकार नहीं चलती है । हमने आंकड़े दे दिये कब्जा करा दिया लेकिन जब मौके पर पांच व्यक्तियों को पट्टा दिलाया जायेगा तब यह कहा जाये कि यह सरकार किसानों के लिये संवेदनशील है । धारा 34 में प्राविधान है कि 45 दिन में दाखिल खारिज कर दिये जायेंगे । मेरी निश्चित जानकारी है कि गोंडा, मानिकपुर में दाखिल खारिज के इतने लम्बे मामले लम्बित पड़े हैं कि अगर उनको मंगवा लें तो स्थिति अपने आप साफ हो जायेगी । सीलिंग पट्टे की बात जो कही है हमारे क्षेत्र में ग्राम पंचायत अकबरपुर है । वहां 156 एकड़ सीलिंग की भूमि है लेकिन आज

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तक जो 156 का पट्टा हुआ, आज तक सात व्यक्तियों को कब्जा नहीं दिया गया, जो अपात्र थे उनको फर्जी तरीके से दिया गया ।

(श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा और माननीय राम विशुन आजाद दोनों माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे जिससे लगातार व्यवधान होता रहा ।)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा जी को बुला लिया है, उसके बाद भी आप बोले जा रहे हैं, आपका लिखा नहीं जायेगा ।

(श्री राम विशुन आजाद द्वारा स्थान ग्रहण करने के उपरान्त)

* श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा–

जनपद गोण्डा और बाराबंकी जनपद में सीमा विवाद है । इसी तरह बाराबंकी–रामनगर जो है, उसे पूरा कराने के लिये अविलम्ब धन देना आवश्यक है । मान्यवर, तहसील रामनगर का निर्माण पहले हुआ था और सिरौली गौसपुर का निर्माण बाद में हुआ जो गोण्डा बहराइच की तरफ है । जब कोई जाता है तो पहले रामनगर तहसील पड़ती है और उसके बाद 20 कि०मी० बाद सिरौली गौसपुर पड़ता है, वहां जाने का कोई साधन नहीं है, यह बड़ी भारी विडम्बना है, इसको दूर किया जाय । इस समस्या का निराकरण शासन के द्वारा जल्द से जल्द किया जाय और इसे तत्काल पूरा कराया जाय ।

मान्यवर, दैवी आपदा में चाहे बाढ़ राहत हो, चाहे अग्नि पीड़ित गांव हो, उन्हें राहत के लिये दिया जाने वाला जो धन है, उसे प्राथमिकता के आधार पर देने के लिये प्रशासन को निर्देशित किया जाय । सबसे पहले उनके लिये आवश्यक भूमि का आवंटन करें, बाढ़ राहत के लिये । अग्निकाण्ड में जो घर जल गये हैं, उनको गृह अनुदान प्राथमिकता के आधार पर दिया जाय क्योंकि जनपद में इस काम का पैसा प्राथमकिता पर बहुत कम मिल रहा है । इसको अन्य मुद्दों से ज्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिये । मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने बजट प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया ।

मान्यवर, पिछले 10-12 वर्षों में राजस्व विभाग में इतने अच्छे-अच्छे नियम कानून बने हैं कि आज की तहसील दिवस के माध्यम से जनता की तमाम छोटी मोटी समस्याओं का निपटारा हो जाता है । यह सबसे बड़ी बात हुई है । किसानों को जोत बही दी गई है, इससे भी बहुत से झगड़े समाप्त हो गये हैं । मैं विपक्ष से मांग करती हूं कि इतना अच्छा राजस्व विभाग सबके लिये है और इस बजट को वह पारित करें और अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें, धन्यवाद ।

सुश्री सन्ध्या कठेरिया–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, राजस्व विभाग के बजट पर बोलने का आपने मौका दिया मैं इसके लिये आपकी आभारी हूं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को अपने विधान सभा क्षेत्र किसनी जनपद मैनपुरी के भोगांव तहसील की ओर ले जाना चाहती हूं । उस ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चाहती हूं। यहां पर बड़ी संख्या में फर्जी पट्टे लगातार किये जा रहे हैं, सारी जनता इससे परेशान है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। तहसील में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि तहसील भोगांव में भ्रष्टाचार को रोका जाय ताकि लोगों को राहत मिल सके और गरीब जनता तहसील के चक्कर काटते काटते परेशान हो जाती है। अन्त में मैं माता प्रसाद पाण्डेय जी के कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुये अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री अवधेश कुमार वर्मा–

मान्यवर, आपने मुझे राजस्व जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर हमें बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं मैं अपनी बात को दो मिनट में ही समाप्त कर दूंगा। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक राजस्व ग्राम है भुरसण्डी, जिसका थाना स्तर पर ब्लाक स्तर पर और जिला स्तर उसका नाम सरोवन नगर करा दिया गया था, लेकिन राजस्व अभिलेखों में अभी भी उसका नाम भुरसण्डी दर्ज है। तो मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि ऐसे अश्लील और बेहूदे नाम को काटकर, उसका नाम सरोवन नगर दर्ज करने का कष्ट करें। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मौका दिया और बजट का समर्थन करते हुये मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

डा० पी०के० राय–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं और माननीय माता प्रसाद पाण्डेय के कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं केवल दैवीय आपदाओं में सरकार द्वारा जो राहत प्रदान किया जा रहा है उसमें जो विषमतायें हैं उनके ऊपर में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आने के लिये पूरे उत्तर प्रदेश में केवल एक जनपद कुशीनगर और उसकी तहसील तमकुहीराज बाढ़ प्रभावित है। मान्यवर, सरकारी आंकड़ों में 46 राजस्व ग्राम और 115 टोले प्रभावित हुये हैं, 116333 की आबादी प्रभावित हुई है और 19380 परिवार प्रभावित हुए हैं, यह कुछ आंकड़े हैं बाढ़ क्षेत्र के। 11 जुलाई को अमवांखास बंधा कटा। पर सरकार कितनी संवेदनशील है इसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि वह बांध कटते-कटते डेढ़ कि०मी० लम्बाई में कट चुका है, जिससे दर्जनों गांव विलीन हो गये गण्डक की धारा में, सील्ट पड़ गया लेकिन राहत के नाम पर शुरुआत में पांच किलो चूड़ा और बाढ़ वालों को 20 किलो चावल दिया गया और केवल 3575 लोगों को एक हजार रुपये आहेतुक सहायता दी गई है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आपने जो शासनादेश राहत हेतु दिया है, वह कम्प्यूजिंग है अखबारों के माध्यम से निकाला जाय कि आप क्या राहत दे रहे हैं, क्योंकि यह समस्या विश्वसनीयता के संकट के दौर से गुजर रही है और गांव में जो लोग बाढ़ प्रभावित हैं वह लोग कह रहे हैं कि बिचौलिये पैसा खा रहे हैं पात्र वंचित हो रहे हैं। मेरी मांग है कि जितने लोग बाढ़ प्रभावित हैं सबको एक हजार रुपये अहेतुक सहायता बिना भेदभाव दिया जाय और अखबार के माध्यम से यह इश्तहार निकलवाया कि उनके मानक क्या हैं, राहत कितनी दी जानी है और कब तक दी जायेगी। अभी 3 दिन पहले एक रिंग बंधा कटा है, वहां पर तत्काल एक-एक हजार रुपया और खाद्य सामग्री आपके जिला प्रशासन ने उपलब्ध कराया है लेकिन 11 जुलाई को जो बाढ़ प्रभावित हुए उनको आज तक राहत नहीं दी गई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी के कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

* श्री दद्दू प्रसाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राजस्व मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, मेरे एक दो सुझाव हैं । मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि उन पर गौर करें । विगत अनेक वर्षों से अनुसूचित जातियों के लोग निरीह, बेसहारा थे, आवास विहीन थे उनके आवास के लिये, जोत के पट्टों के लिये विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर, खासकर परिवार कल्याण योजना में उनको प्रोत्साहन देकर आवास के पट्टे दिये गये, जोत के भी पट्टे दिये गये लिहाजा उनको तालाब के किनारे पट्टे दे दिये गये, श्रेणी–6 की जमीन को श्रेणी–3 में परिवर्तित करके । अभी विगत वर्ष में माननीय उच्चतम न्यायालय ने हिन्चलाल बनाम कमला देवी के प्रकरण में एक आदेश निर्गत किया है वह लोग जो भूमिधर हो गये हैं और विगत 30-30 साल से तालाब की जमीन पर मकान बनाकर रह रहे हैं, भूमिधर घोषित हैं उनको बेदखल करने की कार्यवाही सख्ती के साथ की जा रही है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, इसमें सीधे तौर पर उन खातेदारों का कोई दोष नहीं है इसलिये सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की जाय और ऐसे आदेश को निरस्त कराने का प्रयास किया जाये । जो उत्पीड़न की कार्यवाही एस०डी०एम० तहसीलदार के स्तर पर, उनको नोटिस देकर बेदखल करने और जबरिया घर गिराने की कार्यवाही प्रकाश में आयी है तो मैं मंत्री जी से कहूंगा कि सीधे-सीधे उत्पीड़न का मामला है और इसको रोकने के लिये आवश्यक कदम उठाने का काम करेंगे । एक सुझाव और देना चाहता हूं कि शासन ने विगत वर्ष में बंदीगृहों के सुदृढ़ीकरण का काफी प्रयास किया है, धन निर्गत किया गया है, यह प्रसन्नता की बात है लेकिन अभी भी उनका स्तर बहुत घटिया है और ह्युमन राइट कमीशन का ध्यान पता नहीं क्यों इधर नहीं गया ? मान्यवर, उनका आकार बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि उसमें बहुत ही अमानवीय रूप से रखा जाता है । मैं तो कहूंगा कि उनको बंदीगृह न कहकर बकायेदारी गृह या बकाया गृह कहा जाये क्योंकि उसमें कोई बंदी नहीं होता, क्रिमिनल ऐक्ट में गुनाहगार नहीं होता है । मंत्री जी इस ओर ध्यान दें । इसमें ट्वायलेट और पेशाब करने की व्यवस्था हो । (लालबत्ती होने पर) इन्हीं शब्दों के साथ लालबत्ती का ध्यान रखते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री मदन चौहान–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । हमारे लिये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे गौतम बुद्ध नगर से राजस्व मंत्री जी हैं । मैं भूमि अध्याप्ति के बारे में कहना चाहूंगा कि किसी भी रूप में जब भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, प्राधिकरण के रूप में जिला मुख्यालय के रूप में, गांव वालों की जो जमीन ली जाती है तो उनके हितों का ध्यान नहीं रखा जाता, कोई भी भूमि अधिग्रहण किया जाये, जितने भी गांव उसकी परिधि में आते हैं उनका सीमांकन कर दिया जाना चाहिये । मैं समझता हूं कि मंत्री जी पूरी तरह से वाकिफ होंगे । नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद की सबसे बड़ी समस्या है, प्रदेश की, और सरकार का रेवेन्यु खत्म होता है गांव वाले

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रभावित होते हैं लेकिन जितने अधिकारी हमारे प्रदेश के नोयडा, ग्रेटर नोयडा में आते हैं वह जरूर मालामाल हो जाते हैं।

मान्यवर, जब कोई प्राधिकरण या अथारिटी गांव वालों की जमीन लेती है तो कम से कम बाजार भाव पर मुआबजा देना चाहिये। नोएडा में एक जमीन की कीमत 2 लाख रुपये प्रति मीटर है पर वह 1 रुपये मीटर में अधिगृहीत की गई थी। यह बेइंसाफी है। वहां पर गोल्फ कोर्स और पार्क हजारों एकड़ में है। जिन लोगों के पास पैसा है जो व्यूरोक्रेट हैं और बड़े अधिकारी हैं राजनीतिज्ञ हैं उनके खेलने के लिये हजारों एकड़ जमीन छोड़ी जाती है इसलिये किसान को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिये। नोएडा में सबसे ज्यादा वाद चल रहे हैं जिस दिन जमीन ली जाय उसी दिन किसान को भुगतान किया जाय। 20-20 साल तक मुआबजे का भुगतान नहीं होता है। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि हैसियत प्रमाण-पत्र और जाति प्रमाण-पत्र बनवाने के लिये जब तक तहसीलदार और पटवारी को मेहनताना नहीं दिया जाता है तब तक प्रमाण-पत्र नहीं बनता है तथा जो राजस्व के बंदीगृह हैं उनकी हालत के बारे में कहना चाहता हूं एक दिन मैं तहसील गया वहां मैंने देखा कि 10x10 फुट के कमरे में 40-50 लोग बन्द थे। उसमें कम से कम 50% जाटव भाई थे वहां पर ट्वायलेट या पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी।

इतनी गरमी में इतनी छोटी सी जगह में इतने ज्यादा लोगों को बन्द करना मानवता के खिलाफ है। मैंने जिलाधिकारी से बात की। मैंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिये इस पर राजस्व मंत्री जी ध्यान दें। इस संबंध में मेरा एक सुझाव है कि एक चेतावनी के रूप में लोगों को बन्द किया जाय और 14 दिन लगातार बन्द करने के बजाय 1 दिन बन्द किया जाय और फिर 15 दिन के बाद 1 दिन के लिये बन्द किया जाय जिसका अच्छा असर होगा। इसी तरह से मेरे यहां गंगा के किनारे की हजारों एकड़ भूमि ऐसी है जो अनधिकृत कब्जे में है जिसका बहुत बड़ा विवाद है। इसको लेकर रोज लाठियां चलती हैं। रामपुर, इनायतपुर, लखीरा, लठीरा, अब्दुल्लापुर का राजस्व रिकार्ड नहीं है। वहां की खतौनी और सिजरा नहीं मिल रहा है। इस संबंध में कार्यवाही की जाय। गांव में आग लगने से खेत, खलिहान जल जाते हैं। इसमें ऐसा कोई प्राविधान नहीं किया गया है जिससे उसकी भरपाई की जा सके। इन शब्दों के साथ माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

* डा० विनोद तिवारी–

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे राजस्व विभाग के बजट पर बोलने के लिये अवसर दिया उसके लिये मैं आपका हृदय से आभारी हूं। माननीय राजस्व मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरा एक सुझाव है कि जो आप पट्टे पर कब्जा दिलाने के लिये अभियान चला रहे हैं उसमें यह होता है कि जब पट्टा पर कब्जा दिलाने के लिये अधिकारी जाते हैं तो वह बगल में जिस किसी भूमिधर व्यक्ति की जमीन होती है उसमें मान्यवर, पट्टेदारों को भूमिधरी की जमीन नाप दे रहे हैं। मेरा यह सुझाव है कि अगर जमीन वहां कम हो तो पट्टेदारों को कम जमीन दीजिये। यह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं होना चाहिये कि बगल में किसी भूमिधरी की जमीन नाप दी जाये । एक बात और कहना चाहता हूं कि पट्टे देने में केवल अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को ही पट्टा न देकर आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिये । मैं अपने क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां 94 गांवों को शाहजहांपुर के पीलीभीत जनपद में जोड़ने की अधिसूचना जारी की गई है । लेकिन आज तक रिकार्ड नहीं पहुंचा है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आयुक्त बरेली मण्डल से तत्काल कहकर दोनों जनपदों के जिलाधिकारियों की बैठक बुला ली जाये जिससे इन 94 गांवों को असुविधा न हो । पूरनपुर जनपद की सबसे बड़ी तहसील है उसमें शाहजहांपुर के इन गांवों को जोड़ा गया है । पूरनपुर में पहले से ही नई तहसील का प्रस्ताव है । 94 गांव जोड़ने से उनका कार्य क्षेत्र और बढ़ गया है अतः एक नई तहसील सृजित की जाये यह मैं मांग करता हूं एक बात और कहना चाहता हूं कि आये दिन हमारे यहां जिन लोगों को पट्टे होते हैं उन लोगों को जंगल विभाग द्वारा तंग किया जाता है । ऐसे कई जगह विवाद हैं । यह तय नहीं हो पा रहा है कि ग्राम समाज की भूमि है या जंगल विभाग की मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी पट्टेदार को तब तक तंग न किया जाए जब तक दोनों विभाग आपस में तय न कर लें कि किसकी जमीन है । नजीपुर व बंदरगोस में यह स्थिति है । जब तक निर्णय न हो जाए तब तक उन लोगों के खिलाफ कुछ न किया जाए । उन लोगों को ऋण आदि देकर बसाया गया है । अब उनको हटाने की बात की जाती है । इसी के साथ मैं दैवी आपदा के बारे में कहना चाहता हूं । हमारे यहां शारदा से चार गांव शास्त्री नगर, भरतपुर, भगवानपुरी, हजारा कट गये हैं । उन गांवों के लोग सड़क पर पड़े हैं । इन लोगों को तत्काल आवास के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाये व अनुदान दिलाया जाए । हमारे यहां जो पुनर्वासन क्षेत्र है जहां पूर्वांचल के लोगों को लाकर बसाया गया है । उनके पट्टे हो गए बीसियों साल हो गए लेकिन उनको भूमिधरी के राइट नहीं मिले हैं । उनको भूमिधरी राइट मिलना चाहिए । यह अन्याय हो रहा है । हमारे यहां बड़े-बड़े किसान हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन हैं जो बड़े-बड़े कार्य हैं सैकड़ों एकड़ के उनसे कुछ जमीन किसी को पट्टे में दी जाती है तो वह कोर्ट चले जाते हैं और स्टे ले आते हैं । इसमें राजस्व विभाग पैरवी करके स्टे वैकेट कराये व भूमिहीनों को पट्टे दिए जायें । तहसील न्यायालय, जनपद न्यायालय में सैकड़ों वाद लम्बित हैं मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोई समय सीमा निर्धारित करें कि उसी दिन के अन्दर वादों पर निर्णय हो जायें । जिससे लोगों को सुलभ न्याय मिल सके । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्रीमती अरुण कुमारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने कटौती प्रस्ताव के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहती हूं कि इस समय प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ है । मेरे भोगनीपुर विधान सभा क्षेत्र में सूखाग्रस्त होने के कारण कुओं में पानी सूख गया है, हैण्ड पम्पों में पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है । आपदा राहत विभाग से हैण्ड पम्पों को ठीक करने के लिये जो धनराशि दी गई वह पर्याप्त नहीं है । इस कारण 90 प्रतिशत हैण्ड पम्प अभी भी खाली पड़े हैं । मेरा सुझाव है कि अकाल की भयावह स्थिति को देखते हुये प्राथमिकता के आधार पर हैण्ड पम्प ठीक किया जाय.। मान्यवर, मैं यह कहना चाहती हूं कि आपदा राहत निधि के अन्तर्गत आग पीड़ित को जो राहत दी जाती है वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है । मेरा आपसे निवेदन है कि आपदा से पीड़ित

को राहत देते समय यह ध्यान रखा जाय कि कितना नुकसान हुआ है। उसके नुकसान का आंकलन कराया जाय। मान्यवर, सहायता नहीं दी जाती है। जो सहायता दी जाय वह नुकसान का 50 प्रतिशत देना अनिवार्य हो। इसी तरस से कहना चाहती हूं कि पशुधन हानि पर भी राहत दी जाय। किसानों की खुशहाली हेतु पशु बीमा योजना लागू की जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देती हूं।

* श्री धर्मेन्द्र कुमार–

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे नये सदस्य को राजस्व के बजट के समर्थन पर बोलने का अवसर दिया है। मैं राजस्व मंत्री को उनके द्वारा प्रस्तुत बजट के लिये भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने निश्चय किया है कि एक इंच जमीन पर अवैध कब्जा नहीं करने दिया जायेगा। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान बरेली जनपद की तहसील फरीदपुर नगरिया कलां जहां ग्राम सभा की 2 हजार बीघा जमीन पर अवैध कब्जा है, उस तरफ दिलाना चाहता हूं। निवेदन करना चाहता हूं कि उस जमीन को दलित, पिछड़े और गरीब पट्टेदारों में वितरित किया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट पर बल देता हूं।

श्री सिद्ध गोपाल साहू–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, जरूरतमंदों को भूमि पट्टे पर देना चाहिए, इससे पूरा सदन सहमत है। अपात्रों के द्वारा फर्जी कब्जा बताकर कर्मचारियों की मदद से अपात्रों को पट्टे दिये जाते हैं। मान्यवर, इसकी जांच कराई जाय और जो लोग दोषी पाये जायें उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। इसके साथ ही साथ कहना चाहता हूं कि जो तालाब की और खलिहानों की सुरक्षित जमीन होती है उसके पट्टे न दिये जायं। यदि तालाब में खेती और निवास के पट्टे दे देंगे तो पानी की समस्या उत्पन्न हो जायेगी। इसी तरह से खलिहान के पट्टे दे दिये जायेंगे तो किसानों को खलिहान की दिक्कत आ जायेगी। मैं महोबा जनपद की बात बताना चाहता हूं कि वहां पर अभी कुछ दिन पहले दो दर्जन गांव हमीरपुर जिले से लिये गये हैं जिससे महोबा तहसील का क्षेत्र व्यापक हो गया है। इसके लिये कबरई को तहसील बनाने की आवश्यकता है। महोबा तहसील में 150 किमी० लम्बा क्षेत्र पड़ता है जिससे किसानों और गरीबों को दिक्कत होती है। कबरई विकास खण्ड के ग्राम खजुरिहापहरा में एक तालाब बरसी तालाब है, वह लगभग 500 एकड़ का है। यह ऐतिहासिक चन्देलकालीन तालाब है। इसमें खेती के पट्टे देकर प्राचीन जल स्रोत को समाप्त करने का प्रयास हो रहा है। गलत तरीके से पट्टे दिये जा रहे हैं। गलत तरीके से पट्टे देकर जल स्रोतों को खत्म किया जा रहा है। कर्मचारी और अधिकारी गलत तरीके से यह काम कर रहे हैं जिससे जल स्रोत खत्म हो रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इन पट्टों को निरस्त कर उक्त तालाब का सीमांकन कर सुरक्षित किया जाय। बुन्देलखण्ड, महोबा में जल स्रोतों को बढ़ाने के लिये प्रयास किये जायं न कि खत्म करने के लिये।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माता प्रसाद पाण्डेय जी बोलिए, ताकि खत्म हो जाए एक और महत्वपूर्ण बजट है।

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है, बल दिया है मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। मंत्री जी ने बजट के पूर्वार्द्ध में आंकड़े दिए हैं मैं उनके मकड़जाल में नहीं पड़ना चाहता हूं, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कितने लोग पट्टे पर जबरदस्ती कब्जा करते हैं बख्शी का तालाब के पास चले जायं, इस विभाग के प्रमुख सचिव हरीशचन्द्र जी हैं इन्होंने गरीबों के पट्टों पर कब्जा कर लिया है उनके पट्टों का आंकड़ा कम हो गया जो दर्खास्त लेकर घूम रहे हैं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता–

माता प्रसाद पाण्डेय जी आप बोलिए।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आंकड़ों के मकड़जाल में न पड़ें जिस तरह से आंकड़े दिए हैं, आंकड़ों को तैयार किया गया है, गरीबों की जमीन पर जिस तरह से लोगों ने कब्जा किया है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यह हिन्दुस्तान का दुर्भाग्य है या सौभाग्य, पूरे प्रदेश में प्रति वर्ष 16 से 20 प्रतिशत जमीन पर हर साल दैवी आपदा आती है इस दैवी आपदा से निपटने के लिए एक यूनाइटेड प्राविन्सेज ऐक्ट बनाया गया।

(व्यवधान)

मैं नहीं जानता यह उसको किस तरह से क्रिएट कर रहे हैं। मान्यवर, हर साल बाढ़ आती है, फ्लड आ गई, जो राहत मिलती है किसी का घर जल जाता है, आदमी का एक्सीडेन्ट हो जाता है। कहीं आग लग जाती, कहीं आग लगा दी जाती है कोई जल गया तो रिलीफ नहीं मिलता है। किसी ने आग लगा दी, कोई डूब गया, कोई जल गया तो उसका क्या दोष तो ज्यादातर तहसीलदार या जो अधिकारी है वह यह प्रयास करते हैं कि यह जानबूझकर डूबा है। इसमें संशोधन की आवश्यकता है। मान्यवर, एक गांव में तीन लड़के भूसेला में बैठे थे। किसी ने माचिस जला दी जिससे आग लग गयी और वह उसमें जल गये। मैंने इसमें शासन से धन दिला दिया। एम०पी० साहब गये और यह कह दिया कि इसमें तो आग लगा दी गयी थी तो वह पूरे पैसे की रिकवरी हो गयी और उनके गार्जियन्स भी जेल भेज दिये गये। तो इसमें संशोधन की आवश्यकता है।

(इस समय 8 बजकर 47 मिनट पर अधिष्ठाता डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी पीठासीन हुए।)

मान्यवर, आपको भारत सरकार से एक करोड़ पचास लाख रुपया मिलता है। इसको आप विभाग में बांटते हैं। क्या आपने परीक्षण किया कि यह कहां बंट रहा है ? आपका राजस्व परिषद् है इसकी जांच करें जो रिलीफ दी जाती है वह सही भेजी गयी कि नहीं। होता क्या है 31 मार्च को बैठक करके

पैसा इधर से उधर कर दिया जाता है । दूसरी बात रिलीफ के बारे में कहना चाहूंगा जो सड़कें टूटी हैं या बांध टूटे हैं तो वह पैसा डी०एम० राहत आयुक्त को देते हैं तो वह सीधे विभाग को भेजे जो राहत के लिये प्रमुख सचिव हरिश्चन्द्र जी द्वारा शासनादेश हुआ है उसमें यह लिखा है कि कहीं क्षतिग्रस्त हो जाता है पक्का मकान है तो दस हजार और कच्चा मकान है तो 6 हजार अगर आंशिक है तो पक्का मकान के लिए दो हजार तथा कच्चा मकान के लिए बारह सौ रुपया है तो यह बहुत कम है । जिसका घर गिर जाता है उनको पूरा नहीं मिलता और यह पैसा जाता है तो इसकी जांच होती है यह ठीक नहीं है । जो लेखपाल जारी करता है आप भी गये होंगे, सबसे बड़ी शिकायत होती है कि पैसा लेकर फर्जी ढंग से प्रभावशाली लोगों के घर गिरे दिखाये जाते हैं परिणाम यह होता है कि छोटे स्तर पर यह नहीं जाता । मेरे इटवा तहसील में गृह अनुदान बट रहा है क्योंकि तहसीलदार ने अपने खाते में डाल दिया । वह दूसरी जगह चला गया है इसलिए यह चेक बनाकर लाता है, तो इसको ठीक करायें । मान्यवर, गांव के सर्वाधिक झगड़े जमीन को लेकर और आबादी को लेकर होते हैं । जितने क्रिमनल केसेज़ हैं वह गांव की आबादी के झगड़े को लेकर हैं, मान्यवर, 54 में जमींदारी एबोलिशन ऐक्ट हुआ । जमीन का पता नहीं लगा इसमें संशोधन की आवश्यकता हैं । इसमें संशोधन करके जो गांव के अन्दर की जमीन है इसका पता लग जायेगा । एक बात और कहना चाहूंगा जो जमींदारी एबोलिशन ऐक्ट लागू हुआ इसके 148(ए) जैसे कि तिवारी जी ने कहा था ''फ्रेगमेंट'' तो इसमें भी संशोधन की आवश्यकता है.....

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा । यह जो राहत देते हैं, मान्यवर, पचास प्रतिशत फ्लड एफेक्टेड हो गया तो पूरे गांव को देते हैं । चकबन्दी प्रक्रिया के अनुसार आधा गांव जब पूरा हो जाता है तो पचास प्रतिशत देते हैं । गांव में बाढ़ आ गयी दस आदमियों का क्षेत्र डूब गया पांच आदमियों का नहीं डूबा तो पचास प्रतिशत से ज्यादा डूबा तो देते हैं तो नहीं देते हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसे खातावार बनाया जाय । चकबन्दी में कितने डूबे, कौन से प्रभावित हुए यह नहीं पूरे गांव को दिया जाय । मान्यवर, एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि यह जो लेखपालों के लिए आयोग है उसमें कमीशन ने कहा कि यह कैडर खत्म कर दिया जाय और अमीन तथा लेखपाल को ग्राम सेवक बनाकर इसको किया जाय । आयोग ने यह भी कहा है कि डी०एम०, ए०डी०एम० और एस०डी०एम० एक साथ किसी वी०आई०पी० को न रिसीव करें । सारे अधिकारी मंत्री जी को घेरे बैठे रहते हैं । मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इन अनुशंशाओं को माना जाना चाहिए । दूसरा यह है कि इनको फैमिली प्लानिंग के काम में नहीं लगाना चाहिए । लेखपाल के पास बहुत काम होता है यह जो आयोग की रिपोर्ट है हम उसकी अनुशंसा करते हैं और मांग करते हैं कि इसको लागू किया जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि यह इस कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार करें ।

श्री रवि गौतम–

मान्यवर, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही ओर से बहुत अच्छे सुझाव आए हैं। वैसे जो सुझाव आए हैं उन पर तो मैं जवाब दूंगा ही लेकिन मैं समझता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई सुझाव ऐसा भी रहा हो जो अव्यवहारिक हो। सभी सुझाव अच्छे हैं। माननीय सदस्य अगर अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें तो मैं आपने जो सुझाव दिए हैं उनके समायोजन की पूरी-पूरी व्यवस्था करूंगा। हम सबकी जिम्मेदारी एक है। सभी सुझाव गरीबों, किसानों और प्रदेश के लोगों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए दिए गये हैं। मैं इन सुझावों के प्रति अधिकारियों को निर्देशित करूंगा और उनसे क्रियान्वयन करवाने का हर भरसक प्रयत्न करूंगा। एक सुझाव राजस्व परिषद् के बारे में आया। मैं स्वयं इस ओर ध्यान दूंगा।

मान्यवर, इसकी अगर खुद की कठिनाईयां देखें तो वह कम नहीं है। कोई घटना घट जाये तो राजस्व विभाग। कोई दुर्घटना, कहीं दैवीय आपदा, कहीं बाढ़, कहीं आग तो राजस्व विभाग। चुनाव आ जाये, वोट बनाने का काम हो तो राजस्व विभाग। कहीं झगड़ा हो जाये तो राजस्व विभाग। बहरहाल कितना गिनायें। हर जगह राजस्व विभाग की उपयोगिता है। मान्यवर, जो समय पर निस्तारण नहीं होता है वादों का उसका एक विशेष कारण यह भी है। मान्यवर, इसकी अगर खुद ही हालत देखने की कोशिश करेंगे तो यह राजस्व विभाग वास्तव में कितना महत्वपूर्ण है उतना ही दया का पात्र भी है। यह कुछ है विडम्बना। मैं माता प्रसाद जी की इस बात का खण्डन करूंगा जो राजस्व परिषद् पर नियंत्रण की बात है। मुकदमें का निस्तारण निगरानी आदि छोड़कर के बाकी करीब-करीब सब ठीक है। मैं आपके सुझावों पर विचार करूंगा। मान्यवर, राजस्व संख्या के आलेख का परीक्षण कराया जा रहा है। इस संबंध में उचित कार्यवाही पर विचार चल रहा है। कोई संशोधन पर विचार चल रहा है। मान्यवर, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी हो जाये। मान्यवर, सीलिंग के वादों के निस्तारण के लिए योजना बनायी गयी है कि उनका जल्दी निस्तारण हो। मान्यवर, किसानों की समस्याओं को हल करने की नियत से जो विधेयक लाया गया था उसमें धारा–4, भू-चित्र संशोधन और चकबन्दीकर्ता को अधिकार देने की बातें हैं वह सब विधेयक में आ गयी हैं नीयत यही हैं कि जल्दी वादों का निस्तारण होना चाहिए। कुछ कठिनाइयां हैं, हम उन पर विचार करेंगे। मान्यवर, मालियात के विवाद और गुणांक चक्र ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे उसमें मुकदमेंबाजी चल जाती है और स्टे हो जाता है। कहीं-कहीं उच्च न्यायालय से भी कार्यवाही के दौरान स्टे आ जाता है। तो देरी हो जाती है। वादकारी अपने हित में बार-बार तारीख लगवाते हैं जिससे देरी होती है। रिकार्ड की चोरी भी हो जाती है जिससे देरी होती है।

श्री दिनेश सिंह–

कंसालीडेशन आफ डीड सिविल से हटाकर, जिला मजिस्ट्रेट बोर्ड में है, इस नाते बोर्ड को ही अधिकार दे दिया जाये, तो यह किसानों के हित में होगा।

श्री रवि गौतम–

मान्यवर, कहा गया कि यह अहेतुक राहत राशि कम है मान्यवर, यह केन्द्र के मानक हैं और उसके अनुरूप हम बांटते हैं। मान्यवर, जो भी अच्छे सुझाव आये हैं, उनके समायोजन का प्रयास किया जायेगा। अधिकारीगण जहां कहीं भी किसी प्रकार की लापरवाही करते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही

करने में कोई कोताही नहीं बरती जायेगी और सख्त से सख्त कदम उठाये जायेंगे । कुशीनगर का जिक्र आया मा० विधायक जी बैठे हैं मैंने अपनी ओर से कोई कोताही नहीं बरती वहां की जनता, तमाम वहां के पीड़ित लोगों को संतुष्ट करने का भरसक प्रयत्न किया और कुछ अधिकारियों को दण्डित भी किया है । इसके अलावा जो कुछ और देखा समझा उनके खिलाफ भी कार्यवाही हो रही है और माननीय मुख्य मंत्री जी को अवगत करा दिया है । मैं तो यह कहूंगा कि माता प्रसाद जी, हम तो अच्छे सुझावों के पक्षधर हैं । अगर यह कटौती प्रस्ताव वापस ले लें तो सर्वसम्मति से इसको पारित करा दिया जाय ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री महोदय, माल में जो माल विभाग का बजट रखा है ।

श्री अधिष्ठाता–

बजट प्रस्तुत हो गया चर्चा हो गई कटौती प्रस्ताव रखने वाले माता प्रसाद जी हैं आप स्पष्टीकरण ले लीजिए अब बजट पर चर्चा नहीं होगी । माननीय संदस्य कृपया शान्त रहें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बिना वजह टाइम खराब हो रहा है । माननीय दुर्गा यादव जी ने एक ऐसा प्रकरण रखा था जिसमें 19 तारीख को बयान आया है । मान्यवर, आजमगढ़ मण्डल बना 1994 में और आज 2002 है । आठ वर्षों के अन्तराल के बाद यह जवाब आ रहा है कि अभी जनपद आजमगढ़ के 2626 और मऊ जनपद के 381 वाद अभी तक गोरखपुर में पड़े हुये हैं । आठ वर्षों के बाद भी यह स्थिति है कायदे से जब मण्डल बन गया था तो सारे मुकदमें आ जाना चाहिए । उसको कितने समय में आजमगढ़ पहुंचाने का काम करेंगे ।

श्री रवि गौतम–

इस पर शीघ्र विचार कर लेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

आप कटौती प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

वैसे मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने सुझावों के समायोजन की बात कही है । मान्यवर, कटौती का प्रस्ताव तो एक औपचारिकता है जिसके माध्यम से सदस्य अपनी बात को रखता है इसके वापस लेने का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,65,85,01,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–51–राजस्व विभाग (दैवीय विपत्तियों के संबंध में राहत) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–51–राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 82,28,04,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,85, 72,97,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या–70–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

*विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कैलाश नाथ सिंह यादव)–

मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–70–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,37,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

कुछ कहना चाहेंगे आप ।

(माननीय मंत्री के कुछ न कहने पर)

श्री अधिष्ठाता–

कटौती प्रस्तुत करेंगे श्री श्याम नारायण जी ।

श्री श्याम नारायण–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं०–70–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने के उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं बड़ा आभारी हूं कि विज्ञान और तकनीकी विभाग पर मुझे आपने कटौती रखने का अवसर दिया है । मान्यवर, यह वह विभाग है और यह वह ताकत है विज्ञान और तकनीकी जो सारी दुनिया में प्रकाश गति से अपनी विजय का परचम लहरा रहा है । इनको सुनना चाहिए लेकिन नहीं सुनना चाहते हैं । लेकिन मैं यह कहूंगा कि विज्ञान और टेक्नोलाजी हमारे हर क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है । इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण विभाग है जिस पर चर्चा होनी चाहिए । मैं निवेदन करूंगा कि दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है, सारे विचार बुनियादी तौर पर बदल गये हैं इस बदलाव में बड़ी तीव्रता है । जो चीज दुनिया में हलचल मचाये हुए हैं वह मान्यवर, विज्ञान और टेक्नोलाजी है ।

यही इसकी महत्ता है । मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज दुनिया की हर चीज बदल गई है । नाभिकीय शक्तियों के प्रयोग से दुनिया में कहीं कोई घटना घटती है, दुन्यिा उसमें शिरकत कर सकती है । यह इतना बड़ा बदलाव हुआ है । ऐसी कोई चीज नहीं जो बदल न गई हो । विज्ञान गति काल और अन्तर्विरोध को कम करता हैं, समकालिकता को प्रदर्शित करता है, यही इतिहास को संचालित कर रही हैं । आज औजार से उत्पादन करने की बात नहीं रह गई है, अब सब व्यक्तिपरक है । आपने देखा बड़ी-बड़ी मशीनें फेंक दी गई, अब लेजर तकनीक से होल कर रहे हैं, यह मशीन भी है और किरण भी है । यह गति इतिहास पर लागू है । इस व्यक्तिपरक औजारों से हम स्वरोजगार की तरफ़ बढ़ रहे हैं । आज आदमी आजादी चाहता है और आजादी के लिये मानवतावादी पृष्ठभूमि होनी चाहिये । इस मानवतावाद ने पूरी दुनिया में जनवाद का हलचल मचा दिया था, समाजवाद कमान्ड का एक सिस्टम था, और पश्चिम के पूंजीवादी देश जनवाद के दबाव में अर्थतंत्र की प्रक्रिया शुरू किये थे । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज चीन बदल रहा है आज पूरी दुनिया मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर जा रही है, यही भारत है, मान्यवर, यह महसूस करने की चीज है, इसे महसूस करना चाहिये । हमारे राज्य की सारी गतिविधियां विज्ञान और टेक्नालोजी से संचालित होती हैं ।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों की ओर से टोकाटाकी किये जाने पर)

मैं खेद के साथ कहता हूं कि आपमें रुचि नहीं है, न रुचि हो सकती है, अगर जरा भी रुचि होती तो ढोकरकरवा, मुंहनोचवा और जमीन में गाड़ने जैसे अंधविश्वासों में न पड़ते । विज्ञान और प्रौद्योगिकी की महत्ता को समझे होते तो आज के युग में गोधरा, गुजरात न होता । यह सब आप लोग करवा रहे

हैं । अंधविश्वास को खत्म करना होगा । आप चाहें न चाहें, विज्ञान की नई अर्थव्यवस्था ही हकीकत है, जिसका हमको स्वागत करना पड़ेगा । मैं निवेदन करूंगा, आपकी रुचि होनी चाहिये, रुचि नहीं होगी, केवल स्वार्थ होगा और शार्टकट रास्ते से सत्ता पर पहुंचेंगे तो कम से कम अपने उत्तरदायित्व को जानें । यह जो किताब मिली है, इसमें उपलब्धियां क्या हैं, केवल आप दो नक्षत्रशालायें चला रहे हैं ? आपके दो विभाग हैं, उत्तर प्रदेश विज्ञान टेक्नालोजी परिषद और उत्तर प्रदेश विज्ञान तकनीकी विभाग यह सन् 75 से कार्यरत हैं या कहें दौड़ा जा रहा है । एक जैविक खाद नील हरित शैवाल, यह कहां है या क्या कर दिया, आपका बजट छोटा है, आपका दोष नहीं है, सबने ध्यान नहीं दिया है, यह ध्यान देने योग्य बातें हैं ? मान्यवर, एक निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम गोरखपुर की जो नक्षत्रशाला है और लखनऊ की नक्षत्रशाला हैं बन्द पड़ी हैं, स्थगन आदेश है हाई कोर्ट का । आप, माननीय उच्च न्यायालय में जाकर के इस स्थगन आदेश को खत्म करवायें और उसे जनता के सुपुर्द करें । मान्यवर, हम यह सब कह कर हम आपकी कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं, आपको पैसा कम मिला है और पैसा चाहिए भी और अगर हम एक रुपये की कटौती की तो नहीं मानते और अगर एक हजार-दो हजार की करते तो क्या मान जाते ? मान्यवर, यह परम्परा है इसलिए मान्यवर, मैं कह रहा हूं और कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुए मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं और सबको धन्यवाद दे रहा हूं ।

* श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं । भाई तिवारी जी ने जो कटौती प्रस्ताव रखा है । मेरे विचार से फांसी का फंदा, जेल की यात्राएं, और सीने पर गोली जो आजादी के जवानों ने खाई थी उसका सबका एक लक्ष्य था कि 21 वीं सदी में जब भारत पहुंचेगा, भारत प्रवेश करेगा तो उसका स्वरूप क्या होगा ? 21वीं सदी में पेश होने वाला पहला बजट, विज्ञान और टेक्नालॉजी का था । इसी दृष्टि से सबने यह अनुरोध किया था कि तिवारी जी कटौती प्रस्ताव मत रखें और इसका समर्थन करें । दुनिया में विकास का दौर चल रहा है तो हम भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का दुनिया में परचम लहराये । क्या इसलिए एक रुपये का कटौती का प्रस्ताव का समर्थन किया आपने । मेरा आग्रह है कि अगर आप फांसी का फंदा और जेलों की यात्राओं को सार्थक करना चाहते हैं तो एक रुपये के कटौती के प्रस्ताव को वापस लेकर बजट का समर्थन करें ।

श्री अधिष्ठाता–

क्या और कोई माननीय सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहते हैं ? माननीय श्याम नारायण जी आप अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल दे रहे हैं या उसे वापस ले रहे हैं ।

श्री श्याम नारायण–

मान्यवर, जो औपचारिकतायें हों, उसको पूरा करा दें, मैं तो विरोधी पक्ष का हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं अब प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–70–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–70–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,37,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2002 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2002

* श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2002 का अननुमोदन करता है ।

श्रीमन्, यह जो माननीय मंत्री जी विधेयक लाये हैं इस सदन में, यह बड़े ही अन्यायपूर्ण कार्यों और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए है । इसी सदन में तत्कालीन नेता सदन मुलायम सिंह यादव जी जब थे तो उन्होंने 3 साल के कार्यकाल को 5 साल बढ़ाया था और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसको फिर 3 साल कर दिया और फिर भारतीय जनता पार्टी के सहकारिता मंत्री जी हैं इन्होंने इसके कार्यकाल को 5 वर्ष कर दिया । वैसे यह ईमानदार, सरल और ठीक आदमी हैं, हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं लेकिन बार-बार अखबारों में बयान दिया कि मैं किसी के दबाव में कार्यकाल नहीं बढ़ाऊंगा । हमारे जनपद बलिया के रसड़ा क्षेत्र में कार्यक्रम था उसमें भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और उनके साथ उनके पदाधिकारी मिले थे, मंत्री जी रसड़ा चीनी मिल के गेस्ट हाऊस में रुके थे । इन्होंने सैकड़ों लोगों के बीच में कहा कि हमारे रहते कार्यकाल नहीं बढ़ेगा । जब नया चुनाव होगा तो उसका कार्यकाल केन्द्र की अनुमति के अनुसार 5 वर्ष किया जायेगा । लेकिन पता नहीं किसके कारण और किसके दबाव में माननीय मंत्री जी ने एक हफ्ते के अन्दर तमाम बोर्डों का कार्यकाल समाप्त हो रहा था, 4 तारीख को अध्यादेश जारी करा दिया और अपने व्यक्तित्व पर पानी फिरवा दिया । मैं जानता हूं कि मंत्री जी ईमानदार हैं, कर्मठ हैं और सुशील व्यक्ति हैं लेकिन आपके कार्यकाल बढ़ाने से आपके ऊपर लांछन लगा है । जो बोर्डों के चेयरमैन हैं जिन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि हम बैंक के चेयरमैन हैं, हम पैसे के मालिक हैं, हम चाहेंगे तो कार्यकाल बढ़वा लेंगे ।

सहकारी बैंकों के चेयरमैनों ने न जाने मंत्री जी से क्या कहा या अधिकारियों ने न जाने क्या कहा कि मंत्री जी कार्यकाल बढ़ाने के लिये तैयार हो गये । मंत्री जी आपका चेहरा दागदार हो गया है । आप जैसी बढ़िया, ईमानदार आदमी यह कैसे करने के लिये तैयार हो गया । जनता के बीच में आपकी इमेज खराब हो गयी है । सहकारी बैंकों के चेयरमैन यह कहते थे कि हमारा बैंक है, हमारा पैसा है हम कार्यकाल बढ़वा लेंगे और उनका कार्यकाल बढ़ गया । यह कितना विरोधाभाष है कि जो सहकारी समितियां प्राइमरी स्टेज पर हैं वह भंग हो गयी उनके चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो गया और जो पुरानी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

समितियां हैं, बैंक के डायरेक्टर हैं उनका कार्यकाल 2 साल के लिये बढ़ गया । जहां पर करोड़ों रुपये के घपले हैं जो धारा–68 के अन्तर्गत आ गये हैं जिनकी वसूली 17 प्रतिशत है जिन्होंने पैसा अपने निजी स्वार्थ में लगा रखा है ऐसे बेईमान और भ्रष्ट सहकारी बैंकों के अध्यक्षों का कार्यकाल आपने बढ़ा दिया । यह आपको कहां ले जायेंगे पंडित जी । आप अपनी बात पर अड़े रहते चाहे भारतीय जनता पार्टी या कोई भी होता आप कार्यकाल बढ़ाने की बात स्वीकार न करते । आपने यह छोटा काम करके अपने को दागदार बना लिया है । आपने अपनी बात खुद उलट दिया । अब चुनाव होंगे, दूसरी प्राथमिकता समितियां चुनी जायेंगी लेकिन दूसरे उनके घर पर बैठे मिलेंगे यह कहां का इंसाफ है । जैसे कोई नयी बी०डी०सी० चुनी जाय और पुरानी बैठी रहे । आपने समितियों के अध्यक्षों का कार्यकाल क्यों नहीं बढ़ा दिया, संघों का, पी०सी०एफ० का कार्यकाल क्यों नहीं बढ़ा दिया । यह विरोधाभाष क्यों किया । क्यों आपने केवल बैंकों के डायरेक्टरों का कार्यकाल बढ़ाया है । अकेले बलिया जनपद में जनता के करोड़ों रुपयों का घपला है । रसड़ा, वेलथरा रोड, बैरिया और बलिया की जो सायंकालीन ब्रांच है उसमें करोड़ों रुपयों के घपले हैं । आपके अध्यक्ष और पदाधिकारियों की दर्जनों बार शिकायत की गयी है कि आप हस्तक्षेप करें नहीं तो बलिया का बैंक डूब जायगा । वह बैंक जिनके हाथों में है, उनके बारे में आप मंत्रिमण्डल के सहयोगियों से पूछ लीजिये । जिनके हाथों में वह बैंक है दुनिया में उनके लिये पैसा ही सब कुछ हैं । जिन लोगों का आपने कार्यकाल बढ़ाया है । उनके कारनामें क्या हैं, अगर गोबर में पैसा पड़ा हो तो वह जीप से पैसा उठाने वाले लोग हैं । ऐसे लोगों का कार्यकाल बढ़ाया है । बेईमानों की रक्षा ईमानदार आदमी द्वारा हो रही है । आप जैसे सुन्दर व्यक्तिगत वाले आदमी की इमेज खराब हो गयी है ।

मंत्री जी आपकी ही सरकार ने यह निकाला है कि जो अपराधियों को संरक्षण देंगे उसके साथ भी वही कानूनी कार्यवाही होगी जो अपराधियों के साथ होगी । संसदीय कार्य मंत्री जी बतायेंगे कि मंत्री जी ने जो बेईमानों का कार्यकाल बढ़ाया है । भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया है तो क्या मंत्री जी पर भी भ्रष्टाचार का मुकदमा चलायेंगे । मंत्री जी ने भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया है । अधिष्ठाता महोदय, आप खुद नियमों के जानकार हैं । मै जानता हूं कि पंडित जी भले आदमी हैं लेकिन इनके जो कारण में हैं सब शक के घेरे में डाल देते हैं । अगर शक के दायरे में आपको नहीं रहना है तो इस विधेयक को वापस लें यह घोषणा कर दीजिए । जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, चेयरमैन कोआपरेटिव बैंकों के व मैनेजर । यह सहकारिता किसानों के हितों के लिए बनाया गया था । क्योंकि पहले जो बैंक थे वह बड़े-बड़े पूंजीपतियों को कर्ज देते थे । उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया व कोआपरेटिव बैंक खोले गये जिससे रिक्शे वाला, ठेले वाला, एक हरिजन आदि सभी लोग बैंकों से कर्ज ले सकें और अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर सकें और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले गरीबी की रेखा से ऊपर हो जाएं । आपने भ्रष्ट चेयरमैनों का कार्यकाल बढ़ाकर प्रदेश को दागदार बना दिया और अपनी सुन्दर छवि को दागदार बना दिया । यह आपकी इमेज बिगाड़ने वाला है । जो समितियों के सदस्य हैं उन सबके लिए यह विधेयक लाया जाए या फिर इसे वापस ले लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

सहकारी बैंकों ने ऐसे लोगों को कर्ज बांट दिया है कि वह लोग कर्ज लेकर आराम से घर बैठे हैं । यह सब चेयरमैन और मैनेजरों की आपस में सांठगांठ से हुआ है क्योंकि दोनों लोग कमीशन का पैसा आपस में बांट लेते हैं ।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

चौधरी जी पीठ की तरफ देखकर अपनी बात रखें । अगर मंत्री जी की तरफ देखेंगे तो फिर जवाब सुनने के लिये तैयार रहें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मैं तो 11.00 बजे तक रोज बैठा रहता हूं । चाहे मुझे बोलना हो या न हो । मान्यवर, मैं बलिया जिले के बैंक की बात बता रहा हूं । वहां के लिये मशहूर है कि 4 बजे के बाद उस बैंक के चेयरमैन के दफ्तर में कितना इल्लीगल काम होते हैं, यह पूरा बलिया जानता है । उस बैंक के सारे खास लोग ऐशो आराम का काम करते हैं । आपने कार्यकाल बढ़ा दिया । जो बैंक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिनकी वसूली 17 प्रतिशत से भी कम है और उन्होंने गलत सूचना आपको भिजवाई । क्या ऐसे बोर्ड को भंग करने का कोई व्यवस्था करेंगे ? गोण्डा में आपने क्या किया । वहां ताला लगवा दिया । जब वहां ताला लग सकता है तो बलिया का जो बैंक भ्रष्टाचार से ओत-प्रोत हैं उसको भंग करेंगे । आपकी पार्टी के लोगों ने कहा है, बलिया की जनता ने भी मांग की है । इसलिये श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह विधेयक जन विरोधी है नियम विरोधी है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला है । कोआपरेटिव बैंकों के पैसे को लूट लेने की छूट देने वाला है । मान्यवर, मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

*सहकारिता मंत्री (श्री राम प्रकाश त्रिपाठी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2002, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

आदरणीय चौधरी साहब ने जो संशोधन प्रस्तुत किया और जिस तरीके से निश्चित रूप से मुझे संबोधित करके कुछ बातें कहीं । वैसे तो मैं शीघ्र प्रस्ताव पर ही बोलने वाला था लेकिन उन्होंने ही विवश कर दिया है । एक बैंक की बेइमानी को देखकर पूरे प्रदेश के सभी सहकारी बैंकों के चेयरमैन को एक दम बेइमान कह दिया जो कि संसदीय परम्परा के भी विपरीत है । मैं आपसे अनुरोध करूंगा । मैंने तारीफ की । शिवपाल सिंह की तारीफ की थी कि आपके बैंक में जब आप स्वयं टी०ए० डी०ए० नहीं ले रहे हैं तो संचालन मण्डल में किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि कोई घपला हो । श्याम सुन्दर शर्मा जी बैठे हैं मथुरा का बैंक है अच्छा चल रहा है । एक बलिया के बैंक की बात कर रहे हैं । मैं चौधरी साहब को निमंत्रण देता हूं और माननीय नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करूंगा कि जिस अधिकारियों की टीम बतायें हम उनके द्वारा जांच करवायें और आपके माध्यम से चौधरी साहब को बताना चाहेंगे कि चाहे बलिया हो, गाजियाबाद हो, जहां कहीं भी प्रदेश के अन्दर इस तरीके की बेइमानी होगी और जांच के बाद जो भी दोषी होंगे उन्हें दण्डित किया जायेगा । चौधरी साहब ने कहा कि आपने कार्य काल बढ़ा दिया । कार्यकाल क्यों बढ़ाया । 18 नवम्बर, 2001 को यह अध्यादेश पहले आया । विधान सभा के भंग हो जाने के कारण फिर लोक सभा में तकनीकी कारण से इसका पालन नहीं हो पाया जिस कारण से इस अध्यादेश को पुनर्जीवित करना पड़ा । आप कह रहे हैं कि दूसरे संस्थान चले गये । हमने विधि से परामर्श लिया था कि इसको पुर्नजीवित किया जा सकता है कि नहीं उन्होंने कहा जो संसदीय सहमति हो गई रिट्रोसपेक्टिव इफेक्ट से नहीं किया जा सकता है । लेकिन फिर भी चौधरी साहब ने ललकारा तो अधिष्ठाता महोदय मैं चौधरी साहब से अनुरोध करना चाहता हूं अभी विधिक परीक्षण करा रहे हैं । दूसरी बात जो कही उस पर भी विचार कर रहे हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(मेंजे थपथपाई गई)

मैंने समय इसलिए बढ़ाया हम कुछ नई सहकारिता इस उत्तर प्रदेश को दे पाएं । मैं चौधरी साहब को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारिता अधिनियम है, नया माडल एक्ट केन्द्र सरकार ने किया है, पांच वर्ष का कार्यकाल किया गया है इस संबंध में दिल्ली में अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है माडल एक्ट तैयार किया गया है । केन्द्र सहायता तभी उपलब्ध करायेगी जब सहकारिता सफल होगी । सहकारिता जन आन्दोलन के रूप में खड़ा होगा इसलिए हमने सोचा है कि चुनाव में छूट देंगे । एक सहकारिता नियमावली, 1965 का एक्ट है इसकी शेयर मनी 21 रुपया है । आज 21 रुपये का क्या महत्व है तो कुछ नई चीजें करने का टाइम मिल सके इसलिए हमने सोचा है पहले से अध्यादेश आ चुका है नीचे संस्थायें चली गई हमने नीचे की संस्थाओं के बारे में इशारा किया है, जब विधान सभा के चुनाव होते हैं विधान सभा का कार्यकाल पूरा हो जाता है लेकिन विधान परिषद् के सदस्य बने रहते हैं विधान सभा भंग हो जाती है राज्य सभा में विधान सभा सदस्य चुनकर भेजती है विधान सभा भंग हो जाती है लेकिन राज्य सभा के सदस्य बने रहते हैं । सहकारिता नियमावली, 1965 के सेक्शन-18 में साफ लिखा है जब तक डेलीगेशन है तब तक दूसरा नहीं आ पायेगा । वह हट नहीं सकता है इसलिए बताना चाहूंगा कि डेलीगेशन नहीं हट सकता है जिस प्रकार से विधान सभा भंग हो जाती है और विधान परिषद् बनी रहती है उसी तरह से है । नया सहकारिता जन आन्दोलन के रूप में खड़ा हो इसमें बताना चाहूंगा, आपने बलिया बैंक की तरफ इशारा किया आपने सारे बैंकों को बेइमान कह दिया और कहा कि आपने संरक्षण दिया है इस तरह से तो आपने मुझे भी 120 का मुल्जिम बना दिया । मैं बताना चाहूंगा कि मुजफ्फरनगर के बैंक ने बहुत अच्छा काम किया है उसको पुरस्कार देने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारे बैंक बेईमान हैं कई बैंकों के चेयरमैन इधर के भी है, कई उधर के भी हैं । सहकारिता को बांधा नहीं जा सकता है इसमें समय मिल जाएगा । इसमें प्रयास करेंगे चुनाव के पचड़े में न पड़े ।

चौधरी साहब बजट के दिन आपने कहा था तभी भी मैंने कहा था आज फिर से कहना चाहता हूं बेइमान के साथ किसी तरह से समझौता नहीं करेंगे । मैं सभी दलों के नेताओं को पत्र लिख रहा हूं एक-एक सदस्य आप दें । अरबों-खरबों रुपया हमारी सहकारिता विभाग में पड़ा है इन्क्रोचमेंट हो रहा है इसका निस्तारण कैसे किया जाएगा । इसके लिए हम सर्वदलीय समिति बना रहे हैं, सर्वदलीय समिति के माध्यम से हम भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं । सहकारिता आन्दोलन को चलाया जाएगा । सहकारिता आन्दोलन को हम दलीय सीमाओं से बाहर रखकर जन आन्दोलन के रूप में खड़ा करना चाहते हैं जो मैंने उस दिन कहा था आज भी कह रहा हूं आपकी शुभकामनायें चाहिए । आपने विरोध प्रकट कर दिया जो सम्मान प्रकट किया मैं उसके लिए आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं । जब मैंने शपथ ली उसके तीसरे दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम की संकल्प स्थली है जिसको आर्यमुनियों ने भी कहा है, उस चित्रकूट पर जाकर मैंने प्रतीक्षा की है कि काजल की कोठरी को चन्दन का मन्दिर बनाऊंगा । मैं सबके लिए कह रहा हूं । आप तो संसदीय परम्पराओं के ज्ञाता हैं चाहे कोई बैंक हो, बलिया हो या और कोई हो आप लिखकर दे दीजिये । मैं आदरणीय नेता प्रतिपक्ष से भी कहूंगा कि वह किसी के बारे में भी लिखकर दे देंगे मैं उसकी जांच करा लूंगा । चाहे वह किसी पार्टी का हो, चाहे वह मेरे घर का ही क्यों न हो । मैं उसे बख्शूंगा नहीं । लेकिन सबको बेइमान कर देना यह शोभा नहीं देता है । मान्यवर, उन्नाव में फतेह बहादुर जी मिले थे, वे समाजवादी पार्टी के सक्रिय नेता हैं, हम जो भी नीति विषयक निर्णय लेते हैं उनके साथ बैठकर लेते हैं । तो जो दृष्टिदर्शन है । एक बार भगवान कृष्ण ने धर्मराज और दुर्योधन को भेजा और धर्मराज से यह कहा कि तुम बुरा आदमी खोज कर लाओ और दुर्योधन से कहा कि तुम अच्छा आदमी लेकर आओ । दोनों जब शाम को लौटे तो जब भगवान ने पूछा कि धर्मराज आपको बुरा आदमी मिला तो उन्होंने कहा कि मान्यवर, मैंने बुराई खोजने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई बुरा

आदमी नहीं मिला । फिर उन्होंने दुर्योधन से पूछा कि तुम्हें अच्छा आदमी मिला तो उसने कहा कि मान्यवर, मैंने आदमी में अच्छाई ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वह नहीं मिल पाया । तो यह दृष्टिदर्शन है। आप सबको बेइमान मत समझिये । मुझे चौधरी साहब के वाक्य याद आते हैं उन्होंने कहा था कि राजनीति में मैं केवल ईमानदार हूं और सब बेइमान हैं यह अगर कोई व्यक्ति कहेगा तो वह राजनीति में सफल नहीं माना जायेगा । अंत में मैं माननीय चौधरी साहब से अनुरोध करूंगा कि आप अपने अननुमोदन के संकल्प को वापस ले लें ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2002, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें । माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस विधेयक पर चौधरी साहब ने चर्चा किया और माननीय सहकारिता मंत्री जी ने अपनी वेदना को प्रकट किया । मैं चाहूंगा कि वह इसमें सुधार लायें और इसको फिर से संगठित ढंग से बनाया जाय । मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें इतनी कमियां हैं चाहे सहकारी समिति, क्षेत्र समिति के माध्यम से देखिये, चाहे बैंक के माध्यम से देखिये । मान्यवर, हमारे सिद्धार्थनगर में को-आपरेटिव बैंक बना है । एक जनयाचिका दायर हुई और हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि इसको भंग कर दिया जाय । इसको लेकर हमने डी०आर० गोरखपुर के यहां धरना या कार्यवाही भी की लेकिन राजनीति संरक्षण प्राप्त है इसलिए नहीं हो पाया । मान्यवर, महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, मैंने वहां की सहकारिता देखी है, गुजरात की सहकारिता देखी है, यह सहकारी सदस्यों के लिए होते हैं, इसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है । लेकिन यह जो आपका एक्ट है इसमें टोटल सरकारी हस्तक्षेप है । मैंने इसे पढ़ा है, इसलिए इसमें संशोधन की आवश्यकता है । आपने पांच साल समय बढ़ाया है, लेकिन एक चीज में कहना चाहता हूं कि इसका गहराई से अध्ययन करायें । यह समितियां जो पचास लाख किसानों का बैंक लेकर बैठती हैं । आप जब सचिव को 500 रुपये दे रहे थे, एकाउन्टेन्ट को 250 रुपया देते हैं । जब मैं पढ़ता था तो हम पैसा लाकर सुपरवाइजर को दे देते थे । उस समय सचिव नहीं होते थे । ऐसा अक्सर होता था कि सचिव ने पैसा ले लिया और किसी को बांटा तो किसी को नहीं बांटा । मान्यवर, यह जो मुकदमें आरवीट्रेशन में चल रहे हैं उन्हीं किसानों के मुकदमें है जिनका पैसा वापस नहीं मिल पाता है । मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि यह जो डी०आर० होता है उसका स्थानान्तरण कर दिया जाता है तो परेशानी होती है । इसमें एक ट्रिब्यूनल बनाना चाहिए । मान्यवर, बाण्ड पर हस्ताक्षर नहीं होते हैं । मैंने पहले भी कहा था कि आज से पहले जब मैं विधायक चुनकर आया था तो कहा था कि बाण्ड पत्रों का परीक्षण कराया जाना चाहिए । मान्यवर, किसानों का 10-10 लाख रुपये तक लिया जा चुका है । केवल चेक पर हस्ताक्षर करा लेते हैं और मनमानी करते हैं। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह सिस्टम समाप्त होना चाहिए । मुझे अच्छी तरह से याद है जब स्व० श्री चौधरी चरण सिंह जी ने यहां सहकारिता भवन का उद्घाटन किया था तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि इसका नाम सहकारिता इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके नाम से जनता जुड़ी होती है । मान्यवर, आज की स्थिति क्या है इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे यहां चले जाइए और सरकारी खाद को गोदामों में रखकर किसी किसान से पूछिए कि यह सरकारी खाद है इसे खरीद लीजिए तो वह उसको नहीं लेंगे क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वह इसको ले लेंगे तो उन पर सरकारी कर्ज चढ़ जाएगा । इसको चुकाना पड़ेगा । इसलिए मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि विशिष्टता के आधार पर इस पर विचार करें । मुझे उम्मीद है कि आपमें सत्यनिष्ठा है, दृढ़ इच्छाशक्ति है ऐसा करने की । इस पर आपको गंभीरता से विचार करना है । एक बात और मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि जब माननीय श्री मुलायम सिंह यादव मुख्य मंत्री थे तो सहकारी समितियों का कर्ज माफ करने के लिए

बैंकों को पैसा दिया गया था । उसके कागजात लेकर सचिव को आना था । लेकिन वह कागजात नहीं मिले और रुपया एडजस्ट नहीं हुआ । हमारे जिले सिद्धार्थ नगर की कई समितियों का पैसा पड़ा हुआ है । बार-बार कहा जाता है लेकिन सचिव और अध्यक्ष नहीं करते हैं । बैंकों की हालत खराब है । समितियों ने रुपया ले लिया । सचिव जो हैं उसने ट्रैक्टर खरीद लिया, जमीन खरीद ली ।

मैं एक सचिव का उल्लेख करना चाहता हूं कि उसने 50 एकड़ जमीन खरीदी है नेपाल में । इन लोगों ने बैंकों को लूटकर अपना घर बनाया है, बेटे को इंजीनियर बनाया है । उनकी करनी का फल आज गरीब आदमी झेल रहा है । न जाने कितने गरीब जेलों में डाल दिए गए हैं । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको एक प्रवर समिति को भेजा जाय और इस पर विचार हो कि समितियों का कार्यकाल 5 साल होना चाहिए या नहीं । इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी की भावनाओं का सम्मान करता हूं लेकिन इसको कार्यरूप दिए जाने पर ही असली परिणाम सामने आ पाएगा । आप इन बैंकों को भंग कर दीजिए । लेकिन जो अच्छे हैं उनको रहने दें लेकिन जो बेइमान हैं उनका बाहर किया जाना चाहिए । आपके अपने लोग हैं उनको नामिनेट कर दीजिए । कार मिल जाएगी । आने-जाने के लिए । मान्यवर, इस सबकी जांच करा लें और मान्यवर, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाय ।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक यहां प्रस्तुत किया है, इसका समर्थन करता हूं । माता प्रसाद जी ने कहा कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें । इसमें आप अपने अच्छे आदमी नामित कर दें । मा० राम प्रकाश त्रिपाठी जी चुने हुए लोगों को ही लाने में यकीन करते हैं यह मैं आपको बता दूं । अभी भाई राम गोविन्द जी सिर्फ बलिया के उदाहरण की बात कह रहे थे उनको संरक्षण देने वाले कौन हैं, कह रहे थे कि मा० राम प्रकाश त्रिपाठी जी 120 बी के मुजरिम हैं । मुझे बलिया के बारे में जानकारी नहीं है । सहकारिता मंत्री जी को अभी तीन महीने हुए हैं अगर बलिया बैंक का जिला बैंक का चेयरमैन अगर ईमानदरी से वह बेइमान है और उसके विरुद्ध कोई एफ० आई० आर० दर्ज नहीं हुई है तो 120 बी के शेल्टर के अपराधी [x x x] हैं और कोई नहीं है ।

इसे पांच वर्ष बढ़ाने के जो सारे तर्क हैं, मल्टी स्टेट्स हैं, माडल ऐक्ट, पूरे प्रदेशों की को-आपरेटिव का संचालन । ग्राम पंचायत से शुरू करूं, जिला पंचायत से शुरु करूं, देश की सर्वोच्च संस्था से शुरू करूं सब में 5 वर्ष । बार-बार पाण्डेय जी कह रहे थे कि 10-10 लाख रु० का गबन है । मंत्री जी को आये अभी तीन महीने हुए, आप सोचें । भ्रष्टाचारियों के ताण्डव नृत्य को समाप्त करने के लिये और शिष्टाचार में बदलने के लिये ही विधेयक लायें हैं 5 वर्ष का । जिस अंगूठे से आपका नाम लिखा जाता था दूसरे अंगूठे से भाई चौधरी साहब का । देट सिस्टम हेज बिन चेंज्ड । आज शिष्टाचार पास बुक, चेक दी गयी हैं आज तीन सिस्टमों को लागू करने की बात करके सिस्टम में परिवर्तन करने जा रहे हैं, इसलिए पांच वर्ष की बात कर रहे हैं । बार-बार आपने कहा कि चन्दन का मन्दिर बनाऊंगा भगवान राम का आपने दर्शन किया है । मैं बांके बिहारी से भी कहूंगा कि हे ठाकुर जी त्रिपाठी जी को सम्बल और शक्ति दे दें अपना शुभाशीष दे दें और जो पुराने पाप जो को-आपरेटिव में हैं, हो रखे हैं चाहे करने वाले कोई हों, उन्होंने कहा है कि वे समानता और सारे बंधनों को तोड़ेंगे सारे नियमों को तोड़ेंगे कि हे पापाचारियों तुम्हारा स्थान सिर्फ कहीं है तो या तो जेलखाना या विभाग से बाहर (सत्तापक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) इसलिए विधेयक के समर्थन की बात कर रहा हूं । भगवान कृष्ण से सहकारिता आन्दोलन का पुजारी कोई नहीं था । सबको जोड़ने का नाम को-आपरेटिव है ।

नोट :-[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

सारी छोटी-छोटी बातें जोड़ने का नाम कोआपरेटिव है, प्रेम स्नेह को एक सूत्र में बांधने का नाम कोआपरेटिव है, भाईचारे को एक सूत्र में बांधने का नाम कोआपरेटिव है । मान्यवर, संख्यावल ज्यादा इधर है लेकिन भगवान कृष्ण ने भी सहारा मांगा था, गिरिराज पर्वत को तर्जनी पर उठाया था तो उन्होंने सभी से कहा था कि "थोड़ो-थोड़ो देवो सहारा, गिर न पड़ोगिरि गिरवरधारी ।" इसलिए मैं इसके समर्थन की बात बार-बार कह रहा हूं । यह विभाग नहीं एक आन्दोलन है, एक विचारधारा जिस ईमानदारी से सारे शिष्टाचार के साथ, भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए एक आन्दोलन की बात कही गयी है इसीलिए तो 'ए' में बढ़ाने की कार्यवाही हो रही है, 'बी' को बढ़ाने की कार्यवाही हो रही है । जो नियम से चुनाव कराने की बात कर रहे हैं । भारत सरकार से जो ऐक्ट आया है उसके अनुमोदन के लिए मोडलाइस सोसाइटी की बात कर रहे हैं । गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों को प्रोत्साहित करने की बात कर रहे हैं । इसलिए मुक्त कंठ से । मुक्त हस्त से, मुक्त भावना से इसमें अपना योगदान देना चाहें तो दे दें मैं इस पर बार-बार बल दे रहा हूं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं श्री राम गोविन्द चौधरी के अननुमोदन के संकल्प पर श्री माता प्रसाद पाण्डेय द्वारा रखे गये संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं । श्रीमन् मुझे संक्षेप में एक बात कहनी है । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो यह संकल्प व्यक्त किया है कि सहकारिता को स्वच्छ बनायेंगे और काजल की कोठरी को चन्दन का मन्दिर बनायेंगे तो उनके इस संकल्प की सराहना करता हूं और यह कामना करता हूं कि वह इतने शक्तिशाली हो सके इस व्यवस्था में जहां बेबस लाचार चारों तरफ से घेरे हुए हैं वहां इस संकल्प को पूरा करने की शक्ति ईश्वर आपको दे । हम लोग इस मामले में सहयोग करने को तैयार हैं । अगर सचमुच में सहकारिता के मंच को दलीय परिभाषा के ऊपर ला सके और एक नया रूप दे सके तो मैं स्वागत करता हूं और हम सहयोग कर सके ऐसी शक्ति चाहने की कामना करता हूं । अगर सचमुच उनको सहयोग चाहिए तो हम सहयोग करने को तैयार हैं । राम गोविन्द चौधरी जी ने जो बलिया कोआपरेटिव की बात कही उस पर जो आपने कहा कि जिस अधिकारी को कहें जांच समिति बना देने को तैयार हैं, हम आभार व्यक्त करते हैं । मान्यवर, जिस दिन आपने सहकारिता का बजट रखने की बात किया था उसकी चर्चा के दौरान बलिया के कोआपरेटिव बैंक ही नहीं उससे जुड़े हुए तमाम अधिकारियों के नाम लेकर जितने-जितने घोटाले उन्होंने करने का काम किया है जिनके मामले में जांच भी पूरी हो गयी है । पूरी तरह से आपके विभागीय जांच में किसी के विरुद्ध एक करोड़, किसी के विरुद्ध डेढ़ करोड़, जांच भी कम्पलीट हो गयी है और उसके विरुद्ध आपने कदाचित कोई कार्यवाही नहीं की है और अगर की है तो उसके लिए धन्यवाद और अगर नहीं की है तो उसका कोई गिला नहीं । मैं आपसे पुनः अनुरोध कर रहा हूं कि अब यह कार्यवाही कागजी न रहे डिमान्सट्रेटिव अंग्रेजी में जिसे कहते हैं ऐसा कुछ हो जिसका असर जाय । ऐसा किया जैसे कि तकाबी बट रही हो दो-दो हजार दे दिया, पांच-पांच हजार दे दिया लाइन से बैठाकर चेकबुक पर अंगूठा लगाया गया और उनके नाम पर फर्जी कर्जा 5 हजार 10 हजार जैसी-जैसी योजना थी कर्जा ले लिया गया । मैं आपसे मात्र एक आश्वासन चाहता हूं । जिन अधिकारियों के खिलाफ आपकी विभागीय जांच पूरी तरह से करेक्ट हो गयी है और इस जांच के आधार पर करोड़ों का गबन सिद्ध है, उनके खिलाफ आप 15 दिन के अन्दर एफ०आई०आर० दर्ज करवाने का तथा जेल भिजवाने का काम करेंगे, यह आश्वासन हम चाहते हैं । आपने जो प्रस्ताव रखा है और उस पर माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी ने जो बात कही है उनको आप स्वीकार करें या न करें, हम इस संशोधन प्रस्ताव पर बल देते हुए, जो संकल्प लिया है आपने उसकी सराहना करते हैं और पुनः सहयोग की जो बात रखी है उसको दोहराता हूं ।

* डा० विनोद तिवारी–

माननीय सहकारिता मंत्री द्वारा सहकारी समिति संशोधन विधेयक, 2002 प्रस्तुत किया गया है मैं उस पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं कि यह एक विधेयक नहीं बल्कि मंत्री जी द्वारा पेश किया गया ऐतिहासिक कदम है, लोकतांत्रिक कदम है । नेता प्रतिपक्ष, श्री मोहम्मद आजम खां साहब बैठे हुए हैं । मुझे दुःख है, मैं बहुत सोचता था कि वह स्वयं उठकर खड़े होंगे और माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका समर्थन करेंगे । एक विपक्ष के नेता होने के नाते यह दिखावे के लिए कर रहे हैं लेकिन यह विधेयक प्रस्तुत हुआ है तो अन्दर से नेता प्रतिपक्ष निश्चित रूप से खुश हुए होंगे, लोकतांत्रिक कदम है, ऐतिहासिक कदम है । मैं चाहता था कि 2 शब्द नेता प्रतिपक्ष निश्चित रूप से बोलें और इस बिल का समर्थन कर दें । राम गोविन्द चौधरी ने कहा था कि जो कार्यकाल बढ़ाने का प्रयास किया है, इसमें बहुत बड़ा गंभीर घोटाला हुआ है । चौधरी साहब अगर एक भी शब्द सशपथ यह कहलवा दें कि मंत्री जी को कोई लालच था तो मैं सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा । उन्होंने जो समितियों को पुनर्जीवित करने की बात की, उपभोक्ता भंडार को पुनर्जीवित करने की बात कही, मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी की भी यही इच्छा है कि यह समितियां पुनर्जीवित हों, लेकिन कोई कानूनी अड़चन है तो बात अलग है, विधिक राय के बिना नहीं हो सकता । तो मैं भी इस पक्ष का हूं । एक बात और जो को-आपरेटिव बैंक बन्द हो गये हैं तो इसके लिए मैं भी दुःखी हूं और माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि चाहे केन्द्र सरकार से बात करनी पड़े, सहकारी क्षेत्र को पुनः चलाने का काम करें । मैं इस ऐतिहासिक कदम के लिए मंत्री जी की सराहना करता हूं और पुनः नेता प्रतिपक्ष से यह कहना चाहता हूं कि उनके मन में जो उद्गार हैं उन्हें निश्चित रूप से उपस्थित करें, मन के अन्दर न रखें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मेरी बात को अच्छी तरह से शर्मा जी जान नहीं पाये । मैं यह कह रहा था कि मंत्री जी ईमानदार हैं मैं उनसे कई बार मिला हूं लेकिन जिन भ्रष्ट चेयरमैनों को इन्होंने संरक्षण दिया है उनका पाप इनके गले लगेगा ही युधिष्ठिर ने तो सिर्फ इतना ही कह दिया था कि "नरो मरो या कुंजरी" । तो उनका अंगूठा गल गया था । [x x x] माननीय मंत्री जी ईमानदार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है । मैंने कभी इनको बेइमान नहीं कहा । बेइमानी करने का तरीका भी इनको मालूम नहीं होगा । दूसरी बात माननीय सदस्य ने कही कि यह बड़ा ऐतिहासिक कदम है । यही ऐतिहासिक कदम है कि 5 साल का कार्यकाल बढ़ाया है । विधान सभा का 5 साल है, लोक सभा को 5 साल है, जब इसका कार्यकाल खत्म हो रहा था तो खत्म हो जाने देते । फिर चुनाव होते, चेयरमैन का, डाइरेक्टर का चुनाव होता । आपने तो फिर पुराने कंजड़ों को फिर आगे बढ़ा दिया । मैं शर्मा जी को नहीं कह रहा हूं । जो बेइमान हैं, उनका भी आपने कार्यकाल बढ़ा दिया, इसलिये मैं अपने अननुमोदन के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2002 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :-[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि सदन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2002, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2002, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2002

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रा

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2002 कहा जायेगा ।

(2)–यह 4 जुलाई, 2002 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1965 की धारा 29 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है,की धारा 29 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"(2) (क) प्रत्येक प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल पांच वर्ष होगा और प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल ऐसी कमेटी के कार्यकाल के साथ सहविस्तारी होगा ।

(ख) खण्ड (क) के उपबन्ध ऐसी किसी प्रबन्ध कमेटी जो उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2002 के प्रारम्भ के दिनांक को अस्तित्व में हो और ऐसी कमेटी के निर्वाचित सदस्यों पर लागू होंगे ।"

निरसन और अपवाद

3–(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2002 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2002

2–ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने वें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

कारिता मंत्री (श्री राम प्रकाश त्रिपाठी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) ेयक, 2002, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2002, जैसा उत्तर प्रदेश विधान षद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

देश में भंयकर सूखे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर दो घण्टे की चर्चा का स्थगन

अधिष्ठाता–

इसे दिनांक 2 सितम्बर, 2002 के लिये स्थगित किया जाता है ।

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

अधिष्ठाता–

आज दिनांक 28 अगस्त, 2002 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 60 सूचनाएं प्राप्त हुई । इनमें ली सूचना श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की पूरे प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । दूसरी सूचना डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की ाबाद महानगर के फाफामऊ मुहल्ले में विद्युत आपूर्ति ठीक न होने के कारण विद्युत उपकेन्द्र को ग्र पूर्ण कराए जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । तीसरी सूचना डा० रामबाबू हरित की द आगरा की मलिन बस्तियों में सीवर लाइन एवं सुलभ शौचालय की व्यवस्था कराए जाने के संबंध है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । चौथी सूचना श्री योगेश प्रताप सिंह की जनपद गोण्डा के विधान सभा करनैलगंज के ग्राम बहुअन मदार माझा में घाघरा नदी के भीषण कटान से उत्पन्न स्थिति के संबंध है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । पांचवीं सूचना श्री प्रभु नारायण सिंह यादव की जनपद चन्दौली के कीय महाविद्यालय धानापुर में अध्यापकों की कमी को पूरा कराये जाने के संबंध में है वक्तव्य हेतु कृत हुई । छठी सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय की जनपद सिद्धार्थनगर के इटवा तहसील के ०डी०एम० के भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के संबंध में है–वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । सातवीं ना श्री शारदानन्द अंचल की भोजपुरी भाषा को भाषा का दर्जा दिए जाने के संबंध में है–वक्तव्य हेतु कृत हुई । आठवीं सूचना श्री सिद्धगोपाल साहू की प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में सरकारी नियमों नदेखी कर विद्यालयों में छात्रों की संख्या से अधिक शिक्षकों की तैनाती के संबंध में है–वक्तव्य हेतु त हुई । नवीं सूचना श्री रघुराज प्रताप सिंह की जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के अन्तर्गत

आने वाले गांवों में इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प लगाये जाने के संबंध में है–वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । दसवीं सूचना श्री घूराराम की जनपद बलिया के रसड़ा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगपुरा–कोटवारी मार्ग, नगपुरा–कोटवारी से बस्तौरा हरिजन बस्ती तक, पकवा–इनार से खड़सरा गांव तक सड़कों के लेपन एवं पुल के निर्माण के संबंध में है–वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । ग्यारहवीं सूचना श्री संजय गर्ग की जनपद–सहारनपुर के थाना देहात कोतवाली के थानाध्यक्ष एवं विभागीय अधिकारियों तथा भू-माफियाओं की मिलीभगत से किसानों की जमीन का कब्जा किये जाने के संबंध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । बारहवीं सूचना श्री रामविशुन आजाद एवं सुश्री कु० सन्ध्या कठेरिया की कर्मचारी कल्याण निगम के कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग के सिफारिशों के अनुरूप वेतनमान दिये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । तेरहवीं सूचना श्री आनन्द सेन की जनपद–फैजाबाद के सरस्वती पुरम् में सामूहिक नरसंहार से जुड़े अपराधियों को गिरफ्तार न किये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । चौदहवीं सूचना श्री मयंकेश्वर शरण सिंह तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह की जनपद–रायबरेली को पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत रखे जाने के संबंध में हैं, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । पन्द्रहवीं सूचना श्री उमाशंकर कुशवाहा की गाजीपुर सदर में नगरपालिका परिषद् गाजीपुर के अन्तर्गत पेयजल की समस्या को देखते हुए पम्पों की स्थापना के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । सोलहवीं सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की जनपद–आगरा के थाना–एतमाद्दौला के अन्तर्गत हनुमान नगर व सुशीलनगर के बीच जमुना ब्रिज स्टेशन के पास रेलवे लाइन पर पैदल पुल बनाये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । सत्रहवीं सूचना श्री उदय राज की जनपद–उन्नाव के अन्तर्गत हिलौली–करदहा व चन्दाखेड़ा मार्ग का निर्माण न कराये जाने एवं फर्जी भुगतान किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । अठ्ठारहवीं सूचना श्री प्रमोद कुमार की जनपद–प्रतापगढ़ के कोतवाली कुण्डा स्थित सुभाषनगर में श्री राजेश्वर पाण्डेय की हत्या करने वाले अधिकारियों को गिरफ्तार करने एवं पुलिस दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । उन्नीसवीं सूचना श्री आर०एस० कुशवाहा की जनपद–खीरी के ग्राम गोविन्दनगर व खजूरिया से ग्राम–सम्पूर्णनगर तक शारदा नदी की कटान से हुई भीषण तबाही के संबंध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । बीसवीं सूचना श्री छोटेलाल यादव की जनपद–बाराबंकी के बदौसराय चौराहे पर दलित महिला तथा पिछड़े वर्ग के व्यक्ति का उत्पीड़न करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । 21 वीं सूचना श्री पारसनाथ यादव की जनपद जौनपुर के तहसील मड़ियाहूं के ग्राम खत्तूपुर का बंदोबस्ती नक्शा गायब होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । 22 वीं सूचना श्री घनश्याम शुक्ला की जनपद गोण्डा, बलरामपुर के एफ०सी०आई० सम्पूर्ण रोजगार योजना का गेहूं गल्ला व्यापारी के हाथ बेच दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । 23वीं सूचना श्री परागी लाल अहिरवार की जनपद झांसी के मऊरानीपुर में जल विहार मेला में विद्युत व्यवस्था सही किए जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । 24वीं सूचना श्री चौधरी बाबू लाल की जनपद आगरा के थाना अच्छनेरा में मृतक राजेश पुत्र बच्चू सिंह के परिवार वालों को उत्पीड़ित करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । 25वीं सूचना डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी की प्रदेश में लगभग 4340 मृतक आश्रितों को सेवायोजित किए जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । 26वीं सूचना श्री महबूब अली की जनपद ज्योतिबाफूले नगर में अमरोहा से कांठ रोड पर बने पुल का पथकर समाप्त कराये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । सत्ताईसवीं सूचना श्री श्यामसूरत उपाध्याय की जनपद इलाहाबाद की तहसील फूलपुर के सहिनवां ताल के ड्रेन की सफाई न होने के कारण गांवों के जलमग्न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । अट्ठाइसवीं सूचना श्रीमती सुखदेवी वर्मा तथा श्री महेन्द्र कुमार राजपूत की जनपद इटावा के लखनऊ विधान सभा क्षेत्र के भोगनीपुर गंगा नहर के कटने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । उन्तीसवीं सूचना श्री कोविद कुमार सिंह

की ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत विशिष्ट सुधार हेतु यूनीफाइड स्कीम के अन्तर्गत विदेश से विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त अभियन्ताओं को योजनानुरूप पदस्थापना न करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । तीसवीं सूचना श्री अमरजीत सिंह जनसेवक की जनपद फतेहपुर में बिन्दकी नगर तहसील को औद्योगिक क्षेत्र की भांति विद्युत आपूर्ति किये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । इक्तीसवीं सूचना श्री विजय कुमार मिश्र की जनपद संत रविदासनगर भदोही के ज्ञानपुर में धनतुलसी घाट पर पान्टून ब्रिज के निर्माण के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । बत्तीसवीं सूचना श्री ओमकार सिंह यादव की जनपद बदायूं के सहसवान के अन्तर्गत ग्राम बिबौला, मुजरिया व जिजाहन ग्रामों की विद्युत लाइन ठीक कराने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । तैंतीसवीं सूचना श्री राधेश्याम सिंह की जनपद कुशीनगर के रामकोला विधान सभा क्षेत्र में पूर्वांचल विकास निधि से धन उपलब्ध कराने के बावजूद ग्रामों का विद्युतीकरण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । चौंतीसवीं सूचना श्री कौशल किशोर की जनपद आजमगढ़ के जिलापूर्ति अधिकारी की अनियमितताओं की जांच कराये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । पैंतीसवीं सूचना श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई' की जनपद जौनपुर में खटहन जौनपुर मार्ग पर स्थित गंभीरन गांव में 11 के०वी० की सीधी लाइन को टेढ़े-मेढ़े करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत की गयी हैं उनके नाम निम्नलिखित हैं :–

1–श्री मदन चौहान, 2–डा० शिव प्रताप यादव, 3–श्री शंखलाल मांझी, 4–श्री कमलेश कुमार पाठक, 5–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा 6–श्री नारद राय, 7–श्री दीनानाथ भाष्कर, 8–श्री मूलचन्द, 9–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, 10–श्रीमती विद्या चौधरी, 11–श्री मदन गोपाल वर्मा, 12–श्री सीताराम निषाद, 13–श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, 14–श्री बैजनाथ दूबे, 15–श्री रामवीर सिंह यादव, 16–श्री दद्दू प्रसाद, 17–श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल, 18–श्री सुरेश कुमार खन्ना, 19–श्री रियाज अहमद, 20–श्री गंगा प्रसाद पुष्कर, 21–डा० विनोद तिवारी, 22–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद ।

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 एवं 29 के वक्तव्य पढ़े हुये माने जायं ।

(सदन की सहमति से मद संख्या–17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 एवं 29 के वक्तव्य पढ़े हुये माने गये ।)

जनपद आगरा के थाना कागारोल के ग्राम वैमन में प्रधान धीरेन्द्र द्वारा ग्राम पोखर पर अवैध कब्जा किये जाने के संबंध में चौधरी बाबू लाल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[मा० सदस्य द्वारा दिनांक 23-8-02 को मा० विधान सभा में नियम–51 के अन्तर्गत सूचना दी गयी कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के थाना कागारोल के अन्तर्गत ग्राम वैमन की पोखर में दीवार लगाकर वर्तमान प्रधान धीरेन्द्र एवं उनके व्यक्तियों ने कब्जा कर लिया है जिससे पशुओं के पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो गयी है जिससे ग्राम में भारी रोष व्याप्त है । उक्त दीवार रास्ते में लगने से रास्ता पूरे गांव का अवरुद्ध हो गया है । जिससे गांव के लोगों को आने-जाने में काफी असुविधा होती है । इसकी शिकायत जिलाधिकारी आगरा को भी की गयी जिन्होंने दीवार तोड़ने के आदेश भी दिये मगर अभी तक दीवार को नहीं तुड़वाया गया है इस संबंध में जिलाधिकारी को पुनः अवगत कराया गया तो जिलाधिकारी ने तहसीलदार जिला पंचायत राज अधिकारी तथा अन्य

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अधिकारियों को बुलाया और कहा सही रिपोर्ट उपलब्ध (जांच कर) करायें । कमेटी द्वारा कब्जा अवैध घोषित एवं रास्ता बन्द करने की दी गयी किन्तु जिलाधिकारी ने लापरवाही के कारण अभी तक अवैध कब्जे को नहीं हटवाया और न ही दीवाल तुड़वायी जिसके कारण गांव की जनता में भयंकर रोष व्याप्त है गांव में किसी भी समय अशान्ति उत्पन्न हो सकती है क्योंकि उक्त परेशानी को देखते हुए जनता आन्दोलित है । किसी भी समय खून खराबा हो सकता है जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी ।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस लोक महत्व के प्रश्न पर आप सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने तथा सरकार को निर्देश देने का कष्ट करें कि ग्राम वेमन की पोखर पर किये गये अवैध कब्जे को तत्काल हटवाया जाय एवं लगायी गयी पक्की दीवाल को तुड़वाया जाय ताकि सूरोटी की रास्ते में बनी पक्की दीवाल को तोड़कर रास्ता साफ कराया जाय । साथ ही साथ अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करके कानूनी कार्यवाही की जाय ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके ।

2–जनपद–आगरा के थाना–कागारोल के ग्राम वैमन में प्रधान श्री धीरेन्द्र द्वारा पोखर पर अवैध कब्जा करने के संबंध में सर्वश्री रामबाबू, पूर्व प्रधान, पोप सिंह, राजेन्द्र तथा दरब सिंह आदि निवासीगण ग्राम–वैमन तहसील–किरावली, जनपद आगरा द्वारा शिकायती-प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी, आगरा को प्रस्तुत किया गया था । जिलाधिकारी द्वारा प्रकरण में उपजिलाधिकारी, किरावली तथा जिला पंचायत राज अधिकारी, आगरा को संयुक्त जांच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे । संयुक्त जांच आख्या में बताया गया कि प्रधान वैमन द्वारा जे०आर०वाई० से पोखर में जो रास्ता बनाया जा रहा है वह गाटा संख्या–567 रकबा–749 हेक्टेयर, जिसमें 0–519 हेक्टेयर बंजर एवं 0–230 हेक्टेयर पोखर एवं गाटा संख्या–569 रकबा 0–219 हेक्टेयर सम्पूर्ण पोखर दर्ज है अभिलेखों में उक्त नम्बरों में रास्ता दर्ज नहीं है मौके पर तालाब के पश्चिम में आबादी की तरफ 30 फीट चौड़ा रास्ता निकाला जा रहा है तालाब में रास्ता बनाने का पूर्व प्रधान एवं गांव के दूसरे विपक्षी मौके पर विरोध कर रहे हैं । पिचिन (रास्ता) रुका पड़ा है ।

3–जिलाधिकारी, आगरा द्वारा उक्त जांच आख्या के आधार पर दिनांक 22-8-02 को आदेश पारित किये गये कि मुख्य विकास अधिकारी तथा जिला पंचायत राज अधिकारी–अनाधिकृत निर्माण रुकवायें तथा ग्राम प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी करें । उप जिलाधिकारी, किरावली को भी निर्देशित किया गया कि वह निर्माण तत्काल रुकवायें तथा अवैध निर्माण हटाने/बेदखली की कार्यवाही करें ।

4–मुख्य विकास अधिकारी, आगरा द्वारा अवैध कब्जा हटाने तथा बेदखली की कार्यवाही हेतु संयुक्त मजिस्ट्रेट किरावली, क्षेत्राधिकारी पुलिस तथा जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिये गये हैं । ग्राम प्रधान वैमन को नियम विरुद्ध कार्य किये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है तथा निर्माण कार्य स्थगित है ।

5–प्रश्नगत रास्ता बनाने के संबंध में पूर्व ग्राम प्रधान तथा गांव के दूसरे विपक्षी मौके पर विरोध कर रहे हैं । इसलिये शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दोनों पक्षों के चालान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/116 के अन्तर्गत दिनांक 11-8-02 को किया जा चुका है । पक्षकारान मुचलके पर पाबन्द कराये गये हैं । कोई अप्रिय घटना न हो सके इसके लिये पुलिस, प्रशासन द्वारा सतर्क दृष्टि रखी जा रही है ।]

प्रदेश के प्राधिकरणों द्वारा किसानों की भूमि के मुआवजे के बकाये का भुगतान न कर पाने की स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[मा० सदस्य डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत "प्रदेश के प्राधिकरणों पर किसानों की भूमि मुआवजा का बकाया भुगतान न कर पाने की स्थिति के संबंध में" सूचना दी गयी है ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मा० सदस्य के द्वारा इस विषय में सदन का ध्यान निम्न बिन्दुओं पर आकर्षित करते हुए कार्यवाही की अपेक्षा की गयी है ।

अ–आवास विकास परिषद्, मेरठ विकास प्राधिकरण की वेदवयासपुरी योजना की खाली पड़ी 800 एकड़ भूमि तत्काल नकद भुगतान जो लगभग 1 अरब बैठता है, देकर लेना चाहता है । परिषद् ने 10 करोड़ नकद देकर 76 एकड़ भूमि उसी योजना में ली है तथा 10 करोड़ सीधे हुडको को देकर मेरठ विकास प्राधिकरण की फंसी तात्कालिक कठिनाई से मुक्ति दिलायी है । आवास विकास परिषद् वेदव्यासपुरी की योजना की शेष भूमि को यदि ले लेगा तो प्राधिकरण को लगभग 1 अरब रुपये का भुगतान प्राप्त होगा ।

ब–मेरठ विकास प्राधिकरण की मात्र 1 अरब का किसानों का कर्जा ही यदि देने से पूर्व किसानों से वार्ता कर ली जायेगी तो वह भी पैसा मिलता देख कुछ घटकर समझौता कर लेगा । गंगानगर आवासीय योजना के किसानों से प्राधिकरण प्रशासन, अपर आयुक्त प्रशासन की उपस्थिति में 210 रुपये प्रति वर्ग गज से मुआवजा लेने पर सहमति हो गयी । मात्र 45 करोड़ रुपये देना है, 45 करोड़ रुपया प्राधिकरण पर है समझौता शासन को निर्देश हेतु भेज दिया गया है । किसान भी हताश व निराश है ।

उक्त के संबंध में मेरठ विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास परिषद् के द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुक्रम में अवगत कराना है कि मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रारम्भ से लेकर अब तक अपनी विभिन्न योजनाओं के लिये विभिन्न ग्रामों की 4932.77 एकड़ भूमि का अभिनिर्णय घोषित कराया । उक्त घोषित अभिनिर्णय के फलस्वरूप कलेक्टर भूमि अर्जन द्वारा अंकन रुपये 1,21,77,04,997.00 की धनराशि अर्जित भूमि के हितबद्ध व्यक्तियों को वितरण हेतु मांग की गयी थी । प्राधिकरण द्वारा अपनी उक्त योजनाओं के लिये कलेक्टर द्वारा घोषित एवार्ड की यह समस्त धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है । जहां तक अर्जित भूमि पर विकास कार्य के लिये पैसा न होने के कारण खाली होने का प्रश्न है, उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण की 18 योजनाओं में से 3 योजनाओं के संदर्भवाद मा० सर्वोच्च न्यायालय के स्तर तक निर्णीत हुये हैं, जिसमें तीन ग्रामों की भूमि सम्मिलित थी इन तीन ग्रामों में से ग्राम नगलाताशी कासिमपुर के संबंध में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30-5-97 को रु० 175/- प्रति वर्ग गज की दर से अप्रत्याशित वृद्धि कर दी गयी थी ।

2–अवशेष 15 योजनाओं में से लगभग 3 वृहद योजनाओं के कृषकों द्वारा ग्राम नगला ताशी कासिमपुर की भूमि से समानता बताते हुए अपनी-अपनी अर्जित भूमि के बावत जिनके संदर्भ वाद अभी जनपद न्यायालय में ही विचाराधीन है, के लिये मा० सर्वोच्च न्यायालय की उपरोक्त घोषित दर रु० 175/- प्रति वर्ग गज के आधार पर सम्भावित बढ़े हुए प्रतिकर की मांग की जा रही है । यह उल्लेखनीय है कि सक्षम न्यायालय द्वारा संदर्भ वादों को स्वीकार किये जाने के उपरान्त किस योजना के किस ग्राम के लिये क्या दर निर्धारित कर दी जाय, और यही कारण है कि अंतिम अपीलीय न्यायालय के निर्णय तक प्राधिकरण अपनी सम्पत्ति के अंतिम मूल्य को निर्धारित नहीं कर पाता जबकि प्राइवेट कालोनाइजर भूमि को क्रय करते समय ही अंतिम मूल्य निर्धारित कर भूमि को क्रय करते हैं और अपनी भूमि का मूल्य निर्धारित करने के लिये स्वतंत्र रहते हैं ।

3–जहां तक अर्जित भूमि को विकास शुल्क लेकर वापस किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में यह संज्ञान में लाना आवश्यक है कि यदि भूमि एक बार शासन/प्राधिकरण में निहित हो जाती है तो उसको मात्र विकास शुल्क लेकर ही उस कृषक के पक्ष में वापस किया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि इसके लिये विकास शुल्क के साथ-साथ हितबद्ध कृषक से भूमि के मूल्य का 12 प्रतिशत फ्री होल्ड व लीजरेन्ट तथा

जिले की प्रभावित दरों पर स्टाम्प ड्यूटी एवं प्राधिकरण के उस क्षेत्र में स्टाम्प ड्यूटी के लिये प्रभावित दरों का कम से कम 1/3 वेटरमेंट चार्ज के रूप में लिये जाने का प्राविधान है ।

4–उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् द्वारा मेरठ विकास प्राधिकरण की वेदव्यासपुरी योजना के अन्तर्गत लगभग 165 एकड़ भूमि चयनित कर उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था । आवास विकास परिषद् द्वारा विकास प्राधिकरण पर "हडको" की देय अवशेष ऋण धनराशि के मद में 10.00 करोड़ रुपये की धनराशि "हडको" को उपलब्ध करायी गयी थी । विकास प्राधिकरण द्वारा बल्क सेल में भूमि विक्रय हेतु प्राधिकरण के आंकलन के अनुसार रु० 550.00 प्रति वर्ग मीटर की दर परिषद् को सूचित की गयी थी । इसके अतिरिक्त कतिपय शर्तों का भी उल्लेख किया गया था जिसमें आन्तरिक विकास कार्य एवं अवशेष वाह्य विकास कार्य परिषद् द्वारा कराये जाने एस० टी० पी० पर होने वाली अनुपातिक मूल्य अलग से देय होने के अतिरिक्त भविष्य में यदि सक्षम न्यायालय द्वारा भूमि अर्जन दरों में वृद्धि की जाती है तो मूल्यांकन के समस्त अवयवों सहित मूल्यांकन में होने वाली वृद्धि को परिषद् द्वारा वहन किये जाने का उल्लेख किया गया था । परिषद् के अनुरोध पर विकास प्राधिकरण द्वारा वेदव्यासपुरी योजना के सेक्टर–3 में "आवासीय" उपयोग हेतु 27.2678 हे० भूमि का कब्जा दिनांक 9-1-2002 को हस्तगत किया जा चुका है । इसके अतिरिक्त इसी योजना में कार्यालय उपयोग हेतु 2.841 हेक्टे० भूमि के रु० 1800/- प्रति वर्ग मी० की दर से सूचित करते हुए भूमि का कब्जा भी उपरोक्त तिथि में दिया गया ।

5–प्राधिकरण द्वारा आंकलित भूमि दर पर परिषद् द्वारा सहमति न होने के फलस्वरूप बल्क भूमि की दर एवं भूमि के हस्तान्तरण की अन्य शर्तों के संबंध में एवं प्रकरण के निदान हेतु शासन स्तर पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त जहां तक गंगा नगर आवासीय योजना के लिये दिनांक 20-9-2001 को प्रभावित कृषकों एवं प्रशासन के मध्य प्रतिकर भुगतान के संबंध में हुयी सहमति का प्रश्न है, उक्त के संबंध में शासन स्तर पर उच्च स्तरीय बैठक दिनांक 20-8-2002 को हो चुकी है । बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुक्रम में अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है ।]

जनपद ज्योतिबाफूले नगर के विद्युत विभाग के कार्यालय में अधिकारियों/कर्मचारियों के समय से न आने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री महबूब अली द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[जनपद ज्योतिबा फूले नगर के कर्मचारी एवं अधिकारियों के कार्यालय में देर से आने एवं निर्धारित समय से पहले कार्यालय से चले जाने के संबंध में संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही करने हेतु महाप्रबन्धक मुरादाबाद को निर्देशित किया जा चुका है ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद आगरा में खराब पड़े सैकड़ों हैण्डपम्पों को ठीक कराने एवं पानी की जांच कराने के संबंध में डा० राम बाबू हरित द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[मा० सदस्य द्वारा नोटिस में यह उल्लेख किया गया है कि प्रदेश में विगत वर्ष से लगातार इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प विभिन्न माध्यमों से लगाये जा रहे हैं, जो ज्यादातर जांचोपरान्त स्थायी या अस्थायी रूप से खराब रहे हैं । तीसरी जल सतह तक हैण्डपम्प स्थापित न करने, रखरखाव की व्यवस्था न करने से हैण्ड पम्प ठीक नहीं रह पाते और जनता की गाढ़ी कमाई व्यर्थ खर्च होती रहती है । हैण्डपम्प लगाते समय पानी की जांच न होने से तमाम स्थानों पर लोग बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं । जनपद आगरा में वर्तमान में लगभग 500 हैण्डपम्प स्थायी रूप से खराब चल रहे हैं . अतः हैण्डपम्पों को ठीक कराये जाने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये ।

प्रदेश में विगत वर्षों से इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प दूसरी जल सतह पर ही लगाये जा रहे हैं इसका प्रमुख कारण यह है कि प्रथम सतह का जल प्रदूषित होने के कारण पीने योग्य नहीं होता है । मैदानी क्षेत्रों में तृतीय सतह काफी गहराई में होती है जिससे पानी निकालना हैण्डपम्प के माध्यम से न केवल श्रम साध्य है बल्कि व्यवहारिक भी नहीं है । अतः द्वितीय सतह पर ही शुद्ध पेयजल प्राप्त करने हेतु हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जाते हैं ।

भारत सरकार द्वारा संचालित सेक्टर रिफार्म जलनिधि परियोजना के अर्न्तगत चयनित 5 जनपदों में से आगरा भी एक पायलट जनपद जिसमें यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है । जनपद आगरा में कुल 20206 अधिष्ठापित हैण्डपम्पों के विपरीत 5392 हैण्डपम्प खराब थे, जिसमें से 5299 खराब हैण्डपम्प ठीक कर दिये गये हैं तथा 93 हैण्डपम्प ठीक कराये जाने हेतु अवशेष हैं । प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 1124843 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं जिसमें से केवल 18827 हैण्डपम्पों की लघु मरम्मत करायी जानी शेष है । हैण्डपम्पों को ठीक कराने एवं उनमें खराबी आना यह एक अनवरत प्रक्रिया है । शासनादेश दिनांक 26-3-2002 द्वारा हैण्डपम्पों के रखरखाव का कार्य ग्राम पंचायतों को सौंपा जा चुका है । जलनिधि परियोजना के अन्तर्गत सम्मिलित होने के कारण जनपद आगरा के अन्तर्गत अधिष्ठापित होने वाले समस्त हैण्डपम्पों के जल की जांच कराये जाने का प्राविधान है । ग्राम पंचायतों की क्षमता का विकास इस प्रकार से किया जा रहा है कि यह स्थापित हैण्डपम्पों का रखरखाव करने में सक्षम हो सकें ।]

बजाज वेतन समिति की सिफारिशों के अनुरूप सांख्यकीय कर्मचारियों के वेतनमान को उच्चीकृत न किये जाने के संबंध में श्री राकेश सचान द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के संबंध में वेतन समिति (**1997-99**) द्वारा अपनी विभागवार/संवर्गवार अंतिम संस्तुतियां शासन को **16**वें प्रतिवेदन के माध्यम से प्रस्तुत की गयी थी । समिति की इन संस्तुतियों का आवश्यक परीक्षण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित कर किये जाने एवं तत्पश्चात् इसे मा० मंत्रि परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत करने के आदेश मा० मंत्रि परिषद् द्वारा दिये गये ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

2–इसी क्रम में मुख्य सचिव समिति द्वारा वेतन समिति की विभागवार/संवर्गवार की गयी संस्तुतियों का परीक्षण कर अपनी संस्तुतियां शासन को प्रस्तुत की जा रही है । अभिलेखों के अनुसार यह कहना सही नहीं है कि ''मुख्य सचिव समिति'' ने सांख्यकीय संवर्ग के कर्मचारियों के संबंध में अपनी संस्तुतियां शासन को दिनांक **30** जुलाई, **2001** को दे दी थी ।

वस्तुस्थिति यह है कि ''मुख्य सचिव समिति'' द्वारा सांख्यकीय संवर्ग के इस संदर्भगत प्रकरण पर दिनांक **26** अगस्त, **2002** को विचार कर लिया गया है । मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियां शीघ्र मा० मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनार्थ/आदेशार्थ रखी जायेंगी ।]

जनपद फैजाबाद के थाना तारून के अन्तर्गत एक पत्रकार के भाई के नवजात शिशु की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने तथा थानाध्यक्ष को निलम्बित किये जाने की मांग के सम्बन्ध में श्री सीताराम निषाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[जनपद फैजाबाद के थाना तारून के एक पत्रकार के भाई के नवजात शिशु के हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने एवं थानाध्यक्ष को निलम्बित किये जाने की मांग के सम्बन्ध में श्री सीताराम निषाद, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–56 के अन्तर्गत दी गयी दिनांक 23-8-2002 की सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद से प्राप्त आख्या के अनुसार तथ्यात्मक विवरण निम्नवत् हैं :–

दिनांक 19/20-8-2002 की रात्रि में थानाध्यक्ष तारून श्री मुकेश कुमार सिंह द्वारा ग्राम मीतनपुर में मारुति कार संख्या–डी०बी०डी०–6604 को रोककर चेक किया गया तथा वाहन चालक द्वारा गाड़ी के कागजात व ड्राइविंग लाइसेन्स आदि न दिखा पाने के फलस्वरूप उक्त कार को मु०अ०सं०–146/2002 धारा 177/181/192/207 एम०वी० एक्ट थाना तारून में पंजीकृत करके सीज कर दिया गया और वाहन चालक को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया ।

दिनांक 20-8-2002 को तहसील दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फैजाबाद तहसील बीकापुर गये थे तो करीब 250 लोगों की भीड़ वहां आयी तथा उनके द्वारा यह कहकर विरोध किया गया कि थानाध्यक्ष तारून द्वारा रात्रि में उक्त कार को सीज किये जाने के कारण श्री रामजनम यादव पुत्र श्री सीताराम यादव निवासी नेतवारी चतुरपुर थाना तारून के 12 दिन के भतीजे के उपचार, जो शहर फैजाबाद में डा० चितरंजन वर्मा के यहां चल रहा था, में पैसा आदि लेकर समय से न पहुंच पाने से इलाज में बाधा उत्पन्न हुई जिसके फलस्वरूप बच्चे की मृत्यु हो गयी । इस सम्बन्ध में वादी श्री रामजनम यादव पुत्र श्री सीताराम यादव उपरोक्त की सूचना पर थानाध्यक्ष तारून श्री मुकेश कुमार सिंह के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या–निल/2002 धारा 304 ए भा०द०वि० पंजीकृत किया गया है । इस अभियोग की विवेचना निष्पक्षतापूर्वक प्रभारी निरीक्षक बीकापुर द्वारा की जा रही है तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उप जिलाधिकारी, बीकापुर को इस सम्बन्ध में मजिस्ट्रेटी जांच शीघ्र पूर्ण करने के आदेश दिये गये हैं ।

वाहन चालक मो० हुसैन पुत्र श्री गुल मोहम्मद निवासी रामपुर भगन थाना तारून से उक्त मारुति कार के बारे में पूछने पर उसने बताया कि उक्त कार श्री अशोक कुमार पुत्र श्री रामलाल निवासी ई–39 मंडोली दिल्ली के नाम है जिन्होंने उक्त वाहन को बेच दिया है । किन्तु कोई बिक्रीनामा आदि प्रस्तुत नहीं कर सका ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

विवेचना व मजिस्ट्रेटी जांच से जो भी तथ्य पाये जायेंगे, उसके अनुरूप गुण व दोष के आधार पर थानाध्यक्ष तारून के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।]

जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम कुडाना, तहसील-शामली की चकबन्दी अविलम्ब पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री किरणपाल कश्यप द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[श्री किरण पाल कश्यप, मा० सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23-8-2002 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में यह शिकायत की गई कि ग्राम कुडाना, तहसील-शामली, जनपद–मुजफ्फरनगर में विगत 22 वर्षों से चकबन्दी चल रही है, जो आज तक पूरी नहीं हुई है । ग्राम-कुडाना के गरीब किसानों के हवाई चक लगे हुए हैं जिन्हें आज तक कब्जा नहीं मिला और जहां उनकी मूल जोत थी उन पर भू-माफियाओं ने अपने चक लगवाकर कब्जे ले लिये हैं और गरीब किसानों को हवाई चकों पर भी कब्जा नहीं दे रही है क्योंकि अभी तक धारा–52 नहीं हुआ है । जनहित में ग्राम–कुडाना, तहसील–शामली, जनपद–मुजफ्फरनगर की चकबन्दी अविलम्ब फाइनल कराना अति आवश्यक है तथा चकबन्दी फाइनल न होने के कारण चकबन्दी अधिकारी अभी भी गरीब किसानों को लूट रहे हैं कि आपका चक मूल जोत पर लगा देंगे ।

2–इस सम्बन्ध में चकबन्दी आयुक्त से आख्या प्राप्त की गई । चकबन्दी आयुक्त से प्राप्त आख्यानुसार ग्राम–कुडाना, तहसील–शामली में धारा–4क(2) के अन्तर्गत प्रकाशन दिनांक 19-8-79 को हुआ । विभिन्न प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए इस ग्राम में कब्जा परिवर्तन दिनांक 13-10-93 को कराया गया तथा चकों का सीमांकन कराने के पश्चात् चकदारों को आकार पत्र–35(क) का वितरण करा दिया गया ।

ग्राम–कुडाना में चकबन्दी अभिलेख सहायक चकबन्दी अधिकारी कार्यालय शामली से दिनांक 6-2-94 को चोरी चले गये थे, जिसके सम्बन्ध में कोतवाली शामली में 7-2-94 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी । इस ग्राम के चोरी हुए अभिलेखों का पुनर्निर्माण का कार्य किया गया तथा ग्राम के पुनर्निर्मित किये गये आकार पत्र–23 के उद्धरणों का वितरण माह नवम्बर, 2001 में किया गया । इस प्रकार लगभग 7 वर्षों तक इस ग्राम का चकबन्दी कार्य चोरी की घटना के कारण बाधित रहा ।

इस ग्राम का कुल क्षेत्रफल 2280 एकड़ तथा ग्राम में गाटों की कुल संख्या 5118 है । ग्राम में कुल चकदारों की संख्या 1170 है, जिसमें से 81 चक उड़ान हैं और मौके पर सभी चकदार काबिज हैं । इस ग्राम में कुल 195 चक निगरानियां योजित की गयी हैं । इस ग्राम में चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण करने के उद्देश्य से कार्य योजना बना ली गयी है, जिसके अनुसार माह सितम्बर, 2002 तक चक निगरानियों का निस्तारण किया जायेगा तथा ग्राम में अन्तिम अभिलेखों की तैयारी का कार्य धारा–27 के अन्तर्गत निर्धारित कार्य योजना के अनुसार माह अप्रैल, 2004 तक किया जाना प्रस्तावित है । ग्राम का धारा–52 के अन्तर्गत प्रकाशन कार्ययोजना के अनुसार माह जून, 2004 तक पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है ।

ग्राम–कुडाना की चक निगरानियां संयुक्त संचालक चकबन्दी के स्तर पर विचाराधीन है, अतः चकदारों की समस्याओं का निराकरण संयुक्त संचालक चकबन्दी द्वारा सुनवाई के दौरान गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कर दिया जायेगा ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड नवाबगंज एवं वजीरगंज के ग्राम पंचायत एवं न्याय पंचायतों को तहसील तरबगंज से तहसील मनकापुर में समायोजित किये जाने के संबंध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[मा० सदस्य द्वारा उक्त सूचना में यह अवगत कराया गया है कि देवी पाटन मण्डल के अन्तर्गत जनपद गोण्डा में विधान सभा क्षेत्र मनकापुर दो तहसीलों से जुड़ा है । मनकापुर क्षेत्र के अधिकांश गांव तहसील मनकापुर से जुड़े हुए हैं और कुछ गांव ऐसे हैं जो तहसील तरबगंज से जुड़े हैं । विकास खण्ड नवाबगंज एवं विकास खण्ड वजीरगंज के कुछ ग्राम पंचायतें हैं, जो तहसील मनकापुर 3-4 किलोमीटर की दूरी पर हैं, परन्तु यह गांव पंचायत तहसील तरबगंज में आते हैं जिनकी दूरी 30 किलोमीटर से अधिक है जिससे न्याय पंचायत महादेवा, देवीनगर, विकास खण्ड नवाबगंज और ग्राम पंचायत उदयपुर, अजबनगर, पनहा, बानेपुर, चड़उवा, चौखड़ एवं बभनी आदि के किसानों को अपने तहसील संबंधी कार्यों के लिए जाना पड़ता है । अधिक दूरी एवं आवागमन के साधन न होने के कारण तहसील तरबगंज पर समय से नहीं पहुंच पाते हैं जिससे उनको नुकसान उठाना पड़ता है । उक्त सूचना में मा० सदस्य द्वारा यह अपेक्षा की गयी है कि यदि उक्त न्याय पंचायतों और ग्राम पंचायतों को तहसील मनकापुर में समायोजित कर दिया जाय तो किसानों एवं वादकारियों की समस्या हल हो जाय ।

2–मा० सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना के संबंध में यह अवगत कराना है कि प्रकरण में सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश लखनऊ, मण्डलायुक्त, देवीपाटन मण्डल एवं जिलाधिकारी, गोण्डा से आख्या मांगी गयी है । आख्या प्राप्त होने पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जायेगा ।]

जनपद पीलीभीत के ग्राम हरिपुर किशनपुर में फैले संक्रामक रोगों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० विनोद तिवारी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[मा० सदस्य विधान सभा डा० विनोद तिवारी द्वारा उ० प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–51 के अन्तर्गत दिनांक 23-8-2002 को यह सूचना दी गयी है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र पूरनपुर जनपद पीलीभीत के ग्राम हरिपुर किशनपुर में डायरिया और तेज बुखार से चार मौतें हो चुकी हैं । उक्त तेज बुखार एवं डायरिया से मौतें स्थानीय स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है । वर्षा ऋतु के आरम्भ होते ही संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने हेतु जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई कार्य वर्षा ऋतु के प्रारम्भ होने से पूर्व नहीं किये गये, जिस कारण से उक्त मौतें हुई हैं ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उक्त सूचना के संबंध में यह अवगत कराना है कि ग्राम हरिपुर किशनपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खुटार तथा नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुरैया कला जनपद शाहजहांपुर/पीलीभीत में आंत्रशोध के प्रकोप से कुल 10 रोगी ग्रसित हुये तथा 04 लोगों की मृत्यु हो गयी । मृतकों का विवरण निम्नवत् है :–

क्र०सं०	रोगी का नाम	आयु	मृत्यु का दिनांक	मृत्यु का कारण
1	कु० पूजा पुत्री हरी बाबू	डेढ़ वर्ष	11-8-2002	5-6 दिन से बुखार व दस्त डायरिया/ निर्जलीकरण
2	महेन्द्र पाल पुत्र राम सनेही	08 माह	12-8-2002	कुपोषण, बुखार
3	शिवकुमार पुत्र रामस्वरूप	12 वर्ष	18-8-2002	उल्टी, दस्त, आंत्रशोध
4	श्रीमती सुन्दरी पत्नी मैकूलाल	70 वर्ष	13-8-2002	वृद्धावस्था व सांस की बीमारी ।

उक्त चार मृतकों के अतिरिक्त 06 रोगी ग्रसित पाये गये, जिनका विवरण निम्नवत् है :–

1	जसविन्दर पुत्र रामविलास	12 वर्ष	—	उल्टी, दस्त ।
2	परमजीत पुत्र श्रीपाल	13 वर्ष	—	उल्टी दस्त ।
3	रामस्वरूप पुत्र बद्री	45 वर्ष	—	उल्टी, दस्त ।
4	चन्द्रा पत्नी रामस्वरूप	47 वर्ष	—	उल्टी, दस्त ।
5	मीरा पुत्री नन्हें लाल	08 वर्ष	—	उल्टी, दस्त ।
6	श्रीमती बेला पत्नी वीरेन्द्र	26 वर्ष	—	खून की कमी ।

उक्त ग्राम में फैली बीमारी की सूचना पर अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण बरेली मण्डल मुख्य चिकित्साधिकारी, शाहजहांपुर/पीलीभीत तथा जनपद पीलीभीत के जिलाधिकारी ने प्रभावित ग्राम/क्षेत्र का भ्रमण कर निरोधात्मक/उपचारात्मक कार्यवाहियों का संचालन किया । उक्त ग्राम में की गयी अब तक निरोधात्मक/कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है :–

1–पेयजल योग्य कूप 3, विसंक्रमित कूप–3 (प्रतिदिन)

2–चालू–2 इण्डिया मार्का हैण्ड पम्पों को विसंक्रमित किया गया

3–घरों के नलों की संख्या–150, विसंक्रमित–150

4–सामान्य उपचारित रोगियों की संख्या–134

5–बांटे गये ओ०आर०एस० पैकेट–156

6–वितरित की गयी क्लोरीन की गोलियां–2212

उक्त ग्राम में डायरिया/आंत्रशोध के प्रकोप को त्वरित निरोधात्मक एवं उपचारात्मक कार्यवाही करके नियंत्रित कर लिया गया है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खुटार में वर्षा ऋतु से पूर्व किये गये निरोधात्मक कार्यवाही में 46 ओ०आर०एस० पैकेट तथा 7887 क्लोरीन की गोलियां बांटी जा चुकी थीं एवं 15 कुंओं का तीन चक्रों में विसंक्रमण कराया जा चुका था । दिनांक 20-8-2002 से बराबर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुटार, नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुरैया खुर्द कला व जिला मुख्यालय शाहजहांपुर की

चिकित्सा टीम इलाज हेतु प्रभावित ग्राम व उसके आस-पास के ग्रामों का भ्रमण कर उपचार कर रही है। टीम द्वारा उपचार के अतिरिक्त स्वास्थ्य शिक्षा, पीने के पानी का विसंक्रमण, कुंओं का विसंक्रमण, क्लोरीन गोली, ओ०आर०एस० पैकेट का वितरण लगातार किया जा रहा है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुरैया खुर्द कला के अन्तर्गत प्रभावित ग्राम में दिनांक 11, 12, 13-8-2002 को हुई मृत्यु के संबंध में देरी से सूचना देने के कारण तथा अपने दायित्वों का निर्वहन न करने के कारण श्रीमती नीलम गुप्ता स्वास्थ्य कार्यकत्री (महिला) को निलम्बित कर दिया गया है तथा प्रभारी चिकित्साधिकारी नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुरैया खुर्द कला को मुख्यालय पर निवास न करने के कारण अन्यत्र स्थानान्तरण एवं इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु निदेशक आर्युवेदिक एवं यूनानी सेवायें उ० प्र०, लखनऊ को संस्तुति की गयी है।

दिनांक 19-8-2002 के पश्चात् प्रभावित ग्राम में कोई नया रोगी नहीं पाया गया है और न ही किसी की मृत्यु हुई है। इस आशय का प्रमाण ग्राम प्रधान हरिपुर किशनपुर ने लिखित रूप में दिया है कि वे उपचारात्मक कार्यवाही से पूर्ण संतुष्ट है। वर्तमान में ग्राम/क्षेत्र में स्थिति पूर्णरूपेण सामान्य है।]

जनपद हरदोई के ब्लाक हरपालपुर में रोडवेज बस अड्डे से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तक जाने वाली सड़क के ऊपर बनी पुलिया के ऊपर से विद्युत लाइन हटाने के सम्बन्ध में श्री विश्राम सिंह यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य-मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[जनपद हरदोई के ब्लाक हरपाल पुर में रोडवेज बस अड्डे से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर जाने वाली सड़क पर विधायक निधि से एक पुलिया का निर्माण सामुदायिक कार्यदायी संस्था (सार्वजनिक निर्माण विभाग) के माध्यम से कराया गया था। उक्त संस्था ने विद्युत तारों एवं सड़क के बीच की ऊंचाई को संज्ञान में नहीं लिया जिससे पुलिया के ऊपर के विद्युत तारों की सड़क से दूरी कम हो गई। उक्त पुलिया के निर्माण किये जाने की सूचना मुख्य विकास अधिकारी हरदोई से प्राप्त होने पर बिजली की लाइन को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के लिए आवश्यक धनराशि रु० 20,595.00 को जमा करने हेतु पत्र संख्या–2/2199 दिनांक 02-08-2002 द्वारा, परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास, हरदोई से अनुरोध किया गया था। उपरोक्त धनराशि के जमा न होने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड हरदोई के पत्र संख्या–2/2258 दिनांक 12-08-2002 द्वारा मुख्य विकास अधिकारी को भी अवगत कराया गया था। दुर्घटना से बचाव के लिए तात्कालिक तौर पर उपरोक्त विद्युत लाइन को निर्जीव कर दिया गया है। उपरोक्त रु० 20,595.00 की धनराशि अभी तक जमा नहीं हुई है जिसके जमा होने के उपरान्त लाइन को अन्यत्र स्थानान्तरित करने का कार्य सम्पन्न करा दिया जायेगा।]

जनपद लखीमपुर स्थित अभयपुर झाड़गढ़ किसान सेवा सहकारी समिति लि० की प्रबन्ध कमेटी के द्वारा किये जा रहे कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में डा० कौशल किशोर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य-मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[उपरोक्त नियम–51 की सूचना के संबंध में निबन्धक, सहकारी समितियां, उ० प्र०, लखनऊ से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राम प्रवेश वर्मा, सचिव/प्रबन्ध निदेशक, भगवंतापुर किसान सेवा सहकारी

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

समिति लि० का स्थानान्तरण सदस्य सचिव, जिला प्रशासनिक कमेटी पीलीभीत द्वारा अपने आदेश पत्र संख्या–891/02-03 दिनांक 01-8-02 द्वारा अभयपुर शाहगढ़ किसान सेवा सहकारी समिति में किया गया । श्री राम प्रवेश वर्मा के संबंध संचालक मण्डल एवं अन्य के स्तर से शिकायतें प्राप्त होने पर उप निबन्धक, सहकारी समितियां, उ० प्र०, बरेली मण्डल, बरेली के आदेश दिनांक 07-8-2002 के क्रम में जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उ०प्र०, पीलीभीत द्वारा अपने आदेश दिनांक 09-8-2002 द्वारा जांच हेतु सदस्य सचिव, जिला प्रशासनिक कमेटी, पीलीभीत को निर्देशित किया । सदस्य सचिव, जिला प्रशासनिक कमेटी ने अपने आदेश दिनांक 16-8-2002 द्वारा श्री उमा शंकर तिवारी वरिष्ठ प्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि०, पीलीभीत को जांच अधिकारी नियुक्त किया । जांच अधिकारी द्वारा अभी तक कोई जांच रिर्पोट प्रस्तुत नहीं की गयी है ।

उपनिबंधक, सहकारी समितियां, उ०प्र०, बरेली मंडल, बरेली के पत्र दिनांक 07-8-2002 के क्रम में जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, उ० प्र० पीलीभीत ने अपने आदेश 07-8-2002 द्वारा सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) विकास खण्ड पूरनपुर को किसान सेवा सहकारी समिति अभयपुर शागढ़ के सचिव पद का कार्य-संचालन हेतु निर्देशित किया है परन्तु, अध्यक्ष जिला प्रशासनिक कमेटी/जिला सहकारी बैंक लि०, पीलीभीत द्वारा अपने पत्र दिनांक 20-8-2002 द्वारा प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समिति केन्द्रीयिक सेवा उ० प्र० की नियमावली के नियम संख्या–24 के प्राविधानों का उल्लेख करते हुये उपर्युक्त अन्तरिम व्यवस्था को मान्यता प्रदान नहीं की गयी है ।]

प्रदेश में पार्ट बैनामे की दाखिल–खारिज न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य-मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[मा० सदस्य द्वारा प्रदेश में निवास कर रहे 70 प्रतिशत किसानों के जीविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शादी-विवाह आदि संबंधी आवश्यकताओं एवं इस संबंध में आने वाली कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए पार्ट बैनामा की दाखिल-खारिज करने हेतु शासन को निर्देशित करने के सम्बन्ध में नियम–51 के अन्तर्गत सूचना दी गई है ।

इस संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा–168–क में टुकड़ों के संक्रमण पर प्रतिबंध लगाया गया है । उक्त धारा में संहत क्षेत्र (अलाभकर जोत) जो विशिष्ट क्षेत्रों में 1.89 हैक्टेयर तथा शेष उत्तर प्रदेश में 1.26 हैक्टेयर निर्धारित है, के विक्रय, दान अथवा विनिमय पर प्रतिबन्द लगाया गया है । ऐसे क्षेत्र का विक्रय मात्र खण्ड की सीमा से लगे हुए भूमि के काश्तकारों को ही किए जाने की अनुमति है तथा 1.26 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के हस्तान्तरण की दशा में हस्तांतरित भूमि जब्त होकर राज्य सरकार में निहित हो जाने का प्राविधान है । संयुक्त खातों की दशा में उक्त अधिनियम की धारा–176 के अन्तर्गत खण्ड अथवा अलाभकारी जोत के विधिक/भौतिक बंटवारे पर प्रतिबंध लगाया गया है तथा यह व्यवस्था की गई है कि ऐसे क्षेत्र का बंटवारा

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

भौतिक रूप से न कर भूमि के विक्रय के आधार पर किया जायेगा । जिसमें भूमि के क्रय हेतु अंकित सहखातेदार को ही प्राथमिकता दी जायेगी ।

उल्लेखनीय है कि धारा–168–क का उद्देश्य ही यह है कि जोतें अलाभकारी न हो एवं भू-खण्ड इतने छोटे न हों कि वैज्ञानिक पद्धति से खेती न हो पाए । चकबंदी प्रक्रिया में भी चकों को एक जगह इकट्ठा जोतों को अलाभकारी होने से बचाने के उद्देश्य से किया जाता है । अतः कृषि उत्पादन को दृष्टिगत रखते हुए उक्त विधान उचित है ।]

उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षों से सरकारी सस्ते गल्ले की नयी दुकानों के आवंटन पर लगे प्रतिबन्ध से बढ़ रही कालाबाजारी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री उदय राज द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य-मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[उ० प्र० के विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2002 के दौरान श्री उदयराज यादव मा० सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत सूचना दी गई है, जो पिछले कई वर्षों से सरकारी सस्ते गल्ले की नई दुकानों के आवंटन पर लगे प्रतिबन्ध से बढ़ रही कालाबाजारी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

इस संबंध में उल्लेख करना है कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत रिक्त सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों का चयन/आवंटन मा० उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका सं०–488/01, में पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में विधायी विभाग द्वारा निर्गत राज्य सरकार आरक्षण संबंधी अधिसूचना सं०–2001/सत्रह–वि–2 (क)–22–2001, लखनऊ दिनांक 15 सितम्बर, 01 के अनुपालन को दिनांक 14-12-01 को स्थगित कर दिया गया था और उसी के क्रम में न्याय विभाग के परामर्श के अनुसार शासन की दुकानों के चयन/आवंटन पर दिनांक 10 जनवरी, 02 से प्रतिबंध लगा हुआ था । वर्तमान सरकार द्वारा दिनांक 17 जून, 02 को लोक सेवा और पदों पर भर्ती/पदोन्नति तथा विज्ञापन पर लगे प्रतिबन्ध को समाप्त कर दिया गया है, जिसके अनुपालन में प्रदेश के ग्रामीण/नगरीय क्षेत्र की रिक्त, उचित दर की दुकानों के चयन/आवंटन करने हेतु दिनांक 17 अगस्त, 02 को आदेश निर्गत कर दिया गया है । जहां तक सरकारी सस्ते गल्ले के कुछ दुकानदारों द्वारा सस्ती दर पर मिलने वाली चीनी, मिट्टी का तेल निःशुल्क पुष्टाहार तथा आवश्यक वस्तुओं को खुली बाजार में बेच कर जनता के साथ लूट किये जाने का कथित प्रश्न है । इस संबंध में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़, सतर्क तथा प्रभावशाली बनाने के सरकार द्वारा सभी प्रयास किये गये हैं और लाभार्थियों को शत–प्रतिशत खाद्यान्नों के वितरण कराये जाने के निर्देश समय-समय पर दिये गये हैं । खाद्यान्नों की कालाबाजारी न हो इस संबंध में जनपद स्तर पर एवं दुकान स्तर पर खाद्य एवं सलाहकार तथा सतर्कता समितियों की नियमित बैठक कराये जाने के भी निर्देश दिये जा चुके हैं । यदि कहीं से खाद्यान्नों के वितरण/कालाबाजारी के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो जांचोपरान्त संबंधित कर्मचारी/दुकानदार के विरुद्ध कार्यवाही भी नियमानुसार की जाती है ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री अधिष्ठाता–

अब हम उठते हैं, कल 29 अगस्त, 2002 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 10 बजकर 18 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 28 अगस्त, 2002

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०–एल० 29 विधान सभा (48)–2002–813 प्रतियां ।